उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा

2014-15

अर्थ एवं संख्या प्रभाग

राज्य नियोजन संस्थान,नियोजन विभाग,उत्तर प्रदेश

website-http://updes.up.nic.in

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान,नियोजन विभाग,उत्तर प्रदेश

website-http://updes.up.nic.in

पत्रिका संख्या - 462

उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा

2014-2015

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान
नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश

प्राक्कथन

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रत्येक वर्ष ''उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा'' नामक पुस्तिका प्रकाशित की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यकलापों का विश्लेषण कर तथ्यात्मक स्थिति प्रस्तुत करना है।

2. प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा वर्ष 2014–2015 को नये कलेवर में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें विभिन्न विभागों/संस्थाओं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रदेश में संचालित की जा रही योजनाओं की अधुनान्त स्थिति स्पष्ट करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण करने के साथ ही प्रमुख क्षेत्रों यथा जनांकिकी, कृषि एवं सम्वर्गीय सेवा, पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक प्रगति, सेवा क्षेत्र, अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार, श्रम शक्ति एवं सेवायोजन, प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति, ग्राम्य विकास के कार्यक्रम तथा खनिज एवं विद्युत आदि से सम्बन्धित विश्लेषण अलग–अलग अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को इस प्रकाशन में तालिका/ग्राफ के माध्यम से भी दर्शाया गया है।

3. मैं इस संस्करण हेतु अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध कराकर इसे प्रकाशित करने में दिये गये सहयोग हेतु विभिन्न विभागों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

4. मुझे आशा है कि प्रस्तुत समीक्षा नियोजकों, नीति निर्धारकों, योजना निर्माताओं, शोधकर्त्ताओं एवं प्रशासकों के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। इस प्रकाशन को और अधिक सार्थक बनाने हेतु उपयोगकर्त्ताओं के सुझावों को सहर्ष विचारार्थ स्वीकार किया जायेगा।

लखनऊ

दिनांकः 17 फरवरी, 2016

(आर0 पी0 सिंह)
प्रमुख सचिव,
नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रस्तावना

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र० द्वारा वार्षिक प्रकाशन "उ०प्र० की आर्थिक समीक्षा 2014–15" का प्रस्तुत संस्करण नये कलेवर में प्रकाशित किया जा रहा है।

2. इस प्रकाशन में उ०प्र० के आर्थिक एवं सामाजिक परिदृश्य का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के साथ ही सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों तथा प्रदेश में व्याप्त चुनौतियों एवं सरकार की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की गयी है। इस अंक में 14 अध्यायों में मुख्यतः प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, पशुधन, मत्स्य, खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक प्रगति, अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, समाज कल्याण, रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति तथा ग्राम्य विकास के कार्यक्रम आदि पर सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े तथा तथ्य सम्मिलित हैं।

3. मैं इस प्रकाशन को प्रकाशित करने में सम्बन्धित विभागों तथा संस्थाओं के अनवरत एवं उदार सहयोग के लिए कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, साथ ही इसके संकलन में सम्बद्ध अर्थ एवं संख्या प्रभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करना चाहूँगा।

4. मुझे विश्वास है कि यह अंक योजनाकारों, नीति–निर्माताओं, अनुसन्धानकर्ताओं एवं शिक्षाविदों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस प्रकाशन के विषय–विस्तार एवं गुणात्मक सुधार हेतु उपयोगकर्ताओं के सुझावों का सहर्ष स्वागत किया जायेगा।

(जी०एस०कटियार)
निदेशक

लखनऊः 24 फरवरी, 2016

प्रकाशन से सम्बन्धित अधिकारी एवं सहायक

1— श्री जी0 एस0 कटियार — निदेशक

प्रावैधिक मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण

1— श्री यू0आर0 भावे — संयुक्त निदेशक (से0नि0 दि0 31.12.2015)

2— श्री संजय कुमार श्रीवास्तव — उप निदेशक

3— श्रीमती डुमनेश दीक्षा साहू — अर्थ एवं संख्याधिकारी

पाण्डुलिपि संरचना, समन्वय, टंकण एवं परिनिरीक्षण कार्य

1— श्रीमती रेखा शुक्ला — अपर सांख्यिकीय अधिकारी

2— श्री मुदित सक्सेना — अपर सांख्यिकीय अधिकारी

ग्राफ/चार्ट, नक्शा एवं कवर पृष्ठ के कार्य

1— श्री शिव शंकर यादव — चीफ ग्राफ आर्टिस्ट

2— श्रीमती कुसुम सोनकर — ग्राफ आर्टिस्ट

उत्तर प्रदेश का नक्शा

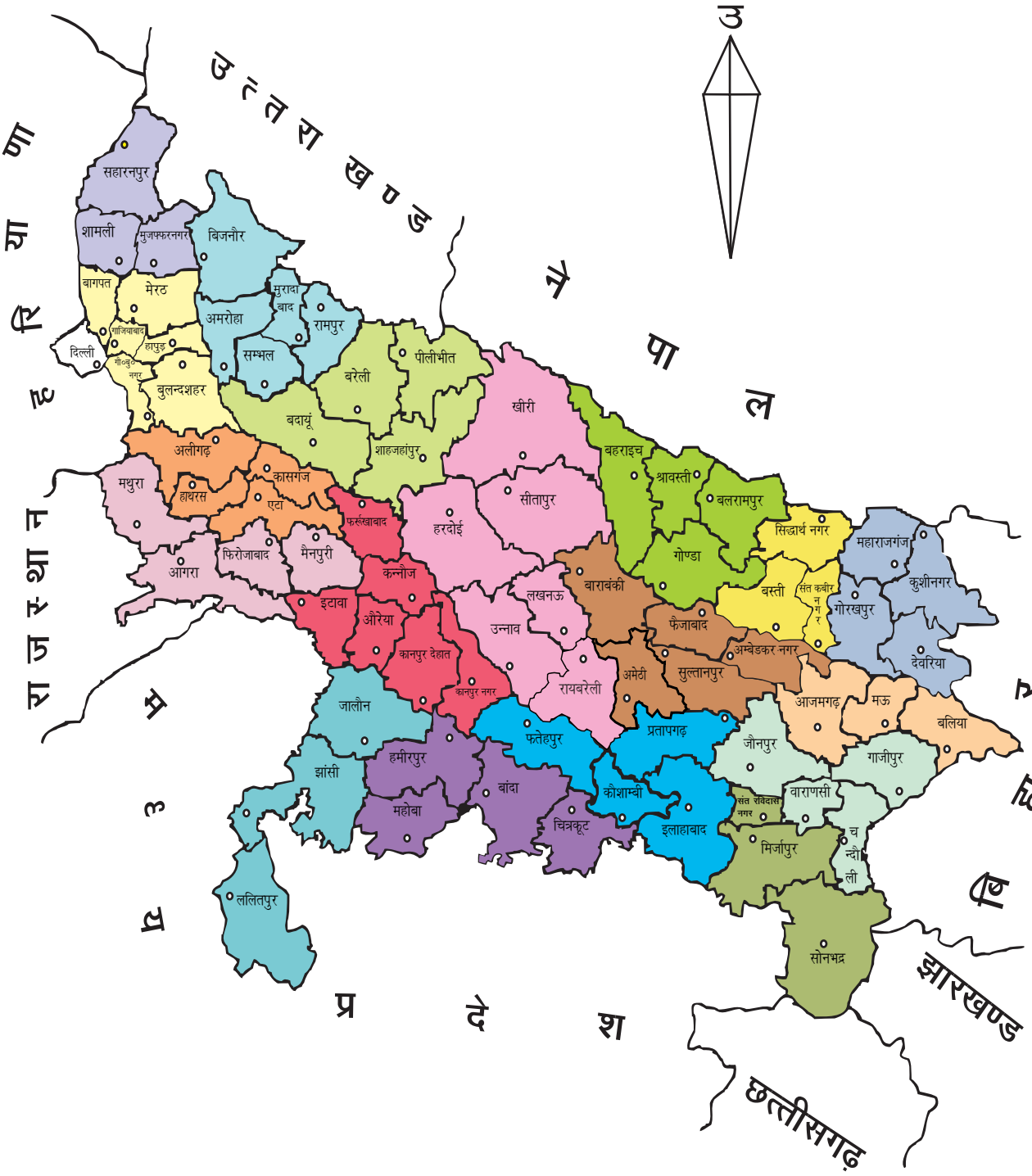

अनुमानित नक्शा

विषय–सूची

	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	राज्य की अर्थव्यवस्था	1–6
2.	प्रदेश की विकास की चुनौतियां तथा रणनीति	7–11
3.	लोक निधि	12–25
4.	कृषि एवं सम्वर्गीय सेवा	26–41
5.	पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास	42–52
6.	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	53–56
7.	ग्राम विकास के कार्यक्रम	57–64
8.	औद्योगिक प्रगति	65–80
9.	सेवा क्षेत्र	81–84
10	अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार	85–98
11.	शिक्षा	99–110
12.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	111–122
13.	समाज कल्याण	123–141
14.	श्रमशक्ति एवं सेवा योजन	142–152

अध्याय–1
राज्य की अर्थव्यवस्था

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य आय अनुमान की नई श्रृंखला पूर्ववर्ती आधार वर्ष 2004–05 के स्थान पर नये आधार वर्ष 2011–12 पर जारी किये गये हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि नई श्रृंखला में सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के आंकलन की रीति विधायन तथा डाटा बेस पुरानी श्रृंखला से भिन्न है। केन्द्रीय सांख्यकीय कार्यालय, नई दिल्ली, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई रीति विधायन का अनुसरण कर प्रदेश सरकार के विभिन्न सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये अनन्तिम एवं त्वरित आकड़ों का प्रयोग कर उत्तर प्रदेश के वर्ष 2011–12, 2012–13 व 2013–14 के अनन्तिम अनुमान तथा वर्ष 2014–15 के त्वरित अनुमान प्रचलित एवं स्थायी (2011–12) भावों पर तैयार किये गये हैं।

केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, द्वारा जनवरी 2015 में आधार वर्ष परिवर्तन के समय एसएनए 2008 की नवीनतम संस्तुतियों के क्रम में सकल मूल्य वर्धन के उद्योगानुसार अनुमान को साधन लागत के स्थान पर बुनियादी मूल्यों पर आंकलित किये जाने का निर्णय लिया गया। अतएव उत्तर प्रदेश के संदर्भ में साधन लागत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद को आंकलित नहीं किया जायेगा। उद्योगानुसार सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) अब बुनियादी मूल्यों पर आंकलित किया जायेगा। बाजार मूल्यों पर आंकलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद को सकल राज्य घरेलू उत्पाद(जीएसडीपी) तथा बाजार मूल्यों पर आंकलित निवल राज्य घरेलू उत्पाद को निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) सन्दर्भित किया जायेगा।

साधन लागत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी), बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) तथा बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद(जीएसडीपी) में निम्नलिखित संबंध हैः–

- **जीएसवीए (बुनियादी मूल्यों पर) = कर्मचारियों का पारिश्रमिक (सी ई) + परिचालन अधिशेष/मिश्रित आय (ओएस/एम आई) + स्थायी पूंजी अवक्षय (सी एफ सी) + उत्पादन सब्सिडी रहित उत्पादन कर**
- **जीएसडीपी (साधन लागत पर) = जीएसवीए (बुनियादी मूल्यों पर)– उत्पादन सब्सिडी रहित उत्पादन कर**
- **जीएसडीपी (बाजार मूल्यों पर) = जीएसवीए (बुनियादी मूल्यों पर) + उत्पाद कर–उत्पाद सब्सिडी**

केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार,नई दिल्ली, द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के क्रम में नई श्रृंखला में किये गये मुख्य परिवर्तन इस प्रकार हैः–

- विनिर्माण, खनन तथा सेवा क्षेत्र संबन्धी निगमित क्षेत्र के व्यापक आच्छादन हेतु, एमसीए–21 (कारपोरेट कार्य मंत्रालय की ई–अभिशासन पहल) डाटा बेस का प्रयोग किया गया है। उक्त खण्डों के राज्य अंश, केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
- विनिर्माण तथा सेवा खण्डों के अनिगमित क्षेत्र हेतु "इफेक्टिव लेबर इनपुट" विधि का प्रयोग किया गया है। इस विधि में उक्त खण्डों के अनुमान के आंकलन में विभिन्न वर्गों के कर्मकरों यथा उद्यम स्वामी, भाड़े के श्रमिक तथा सहायक को उनकी उत्पादकता के अनुरूप भार दिया गया है। इससे संबंधित राज्य अंश केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
- प्रदेश की समस्त ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकायों का आच्छादन
- राज्य की स्वायत्तशासी संस्थानों का आच्छादन

नये आधार वर्ष (2011–12) पर प्रदेश का बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन(जीएसवीए)–

बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थायी भावों पर वर्ष 2011–12 में 682594 करोड़ रू०, वर्ष 2012–13 में 710975 करोड़ रू०, वर्ष 2013–14 में 739495 करोड़ रू० तथा वर्ष 2014–15 में 782954 करोड़ रू० अनुमानित किया गया है जो वर्ष 2012–13 में 4.2% वर्ष 2013–14 में 4.0 % तथा वर्ष 2014–15 में 5.9% की वृद्धि दर को दर्शाता है।

सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्डों की वृद्धि दर वर्ष 2012–13 में क्रमशः 5.3%, 0.5% तथा 5.6%, वर्ष 2013–14 में क्रमशः 1.5%, 1.5%, तथा 6.9% तथा वर्ष 2014–15 में क्रमशः (–) 1.8%, 5.1% तथा 10.8% रही।

खण्डवार विश्लेषण–

प्राथमिक खण्ड–

इसके अन्तर्गत कृषि वानिकी एवं मत्स्य खनन आदि उपखण्ड शमिल है। नवीन श्रृंखला में प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत फसल तथा पशुपालन के अनुमान पृथक–पृथक आंकलित किये गये है जबकि पुरानी श्रृंखला में यह कृषि तथा संवर्गीय क्षेत्र के अन्तर्गत एक साथ आंकलित किये जाते थे। प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत कृषि उपखण्ड के अनुमान मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशालय, उद्यान निदेशालय तथा राजस्व परिषद तथा कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये आकड़ों का प्रयोग कर तैयार किये गये है। प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में फसल उपखण्ड के अर्न्तगत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14 तथा वर्ष 2014–15 में क्रमशः 6.0%, 0.9% तथा 5.3% की वृद्धि अनुमानित हुई है।

पशुपालन उपखण्ड के अनुमान मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग तथा रेशम निदेशालय तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये दर एवं अनुपात के आकड़ों का प्रयोग कर तैयार किये गये हैं।

प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में पशुपालन उपखण्ड के अर्न्तगत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14 तथा वर्ष 2014–15 में क्रमशः 4.9%, 4.7% तथा 4.7% की वृद्धि अनुमानित हुई है।

वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना उपखण्ड के अनुमान उत्तर प्रदेश के वन विभाग तथा वन निगम एवं केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये आकड़ों का प्रयोग कर किये गये हैं। प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14 तथा वर्ष 2014–15 में क्रमशः (–)1.3%, (–)1.9% तथा (–)2.6% की वृद्धि अनुमानित हुई है।

मत्स्य उपखण्ड के अनुमान मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराये गये आकड़ों का उपयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में मत्स्य उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14 तथा वर्ष 2014–15 में क्रमशः 4.7%, 3.3% तथा 6.4% की वृद्धि अनुमानित हुई है।

खनन तथा पत्थर निकालना उपखण्ड के अनुमान भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश तथा आई०बी०एम०, नागपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये आकड़ों का उपयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में खनन एवं पत्थर निकालना उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14 तथा वर्ष 2014–15 में क्रमशः 6.6%, 31.7% तथा 12.1% की वृद्धि अनुमानित हुई है।

द्वितीयक खण्ड

द्वितीयक खण्ड के अन्तर्गत विनिर्माण, विद्युत गैस तथा जल संपूर्ति एवं निर्माण कार्य उपखण्ड शामिल हैं। प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में द्वितीयक खण्ड के अर्न्तगत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14 तथा वर्ष 2014–15 में क्रमशः 0.5%, 1.5% तथा 5.1% की वृद्धि अनुमानित हुई है।

विनिर्माण उपखण्ड के अनुमान मुख्य रूप से अखिल भारतीय थोक भाव सूचकांक एवं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तथा एमसीए 21 डाटा बेस का प्रयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में विनिर्माण उपखण्ड के अर्न्तगत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14 तथा वर्ष 2014–15 में क्रमशः 4.3%, 1.9% तथा 6.2% की वृद्धि अनुमानित हुई है।

विद्युत गैस तथा जल संपूर्ति उपखण्ड के अनुमान मुख्य रूप से विद्युत विभाग उत्तर प्रदेश तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से उपलब्ध कराये गये आकड़ों, स्थानीय निकायों के आय–व्ययक के खातों तथा प्रदेश में विद्युत उत्पादन एवं वितरण में संलग्न निगमों की बैलेन्स शीट का विश्लेषण कर तैयार किये गये। प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में विद्युत गैस तथा जल संपूर्ति के अर्न्तगत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14 तथा वर्ष 2014–15 में क्रमशः 5.8%, 8.8% तथा 9.7% की वृद्धि अनुमानित हुई है।

प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में निर्माण उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14 तथा वर्ष 2014–15 में क्रमशः (–)4.0%, 0.0% तथा 3.1% की वृद्धि अनुमानित हुई है।

तृतीयक खण्ड

अर्थ व्यवस्था के तृतीयक खण्ड के अन्तर्गत "परिवहन, संचार, व्यापार", "वित्त तथा स्थावर संपदा" एवं "सामुदायिक तथा निजी सेवायें" उपखण्ड सम्मिलित हैं।

तृतीयक खण्ड के अनुमान मुख्य रूप से केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, द्वारा उपलब्ध कराये गये आकड़ों तथा राज्य की आय–व्ययक, स्थानीय निकायों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं के लेखा खातों का विश्लेषण कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा उपखण्ड के अर्न्तगत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14 तथा वर्ष 2014–15 में क्रमशः 5.6%, 6.9% तथा 10.8% की वृद्धि अनुमानित हुई है। वर्ष 2014–15 में सर्वाधिक वृद्धि 20.8 प्रतिशत "परिवहन, संचार, व्यापार" उपखण्ड में परिलक्षित हुई है।

खण्डवार राज्य आय का प्रतिशत वितरण

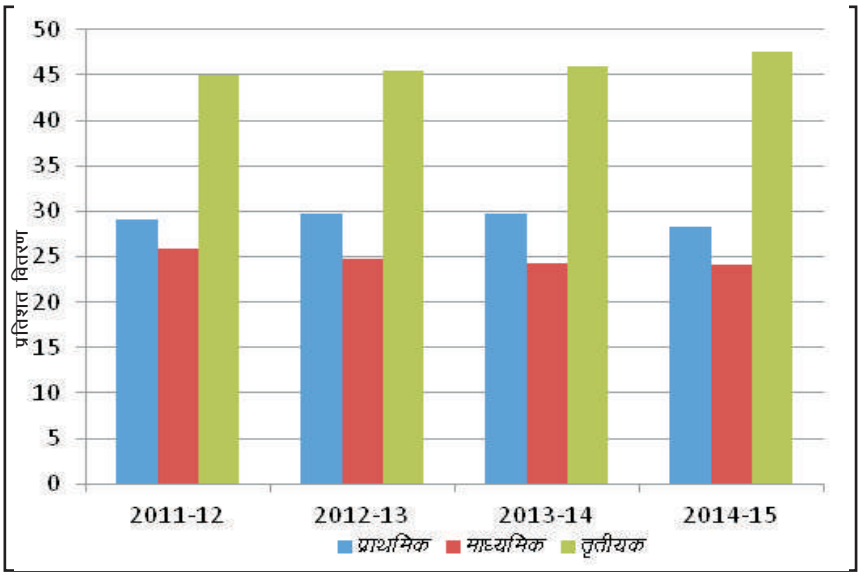

खण्डवार वार्षिक वृद्धि दर

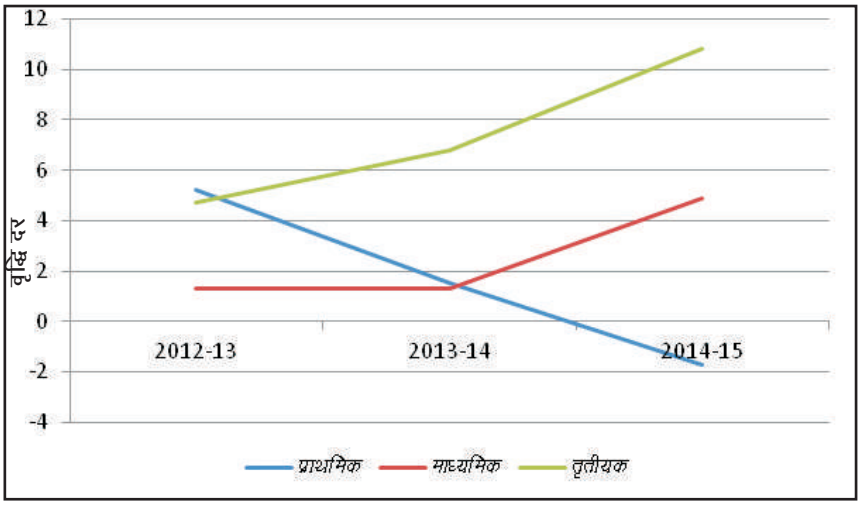

प्रचलित भावों पर राज्य आय अनुमान बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद / निवल राज्य घरेलू उत्पाद

आधार वर्ष 2011–12 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद 721396 करोड़ रू० अनुमानित किया गया है। वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14 तथा वर्ष 2014–15 में प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्रमशः 812210 करोड़ रू०, 946508 करोड़ रू० तथा 1041997 करोड़ रू० अनुमानित किया गया है। बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रचलित भावों पर वृद्धि दर वर्ष 2012–13 में 12.6%, वर्ष 2013–14 में 16.5% तथा वर्ष 2014–15 में 10.1% रही। इन अनुमानो की स्थायी भाव पर जीएसडीपी के अनुमानो से तुलना से स्पष्ट है कि स्फीति कारक प्रभाव सर्वाधिक वर्ष 2013–14 में रहा है ।

तालिका–1.01

	करोड़ रु0 में				वृद्धि दर (प्रतिशत में)		
	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2012–13	2013–14	2014–15
जीएसडीपी (प्रचलित भाव पर)	721396	812210	946508	1041997	12.6	16.5	10.1
जीएसडीपी (स्थायी भाव पर)	721396	749404	784879	833160	3.9	4.7	6.2

आधार वर्ष 2011–12 में प्रदेश का निवल राज्य घरेलू उत्पाद 642786 करोड़ रू० अनुमानित किया गया है। वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14 तथा वर्ष 2014–15 में प्रचलित भावों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद क्रमशः 723696 करोड़ रू०, 847656 करोड़ रू० तथा 932536 करोड़ रू० अनुमानित किया गया है। बाजार मूल्यों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रचलित भावों पर वृद्धि दर वर्ष 2012–13 में 12.6 %, वर्ष 2013–14 में 17.1% तथा वर्ष 2014–15 में 10.0 % रही।

बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए)

बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011–12 में 682594 करोड़ रू०, वर्ष 2012–13 में 774846 करोड़ रू०, वर्ष 2013–14 में 869336 करोड़ रू० तथा वर्ष 2014–15 में 957545 करोड़ रू० अनुमानित किया गया है। प्राथमिक खण्ड का सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011–12, वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14 तथा वर्ष 2014–15 में क्रमशः 190429 करोड़ रू०, 221206 करोड़ रू०, 247619 करोड़ रू० तथा 258854 करोड़ रू० अनुमानित किया गया है। द्वितीयक खण्ड का सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011–12, वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14 तथा वर्ष 2014–15 में क्रमशः 181473 करोड़ रू०, 196228 करोड़ रू०, 216316 करोड़ रू० तथा 237067 करोड़ रू० अनुमानित किया गया है। तृतीयक खण्ड का सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011–12, वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14 तथा वर्ष 2014–15 में क्रमशः 310692 करोड़रू०, 357412 करोड़ रू०, 405401 करोड़ रू० तथा 461625 करोड़ रू० अनुमानित किया गया है।

अर्थ–व्यवस्था की खण्डीय संरचनाः–

राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न खण्डों के अंशदानों एवं निश्चित अवधि में हुए परिवर्तनों से यह बोध होता है कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्र किस प्रकार विकसित हो रहे हैं । प्राथमिक

खण्ड का स्थायी (2011–2012) भावों पर कुल आय में योगदान जो वर्ष 2011–12 में 27.9 प्रतिशत था घटकर वर्ष 2014–15 में 25.5 प्रतिशत रह गया। इस अवधि में राज्य की अर्थ व्यवस्था के प्राथमिक खण्ड में यद्यपि कृषि (फसल), का योगदान 18.3 प्रतिशत से घटकर 15.9 प्रतिशत रह गया है तथापि प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत इसका योगदान अभी भी सर्वाधिक है।

द्वितीयक खण्ड का सकल राज्य मूल्य वर्धन में योगदान वर्ष 2011–12 में 26.6 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014–15 में 24.8 प्रतिशत हो गया है। इस खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में सर्वाधिक योगदान विनिर्माण उपखण्ड का (12.6 प्रतिशत) आंकलित हुआ है।

तृतीयक खण्ड का सकल राज्य मूल्य वर्धन में योगदान वर्ष 2011–12 में 45.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 49.6 प्रतिशत हो गया है। इस खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में सर्वाधिक योगदान स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक उपखण्ड का 15.1 प्रतिशत आंकलित हुआ है।

खण्डीय संरचना के इस परिवर्तन से यह संकेत मिलता है कि वर्ष 2011–12 से राज्य की अर्थ व्यवस्था कृषीय से अकृषीय की ओर निरन्तर अग्रसर होती जा रही है फिर भी राज्य की सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था में कृषि की प्रधानता है।

प्रतिव्यक्ति आय

प्रदेश की प्रचलित भावों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011–12, वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14 तथा वर्ष 2014–15 में क्रमशः 31886 रू०, 35358 रू०, 40790 रू० तथा 44197 रू० अनुमानित की गई है, जो वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14 तथा वर्ष 2014–15 में क्रमशः 10.9%, 15.4% तथा 8.4% की वृद्धि को दर्शाता है।

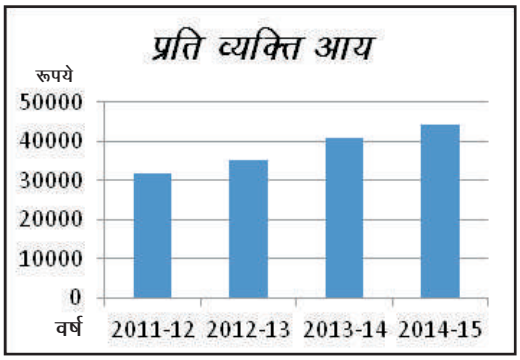

• • •

अध्याय–2
प्रदेश के विकास की चुनौतियाँ तथा रणनीति

प्रदेश के समग्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न सेक्टरों के अंतर्गत सर्वोच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए विकास की रणनीति बनाया जाना अपेक्षित है जिसके अन्तर्गत एक ओर जहाँ प्रदेश के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाये जाने के साथ–साथ भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अन्तर्गत अधिकाधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त करके उसको सही ढंग से लागू किया जाना सम्मिलित है वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार द्वारा गत वर्ष लागू की गयी विभिन्न नीतियों का कार्यान्वयन, महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के निर्माण हेतु रणनीति, निजी निवेश अर्जित करने का प्रयास, जनसामान्य के लिए विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं का सृजन, कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, नगरीय सुविधाएं, श्रम एवं ग्राम विकास सेक्टरों के विशिष्ट कार्य बिन्दुओं, समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा प्रशासन तंत्र को प्रभावी बनाये जाने के साथ कार्यक्रमो के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिए तंत्र विकसित करने का प्रयास अपेक्षित है।

समग्र विकास हेतु विभिन्न सेक्टरों के अंतर्गत चिन्हित चुनौतियाँ तथा प्रदेश विकास की रणनीति निम्नवत प्रस्तुत है :–

चुनौतियाँ

- **कृषि तथा सम्वर्गीय क्षेत्र**

1. कृषि विकास दर को बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य के अनुरूप बनाये रखना।
2. मृदा स्वास्थ्य में गिरावट को रोकना।
3. विभिन्न फसलों की प्रतिहेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि करना।
4. कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत को कम करना।
5. छोटी जोतो को लाभकारी बनाना।
6. कृषि पर रोजगार की निर्भरता को कम करना।
7. कृषि उत्पादों विशेषकर औद्यानिक फसलों का विपणन तथा भण्डारण।
8. औद्यानिक फसलों के आच्छादन, उत्पादन आदि का आंकड़ा आधार खाता तैयार करना।

- **पशुपालन तथा सम्वर्गीय क्षेत्र**

1. कृत्रिम गर्भाधान का आच्छादन बढ़ाना।
2. पशु आहार/पशु चारा का उत्पादन बढ़ाना।
3. कुक्कुट तथा मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करना।
4. अतिहिमीकृत वीर्य का उत्पादन बढ़ाना।
5. सहकारी क्षेत्र की डेयरियों का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार करना।
6. दुग्ध उत्पादन एवं विपणन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।

- **उद्योग**

1. निजी पूँजी निवेश को आकर्षित करना।
2. औद्योगिक विकास हेतु आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना।
3. निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।
4. कुशल मानव संसाधन सुनिश्चित करना।
5. सम्यक रूप से औद्योगिक वातावरण में सुधार।

6. औद्योगिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।
7. हस्त शिल्प तथा दस्तकारी इकाईयों को जीवनक्षम बनाना।

- **<u>सेवा क्षेत्र</u>**

1. विभिन्न सेवाओं के मूल्य वर्धन का आंकलन।
2. सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न आर्थिक क्रिया–कलापों में सन्लिप्त इकाईयों का आंकड़ा आधार तैयार करना।
3. सेवा क्षेत्र में संलग्न श्रम शक्ति का कौशल विकास।

- **<u>अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार तथा परिवहन –</u>**

1. प्रदेश में सड़क घनत्व को राष्ट्रीय स्तर तक लाना।
2. नये विद्युत उत्पादन के निर्माण की बाधाओं को दूर करना।
3. पारेषण लाईनों का विस्तार।
4. विद्युत आपूर्ति में सुधार।
5. लाईन हानियों में कमी लाना।
6. क्रियाशील विद्युत उत्पादन इकाईयों की क्षमता में वृद्धि।
7. वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देना।
8. नगरीय यातायात को सुविधाजनक एवं सरल बनाना।

- **<u>ग्राम्य विकास</u>**

1. योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ लक्षित समूह/जन सामान्य को पहुँचाना।
2. योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाना।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना संसाधनों का निर्माण।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना।
5. पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना।
6. ग्रामीण समाज के समस्त वर्गों की पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी सुनिश्चित करना।
7. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता हेतु जागरूकता उत्पन्न करना।

- **<u>शिक्षा</u>**

1. 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना।
2. विभिन्न वर्गों में साक्षरता अन्तराल को कम करना।
3. ड्रॉप आऊट दर को कम करना।
4. प्राथमिक शिक्षा की पहुँच में सुधार करना।
5. विद्यालय के प्रबन्धन में समुदाय की सक्रिय भागीदारिता सुनिश्चित करना।
6. शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक शैक्षिक तथा लिंग भेद को समाप्त करना।

- **<u>माध्यमिक शिक्षा</u>**

1. प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय विषमता को दूर करना।
2. शैक्षिक गुणवत्ता की अभिवृद्धि।
3. प्रत्येक विकास खण्ड में बालिकाओं हेतु कम से कम एक हाई स्कूल स्तर का विद्यालय खोला जाना।

- **<u>उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा</u>**

1. शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं विस्तार।
2. शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार।
3. शिक्षा को रोजगार से जोड़ना।
4. ई–लर्निंग/स्मार्ट क्लासेस।

- **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य**

1. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार।
2. जन्मदर, मृत्युदर, शिशु मृत्युदर तथा मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना।
3. सुरक्षित प्रसव।
4. प्रदेश में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना।
5. चिकित्सा क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना।
6. लिंगानुपात को बढ़ाना।
7. टीकाकरण।

- **सामाजिक कल्याण**

1. छात्र वृत्ति तथा पेंशन सम्बन्धी लाभार्थी परक योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाना।
2. समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना।

विकास की रणनीति

- **कृषि तथा सम्वर्गीय क्षेत्र**

1. कृषि क्षेत्र के विकास हेतु कृषि नीति 2013 का प्रभावी कार्यान्वयन।
2. आलू नीति का प्रभावी कार्यान्वयन।
3. खाद्यान्न उत्पादन में प्रजाति प्रतिस्थापन दर में वृद्धि हेतु प्रभावी कार्यवाही।
4. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012, का प्रभावी कार्यान्वयन।
5. कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता हेतु कृषि यन्त्रीकरण के लिए मैकेनाईज़ेशन मिशन तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार विशेषकर औद्यानिक फसलों हेतु नेशनल मिशन ऑन माइक्रोइरीगेशन का प्रभावी कार्यान्वयन।
6. सोलर फोटोबोल्टैइक इरीगेशन पम्पों की स्थापना।
7. कृषकों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने हेतु एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब एवं नवीन मण्डियों की स्थापना, किसान बाज़ार का विकास किया जाना आदि।
8. गन्ने के बीज की उन्नत प्रजातियों का विकास।
9. राष्ट्रीय विकास योजना के अर्न्तगत साधन समिति स्तर पर भण्डार गृहों का निर्माण।

- **पशुपालन तथा सम्वर्गीय क्षेत्र**

1. कुक्कुट विकास नीति का प्रभावी कार्यान्वयन।
2. कामधेनु योजना तथा मिनी कामधेनु योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।
3. मत्स्य विकास नीति का प्रभावी कार्यान्वयन।
4. सहकारिता के माध्यम से दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना।

- **उद्योग**

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 का प्रभावी कार्यान्वयन ।
2. उत्तर प्रदेश औद्योगिक सेवा गारन्टी अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन।
3. औद्योगिक इकाईयों हेतु भूमि आवंटन नीति का प्रभावी कार्यान्वयन ।
4. उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति का प्रभावी कार्यान्वयन ।
5. चीनी उद्योग, को–जेनेरेशन एवं आसवानी प्रोत्साहन नीति 2013 का प्रभावी कार्यान्वयन।

6. मेगा लेदर क्लस्टर योजना आदि का प्रभावी कार्यान्वयन।

- **<u>सेवा क्षेत्र</u>**

1. 13 वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से 10 मुख्य अधिनियमों के अर्न्तगत पंजीकृत तथा कार्यरत इकाईयों के आधार पर तैयार जनपदीय बिजनेस रजिस्टर का उपयोग कर सेवा क्षेत्र का आकंडा आधार हेतु फ्रेम लिस्ट का निर्माण।
2. हैरीटेज़ टूरिज़म पॉलिसी की निर्धारण तथा कार्यान्वयन
3. बौद्ध परिपथ के अन्तर्गत स्थलों का पर्यटन विकास।
4. आगरा के निकट थीम पार्क का विकास।

- **<u>अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार तथा परिवहन –</u>**

1. दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर का प्रभावी कार्यान्वयन।
2. अमृतसर – दिल्ली – कोलकाता इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर का प्रभावी कार्यान्वयन।
3. ग्रेटर नोएडा में नाईट सफ़ारी परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन।
4. आगरा में ताजगंज क्षेत्र के विकास की परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन
5. मैत्रेय परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन।
6. विश्व बैंक सहायतित प्रो–पुअर टुरिज़्म योजना का कार्यान्वयन।
7. कुशीनगर व आगरा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जाना।
8. 500 से अधिक आबादी के अंसतृप्त बसावटों को शत प्रतिशत सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जाना।
9. जिला मुख्यालयों को चार लेन की सड़कों से जोड़ना।
10. ग्रामीण सड़कों के अनुरक्षण की नीति का प्रभावी कार्यान्वयन।
11. अधूरे सेतुओं तथा रेल उपरिगामी सेतुओं एवं अधूरे उपरिगामी सेतुओं को पूर्ण किया जाना।
12. प्रमुख शहरों में पीपीपी मॉडल पर बस स्टेशनों का विकास।
13. लखनऊ में मेट्रों रेल का संचालन।
14. रूफटॉप सोलर पॉलिसी का प्रभावी कार्यान्वयन।
15. ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घण्टे के अन्दर क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों का प्रतिस्थापन सुनिश्चित करना।
16. प्रदेश की तहसीलों में 33/11 के०वी० उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण करना।
17. केस–2 बीडिंग के आधार पर प्रस्तावित करछना परियोना की बाधा को दूर करना तथा निर्माणाधीन बारा परियोजना की 2 इकाईयों से उत्पादन प्रारम्भ करना।
18. ललितपुर–आगरा पारेषण परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन, इलाहाबाद– मैनपुरी एवं मैनपुरी–ग्रेटर नोएडा पारेषण परियोजना की बाधाओं को दूर करना।
19. प्रदेश के विद्युत गृहों के पीएलएफ को बढ़ाने हेतु कार्य योजना बनाना तथा उसका समयबद्ध कार्यान्वयन कराया जाना।
20. अनपरा–डी (2 x 500 मेगावाट) की इकाईयों से विद्युत उत्पादन प्राप्त करना।
21. हरदुआगंज में (1 x 660 मेगावाट) इकाई की ई०पी०सी० आधार पर स्थापना।

22. मेज़ा एवं घाटमपुर में संयुक्त उपक्रम में बनाई जा रही तापीय विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य में गति लाना।
23. उत्तर प्रदेश सौर्य ऊर्जा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन।

- **<u>शिक्षा</u>**

1. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने हेतु नीति निर्धारण करते हुए शिक्षण संस्थाओं का विस्तार किया जाना।
2. उच्च शिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रम परिवर्धन के माध्यम से शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार।
3. कन्या विद्या धन योजना, अक्षय पात्र योजना, आदि का प्रभावी कार्यान्वयन।
4. उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रम परिवर्धन के माध्यम से शैक्षिणिक गुणवत्ता में वृद्धि करते हुए उन्हें रोजगारपरक बनाया जाना।
5. ई–लर्निंग को बढ़ावा दिया जाना।
6. समस्त प्राविधिक संस्थाओं में एकेडमिक मॉनिट्रिंग की एकीकृत व्यवस्था।

- **<u>चिकित्सा एवं स्वास्थ्य</u>**

1. विगत वर्षों के निर्माणाधीन अस्पतालों/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों को पूर्ण कर क्रियाशील करना।
2. नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/नये जनपदों में जिला चिकित्सालयों का निर्माण।
3. ट्रामा सेन्टरों के भवनों का निर्माण, उन्हें क्रियाशील किया जाना।
4. कैन्सर के उपचार हेतु लखनऊ में उच्च स्तरीय संस्था की स्थापना।
5. चिकित्सा क्षेत्र में निजी निवेश अर्जित करने हेतु नीति निर्धारित करते हुए शिक्षण संस्थाओं का विस्तार।

- **<u>ग्राम्य विकास तथा सामाजिक कल्याण</u>**

1. छात्रवृत्ति पेंशन आदि सम्बन्धी समस्त योजनाओं का इंटरनेट आधारित प्रणाली द्वारा प्रभावी कार्यान्वयन एवं अुनश्रवण।
2. डॉ० राममनोहर लोहिया समग्र विकास योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।
3. जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।

- **<u>लोक निधि</u>**

1. प्रदेश के विकास हेतु वाह्य सहायतित परियोजनाओं में अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त कर प्रभावी कार्यान्वयन।
2. प्रदेश में विकास हेतु कर एवं करेत्तर राजस्व के रूप में अधिक से अधिक वित्तीय संसाधन जुटाया जाना।

• • •

अध्याय–3
लोक निधि

विकासशील अर्थव्यवस्था में विकास को गति प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ रखना तथा उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाना अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, जनसंख्या बाहुल्य एवं अपेक्षाकृत पिछड़ा राज्य है, जहां संसाधनों के सृजन की सीमित क्षमता होने के कारण परिस्थितियां और भी अधिक विषम हो जाती हैं। बावजूद इसके राज्य सरकार प्रदेश में विकासात्मक गतिविधियों को बल दिये जाने के उद्देश्य से संसाधन वृद्धि के अथक प्रयास कर रही है ताकि जनोपयोगी एवं लोकहित से जुड़े योजनाओं में धन की उपलब्धता बनी रहे। इसके अतिरिक्त राज्य अपने वित्तीय अनुशासन को बनाये रखने के लिये भी कृत संकल्प है जिसके फलस्वरूप विभिन्न वित्तीय संकेतक जैसे राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, ऋण सीमा आदि पूर्णतया नियन्त्रण में है।

राजस्व प्राप्ति

राज्य की राजस्व आय, राज्य के अपने संसाधन तथा केन्द्र सरकार से संक्रमण के आधार पर प्राप्त होती है। राज्य के राजस्व आय के प्रमुख स्रोत हैं– कर, करेत्तर राजस्व तथा केन्द्र सरकार से संक्रमण। संक्रमण के स्रोत हैं केन्द्रीय करों के विभाजन अंश में राज्य का अंश तथा केन्द्र से अनुदान। वर्ष 2013–14 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार प्रदेश को 1,68,213.75 करोड़ रूपये की कुल राजस्व आय में राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व से 83,031.92 करोड़ रूपये तथा केन्द्र से करों के विभाजन के अंश में तथा केन्द्रीय अनुदानों के रूप में 85,181.83 करोड़ रूपये प्राप्त हुआ। राज्य के गत पांच वर्षों की राजस्व प्राप्तियों को तालिका–3.01 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.01

राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति से आय के स्रोत का प्रतिशत

(रू0 करोड़ में)

वर्ष	राज्य का स्वयं का राजस्व		केन्द्रीय संक्रमण		कुल राजस्व प्राप्तियां
	राज्य कर तथा शुल्क	राज्य करेत्तर राजस्व	केन्द्रीय करों में अंश	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	
1	2	3	4	5	6
2010–11	41354.83	11176.21	43219.07	15433.65	111183.76
2011–12	52613.43	10145.30	50350.95	17760.02	130869.70
2012–13	58098.36	12969.98	57497.85	17337.79	145903.98
2013–14	66582.11	16449.81	62776.66	22405.17	168213.75
2014–15 (पु०अ०)	75974.69	22967.60	75416.62	49638.55	223997.46

नोटः वर्ष 2014–15 से केन्द्रीय योजनाओं हेतु केन्द्र सरकार द्वारा सीधे विभागों को उपलब्ध कराये जाने वाले अनुदान को राज्य सरकार के बजट के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है जिस कारण अप्रत्याशित वृद्धि केन्द्रीय अनुदान में परिलक्षित हो रही है।

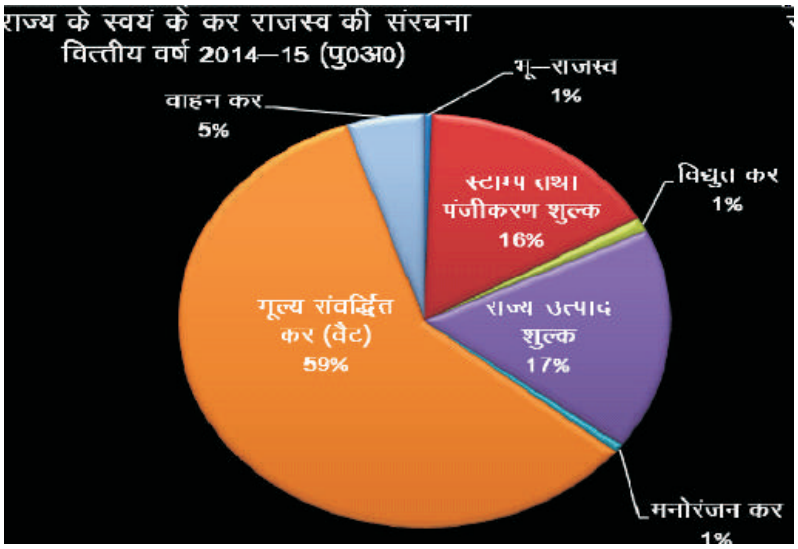

राज्य की राजस्व आय में राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व का अंश वर्ष 2013–14 में 49.37 प्रतिशत था अर्थात राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में लगभग आधा अंश राज्य अपने संसाधनों से ही एकत्रित करता है। राज्य के स्वयं का कर राजस्व में मुख्य भागीदारी वाणिज्यिक कर विभाग के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले मूल्य संवर्द्धित कर (वैट) की है। वर्ष 2014–15 के पुनरीक्षित अनुमान में मूल्य संवर्द्धित कर का अंश लगभग 59 प्रतिशत है। राज्य उत्पाद शुल्क तथा स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क अन्य दो महत्वपूर्ण घटक हैं जिनका अंश क्रमशः 17 प्रतिशत एवं 16 प्रतिशत है। राज्य का कर राजस्व मुख्यतः इन्हीं तीन मदों से प्राप्त होने वाले कर पर निर्भर रहता है।संसाधनों में वृद्धि के लिये राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा किये गये महत्वपूर्ण प्रयासों को बाक्स–1 में दर्शाया गया है।

बाक्स–1: प्रदेश के संसाधनों में वृद्धि हेतु राज्य सरकार द्वारा किये गये महत्वपूर्ण उपाय वाणिज्यिक कर विभाग।

- मास्किटो रिप्लेण्ट/डिस्ट्रायर क्वाल्स, मैट एवं लिक्विड को अनुसूची दो से निकाल कर इन पर अनुसूची–पाँच में समाहित वस्तुओं की दर 12.5 प्रतिशत 0.1 प्रतिशत की दर से कर देयता का निर्धारण।
- लुब्रिकेन्टस पर कर की दर परिवर्तित करते हुये कर योग्य माल के निर्माण प्रक्रिया में प्रयोग किये जाने पर 5 प्रतिशत तथा अन्य में 21 प्रतिशत नान वैट निर्धारण।
- बिटुमिन पर 2 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर का देयता का निर्धारण।
- पेट्रोल व डीजल पर कर की दर में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि किया जाना।

परिवहन विभाग

- गैर परिवहन यानों के पुनः पंजीयन के समय, पंजीयन के समय देय कर के 10 प्रतिशत की दर से ग्रीन टैक्स लगाया जाना।

निबन्धन विभाग

- सहकारी आवास समिति द्वारा या उनकी ओर से निष्पादित विलेखों पर प्रदत्त निबन्धन शुल्क में छूट समाप्त की गई।

- जनपदों के द्विवार्षिक मूल्यांकन के स्थान पर वार्षिक मूल्यांकन सूची का पुनरीक्षण दिनांक 01–08–2014 से प्रभावी।

आबकारी विभाग

- आबकारी नीति 2015–16 के अन्तर्गत देशी शराब की प्रोसेसिंग फीस, फुटकर दुकानों की नवीनीकरण फीस, एम0जी0क्यू0, बेसिक लाइसेंस फीस, प्रतिफल फीस, थोक अनुज्ञापनों की नवीनीकरण फीस आदि में वृद्धि की गयी।
- विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीस, प्रोसेसिंग फीस, फुटकर दुकानों की नवीनीकरण फीस, प्रतिफल फीस, थोक अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस, लेबिल फीस आदि में वृद्धि की गयी।
- बीयर के बार अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस, फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीस, आवेदन की प्रोसेसिंग फीस, प्रतिफल फीस, थोक अनुज्ञापनों, लेबिल अनुमोदन फीस में वृद्धि की गयी।
- माडल शाप्स की लाइसेंस फीस, आवेदन प्रोसेसिंग फीस, फुटकर दुकानों की नवीनीकरण फीस में वृद्धि की गयी।

मनोरंजन कर विभाग

- प्रदेश में बंद हो रहे एकल स्क्रीन छविगृहों को डिजीटल कर आधुनिक बनाने एवं उच्चीकरण के लिए अनुदान दिये जाने की योजना में संशोधन किया गया।
- प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनोरंजन पार्क/थीम पार्क आदि की व्यवस्था हेतु नीति का निर्धारण किया गया।

राजस्व व्यय

राजस्व व्यय के मुख्य भाग हैं– राज्य करों की वसूली पर व्यय, ब्याज का भुगतान, प्रशासनिक तथा सामान्य सेवाओं पर व्यय तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय। वर्ष 2010–11 से वर्ष 2014–15 की अवधि में राजस्व प्राप्ति तथा सामान्य, सामाजिक, आर्थिक सेवाओं एवं स्थानीय निकायों के अनुदान पर होने वाले राजस्व व्यय को तालिका–3.02 में दिया गया है:–

तालिका 3.02
राजस्व व्यय के मुख्य घटक

(रू0 करोड़ में)

वर्ष	कुल राजस्व व्यय	राजस्व व्यय के घटक			
		सामान्य सेवायें	सामाजिक सेवायें	आर्थिक सेवायें	स्थानीय निकायों को अनुदान
1	2	3	4	5	6
2010–11	107675.61	48019.16	39566.71	15725.03	4364.71
2011–12	123885.17	52946.91	47390.94	18292.22	5255.10
2012–13	140723.64	59906.73	53300.32	21337.35	6179.24
2013–14	158146.87	61983.49	60756.28	25710.72	9696.38
2014–15 (पु०अ०)	191590.23	68232.37	72366.50	39982.98	11038.38

<u>विकासात्मक एवं विकासेत्तर व्यय</u>

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर होने वाला व्यय विकासात्मक श्रेणी में तथा सामान्य सेवाओं पर किया जाने वाला राजस्व व्यय विकासेत्तर व्यय की श्रेणी में आता है। ग्राफ को देखने से यह पूर्णतया स्पष्ट हो रहा है कि वर्ष 2010–11 में राजस्व व्यय का विकासात्मक कार्यों में किया जाने वाला व्यय 51.4 प्रतिशत था जो वर्ष 2013–14 में बढ़कर 54.7 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है तथा वर्ष 2014–15 में इसके बढ़कर 58.6 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्व व्यय को भी इस प्रकार समायोजित किया जा रहा है कि उसका अधिकांश उपयोग विकास कार्यों में किया जा सके। जहॉ तक आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का सम्बन्ध है तो इसमें भी आयोजनागत राजस्व व्यय में विगत चार वर्षों में वृद्धि हो रही है। वर्ष 2010–11 में कुल राजस्व व्यय का 19.5 प्रतिशत अंश का उपयोग आयोजनागत मद में किया जा रहा था जो वर्ष 2011–12 में घटकर 18.3 प्रतिशत के स्तर पर आ गया परन्तु इसके उपरान्त राज्य सरकार के अथक प्रयासों से इसमें लगातार वृद्धि हो रही है तथा वर्ष 2014–15 में 23.6 प्रतिशत होने का अनुमान है।

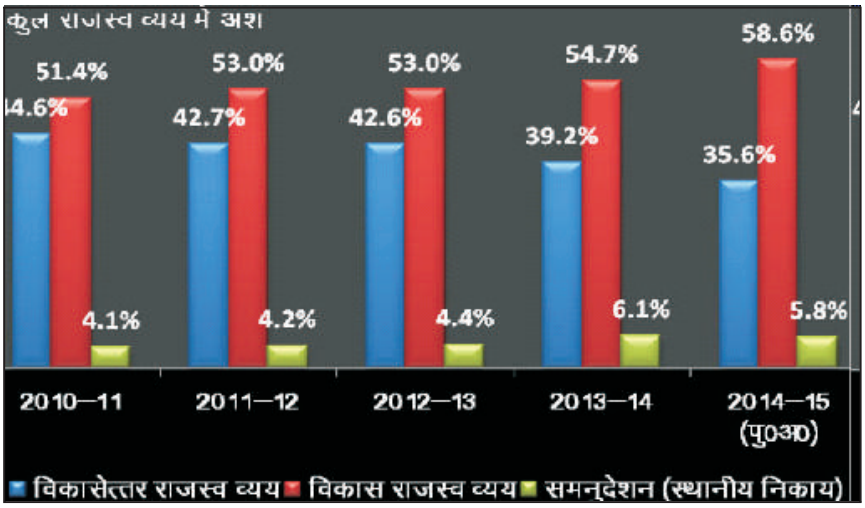

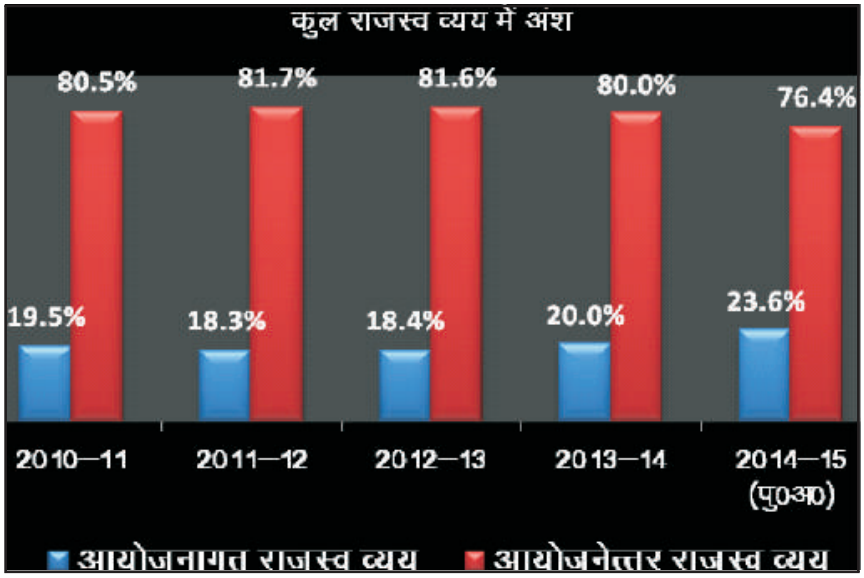

वचनबद्ध व्यय

राज्य के व्यय का एक बड़ा भाग राज्य कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन के रूप में व्यय हो जाता है। यह राज्य सरकार का वचनबद्ध व्यय है जिसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना अनिवार्य है। इन मदों में किये जाने वाले व्यय का विवरण तालिका–3.03 में दिया गया है।

तालिका–3.03
वेतन, पेंशन एवं ब्याज पर राजस्व व्यय

(रू0 करोड़ में)

	वेतन	पेंशन	ब्याज	वेतन+पेंशन+ब्याज
1	2	3	4	5
2010–11	39438.98	12617.84	14215.57	66272.39
2011–12	46922.39	14127.06	15480.95	76530.40
2012–13	52231.57	17920.61	16920.59	87072.77
2013–14	54363.41	19521.21	17412.44	91297.06
2014–15 (पु०अ०)	65332.52	22673.78	18636.80	106643.10

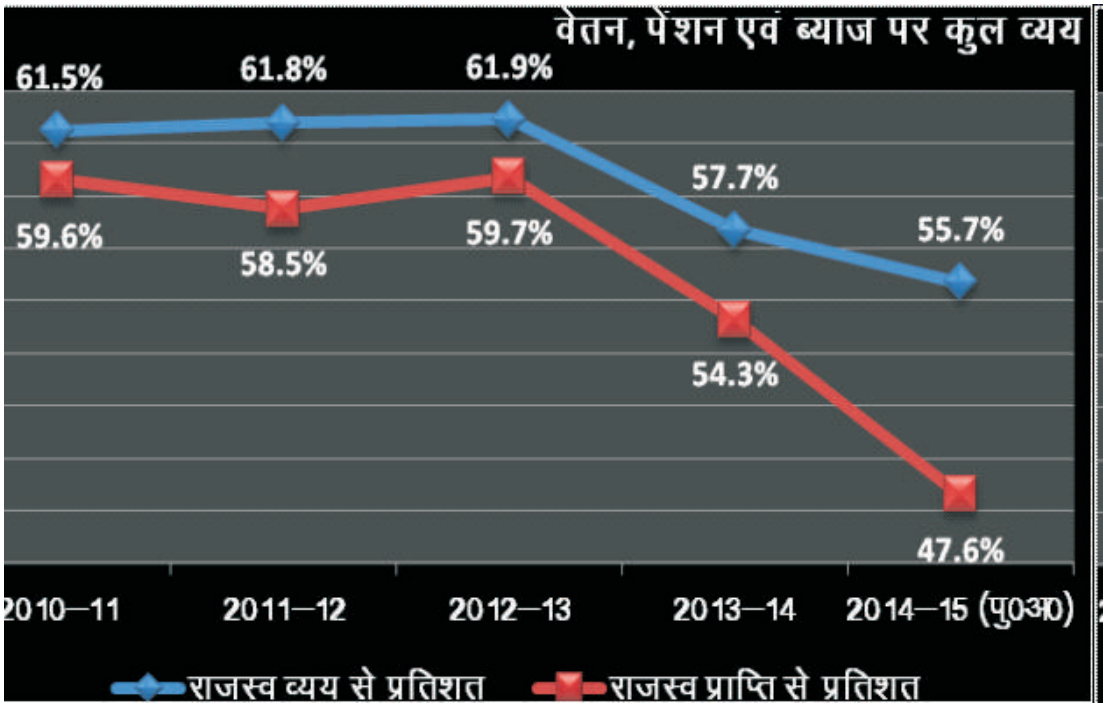

वेतन, पेंशन एवं ब्याज पर होने वाले कुल व्यय का राज्य के स्वयं के राजस्व एवं कुल राजस्व के साथ प्रतिशत ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है जिससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले वचनबद्ध व्यय के राजस्व प्राप्ति तथा राजस्व व्यय से प्रतिशत के रूप में विगत 5 वर्षों में सुधार हुआ है।

वर्ष 2010–11 में जहाँ वचनबद्ध व्यय, राजस्व व्यय का 61.5 प्रतिशत था, वहीं वर्ष 2013–14 में यह घट कर 57.7 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है तथा वर्ष 2014–15 में इसके और भी घट कर 55.7 प्रतिशत तक आने का अनुमान है। इसी प्रकार राजस्व प्राप्ति से भी इसके प्रतिशत अंश में भी कमी आयी है जो वर्ष 2014–15 में 47.6

प्रतिशत तक आने का अनुमान है। यह दर्शाता है कि राज्य के राजस्व की वृद्धि दर वचनबद्ध व्यय की तुलना में काफी अधिक रही है जिस कारण प्रतिशतता गिर रही है।

पूँजीगत परिव्यय

वर्ष 1998–99 में राज्य सरकार द्वारा पूँजीगत परिव्यय के रूप में मात्र रू0 2096.96 करोड़ का व्यय किया गया था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मात्र 1.4 प्रतिशत था। वर्ष 2009–10 में यह बढ़कर रू0 25091.23 करोड़ हो गया जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.5 प्रतिशत था। यद्यपि वर्ष 2010–11 से पूंजीगत परिव्यय में अपेक्षाकृत कमी हुयी है जो घटकर रू0 20272.80 करोड़ तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 3.5 प्रतिशत के स्तर पर आ गयी। इसका मुख्य कारण यह है कि 13वें वित्त आयोग द्वारा अपनी संस्तुतियों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि राज्य हर सम्भव प्रयास कर राजकोषीय घाटे को नियन्त्रण में रखें, तद् हेतु यदि आवश्यकता हो तो पूंजीगत परिव्यय में कमी कर राजकोषीय घाटे को नियन्त्रण में रखें। अतः राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय संकेतकों को नियन्त्रण में रखने हेतु पूंजीगत परिव्यय को सुनियोजित किया गया यद्यपि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पटलों पर लगातार यह मांग की जाती रही है कि राजकोषीय संकेतकों एवं ऋण सीमा में केन्द्र सरकार द्वारा लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिये ताकि राज्यों के पास अपने विकासात्मक एवं जनोपयोगी योजनाओं हेतु अधिक धन की उपलब्धता हो सके। राज्य सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग के समक्ष भी इस बिन्दु को प्रमुखता से उठाया गया था जिस पर आयोग द्वारा कतिपय शर्तों के पूर्ण होने की स्थिति में राजकोषीय घाटे की अधिकतम सीमा को 3.0 के स्थान पर 3.5 प्रतिशत तक जाने की लोचनीयता सशर्त प्रदान की गयी है।

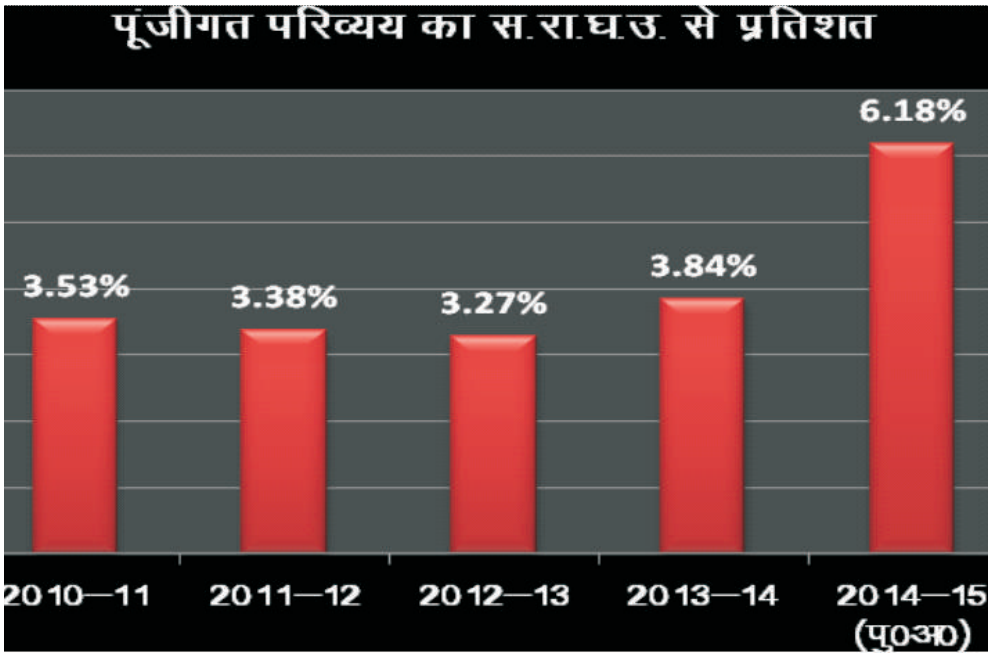

ऋण का उपयोग

परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु राज्य सरकार द्वारा कतिपय तरीकों से ऋण लिया जाता है तथा वित्तीय अनुशासन के अभाव में लिया जाने वाला ऋण अनियन्त्रित हो कर पूरी अर्थव्यवस्था को चरमरा सकता है। लोक वित्त के सिद्धान्त

के अन्तर्गत व्यय को वहन करने के लिये ऋण लेना बुरा नहीं है बशर्ते उस ऋण का उपयोग परिसम्पत्तियों के सृजन के लिये किया जाय। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2002–03 में लिये गये ऋण का मात्र 46 प्रतिशत पूंजीगत परिव्यय में उपयोग हुआ था जिसका अर्थ है कि ऋण के आधे से अधिक अंश का उपयोग पूंजीगत कार्यों में नहीं किया जा रहा था जो एक अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था को इंगित करता है। राज्य सरकार के प्रयासों से यह 200 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच गया है तथा वर्ष 2014–15 में भी पूंजीगत परिव्यय में ऋण का उपयोग के 200 प्रतिशत से अधिक रहने का अनुमान है। स्पष्ट है कि न सिर्फ शत प्रतिशत ऋण का उपयोग विकास कार्यों के लिये किया गया बल्कि राजस्व बचत का उपयोग भी पूंजीगत कार्यों के लिये किया जा रहा है जो कि एक सकारात्मक अर्थव्यवस्था को इंगित करता है।

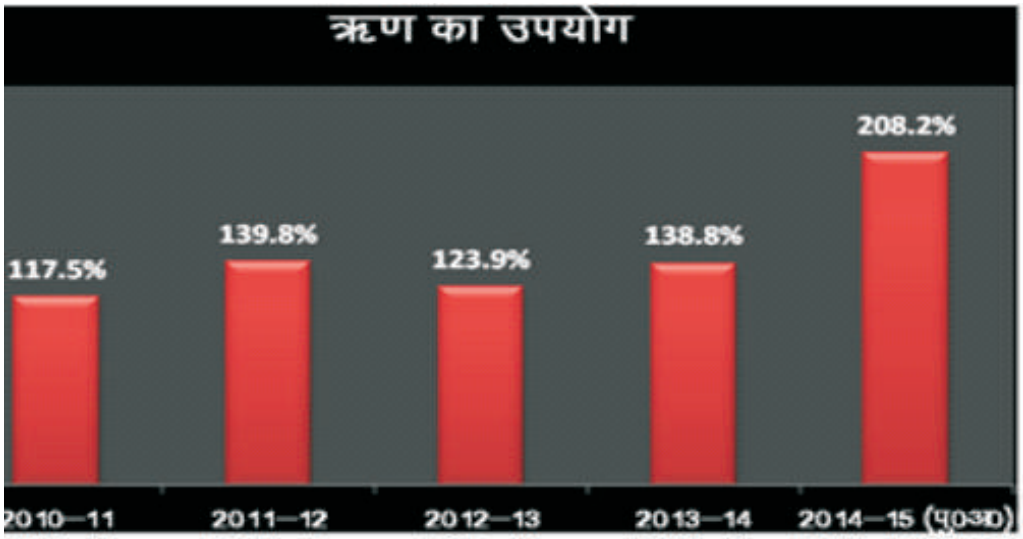

वित्तीय संकेतक

वर्ष 1998–99 में प्रदेश के विकास की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले सभी संकेतक अत्यन्त दयनीय स्थिति को प्रदर्शित कर रहे थे परन्तु समय के साथ इन सभी संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 1987–88 के पश्चात् लगातार 19 वर्ष तक राजस्व घाटा देखने के बाद वर्ष 2006–07 में पुनः राजस्व अधिशेष की प्राप्ति से स्थिति बदल चुकी है तथा वित्तीय राजकोषीय घाटा में भी इन वर्षों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राज्य के वित्तीय संकेतकों को निम्न तालिका से समझा जा सकता हैः–

तालिका 3.04
राजकोषीय स्थिति के प्रमुख संकेतक

(रू0 करोड़ में)

वर्ष	राजस्व अधिशेष	राजकोषीय घाटा	प्राथमिक घाटा
2010–11	3508.15	17247.70	3032.13
2011–12	6984.53	15431.83	(–)49.12
2012–13	5180.34	19238.39	2317.80
2013–14	10066.88	23679.54	6267.10
2014–15 (पु०अ०)	32407.23	28380.81	9744.01

राजस्व घाटा/अधिशेष

वर्ष 2006–07 में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये राजस्व अधिशेष की स्थिति को इसके बाद के वर्षों में भी लगातार बनाये रखा गया है तथा साथ ही लगातार यह प्रयास भी किया जाता रहा है कि राजस्व बचत के कुल आकार में भी वृद्धि की जाय।

राजकोषीय घाटा

किसी भी राज्य की वित्तीय स्थिति को आंकने के सबसे महत्वपूर्ण संकेतक राजकोषीय घाटा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत होता है जिसमें उल्लेखनीय सुधार परिलक्षित हो रहा है। जहाँ वर्ष 1998–99 में यह प्रदेश के इतिहास में अब तक अधिकतम 7.6 प्रतिशत के स्तर पर था वहीं वर्ष 2010–11 में यह घट कर 3.0 प्रतिशत के स्तर पर आ गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010–11 से वर्ष 2014–15 की अवधि हेतु 13वें वित्त आयोग द्वारा 3.0 प्रतिशत की सीमा भी निर्धारित की गयी थी। राज्य सरकार द्वारा आयोग की संस्तुति के अनुसार उक्त वर्षों में राजकोषीय घाटा को निर्धारित 3 प्रतिशत के स्तर से नीचे ही बनाये रखा गया है जो राज्य सरकार के वित्तीय अनुशासन का सबसे बड़ा प्रतीक है। वर्ष 2014–15 में इसके 2.97 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

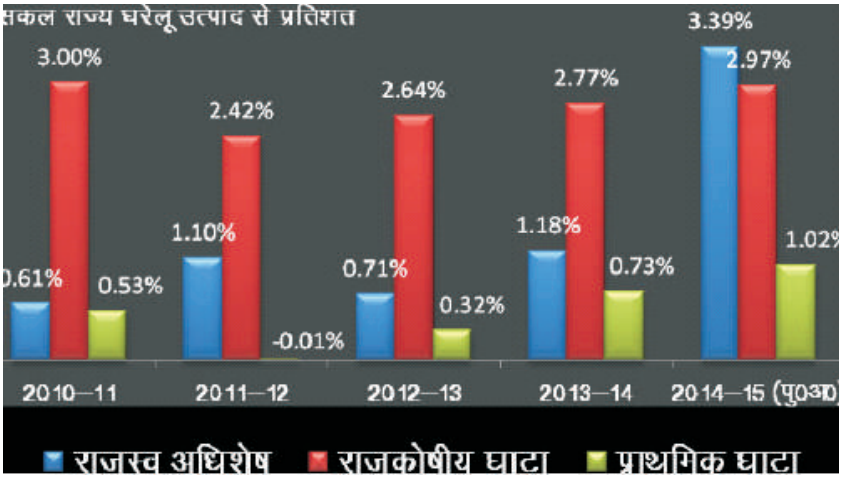

प्राथमिक घाटा

राजकोषीय घाटे की राशि में से ब्याज अदायगियों का कुल व्यय भार घटाने से जो राशि निकलती है वह प्राथमिक घाटा दर्शाती है। राज्य का प्राथमिक घाटा वर्ष 2014–15 में लगभग 1.0 प्रतिशत के स्तर पर रहने का अनुमान है।

राज्य की कुल ऋणग्रस्तता

प्रदेश में विकासात्मक योजनाओं एवं सामाजिक उत्थान के अनेकों कार्यों हेतु राज्य सरकार को अपने सीमित संसाधनों के दृष्टिगत ऋण लेने की आवश्यकता होती है। लोक वित्त के सिद्धान्त के अन्तर्गत विकासात्मक एवं पूंजीगत निवेश जैसे कार्यों हेतु ऋण लिया जाना पूर्णतया उचित है। स्पष्ट है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में विकास हेतु ऋण लिया जाना अपरिहार्य है बशर्ते कि ऋण का उचित प्रबन्धन किया जाए जिसके अभाव में पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है तथा राज्य ऋण जाल जैसे भंवर में फंस सकते है।

उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था विकासशील है जिस कारण अनेकों स्रोतों से राज्य सरकार द्वारा ऋण की उगाही की जाती है। राज्य सरकार की कुल ऋणग्रस्तता को तालिका–3.05 से समझा जा सकता है जिसके अनुसार वर्ष 2013–14 तक कुल ऋणग्रस्तता

रू0 2,41,685 करोड़ तक पहुंच गयी है तथा वर्ष 2014–15 के अन्त तक इसके रू0 2,65,771 करोड़ तक होने का अनुमान है।

तालिका 3.05
राज्य की कुल ऋणग्रस्तता

(रू0 करोड़ में)

वर्ष	बाजार ऋण	अल्प बचत	भविष्य एवं पेंशन निधियां	अन्य	कुल ऋणग्रस्तता
2010–11	65006.63	53527.80	35000.93	43104.55	196639.91
2011–12	77840.91	53922.69	38636.19	38827.53	209227.32
2012–13	84103.42	56351.56	41935.55	42733.06	225123.59
2013–14	89157.44	59119.36	44297.81	49111.26	241685.87
2014–15 (पु०अ०)	106153.45	61417.88	48778.70	49420.75	265770.78

*अन्य में वित्तीय संस्थाओं से ऋण, पॉवर बाण्ड्स, भारत सरकार से ऋण, जमा एवं अग्रिम तथा अन्य देयतायें शामिल हैं।

तालिका से स्पष्ट है कि राज्य की कुल ऋणग्रस्तता लगातार बढ़ती जा रही है परन्तु किसी भी राज्य की ऋणग्रस्तता का आंकलन उसकी कुल ऋणग्रस्तता से नहीं अपितु सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के रूप में किये जाने पर ही राज्य की सही स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कतिपय केन्द्रीय वित्त आयोगों द्वारा राज्य एवं संघ के लिये ऋण एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिये निर्धारित अनुपात की संस्तुति की जाती रही है तथा यदि राज्य अथवा संघ अपने निर्धारित प्रतिशत अनुपात की सीमा के अन्दर हैं तो राज्य की ऋण स्थिति उचित मानी जाती है। 13वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि के लिये भी राज्य का ऋण प्रतिशत निर्धारित किया गया था तथा ग्राफ को देखने से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य का अनुपात, 13वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुपात से प्रत्येक वर्ष काफी कम रहा है जो इस तथ्य का द्योतक है कि राज्य की ऋण स्थिति पूर्णतया नियन्त्रण में है।

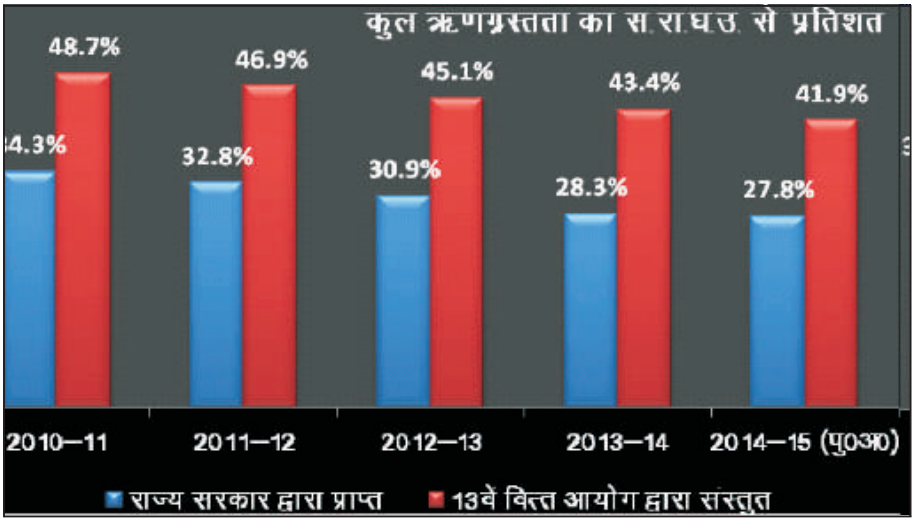

ऋण के स्रोत

राज्य की ऋण की संरचना में सर्वाधिक अंश बाजार ऋण का है। वर्ष 2014–15 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कुल ऋणग्रस्तता का लगभग 40 प्रतिशत अंश बाजार ऋण से ही प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात् अल्प बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) से लिया गया ऋण लगभग 23 प्रतिशत है। यद्यपि 14वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुति की गयी है कि एन.एस.एस.एफ. से राज्य सरकार को ऋण लेने की प्रक्रिया समाप्त की जाय हालांकि केन्द्र सरकार द्वारा इस बिन्दु पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। भविष्य एवं पेंशन निधियाँ भी राज्य के ऋण में समुचित योगदान करती हैं। वित्तीय वर्ष 2005–06 से 12वें वित्त आयोग की अवधि लागू होने पर आयोग द्वारा बाजार ऋण को अधिक महत्ता देते हुये केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले ऋण को हतोत्साहित किया गया जिसके उपरान्त यह लगातार घटते हुये अब मात्र 6 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है। विदित है कि ग्राफ में दृष्टव्य राज्यों को प्राप्त होने वाले ऋण की अदायगी की अवधि एवं ब्याज दर, ऋण की शर्तों के अनुसार अलग–अलग होते हैं।

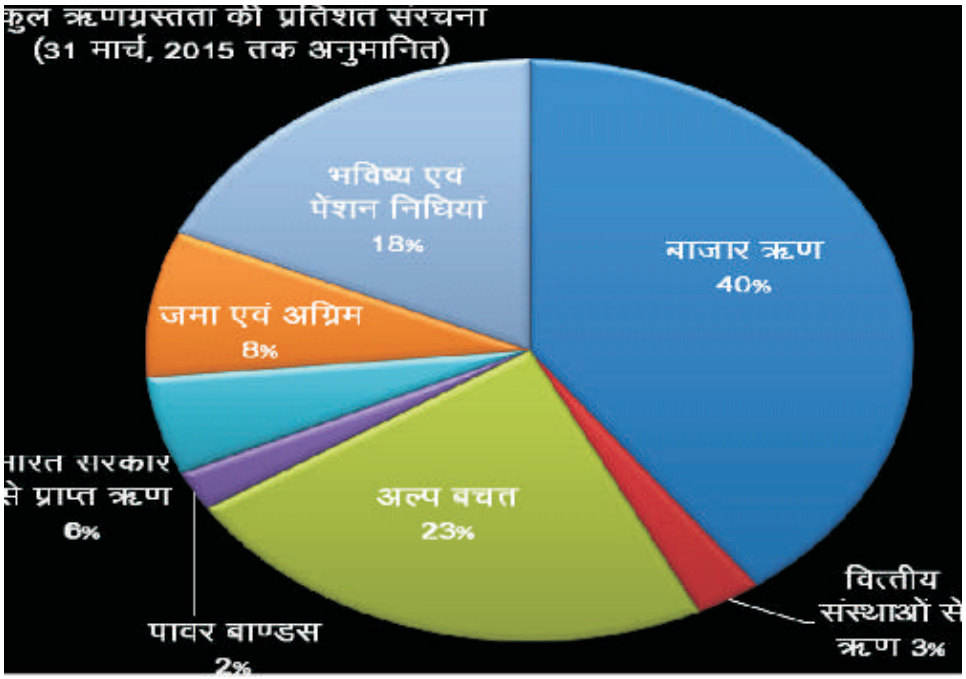

ऋण सीमा एवं ऋण सेवा

13वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा राज्यों के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की ऋण सीमा अवार्ड अवधि 2010–15 हेतु निर्धारित की गयी थी जिसके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष राज्यों की मौद्रिक रूप में ऋण सीमा निर्धारित की जाती है तथा राज्यों का यह दायित्व है कि इस ऋण सीमा के अन्दर ही ऋण लिया जाये। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा विगत कई वर्षों से निर्धारित सीमा के अधीन ही प्रत्येक वर्ष ऋण लिया जा रहा है।

राज्य सरकार की ऋण सेवा जिसके ऋणों का प्रति संदाय एवं ब्याज अदायगी घटक हैं, में विगत वर्षों में लगातार कमी हुयी है। एक दशक पूर्व ऋण सेवा का राजस्व प्राप्ति से अनुपात लगभग 27 प्रतिशत था जो वर्ष 2010–11 तक घटते हुये 19.4 प्रतिशत के स्तर पर आ गया। इसके उपरान्त भी राज्य सरकार द्वारा किये गये

प्रयासों से ऋण सेवा में लगातार कमी जारी रही है तथा वर्ष 2013–14 में यह 15.2 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है एवं वर्ष 2014–15 में इसके और भी घट कर 13.0 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार ऋणों की उगाही के उचित प्रबन्धन के साथ–साथ अपनी प्रतिदान क्षमता को भी नियन्त्रित करने में पूर्णतया सक्षम है।

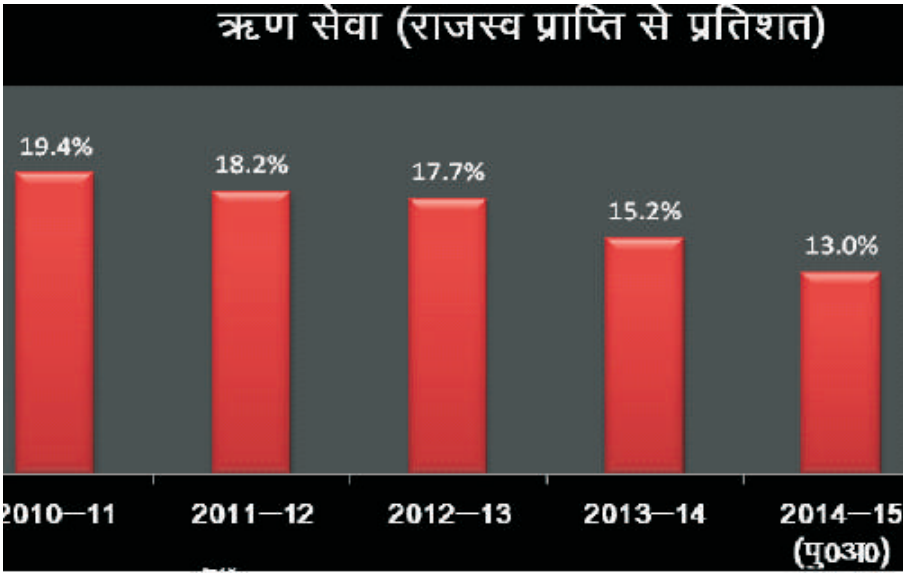

<u>चौदहवें वित्त आयोग की सस्तुतियां एवं उत्तर प्रदेश राज्य</u>

दिसम्बर, 2014 में 14वें वित्त आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गयी जिसके उपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा माह फरवरी, 2015 में सदन में कार्यवाही ज्ञापन (ए.टी.आर.) प्रस्तुत किया गया। आयोग की संस्तुतियों का एक संक्षिप्त सारांश बाक्स–2 मे दृष्टव्य है। कार्यवाही ज्ञापन में आयोग की मुख्य संस्तुतियों को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है परन्तु कतिपय संस्तुतियों पर आगे विचार कर निर्णय लिया जाने की बात कही गयी है। जिन संस्तुतियों को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है उसमें सबसे प्रमुख है कि विभाज्य पूल में राज्यों का अंश 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया है परन्तु राज्यों के कर हिस्सेदारी में उत्तर प्रदेश राज्य का 13वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित अंश 19.667 प्रतिशत से घट कर 17.959 प्रतिशत हो गया है जिसका निश्चित ही प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा हालांकि आयोग द्वारा स्थानीय निकायों को दिये जाने वाले अनुदान में समुचित वृद्धि की गयी है।

13वें वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में राज्यों को प्राप्त हो रहे सहायता अनुदान/विशेष समस्या अनुदान को 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है जिस कारण राज्य को केन्द्र से अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्राप्त धनराशि अब आगामी वर्षों में प्राप्त नहीं होगी। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा कतिपय योजनाओं को केन्द्रीय बजट से डि–लिंक करते हुये माह फरवरी, 2015 में प्रस्तुत केन्द्रीय बजट 2015–16 में धनराशि की व्यवस्था नहीं की गयी है। साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना के वर्ष 2014–15 के बजट अनुमान के सापेक्ष वर्ष 2015–16 में लगभग 44 प्रतिशत की कमी की गयी है। योजनाओं को डि–लिंक किये जाने अथवा योजनाओं में केन्द्रांश में की गयी कमी का

वित्त पोषण राज्य सरकारों को अब अपने संसाधनों से ही वहन करना होगा।

विगत कई वर्षों से केन्द्रीय करों में राज्य सरकार को प्राप्त होने वाला अंश भी बजटीय अनुमान के सापेक्ष कम रहा है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। अतः 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार आगामी वर्षों में राज्य सरकार को अपने सीमित संसाधनों से इन नयी उत्पन्न देनदारियों की वित्तीय जिम्मेदारी उठानी होगी।

बाक्स–2: चौदहवें वित्त आयोग से सम्बन्धित तथ्यात्मक विवरण

- 14वें वित्त आयोग का गठन जनवरी, 2013 में किया गया तथा अपनी रिपोर्ट संस्तुतियों सहित महामहिम श्री राष्ट्रपति को दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 को प्रस्तुत की गयी।
- रिपोर्ट को कार्यवाही ज्ञापन सहित केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2015 को संसद में प्रस्तुत किया गया।
- आयोग द्वारा राज्यों का विभाज्य पूल में अंश को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया है। कुल अधिकतम केन्द्रीय अन्तरण, केन्द्र सरकार के सकल कर राजस्व का 49 प्रतिशत की सीमा तक ही रहेगा।
- उत्तर प्रदेश का कर हिस्सेदारी में अंश विगत आयोग की तुलना में 19.677 प्रतिशत से घटकर 17.959 प्रतिशत तथा सेवा कर में अंश 19.987 प्रतिशत से घट कर 18.205 प्रतिशत रह गया है।
- प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को रू0 35,776.56 करोड़ तथा नगर निकायों को रू0 10,249.21 करोड़ प्राप्त होंगे जो गत आयोग द्वारा दी गयी धनराशि से क्रमशः 265 प्रतिशत एवं 247 प्रतिशत अधिक है।
- राज्यों को संपत्ति कर, शहरों की परिधि पर स्थित पंचायतों द्वारा खाली भूमि पर कर, विज्ञापन कर, मनोरंजन कर, व्यवसायिक कर लगाये जाने की संस्तुति की गयी है। यदि कर आरोपित हैं तो उनकी समीक्षा करनी चाहिए।
- वर्ष 2015–20 की अवधि में राज्य के लिये एस.डी.आर.एफ. कोष रू0 3,729 करोड़ है जिसमें राज्य का योगदान 10 प्रतिशत तथा 90 प्रतिशत हिस्सेदारी संघीय सरकार की होगी। केन्द्र सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जी0एस0टी0 प्रणाली लागू होने के पश्चात् आपदा सम्बन्धी उक्त संस्तुति लागू की जायेगी तथा तब तक एस.डी.आर.एफ. में राज्यों का अंश पूर्व की भाँति (अर्थात 25 प्रतिशत) ही रहेगा।
- 14वें वित्त आयोग द्वारा पूर्व आयोगों द्वारा राज्यों की विशिष्ट समस्याओं हेतु दिये जा रहे अनुदान को समाप्त कर दिया गया है। आयोग के अनुसार राज्यों को अतिरिक्त फिस्कल स्पेस दी गई है जिससे वह समुचित व्यवस्था अपने संसाधनों से कर सकते हैं।
- सहयोग परक संघीय व्यवस्था को मजबूत बनाने के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप एक नई संस्थागत व्यवस्था विकसित की जाय।
- अंतरराज्यीय परिषद की मौजूदा भूमिका का विस्तार किया जाए।
- राज्य सरकारें वार्षिक बजट प्रावधान के उपयुक्त गुणांक के अनुसार नए पूंजीगत कार्यों की स्वीकृति पर एक वैधानिक उच्चतम सीमा का प्रावधान करें।

- आयोग की संस्तुति है कि दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से राज्य सरकारों को एन.एस.एस.एफ. के कार्यों से अलग रखा जाना चाहिए।
- सभी राज्यों का राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की वार्षिक सीमा के अन्दर होंगे। राज्य 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त लोचनीयता के पात्र होंगे यदि उनका ऋण–जीएसडीपी अनुपात उसके पिछले वर्ष में 25 प्रतिशत से कम है, 0.25 प्रतिशत की लोचनीयता ब्याज भुगतान में राजस्व प्राप्तियों का 10 प्रतिशत से कम होने पर भी प्राप्त होगी।
- आयोग की सिफारिश है कि राज्य सरकारों को राजकोषीय घाटे पर सांविधिक लचीले सीमाओं का प्रावधान करने हेतु अपने एफ.आर.बी.एम. अधिनियमों में संशोधन करना चाहिए।
- आयोग की संस्तुति है कि शुरू में, संघ को जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति देने के कारण उत्पन्न अतिरिक्त राजकोषीय बोझ का वहन करना होगा।
- आयोग द्वारा वस्तु एवं सेवा कर, राजकोषीय परिवेश और वित्तीय समेकन रुपरेखा जन सुविधाओं के मूल्य निर्धारण, पब्लिक सेक्टर उद्यमों और सरकारी व्यय प्रबंध प्रणाली संबंधी विषयों पर की गई संस्तुतियों के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा कार्यवाही ज्ञापन में कहा गया है कि विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श कर इन सिफारिशों पर यथा समय निर्णय लिया जायेगा।

<u>राज्य सरकार के समक्ष उत्पन्न चुनौतियां एवं निराकरण</u>

राज्य के वित्तीय अनुशासन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि राज्य को लगातार अपनी प्राप्तियों का प्रबन्धन करना चाहिये ताकि संसाधनों का व्यय ऐसे प्राथमिकता वाले कार्यों में किया जाय जो प्रदेश के विकास को गति प्रदान करें। इसी को ध्यान में रखते हुये वित्त विभाग द्वारा लगातार प्रदेश की समग्र वित्तीय स्थिति एवं परियोजनाओं का अनुश्रवण समय–समय पर किया जा रहा है तथा इसी आधार पर संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। वित्त विभाग द्वारा बजट से पूर्व विभागों से योजनाओं के उचित क्रियान्वयन, अभिनवीकरण आदि के सम्बन्ध में चर्चा की जा रही है। ऐसा देखा गया है कि परियोजना के पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही उसके लाभ प्राप्त होते हैं जबकि अब परियोजनाओं को विभिन्न चरणों में विभक्त कर योजनाबद्ध तरीके से व्यय किया जा रहा है ताकि किसी भी चरण में किये जा रहे कार्य के पूर्ण होने पर उस समय तक योजना क्रियाशील हो सके और उक्त का सीधा लाभ जन सामान्य को मिल सके। राज्य सरकार द्वारा डवटेल सिद्धान्त के अनुरूप एक ही योजना का वित्त पोषण एक से अधिक मदों से किया जा रहा है जिससे राज्य सरकार के संसाधनों का बेहतर प्रयोग हो। साथ ही व्यापक प्रभाव एवं जनहित वाली परियोजनाओं को चिन्हित कर प्राथमिकता प्रदान की गयी है जैसे आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस वे, मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कों का चौड़ीकरण, सी0जी0 सिटी, लखनऊ में मेट्रो रेल का कार्य, अन्य महत्वपूर्ण बड़े जिलों में मेट्रो के डी.पी.आर.की तैयारी, मा0 उच्च न्यायालय का भवन, चिकित्सा विश्वविद्यालय, आई0टी0आई0, कैन्सर संस्थान, जनेश्वर मिश्र पार्क जे0पी0 नारायण सेन्टर, अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट एवं अन्य खेल स्टेडियम, ब्लाक स्तर पर छोटे स्टेडियम का निर्माण, गोमती नदी के लखनऊ तट का चैनलाईजेशन, सैनिक स्कूल आदि। इसके अतिरिक्त अनेकों ऐसी अन्य लाभकारी कल्याणकारी योजनायें एवं कार्य भी हैं जिन्हें अत्यधिक महत्व प्रदान किया जा रहा है

जैसे समाजवादी पेंशन योजना, वृद्धावस्था/ किसान पेंशन योजना, पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं एवं बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु अनुदान, किसानों के लिये 'वन स्टाप शाप' की स्थापना, लोहिया ग्रामीण परिहवन सेवा, किसान बाजार का निर्माण, प्रत्येक जनपद में महिला हेल्प लाइन की स्थापना, कन्या विद्याधन योजना, समाजवादी स्वास्थ्य सेवा (एम्बुलेन्स), सबके लिये आवास योजना, लोहिया ग्रामीण आवास योजना, कतिपय छात्रवृत्ति योजना, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना, कृषि के क्षेत्र में तकनीक को प्रोत्साहन इत्यादि।

वित्त विभाग द्वारा विकेन्द्रीकरण की नीति को बल देते हुये यह व्यवस्था की गयी कि रू0 5 करोड की धनराशि तक की योजनाओं की स्वीकृति विभाग के स्तर पर की जायेगी। रू0 25 करोड़ तक की परियोजनाओं का अप्रैजल का अधिकार भी प्रशासकीय विभागों को दिया गया है तथा उक्त से अधिक की परियोजनाओं का अप्रैजल पूर्ववत प्रमुख सचिव, वित्त की अध्यक्षता वाली वित्त व्यय समिति (ई. एफ.सी.) द्वारा किया जायेगा। ऐसा किये जाने से योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली अनेकों बाधायें स्वतः दूर हो गयी हैं तथा कार्य में तेजी आयी है जिससे जनमानस को इसका त्वरित लाभ प्राप्त हो रहा है।

14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में विभाज्य पूल का अंश बढ़ने के बावजूद उत्तर प्रदेश राज्य की प्रतिशत हिस्सेदारी में कमी आने एवं केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के सम्बन्ध में किये गये व्यापक परिवर्तन के फलस्वरूप राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति विषम रूप से प्रभावित होगी। यद्यपि राज्य सरकार पर पड़ने वाले प्रभाव का अभी सटीक आंकलन किया जाना सम्भव नहीं है परन्तु यह निश्चित है कि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर कई हजार करोड़ रूपये का अतिरिक्त दबाव बनेगा तथा राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुये इसकी व्यवस्था किया जाना दुष्कर होगा जिससे विकासात्मक गतिविधियां प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे। 7वें वेतन आयोग द्वारा भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है तथा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अधीन, वेतन एवं पेंशन पुनरीक्षण करने पर आने वाले भार को भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये राज्य सरकार द्वारा रिक्त पदों को भरे जाने पर विशेष बल दिया जा रहा है जिसका व्यय भार भी आगामी वर्षों में सम्भावित है। अतः राज्य को सुनियोजित तरीके से अपना वित्तीय प्रबन्धन आगामी वर्षों में करने की बड़ी चुनौती है।

• • •

अध्याय–4
कृषि एवं सम्वर्गीय सेवा

उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है जहाँ की 77.73 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। प्रदेश के कुल ग्रामीण परिवारों का 74.8 प्रतिशत परिवार, कृषक परिवार है और यह देश के कुल कृषक परिवार का लगभग 20 प्रतिशत है। प्रदेश के कुल कृषक परिवार का 65.2 प्रतिशत परिवारों का मुख्य आय का स्रोत कृषि है एवं 3.1 प्रतिशत कृषक परिवारों का मुख्य आय का स्रोत पशुपालन है, इस प्रकार प्रदेश के कुल कृषक परिवार का 68.3 प्रतिशत परिवारों का मुख्य आय का स्रोत कृषि एवं पशुपालन है।

वर्ष 2011–12 के भू–उपयोग सांख्यिकी के अनुसार प्रदेश का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 241.70 लाख हेक्टेयर है जिसमें से 166.23 लाख हेक्टेयर (68.8 प्रतिशत) क्षेत्र शुद्ध बुआई का क्षेत्र है और 154.77 प्रतिशत फसल सघनता के साथ सकल बुआई क्षेत्र 257.28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है।

प्रदेश में वर्ष 2013–14 में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 165.46 लाख हेक्टेयर था जबकि वर्ष 2001–02 में 168.12 लाख हेक्टेयर था। इस प्रकार 2002–2014 की अवधि में शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल में 1.6 प्रतिशत की कमी दृष्टिगोचर हुई। उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षो में भूमि उपयोग के आंकड़े तालिका– 4.01 में दर्शाये गये हैं:–

तालिका–4.01

उत्तर प्रदेश में भूमि उपयोग के आंकड़े

(हजार हेक्टेयर में)

मद	2011–12	2012–13	2013–14
1	2	3	4
1.कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल	24170	24170	24170
2. वन	1656	1658	1658
3.ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि	457	479	464
4. खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि	2893	2893	3027
5. कृष्य बेकार भूमि	420	423	410
6. स्थायी चारागाह एवं अन्य चराई की भूमि	66	66	65
7.अन्य वृक्षों, झाड़ियों आदि की भूमि	350	350	325
8. वर्तमान परती	1173	1201	1135
9. अन्य परती	533	537	539
10. वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल	16623	16564	16546
11. एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल	9105	9257	9350
12.कुल बोया गया क्षेत्रफल	25728	25821	25896

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (त्वरित अनुमान), में कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्र का अंश

वर्ष 2014–15 में प्रचलित भावों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (त्वरित अनुमान), 1041997 करोड़ रू० में कुल कृषीय फसलों का अंश 165159 करोड़ रू० था। वर्ष 2014–15 में प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्र का योगदान 26.0 प्रतिशत रहा जिसमें कृषीय फसलों का योगदान 17.2 प्रतिशत रहा। वर्ष 2012–13 में स्थायी भावों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर 5.1 प्रतिशत थी जो कि वर्ष 2014–15 में घटकर (–)2.3 रह गयी है। इसी प्रकार फसलों की वृद्धि दर जो कि वर्ष 2012–13 में 6.0 प्रतिशत थी वर्ष 2014–15 में घटकर (–) 5.3 प्रतिशत रह गयी है।

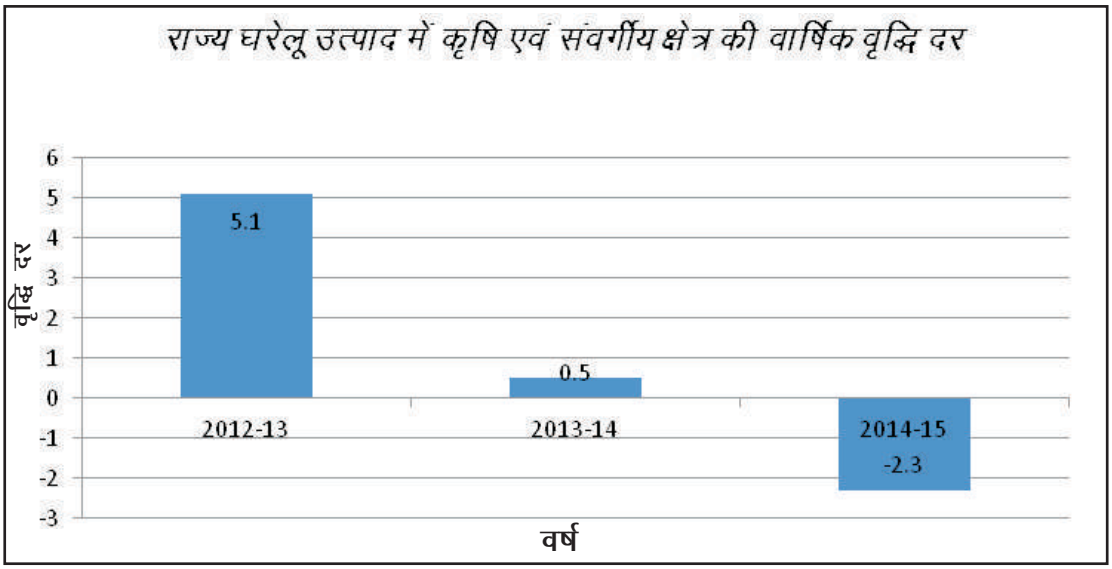

कृषि में कार्यरत कर्मकरों की स्थिति

वर्ष 2011 की जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश में कुल 658.15 लाख कर्मकर थे, जिसमें 190.58 लाख कृषक एवं 199.39 लाख कृषि श्रमिक थे। कुल कर्मकरों में कृषकों एवं कृषि श्रमिकों का प्रतिशत अंश 59.3 था। वर्ष 2001 एवं 2011 की भारतीय जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों का विवरण तालिका–4.02 में दर्शाया गया है:–

तालिका–4.02

उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों की संख्या तथा उनका प्रतिशत वितरण

मद	इकाई	कर्मकरों की संख्या		कर्मकरों का प्रतिशत	
		2001	2011	2001	2011
1	2	3	4	5	6
1– कृषक	लाख	221.68	190.58	41.1	29.0
2– कृषि श्रमिक	,,	134.01	199.39	24.8	30.3
3– पारिवारिक उद्योग	,,	30.31	38.99	5.6	5.9
4– अन्य	,,	153.84	229.19	28.5	34.8
योग		539.84	658.15	100.0	100.0

जोतों का आकार

कृषि गणना 2005–06 के आंकड़ों से विदित होता है कि उत्तर प्रदेश में कुल जोतों में एक हेक्टेयर से कम आकार वाली जोतों का प्रतिशत 78.0 था जो कि वर्ष 2010–11 में बढ़कर 79.5 प्रतिशत हो गया। स्पष्ट है कि प्रदेश में जोतों का औसत आकार घटता जा रहा है। वर्ष 2010–11 की कृषि गणना के आधार पर प्रदेश में कुल कृषकों की संख्या 233.25 लाख है जिसमें से 215.68 लाख (92.5 प्रतिशत) कृषक लघु एवं सीमान्त श्रेणी के हैं उनके पास प्रदेश के कुल कृषित क्षेत्रफल का 64.8 प्रतिशत कृषि क्षेत्रफल है अर्थात् प्रदेश के कृषि विकास का भविष्य प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2005–06 एवं 2010–11 में आकार वर्गानुसार क्रियात्मक जोतों की संख्या व क्षेत्रफल तालिका–4.03 में दर्शाया गया है:–

तालिका–4.03

उत्तर प्रदेश में आकार वर्गानुसार क्रियात्मक जोतों की संख्या व क्षेत्रफल

आकार वर्ग (हेक्टे0में)	2005–06		2010–11	
	क्रियात्मक जोतो की सं0(हजार में)	कुल क्षेत्रफल (हजार हेक्टे0 में)	क्रियात्मक जोतों की सं0 (हजार में)	कुल क्षेत्रफल (हजार हेक्टे0में)
1	2	3	4	5
1.0 से कम	17507.1 (78.0)	6971.6 (38.9)	18532.3 (79.5)	7170.8 (40.7)
1.0–2.0	3103.1 (13.8)	4340.9 (24.2)	3035.3 (13.0)	4243.3 (24.1)
2.0–4.0	1391.6 (6.2)	3795.6 (21.2)	1334.3 (5.7)	3628.9 (20.6)
4.0–10.0	427.9 (1.9)	2374.2 (13.3)	398.3 (1.7)	2198.8 (12.5)
10.0 और अधिक	27.9 (0.1)	423.6 (2.4)	25.3 (0.1)	379.8 (2.1)
योग	22457.6 (100.0)	17905.9 (100.0)	23325.5 (100.0)	17621.6 (100.0)

स्रोत : राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
नोट : कोष्ठक में दी गयी सूचनायें प्रतिशत वितरण से सम्बंधित है

फसल आच्छादन, उत्पादन व उत्पादकता की स्थिति

वर्ष 2014–15 में चावल का आच्छादन अपने अधिकतम आच्छादन 60.68 लाख हेक्टेयर से 2.26 लाख कम रहा। वहीं उत्पादन अपने अधिकतम उत्पादन 145.66 लाख मै0टन से 12.49 लाख मै0टन कम रहा और उत्पादकता अपने अधिकतम उत्पादकता 24.53 कुं0/हे0 से 1.86 कुं0/हे0 कम रहा।

गेहूँ का आच्छादन 98.46 लाख हे0 जो अधिकतम रहा परन्तु उत्पादन अपने अधिकतम उत्पादन 321.50 लाख मै0टन से 120.95 लाख

मै0टन कम रहा और उत्पादकता अपने अधिकतम उत्पादकता 32.83 कु0/हे0 से 12.46 कु0/हे0 कम रही।

मोटे अनाज का आच्छादन अपने अधिकतम आच्छादन 24.70 लाख हेक्टेयर से 4.61 लाख हेक्टेयर कम रहा, वहीं उत्पादन अपने अधिकतम उत्पादन 39.30 लाख मै0टन से 3.87 लाख मै0टन कम रहा, जबकि उत्पादकता अपने अधिकतम उत्पादकता 19.49 कुं0/हे0 से 1.85 कुं0/हे0 कम रही।

कुल दलहन का आच्छादन अपने अधिकतम आच्छादन 28.17 लाख हेक्टेयर से 4.67 लाख हेक्टेयर से कम रहा, वहीं उत्पादन अपने अधिकतम उत्पादन 24.48 लाख मै0टन से 12.00 लाख मै0टन कम रहा, जबकि उत्पादकता 9.97 कुं0/हे0 से 4.61 कुं0/हे0 से कम रही।

तिलहन का आच्छादन अधिकतम रहा, परन्तु उत्पादन अधिकतम उत्पादन 13.91 लाख मै0टन से 5.04 लाख मै0टन कम रहा, वहीं उत्पादकता अपने अधिकतम उत्पादकता 9.34 कुं0/हे0 से 3.21 कुं0/हे0 कम रही।

तालिका–4.04

वर्ष 2014–15 में आच्छादन, उत्पादन व उत्पादकता की स्थिति

फसल	आच्छादन (लाख हे0)	उत्पादन (लाख मी0टन)	उत्पादकता (कुं0/हे0)
चावल	58.42	133.17	22.67
गेहूँ	98.46	200.55	20.37
मोटे अनाज	20.09	35.43	17.64
धान्य फसलें	177.27	369.15	20.82
कुल दलहन	23.50	12.48	5.31
खाद्यान्न	200.77	381.63	19.01
कुल तिलहन	11.27	8.87	6.13

तालिका–4.05

प्रदेश में धान्य फसलों,दलहन, धान व तिलहन का उत्पादन, आवश्यकता तथा वृद्धि एवं कमी की गत तीन वर्षों की स्थिति

वर्ष	फसल	उत्पादन (लाख मै0टन में)	कुल खपत (लाख मै0टन में)	कमी/वृद्धि
2011–12	धान्य फसलें	496.60	349.77	148.83
	दलहन	23.97	56.86	(–) 32.89
	खाद्यान्न	520.57	406.63	113.94
	तिलहन	13.52	37.72	(–) 27.66
2012–13	धान्य फसलें	498.87	354.97	143.90
	दलहन	23.89	57.57	(–) 33.88
	खाद्यान्न	522.76	412.74	110.22

वर्ष	फसल	उत्पादन (लाख मै0टन में)	कुल खपत (लाख मै0टन में)	कमी / वृद्धि
	तिलहन	12.22	38.43	(–) 29.88
2013–14	धान्य फसलें	500.59	360.08	140.51
	दलहन	14.88	58.60	(–) 43.81
	खाद्यान्न	515.47	418.77	96.70
	तिलहन	10.48	38.84	(–) 32.14

धान्य फसलों,दलहन, धान व तिलहन का उत्पादन, आवश्यकता

तालिका 4.05 से स्पष्ट है कि दलहन एवं तिलहन का उत्पादन प्रदेश की आवश्यकता से कम रहा है। फलस्वरुप प्रदेश को अन्य प्रदेशों से इन फसलों का आयात करना पड़ रहा है।

प्रमुख फसलों के उत्पादन में वृद्धि / कमी

वर्ष 2014–15 आपदा वर्ष के रूप में जाना जायेगा। खरीफ 2014 सूखा एवं बाढ़ से प्रभावित रहा। प्रदेश के 44 जनपद में सूखा तथा 22 जनपद में बाढ़ का प्रभाव रहा है। वहीं रबी 2014–15 में मार्च व अप्रैल माह में असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि से फसलें प्रभावित रहीं। प्रदेश में 73 जनपद असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि से प्रभावित रहे इसमें 15 जनपदों में ओलावृष्टि का प्रभाव अत्यधिक रहा। तालिका–4.06 से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन गत वर्ष के सापेक्ष 25.96 प्रतिशत ऋणात्मक रहा एवं तिलहन में उत्पादन 15.36 प्रतिशत ऋणात्मक रहा।

तालिका–4.06

गत वर्ष एवं लक्ष्य के सापेक्ष प्रमुख फसलों के उत्पादन में वृद्धि / कमी

फसल	उत्पादन (लाख मै0टन)			2014–15 में वृद्धि / कमी (प्रतिशत में)	
	2013–14	2014–15		लक्ष्य के सापेक्ष	2013–14 के सापेक्ष
		लक्ष्य	पूर्ति		
चावल	145.66	160.82	132.42	– 17.66	– 9.09
गेहूँ	314.93	366.85	200.55	– 45.33	– 36.32
दलहन	14.88	27.42	12.48	– 54.49	– 16.13
खाद्यान्न	515.47	595.26	381.63	(–) 35.89	– 25.96
तिलहन	10.48	12.01	8.87	(–) 22.06	– 15.36

प्रदेश में प्रमुख फसलों का आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता

आच्छादन

गत 10 वर्षों में खाद्यान्न के आच्छादन में औसत वृद्धि दर 0.13 प्रतिशत की ऋणात्मक पायी गयी जिसमें गेहूँ व धान्य फसलों में औसत वृद्धि दर क्रमशः 0.50 व 0.11 प्रतिशत घनात्मक रहा तथा धान, मोटे अनाज व दलहन में क्रमशः 0.12, 0.95 व 1.67 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर रही। तिलहन व नगदी फसल (गन्ना तथा आलू) के आच्छादन में वृद्धि हुआ। तिलहन के आच्छादन में औसत वृद्धि दर 2.44 प्रतिशत, गन्ना में 1.14 प्रतिशत व आलू में 2.88 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त हुआ।

तालिका–4.07

आच्छादन (वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत में)

वर्ष	फसल								
	चावल	गेहूँ	मोटे अनाज	धान्य फसलें	दलहन	खाद्यान्न	तिलहन	गन्ना	आलू
2011–12	1.54	–0.08	–2.91	0.11	–1.31	–0.06	–0.47	2.82	1.70
2012–13	0.29	–0.08	–0.59	0.00	–0.83	–0.10	3.10	1.98	0.37
2013–14	1.06	0.55	–0.20	0.61	–3.80	0.09	0.91	3.20	5.56
2014–15	–1.90	0.07	–0.35	–0.62	1.95	–0.32	1.90	0.00	1.05

उत्पादन

गत 10 वर्षों में चावल और मोटे अनाज की औसत वृद्धि दर 0.94 व 1.18 प्रतिशत धनात्मक तथा गेहूँ, धान्य फसलों तथा दलहन की औसत वृद्धि दर क्रमशः 1.48, 0.62 तथा 4. 36 प्रतिशत ऋणात्मक रहने के कारण खाद्यान्न की औसत उत्पादकता वृद्धि दर 0.84 प्रतिशत ऋणात्मक पायी गयी। तिलहन की औसत उत्पादकता वृद्धि दर धनात्मक 0.06 प्रतिशत रहा। नगदी फसल–गन्ना व आलू के उत्पादन में औसत वृद्धि दर क्रमशः 2.22 व 3.48 प्रतिशत धनात्मक रहा।

तालिका–4.08

उत्पादन (वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत में)

वर्ष	फसल								
	चावल	गेहूँ	मोटे अनाज	धान्य फसलें	दलहन	खाद्यान्न	तिलहन	गन्ना	आलू
2011–12	12.82	5.45	7.09	7.55	18.84	8.02	–2.80	7.90	–6.13
2012–13	4.40	–2.10	7.85	0.46	–0.33	0.42	–9.17	–6.93	9.68
2013–14	0.70	0.05	1.42	0.34	–37.71	–1.39	–14.66	5.34	–8.34
2014–15	–9.09	–36.32	–9.85	–26.26	–16.13	25.96	–15.36	3.19	7.68

उत्पादकता

पिछले 10 वर्षों (2005–06 से 2014–15) में खाद्यान्न की उत्पादकता में ऋणात्मक, (–) 0.76 औसत वृद्धि दर दर्ज की गयी। यह ऋणात्मक औसत वृद्धि दर गेहूँ में –1.89 प्रतिशत, धान्य फसलों में –0.79 प्रतिशत एवं दलहन में –2.87 प्रतिशत रहा। चावल एवं मोटे अनाज में धनात्मक औसत वृद्धि दर क्रमशः 0.71 व 2.57 प्रतिशत रहा। तिलहन में ऋणात्मक औसत वृद्धि दर –1.87 प्रतिशत रहा वहीं नगदी फसलों गन्ना व आलू में धनात्मक औसत वृद्धि दर 1.70 एवं 1.08 प्रतिशत रहा।

तालिका–4.09

उत्पादकता में वार्षिक वृद्धि दर

वर्ष	फसल								
	चावल	गेहूँ	मोटे अनाज	धान्य फसलें	दालें	खाद्यान्न	तिलहन	गन्ना	आलू
2011–12	11.13	5.53	10.31	7.40	20.39	8.07	0.00	4.93	–7.66
2012–13	4.07	–2.01	8.49	0.46	0.50	0.54	9.69	4.86	9.36
2013–14	–0.29	–0.50	1.62	–0.28	–35.21	–1.50	–18.10	2.07	–13.21
2014–15	–7.32	–36.36	–9.53	–25.80	–17.03	–25.71	–18.38	3.18	6.59

राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के कृषि की स्थिति

वर्ष 2013–14 के उत्पादन के आंकड़ों के आधार पर प्रदेश का उत्पादन की दृष्टि से धान्य फसलों का देश के धान्य फसलों में 19.7 प्रतिशत, दलहन में 8.9 प्रतिशत, खाद्यान्न में 18. 9 प्रतिशत तथा तिलहन उत्पादन में 2.84 प्रतिशत का योगदान रहा। प्रदेश गेहूँ, मसूर, गन्ना एवं आलू के उत्पादन में प्रथम एवं चावल, बाजरा के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर अवस्थित रहा। इस प्रकार प्रदेश को धान्य फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान, दलहन के उत्पादन में चौथा स्थान, खाद्यान्न के उत्पादन में प्रथम स्थान तथा तिल के उत्पादन में 9वाँ स्थान प्राप्त है।

फसलों की उत्पादकता के आधार पर प्रदेश को चावल की उत्पादकता में सातवाँ, गेहूँ की उत्पादकता में चौथा, मोटे अनाज की उत्पादकता में नौवाँ, दलहन की उत्पादकता में नौवाँ, खाद्यान्न की उत्पादकता में पाँचवाँ, तिलहन की उत्पादकता में बारहवाँ, गन्ने की उत्पादकता में ग्यारहवाँ तथा आलू की उत्पादकता में चौथा स्थान प्राप्त है।

सिंचाई

कृषि का उत्पादन बढ़ाने हेतु सिंचाई महत्वपूर्ण साधन है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011–12 में शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का 138.09 लाख हेक्टेयर (83.01 प्रतिशत) क्षेत्रफल सिंचित क्षेत्रफल है, जिसमें से 101.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल (73.6 प्रतिशत) नलकूपों से सिंचित है। वर्ष 2011–12 में प्रदेश का सकल सिंचित क्षेत्रफल 199.01 लाख हेक्टेयर था, जो सकल बोये गये क्षेत्रफल का 77.4 प्रतिशत था। वर्ष 2013–14 में सकल सिंचित क्षेत्रफल 204.03 लाख हेक्टेयर है जो की सकल बोये गये क्षेत्रफल का 78.79 प्रतिशत है।

सिंचाई आच्छादन जो कि सकल सिंचित क्षेत्रफल से शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का अनुपात है, वर्ष 2011–12 में सिंचाई आच्छादन 69.38 प्रतिशत था जो वर्ष 2013–14 में घटकर 68.74 प्रतिशत रह गया।

तालिका–4.10

उत्तर प्रदेश में विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल तथा प्रतिशत वितरण

मद	इकाई	2011–12	2012–13	2013–14	2012–13 की अपेक्षा 2013–14 में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6
(क)शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 1– नहर	(ह0 हेक्टे0)	2555 (18.5)	2541 (18.3)	2557 (18.2)	0.6
2– नलकूप	,,	10162 (73.6)	9965 (71.5)	9984 (71.2)	0.2
(अ) राजकीय	,,	491 (3.6)	617 (4.4)	435 (3.1)	(–)29.5
(ब) निजी	,,	9671 (70.0)	9348 (67.1)	9549 (68.1)	2.2
3– कुएं	,,	848 (6.1)	1250 (9.0)	1308 (9.3)	4.6
4–तालाब, झील तथा पोखर	,,	99 (0.7)	116 (0.8)	119 (0.9)	2.6
5–अन्य	,,	146 (1.1)	56 (0.4)	60 (0.4)	7.1
योग	,,	13809 (100.0)	13929 (100.0)	14027 (100.0)	0.7
(ख)सकल सिंचित क्षेत्रफल(ह0 हेक्टे0)		19901	20191	20403	1.0

उर्वरक

कृषि उपज बढ़ाने के लिये सिंचाई के साधनों की पर्याप्त आवश्यकता के साथ ही साथ रासायनिक उर्वरकों का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिये रासायनिक उर्वरकों का समुचित मात्रा में प्रयोग वांछित है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011–12 में 42.58 लाख मी0 टन रासायनिक उर्वरकों का उपभोग किया गया जो वर्ष 2014–15 में 42.72 लाख मी0 टन हो गया जो कि दर्शाता है कि उर्वरकों के उपयोग में स्थिरता बनी हुयी है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षों के अन्तर्गत रासायनिक उर्वरकों की खपत का विवरण तालिका– 4.11 में दर्शाया गया है:–

तालिका–4.11

उत्तर प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों की खपत

(हजार मी0 टन में)

मद	नाइट्रोजन(एन0)	फास्फेट(पी0)	पोटाश (के0)	योग
1	2	3	4	5
2011–12	3067	1024	167	4258
2012–13	3352	1166	133	4651
2013–14	2972	765	105	3842
2014–15	3169	915	187	4272

उन्नतिशील बीज का उत्पादन एवं वितरण

कृषि उत्पादन में वृद्धि उन्नतिशील बीजों पर निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001–02 में 1839 हजार कुन्तल उन्नतिशील बीजों का उत्पादन हुआ था जो वर्ष 2004–05 में बढ़कर 2407 हजार कुन्तल एवं वर्ष 2013–14 में बढ़कर 5450 हजार कुन्तल हो गया। इस प्रकार 2002–2014 की सम्पूर्ण अवधि में उन्नतिशील बीजों के उत्पादन में 196.36 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई।

उन्नतिशील बीजों के उत्पादन के साथ–साथ इनका ससमय वितरण भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001–02 में 1819 हजार कुन्तल उन्नतिशील बीजों का वितरण हुआ था जो वर्ष 2004–05 में बढ़कर 2381 हजार कुन्तल एवं वर्ष 2013–14 में बढ़कर 5581 हजार कुन्तल हो गया। इस प्रकार 2002–2014 की अवधि में उन्नतिशील बीजों के वितरण में 206.8 प्रतिशत की अत्यधिक वृद्धि परिलक्षित हुई।

उन्नतिशील बीजों के अन्तर्गत आच्छादन एवं बीज प्रतिस्थापन दर

प्रदेश में मुख्य–मुख्य फसलों के औसत उपज में वृद्धि लाने हेतु अधिक उपजदायी प्रजातियों के बीजों का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में अधिक उपजदायी प्रजातियों की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल वर्ष 2011–12 में 165.15 लाख हेक्टेयर तथा वर्ष 2012–13 में घटकर 163.82 लाख हेक्टेयर हो गया जो वर्ष 2013–14 में बढ़कर 165.03 लाख हेक्टेयर हो गया। परम्परागत बीजों का प्रतिस्थापन उन्नतशील बीजों से किया जा रहा है। वर्ष 2012–13 में गेहूँ के बीजों की प्रतिस्थापन दर 41 प्रतिशत थी, बाजरे की प्रतिस्थापन दर 71 प्रतिशत थी एवं उर्द दाल की प्रतिस्थापन दर 34 प्रतिशत थी।

तालिका–4.12
उत्तर प्रदेश में उन्नतिशील बीजों के अन्तर्गत बोया गया क्षेत्रफल

	क्षेत्रफल(लाख हेक्टेयर में)		
मद	**2011–12**	**2012–13**	**2013–14***
1– अनाज	56.62	55.91	57.22
2– दालें	96.32	96.31	95.79
3–तिलहन	5.94	6.02	6.15
4– कपास	6.27	5.58	5.87
योग	**165.15**	**163.82**	**165.03**

*प्रत्याशित क्षेत्रफल

कीटनाशक

विभिन्न प्रकार की फसलों को बीमारियों से बचाने के लिये कीटनाशक औषधियों का प्रयोग नितान्त आवश्यक है। ये बीमारियां फसलों की उपज को प्रभावित करती हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001–02 में 7 हजार मी0 टन कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया गया था, इसके पश्चात् वर्ष 2013–14 तक इसमें वृद्धि एवं कमी की मिश्रित प्रवृत्ति रही। वर्ष 2011–12 में यह 21.07 हजार मी0 टन था जो वर्ष 2013–14 में घटकर 19.27 हजार मी0 टन हो गया।

कृषि क्षेत्र में वर्ष 2014–15 में संचालित की गयी प्रमुख योजनायें

1.राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाः–

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र को आच्छादित करते हुए इसके

समग्र विकास हेतु अवस्थापना विकास, उन्नत तकनीकी तथा वृहद स्तर पर जनपद स्तरीय योजनायें तैयार कर कार्यक्रमों को स्थानीय आवश्यकतानुसार संचालित किये जाने का कार्य किया जाता है।

2.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

प्रदेश में गेहूँ एवं दलहन के उत्पादन की असमानता को दूर करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा संचालित फ्लैगशिप योजनाओं के अन्तर्गत शत–प्रतिशत वित्त पोषित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वित्तीय वर्ष 2007–08 से चलायी जा रही है।

3.उत्तर प्रदेश में हरित क्रान्ति के विस्तार की रणनीतिक योजना

उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रान्ति के विस्तार की रणनीतिक योजना वर्ष 2010–11 से संचालित की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य चावल एवं गेहूँ की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी, मृदा स्वास्थ्य में सुधार, सिंचाई जल के कुशल उपयोग, कृषि यंत्रीकरण, ऊसर क्षेत्रों में जिप्सम का प्रयोग, सामुदायिक भण्डारण योजना तथा खेती की लागत को कम करने हेतु उन्नति कृषि पद्धति को बढ़ावा दिया जाना है।

4.कीट/रोग नियंत्रण की योजना

रासायनिक कीट नाशकों के प्रयोग से दृष्टिगोचार दुष्प्रभावों को कम करने हेतु विभिन्न परिस्थितिथिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण की योजना चलायी जा रही है। योजना के अन्तर्गत बायो एजेन्ट्स, बायो पेस्टीसाइड्स एवं एकीकृत नाशी जीव प्रबन्धन जैसी तकनीकों के प्रयोग से कीट/रोग नियंत्रण किये जाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

5.प्रमाणित बीजों पर अनुदान सम्बन्धी योजना

योजना के माध्यम से कृषकों को गुणवत्तायुक्त बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पर होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा शत–प्रतिशत वहन किया जाता है।

6.संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना

देश एवं प्रदेश की खाद्य सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाये रखने, अधिक से अधिक खाद्यान्न उत्पादन को प्राप्त करने के साथ–साथ प्रदेश के 90 प्रतिशत से अधिक लघु एवं सीमान्त कृषकों की आय में वृद्धि को लक्षित करते हुए प्रदेश सरकार इस योजना के माध्यम से अधिक उपजायी हाईब्रिड बीजों को अनुदानित दर पर उपलब्ध करा रही है।

7.प्रदेश के कृषकों को अनुदानित दर पर जिंक सल्फेट का वितरण

प्रदेश के खेती योग्य भूमि के मृदा स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु प्रदेश सरकार इस योजना के माध्यम से जिंक सल्फेड को अनुदानित दर पर उपलब्ध करा रही है।

8.नेशनल क्राप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम

नेशनल क्राप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम के अर्न्तगत संचालित उप योजना –संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना– प्रदेश के 65 जनपदों में एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना प्रदेश के 10 जनपदों –मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, शाहजहॉपुर, फतेहपुर, फैजाबाद, रायबरेली, जौनपुर, मिर्जापुर व सोनभद्र में संचालित की गयी है।

9.अपनी मिट्टी पहचानें योजना

कृषि के क्षेत्र में निरन्तर हो रहे अनुसंधानों से यह संज्ञान में आया कि प्रदेश के मृदा स्वास्थ्य में निरन्तर गिरावट दर्ज की गयी है इस समस्या के स्थायी निदान के उपाय स्वरुप जनपद/तहसील स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करके इसके माध्यम से कृषकों के खेतों की मिट्टी की जॉच करने के उपरान्त संतुलित उर्वरक प्रयोग की संस्तुति प्रदान किये जाने की निरन्तर

व्यवस्था सुनिश्चित की गयी एवं इसे कृषकों के मध्य लोकप्रिय बनाये जाने हेतु प्रतिवर्ष खरीफ एवं रबी के पूर्व ''अपनी मिट्टी पहचाने'' अभियान चलाया जाता है।

10.नेशनल मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी

योजना के अर्न्तगत निम्न चार सब मिशन का संचालन किया गया।

क–सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन

यह उपमिशन जागरुकता पैदा करने तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी के कृषि एवं एलाइड सेक्टर में अधिकाधिक उपयोग पर केन्द्रित है। एग्री–क्लीनिक, एग्री–बिजनेस स्कीम के प्रशिक्षित एग्रीप्रीन्यूर्स, कृषि प्रसार में डिप्लोमा प्राप्त इनपुट डीलर्स किसानों को प्रसार सेवा उपलब्ध करायेगे।

ख–सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन

फार्म पावर की उपलब्धता एवं कृषि उत्पादकता में गहरा सम्बन्ध है। इस लिए यह उप मिशन कृषि यंत्रीकरण पर केन्द्रित होगा। इसमें संस्थागत व्यवस्था यथा–कस्टम हायरिंग सेंटर एवं फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना, चयनित ग्रामों का यंत्रीकरण, यंत्रों एवं उपकरणों आदि की खरीद के लिए अनुदान तथा पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी एवं नवीन कृषि यंत्र तकनीकी के प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण द्वारा विशेष रुप से सीमान्त एवं लघु कृषकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।

ग– सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लाण्टिंग मैटेरियल

उच्च गुणवत्ता के बीजों का प्रयोग, कृषि उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने का सबसे प्रभावी साधन है। इस उप मिशन में आधारीय/प्रमाणित बीज से किसानों को गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीज उत्पादन की तकनीकी सिखाने के साथ ही बीजोत्पादन कराया जायेगा। बीजोत्पादन तथा उनके रख रखाव से सम्बन्धित सभी कार्यक्रम इसमें सम्मिलित हैं। इस उप मिशन के अन्तर्गत चयनित कृषकों को प्रति एकड़ में लगने वाले बीज दर (धान/गेहूँ) पर 60 प्रतिशत का अनुदान अनुमन्य किया जाता है तथा दलहनी तथा तिलहनी फसलों पर प्रति एकड़ बीज दर पर 60 प्रतिशत का अनुदान अनुमन्य है। इसी के साथ– साथ बीजोत्पादन की तकनीकी पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

घ– सबमिशन ऑन प्लाण्ट प्रोटेक्शन एण्ड प्लान्ट क्वारेन्टाइन

यह कार्यक्रम फसलों को वैज्ञानिक एवं पर्यावरण–मित्रवत तकनीकों को आई.पी.एम. के माध्यम से रोग/कीट मुक्त रखकर कृषि उत्पादन प्रदर्शन के लिए रखा गया है। सब मिशन के अन्तर्गत आई.पी.एम. प्रयोगशालाओं में बायो पेस्टीसाइड्स/ बायो एजेण्ट्स के उत्पादन को बढ़ावा दिया जायेगा तथा भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार गुण नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित किया जाना है।

11.नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर

योजना आयोग भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरुप योजनान्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं–

अ–रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट

रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वर्षा आधारित क्षेत्रों में उपयुक्त कृषि पद्धतियां अपनाकर टिकाऊ उत्पादकता प्राप्त कर इन क्षेत्रों के कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना।

ब–ऑन फार्म वॉटर मैनेजमेन्ट

इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिंचित

क्षेत्रों में जल के सम्यक् उपयोग तथा वर्षा आधारित क्षेत्रों में उपलब्ध जल के उचित उपयोग को सुनिश्चित कराना है।

स–मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन

इस योजना का उद्देश्य पूर्व में स्थापित मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण, नवीन प्रयोगशालाओं की स्थापना, जैविक/जैव ग्रामों की स्थापना, पोर्टेबल मृदा परीक्षण किट का वितरण तथा मृदा नमूनों के विश्लेषण, परिणामों के आधार पर मृदा–मानचित्रीकरण करना है।

द–जलवायु परिवर्तन और सतत् कृषि मानीटरिंग, मॉडलिंग एवं नेटवर्किंग

इस घटक का मुख्य उद्देश्य समुचित सतत् पद्धतियों तथा विशिष्ट कृषि जलवायुविक परिस्थितियों के लिए उपयुक्त इण्टीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को विकसित कर मिशन के संसाधनों से समन्वित करते हुए वर्षा आधारित क्षेत्रों में इस मॉडल को अपना कर कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना है।

12.सोलर फोटो वोल्टिक इरीगेशन पम्प की स्थापना

वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देने, पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के साथ–साथ पर्यावरणीय अनुकूलता के दृष्टिगत इस योजना का संचालन किया जा रहा है।

13. भूमि संरक्षण हेतु योजना

वर्तमान सरकार के प्राथमिकताओं के क्रम में भूमि सेना इसे स्टेट फ्लैगशिप प्रोग्राम के रुप में संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2012–13 में 34234 हे0, वर्ष 2013–14 में 48709 हे0 एवं वर्ष 2014–15 में माह दिसम्बर 2014 तक 26542 हे0 का भूमि उपचार किया जा चुका है।

भविष्य की चुनौतियों एवं घटते जल स्रोत को दृष्टिगत रखते हुए भूमि एवं जल संरक्षण के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे कटरी क्षेत्र में भूमि सुधार का कार्यक्रम एवं नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत भूमि एवं जल संरक्षण के कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

प्रदेश के मृदा स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु मृदा स्वास्थ्य का सुदृढ़ीकरण योजना मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम के वितरण की योजना एवं जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

14. कृषि विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

कृषि के विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के अन्तर्गत पारदर्शी किसान सेवा योजना के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधे अनुदान की धनराशि तीन दिन के अन्दर कोषागार अथवा बैंक खाते से अन्तरित किया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा। कृषि विभाग के समस्त कार्यालयों को कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से जोड़ते हुए योजनाओं की ऑन लाइन मॉनीटरिंग, कुशल वित्तीय प्रबन्धन, विभाग के कार्यक्रमों में पारदर्शिता लाना तथा कम्प्यूटर तकनीक को कृषकों को लिए उपयोगी बनाते हुए विभाग की पहुॅच आम जनता तक सुनिश्चित किया जायेगा। सूक्ष्म से वृहद स्तर तक के सभी कार्य तुरन्त तथा दोष रहित तरीके से सम्पन्न कराया जाना इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्भव बनाया जायेगा। उक्त के साथ–साथ कम्प्यूटरीकृत ऑकड़ों के विश्लेषण द्वारा कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए वास्तविक ऑकड़ों की उपलब्धता सुलभ हो जायेगी जिससे प्रभावशाली एवं दोष रहित रणनीति तैयार किया जाना सरल होगा।

कृषि उत्पाद का विपणन

कृषि के विकास के लिए ये आवश्यक है

कि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य, व्यापारियों को उनकी सेवाओं का उचित प्रतिफल एवं उपभोक्ताओं को गुणवत्ता की वस्तुएं उपलब्ध कराई जाये। इसी उद्देश्य से वर्ष 1964 में उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम पारित किया गया। कृषि उपज मण्डियों के कार्य संचालन हेतु सम्पूर्ण प्रदेश को मण्डी क्षेत्रों में बॉटा गया है। प्रत्येक मण्डी क्षेत्र हेतु एक मण्डी समिति के गठन की व्यवस्था की गयी। मण्डी समितियों के कार्य संचालन तथा उनकी विकास योजनाओं की निगरानी, नियंत्रण एवं मार्गदर्शन के लिए प्रदेश स्तर पर वर्ष 1973 में मण्डी परिषद की स्थापना की गई।

कृषि उत्पाद के विपणन हेतु संचालित योजनायें

1. एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब (ए0एम0 एच0) का निर्माण

प्रदेश के कृषकों को उनकी उपज के क्रय–विक्रय हेतु 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल अर्थात् प्रत्येक 10 किलोमीटर के अन्तराल पर एक मण्डी स्थल उपलब्ध कराये जाने के निर्णय के तहत उ0प्र0 के भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928.00 वर्ग किमी0 में कुल 2405 एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब की आवश्यकता होती है। वर्तमान में कुल 300 मण्डी/उपमण्डी स्थल निर्मित हैं। अतः इस योजनान्तर्गत कुल 2105 एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त योजना वर्ष 2011–12 में आरम्भ होकर आगामी 04 वर्षों के लिये है। अतः प्रारम्भिक 03 वर्षों 2011–12, 2012–13 व 2013–14 में प्रत्येक वर्ष 526 एवं अन्तिम वर्ष 2014–15 में 527 नग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब की निर्माण कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रत्येक एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब के अन्तर्गत भूमि की उपलब्धता के अनुसार 10 नग 'सी' टाइप की दुकानें, 01 नग छायादार नीलामी चबूतरे का निर्माण कार्य, 02 नग इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प की स्थापना एवं विकास कार्य तथा विद्युतीकरण का कार्य कराया जायेगाा।

अब तक लक्ष्य 1656 के सापेक्ष 1515 एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

2. किसान बाजार का निर्माण

कृषकों को अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को विक्रय करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मण्डी परिषद् द्वारा प्रदेश के बड़ें शहरों में एग्रीमाल की तर्ज पर 02 से 10 एकड़ तक भूमि का चयन कर उन पर ''किसान बाजार'' के नाम से व्यवसायिक रूप से व्यवहारिक अत्याधुनिक विशिष्ट बाजार विकसित किये जाने की योजना प्रारम्भ की गयी है। इनमें किसानों द्वारा अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को फुटकर बेचे जाने पर कोई भी मण्डी शुल्क देय नहीं होगा। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाये जाने के उद्देश्य से यथासम्भव क्लीनिंग, ग्रेडिंग, साँटिंग एवं पैकेजिंग की भी व्यवस्था की जायेगी। लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लोक कलाकारों को अपनी कला को प्रदर्शित करने तथा विक्रय करने का अवसर प्रदान किया जायेगा। हैण्डीक्राफ्ट एवं हैण्डलूम के दस्तकारों को भी अपने उत्पाद को प्रदर्शित करने तथा विक्रय करने का अवसर दिया जायेगा। इस अत्याधुनिक बाजार में कुछ दुकानें अन्य वस्तुओं की फुटकर बिक्री के लिये भी उपलब्ध करायी जायेगी। किसान बाजार में आने वाले आगन्तुकों एवं उपभोक्ताओं हेतु आधुनिक मार्केटिंग व्यवस्था के समावेश के साथ ही तदनुरूप मनोरंजन, खान–पान तथा सामुदायिक गतिविधियों की सुविधायें भी उपलब्ध करायी जायेगी। प्रदेश में लखनऊ, सैफई, झांसी, मैनपुरी, कासगजं एवं कन्नौज में किसान बाजार

विकसित किये जा रहे हैं।

3.मण्डी आवक–किसान उपहार योजनाः–

किसानों को स्वयं अपनी उपज सीधे मण्डी में लाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मण्डी आवक किसान उपहार योजना लागू की गयी है, जिसमें मुख्य रूप से कुकर, साइकिल, पावर ट्रिलर एवं ट्रैक्टर उपहार लकी ड्रा के माध्यम से दिये जाते है।

अक्सर छोटे किसान अपनी उपज सीधे मण्डी में न लाकर ग्राम व्यापारियों के हाथ सस्ते दामों पर बेच देते हैं जो तौल में गड़बड़ी करके तथा अन्य तरीकों से किसान को उचित मूल्य नहीं देते है। कूपन निःशुल्क मिलता है परन्तु किसान को अपनी किसान बही दिखानी होती है। कूपन का आधा पन्ना कार्यालय में रहता है, जिसके आधार पर मासिक, त्रैमासिक और छमाही बम्पर ड्रा मण्डलायुक्त द्वारा निकाला जाता है।

4.मण्डी स्थलों का निर्माणः–

मण्डी समितियों की पहली प्राथमिकता एवं आवश्यकता सुख–सुविधायुक्त आधुनिक मण्डी स्थलों के निर्माण की है, जिससे कृषि जिन्सों को एक परिसर में लाकर उनका क्रय–विक्रय करवाया जा सके। नवनिर्मित मण्डी परिसर में लाईसेन्सियों को दुकानें एवं नीलामी चबूतरे उपलब्ध कराये जाते हैं। आवश्यकतानुसार खाद्यान्न, फल एवं सब्जी, मत्स्य, पुष्प एवं दूध के क्रय–विक्रय हेतु अलग–अलग मण्डी स्थल निर्मित कराये गए हैं तथा कराये जा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में 217 नवीन मण्डी स्थल एवं 92 उपमण्डी स्थलों के साथ ही 87 किसान सेवा केन्द्र, 99 किसान विश्राम गृह, 40 अतिथि गृह, 238 गोदाम एवं 351 सार्वजनिक शौचालय निर्मित हैं। इनके अतिरिक्त 273 स्थानों पर उपमण्डी स्थलों का निर्माण प्रस्तावित है जिसे भूमि की उपलब्धता के अनुसार मूर्त रूप दिया जाना प्रक्रियाधीन है। वर्तमान समय में 03 मुख्य मण्डियाँ एवं 05 उपमण्डियाँ निर्माणाधीन हैं।

5. इलेक्ट्रानिक वे–ब्रिज की स्थापनाः–

मण्डी स्थलों में त्रुटिरहित तौल व्यवस्था कराना मण्डियों की स्थापना के मूल उद्देश्यों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इस हेतु 156 मण्डी/उपमण्डी स्थलों में कुल 254 इलेक्ट्रानिक वे–ब्रिजेज़ की स्थापना करा दी गयी है एवं 05 वे–ब्रिजेज़ की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। कृषि उत्पाद का सही वजन होने के कारण कृषकों को उनके कृषि उत्पाद का बेहतर मूल्य प्राप्त हो रहा है ।

6. भण्डारण सुविधा का विकासः–

नेगोशियेबुल इन्स्ट्रूमेन्ट के रूप में प्रयोग कर मण्डी अधिनियम के उद्देश्यों के अन्तर्गत पीक सीजन में आवक की अधिकता के कारण भाव में कमी एवं डिस्ट्रेस सेल को रोकने, कृषक/उत्पादक को उसकी उपज का अधिकतम मूल्य प्राप्त करने तथा खाद्य सुरक्षा के दृष्टिगत बुन्देलखण्ड में निर्मित होने वाले 07 विशिष्ट मण्डी स्थलों में कुल 1,30,000 मी0टन क्षमता के तथा ग्रामीण अवस्थापना केन्द्रों (रिन) में स्थान की उपलब्धता के अनुरूप 500 मी0टन के 133 गोदाम (63500 मी0 टन) बनाए जा रहे हैं।

प्रदेश के सम्मुख कृषि सम्बंधी चुनौतियाँ–

1. बढ़ती जनसंख्या को आवश्यक एवं पोषणयुक्त भोजन प्राप्त हो सके इसके लिए कृषि विकास दर को बनाये रखने के साथ–साथ पोषक तत्वों से समृद्ध फसलों की प्रजातियों को बढ़ावा देना।
2. प्रदेश की भूमि के गिरते स्वास्थ्य मृदा स्वास्थ्य को सुधारात्मक उपाय के माध्यम से बनाये रखना ।
3. प्रदेश की जनसंख्या की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना तथा बदलते मौसम में विभिन्न फसलों की उत्पादकता को बढ़ाना ।

4. विश्व व्यापार समझौते के परिप्रेक्ष्य में कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार तथा उत्पादन लागत को कम करना ।
5. प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण को रोकने हेतु संरक्षण के प्रभावी प्रबन्धन को सुनिश्चित करना।
6. पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाये रखने हेतु स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को बनाये रखना ।
7. लघु एवं सीमान्त कृषकों के आर्थिक हितों के दृष्टिगत छोटी जोतों को लाभदायी बनाना ।
8. कृषि में निजी यंत्रों को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक निजी सहभागिता द्वारा निवेश को प्रोत्साहन ।
9. कृषि पर निर्भरता कम करने हेतु रोजगार सृजन के लिए कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना।

<u>प्राथमिकतायें</u> –

कृषि क्षेत्र में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करने एवं चुनौतियों को प्रभावी ढ़ंग से सामना करने के लिए विभाग की निम्न प्राथमिकतायें निर्धारित की गयी हैं :–

1. अच्छे इनपुट का प्रयोग, मृदा स्वास्थ्य तथा ऊसर एवं अकृष्य भूमि विकास द्वारा कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना ।
2. गुणवत्तायुक्त कृषि निवेशों की समय से उपलब्धता को सुनिश्चित करना ।
3. बेहतर फसल प्रबन्धन, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कृषि निवेश के प्रयोग तथा नवीन तकनीकों को अपनाकर कृषि लागत को कम करना।
4. मूल्यवर्धन द्वारा कृषि उत्पादों के लाभ में वृद्धि करना ।
5. गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा देना ।
6. निजी क्षेत्र की सहभागिता को सुनिश्चित करना ।
7. ग्रामीण स्तर पर आधारभूत संरचनाओं के विकास को प्रोत्साहित करना ।
8. कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर भूमिहीन कृषि मजदूरों को आत्म–निर्भर बनाना तथा कृषि पर निर्भरता को कम करना।

<u>वन उद्योग</u>

वृक्षों से ही भूमि संरक्षण, जलसंरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित होती है। वन दुर्लभ वन्य जीव प्रजातियों का प्राकृतिक वास है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2013–14 में कुल प्रतिवेदित क्षेत्र 241.70 लाख हेक्टेयर था, जिसमें वनों का क्षेत्रफल 16.58 लाख हेक्टेयर था। वनों का क्षेत्रफल प्रदेश के प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 6.9 प्रतिशत है जब कि भारत में यह लगभग 23 प्रतिशत है।

सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2014–15 (त्वरित अनुमान) में वनों का अंश रु0 14214.85 करोड़ है, जो की सकल राज्य आय का 1.7 प्रतिशत है। विगत तीन वर्षों से वन क्षेत्र की विकास दर ऋणात्मक ही रही हैं। वर्ष 2014–15 में वन क्षेत्र की विकास दर (–)2.6 है।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014–15 में 295 हजार घनमीटर इमारती लकड़ी, 2 हजार घन मी0 चट्टा जलाने की लकड़ी, 45 हजार कौड़ी बांस, 220 हजार मानक बोरी तेंदू पत्ता तथा 1 हजार कुन्तल भाभड़ घास का उत्पादन हुआ। इमारती लकड़ियों में साल, सागौन, शीशम, खैर, यूकेलिप्टस आदि प्रमुख है। विभिन्न वर्षो के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की मुख्य/गौणवनोपज का विवरण तालिका–4.13 में दर्शाया गया है–

तालिका–4.13
उत्तर प्रदेश की मुख्य/गौण वनोपज

मद	2001–02	2004–05	2011–12	2013–14	2014–15 #
1	2	3	4	5	6
1–इमारती लकड़ी (हजार घन मी0)	171	143	193	270	295
(क) साल	32	27	27	27	28
(ख) सागौन	8	6	8	11	12
(ग) शीशम	34	30	12	11	11
(घ) खैर	3	3	3	3	4
(च) असना	1	2	—	1	2
(छ) यूकेलिप्टस	61	48	111	169	184
(ज) विविध	32	27	32	48	54
2–जलाने की लकड़ी (हजार घनमी0 चट्टा)	26	18	3	2	2
3–बांस (हजार कौड़ी)	168	25	40	30	45
4–तेंदू पत्ता (हजार मानक बोरी)	458	482	175	200	220
5–भाभड़ घास (हजार कुन्तल)	6	14	2	0	1

#अनुमानित

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2013–14 की अपेक्षा वर्ष 2014–15 में शीशम को छोड़कर सभी इमारती लकड़ियों का उत्पादन बढ़ा है। शीशम का उत्पादन यथावत रहा है। इसी प्रकार वर्ष 2014–15 में गत वर्ष 2013–14 की अपेक्षा बांस, तेंदू पत्ता तथा भाभड़ घास का उत्पादन भी बढ़ा है।

• • •

अध्याय–5
पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास

उत्तर प्रदेश पशुधन संख्या के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन में पशुपालन की प्रमुख भूमिका है। प्रदेश की 77.73 प्रतिशत जनता ग्रामीण अंचल में निवास करती है जिसके जीवकोपार्जन का मुख्य स्रोत कृषि एवं पशुपालन है। यह सेक्टर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के रोजगार एवं आय का प्रमुख स्त्रोत है। पशुधन उत्पाद ही खाद्य सुरक्षा एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। वर्ष 2013–14 में पशुपालन खण्ड की वृद्धि दर 4.6 प्रतिशत थी जो वर्ष 2014–15 में 4.7 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2011–12 में प्रचलित भावों पर राज्य की निवल मूल्य वर्धन में पशुधन क्षेत्र का योगदान 7.1 प्रतिशत था जो वर्ष 2014–15 में बढ़कर 7.6 प्रतिशत हो गया। आर्थिक क्रिया कलापों के अनुसार निवल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सम्वर्गीय सेवा क्षेत्र के योगदान को तालिका–5.01 में दर्शाया गया है।

तालिका–5.01

निवल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि क्षेत्र के खण्डवार प्रतिशत वितरण के आंकड़े

(प्रचलित भावों पर)

क्रम स०	मद	वर्ष			
		2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
1	फसलें	18.6	19.9	19.4	17.6
2	पशुधन	7.1	6.6	7.2	7.6
3	वानिकी और लट्ठा बनाना	2.0	2.0	1.7	1.7
4	मत्स्यन और जलीय कृषि	0.4	0.4	0.4	0.4

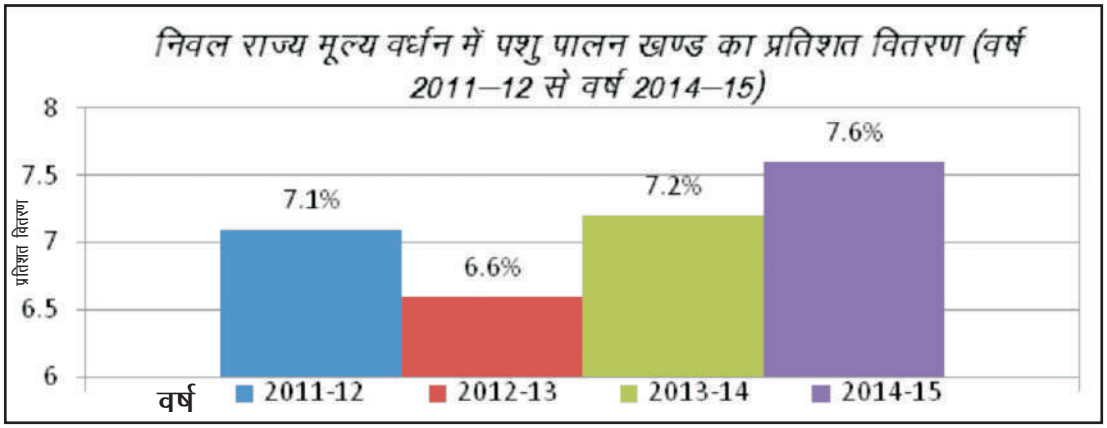

पशुधन

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012 की पशु गणनानुसार कुल पशुओं की संख्या 687.16 लाख थी। इसमें गायों की संख्या 90.69 लाख तथा भैसों की संख्या 154.32 लाख थी, जो कुल पशुधन का क्रमशः 13.2 प्रतिशत व 22.5 प्रतिशत है। कुल गायों एवं भैसों की संख्या में दूध देने वाली गायों एवं भैसों की संख्या क्रमशः 64.9 प्रतिशत तथा 68.3 प्रतिशत रही। 2007 एवं 2012 की पशु गणनानुसार उत्तर प्रदेश में पशुधन तालिका–5.02 में दर्शाया गया हैः–

तालिका–5.02
उत्तर प्रदेश में पशुधन संख्या

(हजार में)

मद	2007	2012	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
1	2	3	4
1–**कुल गोजातीय**	19097	19557	2.41
(क)गाय*	6558	9069	38.29
(1) दूध दे रही	4546	5883	29.41
(2) दूध न दे रही	1404	2372	68.95
2–**कुल महिष जातीय**	26440	30625	15.83
(ख)भैंस*	12869	15432	19.92
(1) दूध दे रही	9186	10538	14.72
(2) दूध न दे रही	2575	3412	32.50
3– भेड़	1400	1354	(–)3.29
4– बकरे व बकरियाँ	14829	15586	5.10
5– सुअर	1987	1334	(–)32.86
6– अन्य पशुधन	212	260	22.64
कुल पशुधन	**63966**	**68716**	**7.43**
कुल कुक्कुट	**17880**	**18668**	**4.41**

*इसमें दुधारू, एक बार न ब्यायी तथा अन्य मादाएं सम्मिलित हैं।

प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवायें

प्रदेश में पशु चिकित्सा एवं नस्ल सुधार हेतु 2200 पशु चिकित्सालय, 2843 पशुधन विकास केन्द्र, 5043 कृत्रिम गर्भाधान तथा 3 अति हिमीकृत वीर्य केन्द्र कार्यरत हैं। इन केन्द्रों द्वारा विभिन्न वर्षों मे कराये गये कार्यों का विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है–

तालिका–5.03
उ0प्र0 में पशुपालन सेवाओं की प्रगति

(लाख में)

कार्यक्रम	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
	पूर्ति	पूर्ति	पूर्ति	पूर्ति
1	2	3	4	5
कृत्रिम गर्भाधान	55.00	62.77	71.34	77.87
टीकाकरण	608.09	717.40	712.05	965.83
चिकित्सा	250.33	292.39	319.12	329.60
बधियाकरण	10.48	12.63	13.89	14.40

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2013–14 में 71.338 लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया गया जो वर्ष 2014–15 में 9.2 प्रतिशत बढ़कर 77.87 लाख हो गयी। वर्ष 2013–14 में 712.05 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया जो 35.6 प्रतिशत बढ़कर 965.83 लाख हो गया। इसी प्रकार वर्ष 2013–14 के 319.12 लाख के सापेक्ष वर्ष 2014–15 में चिकित्सित पशुओं की संख्या 3.3 प्रतिशत बढ़कर 329.60 लाख हो गयी है।

पशुधन उत्पाद एवं उत्पादकता

प्रदेश में वर्ष 2012–13 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता 308 ग्राम थी, जो वर्तमान में बढ़कर 312 ग्राम प्रतिदिन हो गयी है। उ0प्र0 माँस उत्पादन में देश का अग्रणी प्रदेश है जिसके द्वारा लगभग देश का 60 प्रतिशत माँस का निर्यात किया जाता है। विभिन्न वर्षों मे पशु उत्पादों की प्रगति तालिका 5.04 मे दी जा रही है बारहवी पंचवर्षीय योजना के अन्त में दूध, अण्डा एवं ऊन का उत्पादन क्रमशः 362.4550 लाख मी0ट0, 26865.80 लाख एवं 26.233 लाख किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। उपरोक्त लक्ष्यों की पूर्ति एवं ग्रोथ रेट 14 प्रतिशत किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनायें कार्यान्वित की जा रही है।

तालिका–5.04

तुलनात्मक उत्पादकता स्थिति (पशुपालन)

उत्पाद	उत्पादकता स्थिति				
	2011–12 पूर्ति	2012–13 पूर्ति (वृद्वि दर)	2013–14 पूर्ति (वृद्वि दर)	2014–15 पूर्ति (वृद्वि दर)	2015–16 पूर्ति (31.12.15 तक)
दूध (लाख मी0ट0)	225.56	233.46 (3.42)	241.93 (3.62)	251.97 (4.1)	191.56
अण्डा (लाख)	16075.00	16503.60 (6.20)	18122.323 (9.80)	20774.497 (14.6)	43.92
ऊन (लाख किग्रा0)	14.20	14.56 (2.52)	14.72 (1.09)	14.94 (1.49)	9.99
माँस (लाख किग्रा0)	9582.112	11368.55 (3.42)	12608.7 (10.91)	13971.84 (10.81)	

नोट– कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाया गया हैं।

पशुपालन सम्बन्धी प्रमुख योजनाएं –

1. ब्याज मुक्त कामधेनु इकाई की स्थापना

प्रदेश के किसानो को अधिक दुग्ध उत्पन्न करने वाले पशुओ की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा ब्याज मुक्त कामधेनु (100 दुधारू पशु गाय/भैस), मिनी कामधेनु (50 दुधारू पशु गाय/भैस) एवं माइक्रों कामधेनु (25 दुधारू पशु गाय/भैस) योजना संचालित की जा रही हैं।कामधेनु योजना की कुल लागत रू0 121.52 लाख, मिनी कामधेनु की रू0 50.58 लाख व माईक्रो कामधेनु की कुल लागत रू0 26.99 लाख है। इस योजना के अन्तर्गत किसान को ब्याज मुक्त ऋण के साथ रू0 32.82 लाख कामधेनु योजना में, रू० 13.66 लाख मिनी कामधेनु योजना में एवं रू० 7.29 लाख माईक्रो कामधेनु में प्रति इकाई ब्याज की प्रतिपूर्ति का भुगतान 5 वर्षो में किये जाने की व्यवस्था है। सिर्फ गाय की इकाई की स्थापना हेतु प्रति इकाई रू0 5.00 लाख 100 गायों की इकाई हेतु, रू0 2.50 लाख 50 गायों की इकाई हेतु तथा रू0 1.25 लाख 25 गायों की इकाई हेतु एक मुश्त अनुदान सहायता का प्राविधान भी किया गया है। वर्ष 2015–16 में सरकार द्वारा 300 कामधेनु, 1500 मिनी कामधेनु एवं 2500 माइक्रों कामधेनु इकाईयों को प्रदेश में स्थापित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में अगस्त 2015 तक 162 कामधेनु ईकाइयां व 801 मिनी कामधेनु ईकाइयां क्रियाशील है जिनसे क्रमशः 101000 लीटर व 238000 लीटर प्रति दिन दुग्ध का उत्पादन हो रहा है। माइक्रो कामधेनु की लगभग 2000 इकाईयॉ जनपद स्तर पर चयनित की जा चुकी है।

2. राज्य स्तरीय सम्प्रेषण पशुरोग निदान प्रयोगशालाओं की स्थापना

राज्य स्तरीय सम्प्रेषण पशुरोग निदान प्रयोगशालाओं की स्थापना के फलस्वरूप निम्न सुविधायें पशुपालकों को सुलभ करायी जा रही हैं:–

- नवीन वैज्ञानिक तकनीक आधारित पशु चिकित्सा।
- पशु चिकित्साधिकारियों को रोगों की पहचान में सुलभता।
- क्षेत्र में प्रभावी रोग नियन्त्रण।

- क्षेत्र में किसी संक्रामक/महामारी रोग के फैलने की स्थिति में तत्काल रोक।
- क्षेत्र में पशुधन की उत्पादन क्षमता को बनाये रखना।
- पशु रोग मुक्त होने पर पशुधन उद्यमिता में विकास।
- निर्माण कार्य के दौरान दैनिक श्रमिकों के रोजगार सुलभ होगा।

3. वृहद टीकाकरण योजना

विभिन्न बीमारियों से बचाव हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में सभी पशुओं का शत–प्रतिशत टीकाकरण पशु स्वामी के द्वार पर मूर्त रूप में देने की योजना है। प्रदेश के 190.97 लाख गोवंशीय, 264.40 लाख महिषवंशीय 14 लाख भेड़, 148.29 लाख बकरी, 19.86 लाख सूकर तथा 178.79 लाख कुक्कुट को विभिन्न रोगों से बचाव हेतु शत–प्रतिशत टीकाकरण का कार्य प्रगति पर है।

4. सचल पशु चिकित्सा क्लीनिक का संचालन

पशुपालकों के द्वार पर सचल पशु चिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। सचल पशुचिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान इकाई के अन्तर्गत 51 वाहनों का संचालन किया जा रहा है।

5. अपौष्टिक चारे एवं सेल्यूलोजिक वेस्ट को पौष्टिक बनाने की योजना

पशु की शारीरिक एवं उत्पादन हेतु मॉग के अनुरूप खर्चीले पशु आहार की आपूर्ति निर्धन एवं मध्यम वर्गीय पशुपालक द्वारा सम्भव न होने की स्थिति में किसान के पास उपलब्ध सूखे चारे भूसा–धान की कुट्टी, पेड़ों की सूखी पत्ती एवं अन्य वेस्ट पदार्थ को यदि यूरिया रसायन द्वारा उपचारित कर दिया जाता है तो अपौष्टिक चारे में अन्य मात्रा में पायी जाने वाली प्रोटीन 2–4 प्रतिशत को बढ़ाकर 8–9 प्रतिशत किया जा सकता है। इस प्रकार की विधि का प्रचार–प्रसार एवं क्रियाशील प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों के घर पर जा करके साल भर पौष्टिक चारा उपलब्ध कराया जाना सम्भव है, जिससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि एवं पशु स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकता है। योजना में प्रदेश के सभी 820 विकास खण्डों में 50 पशुपालक प्रति विकास खण्ड के आधार पर कार्यक्रम में प्रयुक्त होने वाली प्लास्टिक शीट, फौव्वारा इत्यादि दिया जाता है।वर्ष 2015–16 में प्रदेश सरकार द्वारा रू0 5.25 करोड़ का प्राविधान किया गया है। इससे 41250 पशुपालक लाभान्वित होंगे।

6.उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति–2013 का क्रियान्वयन

उ0प्र0 में 108 करोड़ अण्डा प्रतिवर्ष उत्पादित होता है जबकि 473 करोड़ अण्डे प्रतिवर्ष उपभोग किये जाते है। प्रदेश की आवश्यकता की पूर्ति हेतु निजी क्षेत्र के व्यवसायी लगभग 365 करोड़ अण्डे प्रतिवर्ष अन्य प्रदेशों से आयात करते है। कुक्कुट माँस उत्पादन हेतु वर्तमान में लगभग 1082 लाख ब्रायलर चूजे प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रतिवर्ष पाले जा रहे हैं जिसमें 972 लाख ब्रायलर चूजे अन्य प्रदेशों से आयात होते हैं। स्पष्ट है कि 365 करोड़ अण्डे तथा 972 लाख ब्रायलर चूजे प्रतिवर्ष अन्य प्रदेशों से आयात होने के कारण प्रदेश से अन्य प्रदेशों को भारी मुद्रा प्रवाह होता है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश को अण्डा उत्पादन एवं ब्रायलर चूजा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कामर्शियल लेयर पालन तथा ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना हेतु उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति–2013 लागू की गयी है, जिसमें उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान करने तथा इनवेस्टर फ्रेन्डली वातावरण सृजित करने हेतु नीतिगत व्यवस्था की गयी है। योजनान्तर्गत प्रथम चरण में अन्य प्रदेशों से आयात होने वाले लगभग 365

करोड़ अण्डे प्रतिवर्ष के समतुल्य अण्डे प्रदेश में ही उत्पादित करने के लिये 5 वर्षों में 123 लाख कामर्शियल लेयर्स पक्षियों के फार्म की 410 इकाईयों की स्थापना की जायेगी। इसी प्रकार उ0प्र0 में ब्रायलर पालन को लाभकारी एवं सुदृढ़ करते हुये ब्रायलर चूजा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 6 लाख ब्रायलर पैरेन्ट पक्षियों के पाले जाने हेतु 5 वर्षों में 10000 पक्षियों की 60 इकाईयों की स्थापना की जानी है।

वर्ष 2013–14, 2014–15 और 2015–16 के लिये 245 कामर्शियल लेयर ईकाइयां व 30 ब्रायलर पैरेन्ट फार्म ईकाइयों का लक्ष्य के सापेक्ष 117 कामर्शियल लेयर ईकाइयां वर्तमान में क्रियाशील है जिनसे 10020 व्यक्तियों के लिये रोजगार सृजन हुआ। वर्ष 2015–16 में 21.06 लाख अण्डो का प्रति दिन उत्पादन हो रहा है। प्रदेश में स्वीकृत कुक्कुट ईकाइयों व बैंक ऋण के आधार पर कामर्शियल लेयर ईकाइयों एवं ब्रायलर पैरेन्ट फार्म ईकाइयों पर कुल रू0 214.73 करोड़ का निवेश हुआ।

मत्स्य उत्पादन व उत्पादकता

उत्तर प्रदेश का कुल अर्न्तस्थलीय मत्स्य उत्पादन 4.94 मिलियन मिट्रिक टन रहा है, जो आन्ध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल के बाद भारत में तीसरा स्थान है। मत्स्य पालन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेकार पड़ी कृषि हेतु अनुपयुक्त भूमि/तालाब/पोखरों/ जलाशयों का उपयोग करके अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती है, तथा ग्रामीण अंचल में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार का साधन जुटाने तथा सामाजिक व आर्थिक दशा सुधारने का एक अच्छा अवसर सुलभ कराया जा सकता है।

प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में समस्त स्रोतों से आंकलित मत्स्य उत्पादन 4.50 लाख मी0 टन के स्तर तक पहुँच चुका है। इस स्तर को 12वीं पंचवर्षीय योजनाकाल के तृतीय वर्ष 2014–15 में 4.94 लाख मी0 टन तथा वर्ष 2015–16 मे 6.50 लाख मी0 टन के स्तर तक पहुॅचाया जाना निर्धारित है। प्रदेश में मत्स्य उत्पादन की त्रैमासिक गणना की जाती है। वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक अनुमानित मत्स्य उत्पादन एवं औसत मत्स्य उत्पादकता की सूचना निम्नवत है–

तालिका–5.05
अनुमानित मत्स्य उत्पादन एवं औसत मत्स्य उत्पादकता

वर्ष	अनुमानित मत्स्य उत्पादन (लाख मी0टन0)	औसत मत्स्य उत्पादकता (किग्रा0/हे0/वर्ष)
	उपलब्धि	उपलब्धि
2011–12	4.30	3335
2012–13	4.50	3402
2013–14	4.64	3600
2014–15	4.94	4140

विजन एण्ड पर्सपेक्टिव प्लान फार द डेवलेपमेन्ट आफ फिशरीज सेक्टर 2013

प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु शासन द्वारा विजन एण्ड पर्सपेक्टिव प्लान फार द डेवलेपमेन्ट आफ फिशरीज सेक्टर 2013 का अवधारण करते हुए दस वर्षीय कार्यक्रमों को लागू कराने का संकल्प लिया है, जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन को कृषि

का दर्जा प्रदान करते हुए उसके प्राविधानों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

प्रदेश में उपलब्ध वृहद एवं मध्यमाकार जलाशयों, प्राकृतिक झीलों तथा ग्रामीण अंचलों के तालाबों का कुल 5.22 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है। इन जल संसाधनों की उपलब्धता तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत लाये गये जल क्षेत्र से सम्बन्धित विवरण निम्नवत है–

तालिका–5.06

बंधा हुआ जल संसाधन	कुल उपलब्ध जलक्षेत्र(लाख हेक्टेयर)	मत्स्य पालन के अन्तर्गत उपयोग में लाया गया जलक्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	प्रतिशत
वृहद एवं मध्यमाकार	2.28	2.26	99.12
जलाशय प्राकृतिक झीलें	1.33	0.20	15.03
ग्रामीण अंचल के तालाब	1.61	0.742	46.09
योग	5.22	3.302	63.25

संचालित मत्स्य विकास कार्यक्रम

1.तालाबों का पट्टा

उत्तर प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों में मुख्यतः ग्रामसभा के अन्तर्गत आने वाले तालाब एवं झीलें हैं। ग्रामसभा में निहित तालाबों का पट्टा मछुआ समुदाय एवं अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों को ही दिया जाता है, जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। इसके अतिरिक्त मछुआ समुदाय के व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु आवास/बीमा/ऋण आदि की सुविधायें भी सुलभ करायी जाती हैं।

2.मत्स्य बीज उत्पादन, अंगुलिकाओं के संचय तथा अंगुलिका वितरण

तालाबों में उत्तम मत्स्य प्रजातियों के गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज का संचय मत्स्य पालन कार्यक्रम की सफलता के लिए नितान्त आवश्यक है। मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य मत्स्य विकास निगम द्वारा निर्मित 09 बड़े आकार की हैचरियों, मत्स्य विभाग के 48 प्रक्षेत्रों एवं निजी क्षेत्र में स्थापित छोटे आकार की 218 हैचरियों द्वारा किया जा रहा है तथा प्रदेश को मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने हेतु निजी क्षेत्र में मिनी हैचरियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में एक मिनी हैचरी की स्थापना हेतु रू0 12.00 लाख इकाई लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान अर्थात रू0 6,00,000/– अनुदान व बैंक ऋण की सुविधा अनुमन्य है तथा हैचरी निर्माण की तकनीक उपलब्ध करायी जाती है। मछली के उत्पादन में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से उत्तम प्रजाति का मत्स्य बीज मत्स्य पालकों को उनकी माँग पर निर्धारित मूल्य पर वितरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभागीय जलाशयों में मत्स्य बीज का संचय भी किया जाता है।

विगत तीन वर्षो में मत्स्य बीज उत्पादन, अंगुलिकाओं के संचय तथा अंगुलिका वितरण से सम्बन्धित लक्ष्य व उपलब्धियों का विवरण निम्नांकित है :–

तालिका–5.07

वर्ष	अंगुलिका/मत्स्यबीज वितरण संख्या (लाख में)	अंगुलिका/मत्स्य बीज संचय संख्या(लाख में)	मत्स्य बीज उत्पादन संख्या (लाख में)
	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि
2011–12	14136.42	627.57	14763.99
2012–13	15322.02	629.10	15951.12
2013–14	15652.87	724.76	16377.63
2014–15	15964.75	650.66	16615.41

3.मछुआ समुदाय के कल्याणार्थ कार्यक्रम

पिछड़े तथा आर्थिक रूप से कमजोर मछुआ समुदाय के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु मत्स्य जीवी सहकारी समितियों का गठन व पंजीकरण, मछुआ दुर्घटना बीमा एवं आवास विहीन मछुआरों के लिए मछुआ आवास योजना क्रियान्वित की जा रही हैं । प्रदेश में 1032 प्राथमिक समितियां, 21 जनपद स्तरीय संघ एवं एक प्रदेशीय संघ की स्थापना की गयी है।

क– मछुआ दुर्घटना बीमा योजना

दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति के सदस्यों तथा सक्रिय मत्स्य पालको की दुर्घटनावश मृत्यु/स्थाई अपंगता होने की दशा में रू0 2,00,000 व स्थाई आंशिक अपंग होने की दशा में रू0 1,00,000 की धनराशि दिये जाने का प्रावधान है। बीमा धनराशि का प्रीमियम रू0 20. 34 (रू0 10.17 भारत सरकार व रू0 10.17 राज्य सरकार) प्रति सदस्य की दर से राष्ट्रीय मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, नई दिल्ली के माध्यम से बीमा कम्पनी को भुगतान किया जाता है। लाभार्थी को कोई भी धनराशि स्वयं वहन नहीं करनी पड़ती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में 1,93,000 व्यक्तियों को आच्छादित किया गया है तथा वर्ष 2015–16 में कुल 2,00,000 मत्स्य पालकों को आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। योजना के प्रारम्भ से अब तक 106 मृत सदस्यों के आश्रितों को रू0 47.67 लाख एवं 5 अपंग सदस्यों को रू0 0.675 लाख का भुगतान सुनिश्चित कराया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 में आच्छादित 06 परिवारों को रू0 एक–एक लाख आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।

ख– मछुआ आवासों का निर्माण

मछुआ आवास योजना के अन्तर्गत आवास विहीन मछुआरों को लोहिया आवास की दर पर प्रति आवास रूपये 3.05 लाख की सुविधा अनुमन्य करायी जायेगी। भारत सरकार के सहयोग से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है तथा प्रदेश में वर्ष 2014–15 तक कुल 23585 मछुआ आवास निर्मित कराये जा चुके हैं। वर्ष 2015–16 में 750 मछुआ आवासों के निर्माण का लक्ष्य है, जिसमें प्रति आवास की ईकाई लागत रू0 3.05 लाख रखी गई है, जिसमें रू0 37500. 00 प्रति आवास केन्द्रांश होगा।

4.तालाबों के निर्माण / सुधार अनुदान

ग्रामीण अंचल में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों में मत्स्य पालक विकास अभिकरण की स्थापना की गयी है, जिसके माध्यम से ग्राम पंचायतों के स्वामित्व में निहित तालाब, पोखरों को 10 वर्ष की लम्बी अवधि के लिए पट्टे पर आवंटित कराकर इन तालाबों के सुधार (गहरा करने, बन्धों के निर्माण तथा जल आवागमन द्वार के निर्माण) तथा प्रथम वर्ष में

उत्पादन निवेशों यथा मत्स्य बीज, पूरक आहार, उर्वरक इत्यादि के लिए क्रमशः रू0 75000/– तथा रू0 50000/– प्रति हेक्टेयर की दर से बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराकर प्रोत्साहन स्वरूप सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 20 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत अनुदान की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। इसके अतिरिक्त नये तालाबों के निर्माण के लिए रू0 3,00,000/– प्रति हेक्टेयर की दर से बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराकर सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 20 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत अनुदान की भी सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में 4457.74 हेक्टेयर के कुल 4687 तालाबों के सुधार हेतु ऋण प्रस्ताव बैंकों को प्रेषित कर 2624 तालाबों, जलक्षेत्र 2516.85 हे0 के सुधार/इनपुट हेतु रूपये 2907.51 लाख का बैंक ऋण स्वीकृत कराया गया है। वर्ष 2015–16 में कुल 5000 हेक्टेयर जलक्षेत्र के तालाबों के सुधार/नये तालाबों के निर्माण एवं प्रथम वर्ष के उत्पादन निवेशों हेतु बैंक ऋण अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराने तथा 180.89 करोड़ मत्स्य बीज वितरण का लक्ष्य है।

जल प्लावित क्षेत्रों में मत्स्य पालन विविधीकरण की योजना

इस योजना के अन्तर्गत कृषि हेतु अनुपयुक्त जल प्लावित भूमि को तालाब के रूप में विकसित कर मत्स्य पालन के अन्तर्गत आच्छादित किया जाता है। योजना की इकाई लागत रू0 1.25 लाख प्रति हे0 निर्धारित है, जिसमें सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को 80 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों/लाभार्थियों को 90 प्रतिशत अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। माह दिसम्बर, 2015 तक 27.38 हैक्टेयर जल प्लावित भूमि को मत्स्य पालन योग्य बनाया गया है।

महाझींगा पालन :–

मत्स्य पालकों के आय में वृद्धि तथा जन सामान्य को महाझींगा के रूप में उच्च प्रोटीनयुक्त खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के दृष्टिगत मत्स्य पालन विविधीकरण के अन्तर्गत प्रदेश के मीठे जल में महाझींगा पालन को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से योजना संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत 0.5 हे0 जलक्षेत्र की एक इकाई के लिए महाझींगा के आयातित बीज एवं यातायात व्यय तथा पूरक आहार की कुल लागत रू0 50000/– पर मत्स्य पालक को प्रोत्साहन स्वरूप 50 प्रतिशत अनुदान की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

दुग्ध विकास

प्रदेश मे दुग्ध उत्पादन एवं उसके विक्रय को संगठित करने के उद्देश्य से प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन(पी.सी.डी.एफ.) का गठन किया गया है। पी.सी.डी.एफ. द्वारा उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नाकिंत योजनाएं संचालित की जा रही हैं

1.दुग्ध सहकारिताओं को सहायता

आर्थिक रूप से कमजोर दुग्ध संघ जो लगातार हानि पर है को सुदृढ़ करने हेतु भारत सरकार की योजना सहकारिताओं को सहायता (रिहैविलिटेशन प्लान) के अन्तर्गत 50 प्रतिशत केन्द्राँश एवं 50 प्रतिशत राज्याँश के आधार पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। वर्ष 2013–14 में योजनान्तर्गत जनपद बुलन्दशहर एवं वर्ष 2014–15 में मुज़फ्फरनगर को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है।

2.ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध विकास कार्यक्रमों हेतु अवस्थापना सुविधा

समिति स्तर पर दुग्ध के गुणवत्ता परीक्षण की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ग्राम्य स्तर पर डी०

पी० एम० सी० यू० एवं समितियों के माध्यम से उपार्जित दूध की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए 5 से 10 समितियों के क्लस्टर में एक बल्क मिल्क कूलर की स्थापना की जाती है।

3.दुग्ध संघों का सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन एवं विस्तार योजना

योजना के अन्तर्गत ग्रामीण अंचलों में दुग्ध सहकारी समितियों का गठन, बन्द दुग्ध समितियों का पुनर्गठन, दुग्ध व्यवसाय हेतु कार्यशील पूँजी, प्रबन्धकीय अनुदान, यातायात अनुदान, समितियों से दुग्ध परिवहन हेतु मिल्क कैन्स की व्यवस्था एवं दुग्धशाला/अवशीतन केन्द्र की स्थापना हेतु प्लाण्ट मशीनरी व भूमि की व्यवस्था हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

4. दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु दुग्ध उत्पादकों/समितियों को तकनीकी निवेश कार्यक्रम

योजनान्तर्गत दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों के दुधारू पशुओं को तकनीकी निवेश सुविधाएं यथा डिवार्मिंग, टीकाकरण, थनैला नियंत्रण हेतु दवाइयाँ उपलब्ध करायी जाती है

5. पी.सी.डी.एफ. की सुदृढ़ीकरण योजना

योजनान्तर्गत जनपद लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, बरेली एवं गोरखपुर में नये ग्रीन फील्ड आटोमैटिक डेरी प्लाण्ट की स्थापना के साथ जनपद नोएडा, इलाहाबाद, अलीगढ़ एवं झांसी में डेरी प्लाण्टों का उच्चीकरण एवं आधुनिकीकरण, जनपद कन्नौज में काऊ मिल्क प्लाण्ट की स्थापना की कार्यवाही प्रगति पर है।

6. डेयरी प्लाण्ट की स्थापना

दुग्ध विकास हेतु लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इटावा आदि जनपदों में अमूल डेयरी द्वारा दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता के डेयरी प्लाण्ट की स्थापना अपने स्रोतों से की जा रही है। वर्तमान में डेयरी प्लाण्ट की स्थापना हेतु अमूल डेयरी द्वारा भूमि की व्यवस्था की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश के सम्मुख पशुधन,मत्स्य एवं दुग्ध विकास सम्बंधी चुनौतियॉ

1. 240 लाख प्रजनन योग्य पशुधन संख्या है, जिसमें से केवल 70 से 80 लाख प्रजनन योग्य पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कार्य किया जाता है। अतः इस क्रिटीकल गैप को दूर करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान का आच्छादन बढ़ाया जाना आवश्यक है।
2. प्रदेश में 38 प्रतिशत हरा चारा, 47 प्रतिशत पशु आहार तथा 0.66 प्रतिशत शुष्क चारा की कमी है जिसे बढ़ाया जाना चुनौती पूर्ण कार्य है।
3. प्रदेश में कुक्कुट उत्पाद अपर्याप्त मात्रा में होता है। 84 लाख (रू0 612 करोड़ प्रति वर्ष) अण्डे प्रति दिन एवं 972 लाख (210 करोड प्रति वर्ष) कुक्कुट माँस दूसरे प्रदेशों से आयात होता है।
4. प्रदेश में प्रशिक्षण एवं विभागीय कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार हेतु पर्याप्त व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना।
5. अतिहिमीकृत वीर्य का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है। अतः 3 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र की स्थापना किया जाना आवश्यक है।
6. उ0प्र0 पशुजैविक संस्थान का सुदृढ़ीकरण तथा प्रदेश में वैक्सीन की माँग को पूर्ण करने के लिये आधुनिक तकनीक की व्यवस्था करना आवश्यक है।
7. कार्यशील पूँजी के अभाव में सहकारी क्षेत्र की डेरियों द्वारा समय से उत्पादकों को दुग्ध मूल्य भुगतान न करने के कारण दुग्ध उत्पादक निजी क्षत्र की डेरियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

8. दुग्ध की माप–तौल एवं गुणवत्ता परीक्षण हेतु समिति स्तर पर ए०एम०सी०यू०/ डी०पी०एम०सी०यू० की आवश्यकता है।

<u>प्राथमिकतायें</u> –

1. पशु प्रजनन के क्षेत्र में एन0जी0ओ0/ विभाग के माध्यम से अधिक से अधिक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किये जायें।
2. प्राईवेट पशु प्रजनन कार्यकर्ता द्वारा अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्रों को स्थापित किये जायें एवं पशुधन प्रजनन प्रक्षेत्र पर गुणवत्ता युक्त पशुधन प्रजाति का उत्पादन सुनिश्चित किया जाये।
3. कृत्रिम गर्भाधान के आच्छादन को बढ़ाने तथा पशुओं के स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु विकास खण्ड स्तर पर मोबाईल वेटनरी क्लीनिक की स्थापना की जाये।
4. गुणवत्ता युक्त ब्रीड/बीज भण्डार केन्द्रों को विकसित किये जाये।
5. वर्तमान में स्थापित चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण एवं अधिक से अधिक पशुचिकित्सालयों की स्थापना की जाये।
6. मण्डल स्तर पर नये पालीक्लीनिक की स्थापना की जाये।
7. जनपद स्तर पर पशु रोग निदान प्रयोगशाला की व्यवस्था व स्थापना की जाये।
8. प्रत्येक पशुचिकित्सालयों पर विभागीय कार्यक्रमो के प्रचार–प्रसार हेतु प्रशिक्षित पशु पालन कार्यकर्ता की नियुक्ति की जाये।
9. पशु एवं कुक्कुट बाजार असंगठित रूप से व्यवस्थित है, उनमें सुविधाओं की कमी को दूर किया जाये।
10. कुक्कुट उत्पादों का विपणन बिचौलियों के माध्यम से होने के कारण कुक्कुट पालकों को लाभ कम मिलता है। अतः बिचौलियों को दूर करने हेतु विपणन व्यवस्था को दूर किया जाये।
11. ऊन विपणन की व्यवस्था को भी सुधारा जाये।
12. 70 प्रतिशत दूध की बिक्री बिचौलियों के माध्यम से होती है जो दूध की गुणवत्ता को संरक्षित नही रख पाते हैं। अतः बिचौलियों को दूर करने हेतु विपणन व्यवस्था को दूर किया जाये।

• • •

अध्याय–6
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

बागवानी का क्षेत्र कृषि के विविधीकरण का आर्थिक एवं पोषणीय दृष्टि से एक सक्षम विकल्प हो सकता है। प्रदेश की विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में उपयुक्त एवं अनुकूल फसल चक्र अपनाकर छोटी जोत के किसानों द्वारा अधिक आय, रोजगार एवं पोषण सुरक्षा प्राप्त की जा सकती हैं। औद्यानिक फसलों में फल, शाकभाजी, आलू, मसाले, पुष्प, औषधीय एवं सुगन्ध फसलें, मशरूम, पान एवं शहद उत्पादन में वृद्धि की अपार सम्भावनायें विद्यमान है। इस कारण ही प्रदेश सरकार द्वारा भी बागवानी विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। बागवानी फसलों के उत्पादन से लघु एवं सीमान्त कृषकों की आय में वृद्धि एवं तुड़ाई उपरान्त होने वाले क्रियाकलापों यथा–विपणन, प्रसंस्करण, भण्डारण आदि से अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होते हैं।

बागवानी फसलों का क्षेत्रफल उत्पादन एवं उत्पादकता की स्थितिः–

मुख्य बागवानी फसलों यथा फल, शाकभाजी, पुष्प, मसाला एवं आलू का क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता की वर्तमान स्थिति निम्नवत् है :–

तालिका – 6.01

फसल	क्षेत्रफल (लाख है0)	उत्पादन (लाख मी0टन)	उत्पादकता (मी0टन / है0)	राष्ट्रीय उत्पादकता
फल	11.60	160.14	13.80	12.43
शाकभाजी	30.10	572.00	19.00	16.45
मसाला	0.712	2.80	3.94	1.87
पुष्प	0.15	0.41	2.71	6.01
आलू	5.76	129.86	22.54	21.19

बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समेकित विकास की प्रमुख योजनाएं

प्रदेश सरकार द्वारा उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति – 2012 एवं उ0प्र0 आलू विकास नीति– 2014 लागू की गई है ताकि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सके और उपभोक्ता को गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री सुलभ हो सके।

प्रदेश में बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समेकित विकास हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, औषधीय पौध मिशन, सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों हेतु औद्यानिक विकास, गुणवत्ता युक्त पान उत्पादन प्रोत्साहन, लोहिया पर्यावर्णीय उद्यान एवं पार्क की स्थापना, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।

प्रमुख योजनाएं –एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन, उ0प्र0 आलू विकास नीति एवं उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति पर संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः–

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (राज्य औद्यानिक मिशन)

बागवानी विकास के दृष्टि से राष्ट्रीय बागवानी विकास मिशन एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके सफल कार्यान्वयन से व्यवसायिक दृष्टि से औद्यानिक विकास को नयी दिशा प्राप्त हुयी है। इस योजनान्तर्गत पेरीनियल एवं नॉन पेरीनियल फलों के नवीन उद्यान रोपण, शाकभाजी बीज उत्पादन, पुष्प क्षेत्र विस्तार, मसाला क्षेत्र विस्तार, पुराने बागों का जीर्णोद्धार, आई0पी0एम0 प्रोत्साहन, कृषकों को नवीन तकनीकों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण के साथ बुनियादी सुविधाओं का विकास एवं रोजगार सृजन सम्बन्धी कार्यक्रम यथा– मॉडल एवं लघु पौधशालाओं की स्थापना, सीड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना, संरक्षित खेती के अन्तर्गत ग्रीन हाउस एवं शेडनेट हाउस की स्थापना, एच0डी0पी0ई0 वर्मी बेड, बागवानी में मशीनीकरण, समेकित मशरूम इकाई की स्थापना तथा पोस्ट हार्वेस्ट के अन्तर्गत पैक हाउस का निर्माण, प्री–कूलिंग यूनिट, मोबाइल प्री–कूलिंग यूनिट/रिफर वैन, कोल्ड स्टोरेज एवं राइपेनिंग चैम्बर की स्थापना, प्रसंस्करण इकाईयों एवं प्याज भण्डार गृह की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम सम्मिलित है।

केन्द्रपुरोनिधानित इस योजना अन्तर्गत वर्ष 2014–15 तक केन्द्रांश 85 प्रतिशत तथा राज्यांश 15 प्रतिशत रहा किन्तु वर्ष 2015–16 से केन्द्रांश 50 प्रतिशत तथा राज्यांश 50 प्रतिशत है।

यह योजना प्रदेश के 45 जनपदों में संचालित की जा रही है। वर्ष 2014–15 में योजनान्तर्गत कुल उपलब्ध धनराशि रू0 57.62 करोड़ थी, जिसके सापेक्ष रू0 41.15 करोड़ की धनराशि व्यय की गई है।

वर्ष 2014–15 में इस योजनान्तर्गत अर्जित प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नवत् है :–

1. ट्रिश्यूकल्चर केला क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1254 हे0 आच्छादन एवं 880 हे0 नवीन उद्यान रोपण (आम, अमरूद, लीची और आंवला) की गयी।
2. मसाला क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत 3013 हे0 तथा पुष्प क्षेत्र विस्तार के अधीन 1361 हे0 की पूर्ति की गयी।
3. प्रदेश में संरक्षित खेती के अन्तर्गत हाई वैल्यू पुष्प एवं सब्जियों का उत्पादन एक उभरता हुआ क्षेत्र है। 1,91,586 वर्ग मी में संरक्षित खेती का कार्य पूर्ण किया गया ।
4. एकीकृत तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन कार्यक्रम अन्तर्गत राइपनिंग चैम्बर–4, प्राइमरी

मिनिमल प्रोसेसिंग यूनिट–4, कोल्ड चेन–1, फंक्शनल पैक हाउस–26 का निर्माण कराया गया।

5. मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कराकर 4425 कृषकों को औद्यानिकी की नवीन तकनीकों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
6. बागवानी में मशीनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 140 कृषकों के मध्य ट्रैक्टर 20 बी. एच.पी. तक एवं 8 बी.एच.पी. से कम एवं उससे अधिक बी.एच.पी. के पावर टिलर सुलभ कराया गया।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस योजना में भारत सरकार से परिवर्तित फण्डिंग पैटर्न पर कुल धनराशि रू0 80.00 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना अनुमोदित की गई है।

<u>खाद्य प्रसंस्करण</u>

उत्तर प्रदेश को देश में कृषि, औद्यानिकी, दुग्ध, पशु इत्यादि के उत्पादन में अग्रणी स्थान प्राप्त है। प्रदेश में उत्पादित अनेक फल–सब्जियाँ, खाद्यान्न एवं दुग्ध उत्पादों का अधिकांश भाग बिना प्रसंस्करण किये ही प्रयोग किया जाता है। किसानों के हित एवं उपभोक्ताओं को स्वच्छ एवं स्वास्थ्यवर्धक प्रसंस्कृत उत्पाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से निम्नलिखित योजनाएँ संचालित है ।

<u>राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन</u>

केन्द्रपुरोनिधानित यह योजना वर्ष 2014–15 तक लागू रही । इस योजना अन्तर्गत केन्द्रांश 50 प्रतिशत तथा राज्यांश 50 प्रतिशत रहा । वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रदेश को राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन हेतु रू0 2502. 25 लाख की स्वीकृतियाँ हुई जिसके सापेक्ष रू0 2430.67 लाख व्यय हुआ ।

योजनान्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कोल्ड चेन, बेकरी/उपभोक्ता उत्पाद इकाई, दुग्ध प्रसंस्करण इकाई,फल–सब्जी एवं मसाला प्रसंस्करण इकाई, मांस प्रसंस्करण इकाई, तिलहन प्रसंस्करण इकाई एवं राइस मिलों के स्थापना हेतु कुल 51 परियोजना प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई। स्वीकृत प्रस्ताव के सापेक्ष 39 परियोजना प्रस्ताव हेतु प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में संस्थाओं को उनके बैंक खातों के माध्यम से अनुदान दिया गया ।

<u>मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन</u>

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना को वर्ष 2015–16 में डी–लिंक्ड कर दिया गया। भारत सरकार के निर्णय के फलस्वरूप प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण योजना की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए ''मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन'' योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुपूरक बजट के माध्यम से वर्ष 2015–16 में धनराशि रू0 500 लाख का प्राविधान किया गया है।

<u>उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012</u>

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की महत्ता के दृष्टिगत प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति– 2012 लागू की गई है। योजनान्तर्गत प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिये जाने हेतु ब्याज उपादान बैंकेबुल प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु सहायता, बाजार विकास अनुदान योजना, अनुसंधान एवं गुणवत्ता विकास प्राविधान, खाद्य प्रसंस्करण से सम्बन्धित प्रोटोकॉल विकास एवं मानकीकरण प्रोत्साहन प्राविधान एवं पेटेन्ट हेतु प्रस्तावित गतिविधियों के ब्याज पर 07 प्रतिशत अधिकतम 50 लाख अनुदान की सुविधायें उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में इसके अन्तर्गत

उपलब्ध धनराशि रू0 52.07 लाख के सापेक्ष उपयुक्त पाये गए 51 ब्याज उपादान के प्रस्ताव में से 07 स्वीकृत प्रस्ताव के सापेक्ष रू0 40.449 लाख की धनराशि ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति के रुप मे की गई।

<u>उ0प्र0 आलू विकास नीति – 2014</u>

उत्तर प्रदेश देश में कुल आलू उत्पादन का लगभग 34 प्रतिशत उत्पादन होता है। आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, कन्नौज, अलीगढ़, फरूखाबाद बदायूँ, इटावा, मथुरा, मैनपुरी, बाराबंकी, जनपदों में प्रदेश का लगभग 64 प्रतिशत आलू का उत्पादन किया जाता है। प्रदेश में आलू का उपभोग लगभग स्थिर है किन्तु आलू की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण उत्पादन में भी उतार–चढ़ाव बना रहता है। अतः आलू की उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने, आलू उत्पादन हेतु आवश्यक अवस्थापना सुविधा के विस्तार, पूँजी निवेश तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन, बाजार का विस्तार, गुणवत्ता तथा प्रमाणीकरण, सरप्लस आलू के प्रसंस्करण एवं निर्यात को बढ़ावा देने के साथ किसानों तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा आदि के उद्देश्य से आलू विकास नीति 2014 लागू की गयी। इस नीति का मूल उद्देश्य 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक आलू के क्षेत्रफल 6.7 लाख हेक्टेयर, उत्पादन 180 लाख मैट्रिक टन तथा उत्पादकता को बढ़ाकर 26.67 मैट्रिक टन/हैक्टेयर करना है।

उ0प्र0 आलू विकास नीति– 2014 का प्रभावी क्रियान्वयन कराते हुए आलू की उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु किए गए प्रयासों के फलस्वरूप 5.76 लाख है0 क्षेत्र में 129.86 लाख मी0टन रिकार्ड उत्पादन प्राप्त हुआ तथा प्रदेश में स्थापित 1620 निजी शीतगृहों में 109.30 लाख मी0टन आलू का भण्डारण किया गया, जो सर्वाधिक है। प्रमुख आलू उत्पादक क्षेत्र कन्नौज में नीदरलैण्ड के वैज्ञानिकों के सहयोग से अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न कराते हुए आलू उत्पादकों को अद्यतन तकनीकों से भिज्ञ किया गया। वर्ष 2015–16 में इस निमित्त धनराशि रू0 34.00 लाख का प्रावधान किया गया है। गुणवत्तायुक्त आधारित श्रेणी के आलू बीज उत्पादन हेतु कार्यक्रम प्रस्तावित है, ताकि प्रदेश के आलू उत्पादकों को गुणवत्ता युक्त आलू बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। रबी 2015 में कुल 27587 कुन्तल आलू बीज कृषकों को उपलब्ध कराया गया।

<u>चुनौतियाँ एवं रणनीति</u>

फल सब्जियाँ अति संवेदनशील उत्पाद हैं, जिनके तुड़ाई उपरान्त प्रबंधन, उचित एवं त्वरित विपणन हेतु सुविधाओं का विकास एवं मार्केट फेसिलिटी आवश्यक पहलू है। प्रदेश सरकार द्वारा उ0प्र0 राज्य उत्पादन मण्डी परिषद एवं कृषि विपणन विभाग के माध्यम से बागवानों की तकनीकी समस्याओं का समाधान ढूँढ़ने तथा औद्यानिक फसलों के विपणन को संगठित कर बागवानों एवं कृषकों को उनका उचित मूल्य दिलवाने का प्रयास करना अति आवश्यक है। इसके लिए कृषकों तथा बागवानों को क्षेत्र स्तर पर नवीनतम् विकसित तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे औद्यानिक फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हो तथा कृषकों को उनका उचित मूल्य मिल सके। औद्यानिक फसलों के विपणन हेतु प्राथमिक औद्यानिक विपणन सहकारी समितियों को भी क्रियाशील बनाना एक आवश्यक कदम है।

• • •

अध्याय–7
ग्राम्य विकास के कार्यक्रम

जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 77.7 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के सुनियोजित आर्थिक विकास हेतु पंचायती राज तथा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा अवस्थापना–संसाधनों के निर्माण तथा रोजगार के सतत् अवसर सृजित करने को प्रमुखता प्रदान की गई है। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अवसर सृजन तथा अवस्थापना निर्माण हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न योजनायें/कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। योजनाओं की गतिशीलता एवं लक्ष्योन्मुख सफलता हेतु कार्य स्वभाव से सम्बन्धित विभागों का कार्यान्वयन में योगदान प्राप्त किया जा रहा है। योजनाओं का प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष लाभ जनसामान्य को मिल सके, इस हेतु ग्रामीण विकास योजनाओं में पंचायती राज संस्थाओं की भी भागीदारी प्राप्त की जा रही है।

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम

1.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा)

- यह देश में लागू एक रोजगार गारन्टी योजना है जिसे 25 अगस्त 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 के नाम से विधान द्वारा अधिनियमित तथा 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को इसका पुनः नामकरण कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम किया गया।
- इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रमकार्य करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है।
- यह एक माँग आधारित योजना है। परिवारों का पंजीकरण ग्राम पंचायत में किया जाता है। ग्राम पंचायतें/कार्यक्रम अधिकारी रोजगार आवंटित करने के लिए उत्तरदायी हैं।
- भारत सरकार द्वारा अकुशल मजदूरी हेतु शत प्रतिशत तथा सामग्री हेतु 75 प्रतिशत अंश का वित्त पोषण किया जाता है एवं राज्य सरकार का अंश 25 प्रतिशत है।
- प्रदेश में प्रति मानव दिवस औसत मजदूरी रू0 161/– निर्धारित है।
- वित्तीय वर्ष 2012–13 में 49.47 लाख परिवारों को 14.12 करोड़ मानव दिवस तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 में 49.94 लाख परिवारों को 17.53 करोड़ मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया।
- वित्तीय वर्ष 2014–15 में 39.15 लाख परिवारों को 13.12 करोड़ मानव दिवस तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 में 34.36 लाख परिवारों को 10.72 करोड़ मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया।
- योजनान्तर्गत कुल उपलब्ध धनराशि रू0 2747.10 करोड़ के सापेक्ष रु0 2359.38 करोड़ (86 प्रतिशत) धनराशि व्यय की गयी है।

2. उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यू0पी0एस0आर0एल0एम0)

राज्य के समस्त 75 जिलों को चरणबद्ध तरीके से परियोजना के अन्तर्गत लिया जाना है। अगले 10 वर्षों में परियोजना से सभी गावों को

आच्छादित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक 31 जिलों के 78 विकास खण्डों को इन्टेन्सिव विकास खण्डों के रुप में चयनित किया है। इन्टेन्सिव जिलों के अमले में सम्पूर्ण प्रशिक्षित प्रोफेशनल कर्मचारी होंगे एवं सर्वव्यापी और तीव्र सामाजिक, वित्तीय समावेश, आजीविका, साझेदारी इत्यादि की विभिन्न गतिविधियाँ की जाएंगी। इन विकास खण्डों में सी.आर.पी. (समुदाय सन्दर्भ व्यक्ति) रणनीति का पालन किया जाएगा। समुदाय सन्दर्भ व्यक्ति (सी.आर.पी) समुदाय से ही होता है एवं वह स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गरीबी से उबरा हुआ व्यक्ति होता है। यह रणनीति इस आधार पर टिकी है कि समुदाय ही समुदाय से बेहतर सीखता है।

संस्थागत ढांचे के अन्तर्गत राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई, जिला मिशन प्रबन्धन इकाई एवं ब्लाक मिशन प्रबन्धन इकाइयां संचालित हैं। कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु नए जनपदों एवं विकासखण्डों में दोनो स्तरों पर प्रोफेशनल्स एवं आवश्यकतानुसार सरकारी कर्मचारियों को पदस्थापना/ तैनाती की व्यवस्था है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में योजना के प्रारम्भिक वर्ष होने के कारण योजना का क्रियान्वयन आरम्भ करने से पूर्व आवश्यक तैयारियों यथा फील्ड स्तर पर स्टाफ की तैनाती, प्रशिक्षण आदि में लगा जो वर्ष 2013–14 तक जारी रहा। वित्तीय वर्ष 2013–14 में नई योजना एन.आर.एल.एम. के दिशा–निर्देशों के अनुरुप 35209 समूह गठन का कार्य पूर्ण कराया गया। वित्तीय वर्ष 2014–15 में 31980 समूह गठन लक्ष्य के सापेक्ष 37396 (117 प्रतिशत) समूह गठित किये गए, 29870 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड दिया गया तथा 8474 स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 (नवम्बर–15 तक) 29083 समूह गठन लक्ष्य के सापेक्ष 30822 (106 प्रतिशत) समूह गठित किये गए, 23053 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड प्रदान करने के लक्ष्य के सापेक्ष 14892 (65 प्रतिशत) समूहों को रिवाल्विंग फण्ड दिया गया तथा 8000 समूहों के लक्ष्य के सापेक्ष 6597 (82 प्रतिशत) स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

3. इन्दिरा आवास योजना

इन्दिरा आवास योजना का प्रारम्भ वर्ष 1996 में हुआ। इस योजना का उददे्श्य गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले आवासविहीन परिवारों को पक्का मकान बनाने हेतु अनुदान के रूप में धन उपलब्ध कराना है। लाभार्थियों का चयन जिला स्तर पर स्थायी प्रतीक्षा सूची में निर्धारित वरीयता के अनुसार किया जाता है। आवास का निर्माण लाभार्थियों द्वारा स्वयं किया जाता है। आवास हेतु अनुदान दो किश्तों में लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जाता है। आवास के लिए कोई नक्शा निर्धारित नहीं है किन्तु न्यूनतम 20 वर्ग मी0 क्षेत्रफल में निर्माण आवश्यक है।योजनान्तर्गत कम से कम 60 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, 15 प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग तथा 3 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों में से होनें आवश्यक है। वर्तमान वित्तीय वर्ष (2015–16) से यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में वित्त पोषित है। आवास की इकाई लागत मैदानी क्षेत्रों में रू0 70,000/– तथा नक्सल प्रभावित जनपद (चन्दौली, मिर्जापुर एवं सोनभद्र) में रू0 75000/– निर्धारित है।

- वित्तीय वर्ष 2012–13 में 2.83 लाख आवासों का निर्माण कराया गया।
- वित्तीय वर्ष 2013–14 में रु0 1697.84

करोड़ की धनराशि व्यय कर 2.86 लाख आवासों का निर्माण कराया गया।

- वित्तीय वर्ष 2014–15 में 3.83 लाख आवास स्वीकृत किये गये।
- वित्तीय वर्ष 2015–16 में (नवम्बर–15 तक) रु0 986.68 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी। इस वर्ष 3.58 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष 2.39 लाख आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं।

4. लोहिया ग्रामीण आवास योजना

इस योजना का प्रारम्भ फरवरी, 2013 से हुआ एवं शत प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना का उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों मे आवास विहीन परिवारों को आवास जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना का मुख्य उद्देशय ऐसे परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराया जाना है जिनकी सालाना आमदनी रू0 36,000/– तक है। परिवारों को आवास आवंटित किये जाने की वर्तमान में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है :–

- सर्वप्रथम बी0पी0एल0 सर्वे 2002 तथा बी0पी0एल0 सूची 2002 के आधार पर तैयार की गयी स्थायी प्रतीक्षा सूची से छूटे/वंचित रह गयें ऐसे परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा, जिनकी वार्षिक आय 36000 तक है तथा जो आवास विहीन हों अथवा पूर्णतः कच्चे मकान में रहते हो।
- उपरोक्त श्रेणी के सारे परिवारों को लेने के उपरान्त ग्राम में इन्दिरा आवास योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 में लाभार्थियों के चयन हेतु तैयार की गयी सूची में से वरीयता क्रम के आधार पर परिवारों को चयनित किया जायेगा।

संशोधित इकाई लागत के अनुसार लाभार्थी को अनुदान के रूप में रू0 3.05 लाख दिया जायेगा जिसमें सोलर पैक के लिए रू0 30,000/– की धनराशि सम्मिलित है, तथा आवास का आकार 28.30 वर्ग मीटर होगा। प्रत्येक आवास के सोलर पावर पैक में 03 एल0ई0डी0 लाइट,एक डी0सी0 फैन एवं मोबाइल चार्ज हेतु एक प्वांइट उपलब्ध कराया जा रहा है। आवास के शौचालय का निर्माण अनिवार्य रूप से जिला स्तर पर पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन के तहत कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में रु0 782.80 करोड़ की धनराशि से 42576 आवासों का वर्ष 2013–14 में रु0 604.90 करोड़ की धनराशि से 40,980 आवासों का निर्माण कराया गया। वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये रु0 2233.91 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी जिसके अन्तर्गत 99016 आवास स्वीकृत किये गये। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 57750 आवासों के निर्माण का लक्ष्य है जिस पर लगभग रु0 1761.38 करोड़ व्यय किये जांएगे।

5. प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का क्रियान्वयन पूर्णतः केन्द्र पोषित योजना के रूप में वर्ष 2000 से प्रदेश में किया गया था किन्तु वित्तीय वर्ष 2015–16 से भारत सरकार द्वारा फण्डिंग पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है जिसके अनुसार केन्द्रांश 60 प्रतिशत तथा राज्यांश 40 प्रतिशत है।

योजना के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र में 500 अथवा उससे अधिक आबादी (2001 की जनगणना के आधार पर) की बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ना लक्षित है। नक्सल प्रभावित जनपदों में सम्पर्क मार्गों के चयन हेतु आबादी का न्यूनतम मानक 250 है। साथ ही पूर्व में निर्मित ग्रामीण सम्पर्क मार्ग (अन्य जिला मार्ग एवं ग्रामीण मार्ग) के उच्चीकरण के कार्य भी योजनान्तर्गत अनुमन्य किये गये हैं। वर्तमान में

500 या उससे अधिक आबादी वर्ग की समस्त जुड़ सकने योग्य ग्रामीण बसावटों को पक्के मार्गो से एकल सम्पर्कता के आधार पर आच्छादित करने का लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के नक्सल प्रभावित तीन जनपदों (सोनभद्र, चन्दौली एवं मिर्जापुर) में 250 या उससे अधिक आबादी वर्ग की ग्रामीण बसावटों को योजनान्तर्गत आच्छादित किये जाने का लक्ष्य भी पूर्ण कर लिया गया है।

<u>प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का द्वितीय चरण (पीएमजीएसवाई–2)</u>

प्रदेश की उक्त उपलब्धियों के कारण ही इसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वितीय चरण (पीएमजीएसवाई–2) के क्रियान्वयन हेतु देश में चयनित किये गये मात्र 07 राज्यों के साथ सम्मिलित किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा पीएमजीएसवाई–2 के अन्तर्गत पूर्व निर्मित व जर्जर मार्गो के सुधार के कार्य अनुमन्य किये गये हैं। प्रदेश हेतु निर्धारित 7575 किमी0 लक्ष्य के विपरीत 2965 किमी0 के प्रस्ताव अभी तक भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किये जा चुके हैं।

इस योजना के सुचारू रूप से संचालन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन राज्य स्तर पर ग्राम्य विकास विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (यू0पी0आर0आर0डी0ए0) का एक पंजीकृत समिति के रूप में गठन किया गया है।

प्रदेश में योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः दो कार्यदायी संस्थाओं–लोक निर्माण विभाग तथा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के 42 जनपदों में तथा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा शेष 33 जनपदों में योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रत्येक जनपद में कार्य की मात्रा के आधार पर कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाईयों का गठन किया गया है।

<u>योजना की प्रगति</u>

योजनान्तर्गत प्रारम्भ से वर्तमान तक 10 चरणों में कुल 17515 मार्गो हेतु लगभग 86508 कि0मी0 के मार्ग निर्माण हेतु कुल रू0 13354.35 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए जिसके सापेक्ष माह नवम्बर 2015 तक रू0 11907.35 करोड़ व्यय कर 16629 मार्ग पूर्ण कर लिए गये हैं। फेज–6 तक के कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है तथा अद्यतन फेज–7 व फेज–8 तक के मात्र 17 मार्ग निर्माणाधीन हैं जिन्हें शीघ्र पूर्ण किया जाना लक्षित है। फेज–9 के 372 मार्ग पूर्ण कर लिए गये हैं तथा शेष 120 कार्य निर्माणाधीन हैं। फेज–10 के 1,786 मार्ग स्वीकृत किये गये जिसके सापेक्ष 1039 मार्ग पूर्ण कर लिए गये है तथा शेष 747 कार्य निर्माणाधीन है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में 252 मार्ग, लम्बाई 1913.33 किमी तथा लागत रू0 1134.54 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत किए गये। माह नवम्बर 2015 में भारत सरकार से केन्द्रांश के रूप में रू0 229.51 करोड़ प्राप्त हुए है। वर्तमान में इन कार्यों में प्रगति प्रारम्भ हो गयी है तथा धन की उपलब्धता के अनुसार निर्माणाधीन कार्यो को शीघ्र पूर्ण किया जायेगा।

<u>अनुरक्षण व्यवस्था</u>

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की एक महत्वपूर्ण विशिष्टता योजनान्तर्गत निर्मित मार्गों का निर्माणोपरान्त 5 वर्ष तक सुनिश्चित रख–रखाव भी है। मार्गों के निर्माण हेतु गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में ही उक्त व्यवस्था अन्तर्निहित है। मार्ग के पूर्ण होने की तिथि से 6 माह पश्चात् उसके 5 वर्षीय अनुरक्षण की व्यवस्था प्रभावी हो जाती है जिसके लिये राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष विभागीय आय–व्ययक में उचित वित्तीय प्राविधान भी सुनिश्चित किया जाता है।

निर्माणोपरान्त 5 वर्ष तक निर्मित मार्गो के अनुरक्षण का दायित्व उसी ठेकेदार का है जिसके द्वारा मार्ग का निर्माण किया गया है। अनुरक्षण के 5 वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात् मार्गों को आगे नियमित अनुरक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जाता है।

योजनान्तर्गत निर्मित मार्गों के अनुरक्षण हेतु अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा कुल रू0 388.15 करोड़ उपलब्ध कराये गये हैं जिसके सापेक्ष नवम्बर 2015 तक रू0 357.69 करोड़ का क्रमिक व्यय किया गया है।

प्रदेश सरकार द्वारा मार्गों के वस्तुनिष्ठ मानकों के आधार पर नियमित अनुरक्षण हेतु प्रदेश के समस्त ग्रामों में सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु ''उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013'' नवम्बर 2013 में जारी कर दी गयी है। इससे योजनान्तर्गत निर्मित किये गये मार्गों तथा सृजित परिसम्पत्तियों का स्थायी तौर पर नियमित रख–रखाव सुनिश्चित हो सकेगा।

<u>गुणवत्ता नियंत्रण</u>

सड़कों के निर्माण एवं रख रखाव में गुणवत्ता बनाये रखने हेतु त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली प्रभावी है। राष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रक (नेशनल क्वालिटी मॉनीटर), राज्य गुणवत्ता नियंत्रक (स्टेट क्वालिटी मॉनीटर) व सम्बन्धित विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर योजनान्तर्गत निर्मित व निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता की जाँच की जाती है। इसके अतिरिक्त अनुरक्षणाधीन मार्गो का भी स्टेट क्वालिटी मानीटर्स के माध्यम से नियमित निरीक्षण कराया जाता है ताकि अनुरक्षण कार्यो में भी अपेक्षित गुणवत्ता सुनिश्चित करायी जा सके।

<u>6–प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना</u>

यह योजना शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित है। इसका उद्देश्य 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति अथवा अधिक आबादी वाले चयनित ग्रामों को मॉडल ग्राम के रूप में विकसित किया जाना है जिससे आधारभूत भौतिक व सामाजिक अवस्थापना सुविधाएं समाज के प्रत्येक वर्ग हेतु उपलब्ध हो सके।

- भारत सरकार द्वारा प्रदेश के चयनित 210 ग्रामों में रू0 43.00 करोड़ अवमुक्त किये गये हैं।
- भारत सरकार द्वारा वर्तमान में 04 जनपदों के 210 ग्राम योजनान्तर्गत चयनित किये गये हैं, जिसमें जनपद पीलीभीत में 05 ग्राम, सुल्तानपुर में 05 ग्राम, लखनऊ में 60 ग्राम तथा सीतापुर में 140 ग्रामों का चयन किया गया है।
- भारत सरकार व प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों यथा– ग्राम्य विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला एवं बाल कल्याण एवं पंचायतीराज विभाग आदि द्वारा चलायी जा रही विभिन्न चिन्हित योजनाओं से कन्वर्जेंस व गैप फिलिंग कम्पोनेंट द्वारा चयनित ग्रामों का तीन वर्षों की तय सीमा में निर्धारित मानकों पर विकास किया जाना।
- प्रत्येक राज्य से योजना में अच्छा प्रदर्शन करने वाले तीन सर्वोत्तम ग्रामों को राज्य स्तर पर तथा इस प्रकार चयनित ग्रामों में से राष्ट्रीय स्तर पर 03 सर्वोत्तम ग्रामों को पुरस्कृत किये जाने का प्रावधान है, जिसके अन्तर्गत राज्य स्तर पर चयनित ग्राम को रू0 05 लाख तथा राष्ट्रीय स्तर पर चयनित ग्राम को रू0 10 लाख का पुरस्कार दिया जाना है।
- संबंधित जनपदों द्वारा चयनित ग्रामों का बेसलाइन सर्वे व विलेज डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है।

<u>7–राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम</u>

भारत सरकार द्वारा शत–प्रतिशत वित्त

पोषित इस कार्यक्रम का उद्देश्य बायोगैस को घरेलू उपयोग के लिये प्रयोग करने में प्रोत्साहित करना है। इसका उपयोग खाना पकाने, रोशनी तथा जनरेटर चलाने में किया जाता है। बायोगैस के प्रयोग से लकड़ी के ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिससे वृक्षों का बचाव होता है। धुआं न उत्पन्न होने के कारण महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा होती है। कार्बनिक खाद उत्पन्न होने से कृषि उत्पादकता वृद्धि में मदद मिलती है। वर्ष 2015–16 में बायोगैस संयंत्रों की क्षमतावार लागत, वांछित पशु ,लाभान्वित सदस्य एवं अनुदान का विवरण निम्नानुसार हैः–

संयंत्र क्षमता	वांछित पशु संख्या	संयंत्र लागत (रू0)	लाभान्वित सदस्य संख्या	अनुदान सामान्य (रू0)	अनुदान अ0जा0 / ज0जा0 (रू0)
1	2	22,000 / –	3–4	5500 / –	7000 / –
2	4	30,000 / –	7–8	9000 / –	11000 / –
3	6	36,000 / –	11–12	9000 / –	11000 / –
4	8	50,000 / –	14–15	9000 / –	11000 / –
6	12	60,000 / –	22–24	9000 / –	11000 / –

उक्त अनुदान के अतिरिक्त शौचालय को बायोगैस संयंत्र से जोड़ने पर रू0 1200 / – अतिरिक्त अनुदान तथा कार्यकर्ता को बायोगैस संयंत्रों की देख रेख हेतु रू0 1500 / – प्रति संयंत्र देय है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में 2000 बायोगैस लक्ष्य के सापेक्ष 2047 संयंत्र ,वर्ष 2013–14 में 2400 बायोगैस लक्ष्य के सापेक्ष 1348 संयंत्र ,वर्ष 2014–15 में 1300 बायोगैस लक्ष्य के सापेक्ष 778 संयंत्र की स्थापना की गयी। वित्तीय वर्ष 2015–16 में भारत सरकार द्वारा कुल 550 बायोगैस संयंत्रों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

8–विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि)

विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना का आरम्भ वर्ष 1999–2000 में किया गया । वर्ष 2003–04 से इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए प्रति विधायक 24 लाख रूपए की धनराशि निर्धारित की गई है। यह योजना माननीय विधायकों को स्थानीय विकास के साथ प्रभावी ढंग से जोड़ने की दृष्टि से आरम्भ की गई । यह योजना राज्य सरकार द्वारा विभिन्न माध्यमों से विकास कार्यों के विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य की पूर्ति से भी प्रेरित है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल उपलब्ध धनराशि रु0 1065.75 करोड़ के सापेक्ष 443.47 करोड़ (42 प्रतिशत), वर्ष 2013–14 में कुल उपलब्ध धनराशि रु0 1369. 42 करोड़ के सापेक्ष 775.19 करोड़ (57 प्रतिशत) वर्ष 2014–15 में कुल उपलब्ध धनराशि रु0 1347.34 करोड़ के सापेक्ष 637.25 करोड़ ,वर्ष 2015–16 में नवम्बर 2015 तक कुल उपलब्ध धनराशि रु0 1238.93 करोड़ के सापेक्ष 364.59 करोड़ (29 प्रतिशत) व्यय की गयी।

9–समाजवादी शुद्ध पेयजल सेवा योजना (वाटर ए0टी0एम0)

समाजवादी शुद्ध पेयजल सेवा योजना वर्ष 2015–16 मे प्रारम्भ हुई। राज्य सरकार से

शत प्रतिशत वित्त पोषित इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों/ जिला अस्पतालों/ जिला महिला अस्पतालों/ विकास खण्डों एवं तहसीलों में आम जन को शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वाटर ए0टी0एम0 की स्थापना की जानी है।

पंचायती राज

पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण का एक प्रमुख स्वरुप तथा ग्रामीण जनता की लोकतंत्र में भागीदारी का सशक्त माध्यम है । 73 वॉ संविधान संशोधन अधिनियम जो 1993 में देश में लागू हुआ के अनुक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक 1994 प्रदेश में प्रवृत्त किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्य में तीन स्तरीय (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत) पंचायती–राज व्यवस्था सुनिश्चित की गयी । इस अधिनियम के अर्न्तगत यथासम्भव 1000 की आबादी पर ग्राम पंचायतो के गठन की व्यवस्था है। वर्तमान में प्रदेश में 59163 ग्राम पंचायतें, 821 विकास खण्ड तथा 75 जिला पंचायते हैं। ग्राम विकास की लगभग समस्त कार्यक्रम पंचायतों की भागीदारिता से संचालित किए जा रहे हैं। ग्राम्य विकास की दिशा में पंचायती राज विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है।

1. स्वच्छ भारत मिशन

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना था देश में सभी ग्राम पंचायतों द्वारा स्वच्छ स्थिति प्राप्त करने के साथ 2019 तक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छता कवरेज में तेजी लाना है। जागरूकता सृजन अर्थात स्वास्थ, शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देने वाले समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना है। साथ ही इसका उद्देश्य परिस्थितिकीय रूप से सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता के लिए किफायती तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण स्वच्छता के लिए ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबन्धन पर विशेष ध्यान देते हुए समुदाय प्रबन्धित पर्यावरणीय स्वच्छता पद्धति विकसित करना है। वर्ष 2015–16 में 20.96 लाख व्यक्तिगत शौचालय निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें 31 जनवरी 2015 तक 5.04 लाख शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है। इस हेतु वर्ष 2015–16 में 251480 लाख रुपये की आवश्यकता है जिसके सापेक्ष 24440 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध है जिसमें से 70726 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 54687 लाख रू० व्यय किया जा चुका है।

2–डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना–

इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के उन राजस्व ग्रामों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है, जो विकास की आधारभूत सुविधाओं यथा सम्पर्क मार्ग, ग्रामीण विद्युतीकरण, पेयजल, स्वच्छ शौचालय आदि से वंचित है। इस योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों को लाभार्थीपरक योजनाओं से संतृप्त कराये जाने का भी लक्ष्य है। उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संचालित की जाने वाली यह योजना "डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना" के नाम से जानी जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत चयनित राजस्व ग्राम को विकास की इकाई माना जायेगा, जिसके अन्तर्गत उस राजस्व ग्राम की समस्त बसावटें सम्मिलित होंगी। मुख्य ग्राम को भी एक बसावट माना जाएगा।

इस योजना अन्तर्गत पंचायती राज विभाग द्वारा चयनित ग्रामों में आन्तरिक गलियों में सीसी रोड के साथ नाली या के०सी०ड्रेन का निर्माण किये जाने का कार्य किया जा रहा है।

योजनान्तर्गत पंचायती राज विभाग द्वारा

वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल चयनित 2103 ग्रामों में से 1 असाध्य ग्राम को छोड़कर शेष 2102 ग्राम संतृप्त किये जा चुके हैं। वर्ष 2014–15 में कुल चयनित ग्रामों 2098 में से 2096 ग्राम संतृप्त किये जा चुके हैं। वर्ष 2015–16 में 2098 ग्रामों को संतृप्त किये जाने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से दिसम्बर 2015 तक 1384 ग्राम संतृप्त किये जा चुके हैं।

• • •

अध्याय–8
औद्योगिक प्रगति

कृषि क्षेत्र के बाद प्रदेश में औद्योगिक विकास को गतिशील कर प्रदेश के आर्थिक संसाधनो में वृद्धि की पर्याप्त सम्भावनाएं है। राज्य के औद्योगिक विकास के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त अवस्थापना सुविधाएं भी अत्यन्त आवश्यक हैं। गुणवत्ता युक्त आधारभूत संरचना की उपलब्धता कम पूंजी निवेश के साथ बिना किसी बाधा के उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करता है। यह नये रोजगार अवसर सृजन एवं सामाजिक विकास के साथ–साथ घरेलू एवं विदेशी निवेश को भी आकर्षित करता है। आधारभूत संरचना की प्रास्थिति एवं उसके विकास हेतु किये गये प्रयासों का उल्लेख आर्थिक समीक्षा के अध्याय–10 में विस्तृत रूप से किया गया है।

औद्योगिक निष्पादन

औद्योगिक निष्पादन का क्षेत्रवार विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर क्रमशः 4.3 प्रतिशत, 2.2 प्रतिशत तथा 6.2 प्रतिशत रही है। वर्ष 2014–15 में संगठित एवं असंगठित विनिर्माण क्षेत्र में 6.2 प्रतिशत की समान वृद्धि दर्ज की गयी। वर्ष 2014–15 में कुल विनिर्माण में संगठित एवं असंगठित क्षेत्र का योगदान क्रमशः 69.2 प्रतिशत एवं 30.8 प्रतिशत आंकलित किया गया है। प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 में क्रमशः 12.3 प्रतिशत, 11.7 प्रतिशत तथा 11.6 प्रतिशत रहा है जबकि खनन क्षेत्र एवं निर्माण क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2014–15 में योगदान क्रमशः 1.0 प्रतिशत तथा 10.8 प्रतिशत दृष्टिगोचर हुआ है। इस प्रकार वर्ष 2014–15 में प्रदेश की वार्षिक संवृद्धि दर 6.2 प्रतिशत में सर्वाधिक योगदान विनिर्माण क्षेत्र का रहा है। खनन क्षेत्र की वृद्धि दर वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 में क्रमशः 6.6, 31.7 तथा 12.1 प्रतिशत रही है, वहीं निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर वर्ष 2012–13 में ऋणात्मक (–4.0 प्रतिशत) थी, वर्ष 2014–15 में 3.1 प्रतिशत धनात्मक रही।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी मदों में हुई प्रगति का आंकलन करने के लिए तालिका 8.01 दी जा रही है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश का व्यापक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2004–05 = 100) वर्ष 2013–14 में 131.25 था जो 0.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2014–15 में 132.09 हो गया। सबसे अधिक वृद्धि (14.1 प्रतिशत) अन्य उद्योग वर्ग में हुई। गत वर्ष 2013–14 की अपेक्षा वर्ष 2014–15 में खाद्य विनिर्माण तथा मूल एवं मिश्रित धातु उद्योग वर्ग के उत्पादन सूचकांकों में कमी परिलक्षित हुई।

तालिका–8.01

उत्तर प्रदेश का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2004–05 = 100)

क्रमांक	उद्योग वर्ग	वर्ष		
		2013–14	2014–15	गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5
1	खाद्य विनिर्माण	195.81	185.92	(–)5.1
2	पेय तम्बाकू एवं तम्बाकू के उत्पाद	109.08	117.70	7.9
3	सूती कपड़ा	110.96	122.61	10.5
4	रसायन (पेट्रोलियम तथा कोयला के अतिरिक्त)	104.36	106.63	2.2
5	मूल एवं मिश्रित धातु उद्योग	134.38	105.58	(–)21.4
6	यातायात उपकरण एवं पुर्जे	235.77	260.81	10.6
7	अन्य	91.24	104.12	14.1
	विनिर्माण सूचकांक	**131.25**	**132.09**	**0.6**

उत्तर प्रदेश के पारम्परिक उद्योगों में उत्पादन की प्रवृत्ति

सीमेन्ट, चीनी, वनस्पति एवं वस्त्र उद्योगों आदि की गिनती प्रदेश के अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योगों में की जाती है। ये उद्योग लोगों को रोजगार तो सुलभ कराते ही हैं साथ ही इनके उत्पाद से दैनिक जीवन की बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति होती हैं। इन उद्योगों का सुदृढ़ होना उस प्रदेश के आर्थिक स्तर को ऊंचा करता है। इन मदों से सम्बंधित आंकड़े तालिका–8.02 में दिये जा रहे हैं

तालिका–8.02

उत्तर प्रदेश के पारम्परिक उद्योगों में उत्पादन की प्रवृत्ति

वर्ष	चीनी	सीमेन्ट	वनस्पति तेल	सूती कपड़ा	सूत
	(हजार मी.टन)#	(हजार मी.टन)	(हजार मी.टन)	(लाख वर्ग मी.)+	(हजार मी. टन)
1	2	3	4	5	6
2001–02	5260	1827	434	319	85
2002–03	5651	2427	अप्राप्त	324	84
2003–04	4551	3458	360	315	80
2004–05	5037	4228	301	263	83
2005–06	5784	4881	283	268	51
2006–07	8475	5141	258	252	51
2007–08	7320	5298	261	122	46
2008–09	4064	6033	302	43	38
2009–10	5179	5875	200	6	41
2010–11	5887	7052	145	–	–
2011–12	6974	7021	113	–	–
2012–13	7485	–	–	51	40
2013–14	6495	–	–	49	40

नोटः– वर्ष 2001–02 से उत्तराखण्ड छोड़कर आंकड़ें दर्शाये गये हैं।
+केवल मिल क्षेत्र।
गत वर्ष के अक्टूबर से वर्तमान वर्ष के सितम्बर तक।

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि चीनी के उत्पादन में वृद्धि और कमी की मिश्रित प्रवृत्ति रही। इसी प्रकार सीमेंट का उत्पादन वर्ष 2001–02 से 2008–09 तक निरन्तर वृद्धि को प्रदर्शित करता है। सीमेन्ट का उत्पादन वर्ष 2009–10(5875 हजार मी० टन) में 2008–09(6033 हजार मी० टन) की तुलना में तथा वर्ष 2011–12 (7021हजार मी० टन) मे वर्ष 2010–11 (7052 हजार मी० टन) की तुलना में कमी आयी है। वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 को छोड़कर वनस्पति तेल का उत्पादन विगत वर्षों की तुलना में कमी को प्रदर्शित करता है। प्रदेश में सूती कपड़े एवं सूत के उत्पादन में वृद्धि और कमी की मिश्रित प्रवृत्ति रही है।

औद्योगिक विकास

उत्तर प्रदेश एवं कुछ अन्य राज्यों में औद्योगिक विकास की प्रगति का बोध कराने के लिए वर्ष 2012–13 में प्रति लाख जनसंख्या पर कार्यरत कारखानों की संख्या एवं उनमें कार्यरत दैनिक श्रमिकों की संख्या तथा प्रति कर्मचारी शुद्ध आवर्धित मूल्य के आंकड़े तालिका–8.03 में दिये जा रहे हैं–

तालिका–8.03

औद्योगिक विकास सम्बन्धी उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य प्रमुख राज्यों के संकेतक (वर्ष 2012–13)

राज्य	कार्यरत पंजीकृत कारखानों की संख्या	कार्यरत व्यक्तियों की संख्या (हजार)	शुद्ध आवर्धित मूल्य (करोड़ रु0)	प्रतिलाख जनसंख्या पर कार्यरत पंजीकृत कारखानों की संख्या	प्रतिलाख जनसंख्या पर कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	प्रति कर्मचारी शुद्ध आवर्धित मूल्य (हजार रु0)
1	2	3	4	5	6	7
1–आन्ध्र प्रदेश	12503	504	23822	25	1006	473
2–आसाम	2902	168	6292	9	539	375
3–बिहार	2944	1164	1304	3	1166	11
4–झारखण्ड	2127	188	20913	7	585	1112
5–गुजरात	18175	1364	118876	30	2264	872
6–हरियाणा	4889	567	38832	19	2172	685
7–हिमांचल प्रदेष	2395	185	22247	34	2654	1203
8–कर्नाटक	9730	862	53479	16	1428	620
9–केरल	6333	380	11715	19	1129	308
10–मध्य प्रदेश	3412	302	21461	5	408	711
11–छत्तीसगढ	2143	173	15217	8	665	880
12–महाराष्ट्र	23068	1785	178729	20	1551	1001
13–ओडिषा	2434	264	18057	6	617	684
14–पंजाब	10064	584	19845	34	1960	340
15–राजस्थान	7935	443	30140	11	637	680
16–तमिलनाडु	26739	1965	91364	39	2885	465
17–उत्तर प्रदेश	11641	826	41113	6	400	498
18–उत्तराखण्ड	2468	335	36299	24	3295	1084
19–प.बंगाल	7387	656	22281	8	722	340
20–गोवा	538	56	10600	29	3032	1893
भारत	179102	12950	851949	15	1060	658

स्रोत– उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, 2012–13 खण्ड–1, भारत सरकार।
नोट– उक्त तालिका में वर्ष 2012–13 की प्रक्षिप्त जनसंख्या का प्रयोग किया गया है।

प्रदेश में औद्योगिक विकास में तीव्र गति लाने के लिये अनेक औद्योगिक संस्थायें कार्यरत् हैं जिनमें से पिकअप, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम, उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम इत्यादि उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया, इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इण्डिया तथा इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एवं इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया जैसी अखिल भारतीय संस्थायें भी उद्योगों के विकास में सहयोग प्रदान कर रही हैं।

प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में औद्योगिक विकास हेतु पूर्वाचंल में गोरखपुर इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथॉरिटी (जीडा) एवं सतहिरिया इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथॉरिटी (सीडा) नामक संस्थायें स्थापित की गयी हैं। प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) की स्थापना की गयी है। नोएडा एवं जीडा के माध्यम से भूखण्डों को विकसित कर उद्यमियों को एक ही स्थान पर सभी सुविधायें उपलब्ध करा कर उद्योग स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रदेश में उद्योगों को ग्रामोन्मुख करने के उद्देश्य से विकास खण्ड को औद्योगीकरण के केन्द्र बिन्दु के रूप में विकसित करने हेतु विकास खण्ड स्तर पर समुचित अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है। इन प्रयासों से प्रदेश में औद्योगिक विकास की सम्भावनायें प्रबल हुई हैं।

उ0प्र0 की नवीन अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012

दृष्टिकोण

उत्तर प्रदेश को पूंजी निवेश हेतु शीर्ष प्राथमिकता वाले गन्तव्य के रूप में स्थापित करते हुए निवेशकों को आकर्षित करना, आर्थिक विकास दर को गति प्रदान करना तथा रोज़गार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करते हुए जन–सामान्य के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाना।

उद्देश्य

नई अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति में निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति किया जाना प्रस्तावित है –

1– 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत् प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद की 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के लक्ष्य के सापेक्ष 11.2 प्रतिशत वार्षिक औद्योगिक विकास दर प्राप्त करना।

2– प्रदेश के औद्योगिक विकास को द्रुतगति प्रदान करना।

3– प्रदेश में पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए सौहाद्रपूर्ण औद्योगिक वातावरण एवं उच्चकोटि की अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना।

4– प्रदेश में पूर्व से विकसित औद्योगिक क्षमता को और अधिक सशक्त करना।

5– समस्त आर्थिक क्षेत्रों में रोज़गार के नये अवसरों का सृजन करना।

6– राज्य के क्षेत्रवार औद्योगिक असंतुलन को दूर करते हुए सभी भौगोलिक क्षेत्रों तक पूंजी निवेश का लाभ पहुँचाना।

7– प्रदेश में उपलब्ध मानव–शक्ति की क्षमता एवं कौशल में गुणात्मक वृद्धि करना।

रणनीति

1– अवस्थापना सुविधाओं का विकास

2– औद्योगिक वातावरण में सुधार

3– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) को प्रोत्साहन।

4– पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु वित्तीय अनुदान एवं छूट।

5– मानव–शक्ति को रोज़गार उपलब्ध कराने हेतु दक्षता एवं क्षमता विकास।

6– प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के प्रोत्साहन हेतु विशेष नीतियों का निर्धारण।

उ0प्र0 द्वारा औद्योगिक विकास से संबधित संचालित योजनायें

प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं रोजगार के सृजन से संबधित अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही है, जिनका प्रदेश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान सिद्ध हो रहा है।

1–औद्योगिक आस्थान योजना–

औद्योगिक आस्थान योजना का मुख्य उद्देश्य उद्योगों के विकास हेतु प्राथमिक अवस्थापना आवश्यकता के रूप में भूमि की उपलब्धता हानि–लाभ रहित कीमत पर तथा दीर्घ कालिक आसान किश्तों पर सुनिश्चित कराने के लिए है। औद्योगिक आस्थान योजना के अन्तर्गत उद्यमियों को भूखण्ड एवं शेडों के साथ–साथ उनमें आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं को सुसज्जित कर उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश की औद्योगीकरण की आवश्यकता एवं महत्ता के परिप्रेक्ष्य में इस योजना के अन्तर्गत औद्योगिक आस्थानों का विकास ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किया गया है।

वृहद औद्योगिक आस्थान 1960 के दशक में 56 जिलों में 78 स्थानों पर स्थापित हुए हैं जिनमें 987 शेड और 3648 भूखण्ड विकसित हैं, तथा 981 शेड एवं 3593 भूखण्ड आवंटित हैं जिनमें 2675 इकाईयाँ स्थापित हैं। शेडों की कीमत को हायर परचेज अनुबन्ध के साथ तथा भूखण्डों को 99 वर्षीय लीज डीड के आधार पर उद्यमियों को दिया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए मिनी औद्योगिक आस्थानों की स्थापना विकास खण्ड तथा तहसील स्तर पर वर्ष 1985 से 1992 के मध्य की गयी। मिनी औद्योगिक आस्थानों का औसत क्षेत्रफल 2.5 एकड़ है तथा 50–200 वर्ग मी0 तक छोटे–छोटे 7561 भूखण्ड विकसित हैं। वर्तमान में 161 मिनी औद्योगिक आस्थानों में कुल 5821 भूखण्ड आवंटित हैं।

उद्योग विभाग द्वारा नये औद्योगिक आस्थान विकसित न कर उपलब्ध औद्योगिक आस्थानों में प्रारम्भ में विकसित की गयी अवस्थापना सुविधाओं (सड़क, सम्पर्क मार्ग, जल निकास, पुलिया, विद्युत फीडर एवं विद्युत लाइन) की उपयुक्त विकास एवं रख–रखाव हेतु वर्ष 2007–08 में औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण योजना लागू की गयी है।

2–उ0प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन (टेक्नालॉजी अपग्रेडेशन) योजना

आर्थिक वैश्वीकरण और विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा के नये वातावरण और उदारीकरण के सम्पूर्ण प्रभाव के परिपेक्ष्य में लघु उद्योगों के त्वरित विकास एवं प्रतिस्पर्धा को विकसित करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को तकनीकी उन्नयन हेतु निम्नलिखित सुविधायें दी जा रही हैं :–

1– तकनीक की खरीद और आयात में व्यय की गई धनराशि का 50 प्रतिशत अनुदान देय जिसकी अधिकतम सीमा रू० 2.50 लाख होगी।

2– उत्पादन में वृद्धि एवं गुणवत्ता में सुधार हेतु वांछित अतिरिक्त मशीनों आदि की व्यवस्था हेतु व्यय की गई धनराशि का 50 प्रतिशत पूंजी उपादान देय है जिसकी अधिकतम सीमा रू0 2.00 लाख होगी।

3– उपरोक्त (प्रस्तर–2 में) उद्देश्य से क्रय की

गयी मशीनों और उपकरणों पर वित्तीय निगम या बैंकों से ऋण लिए जाने की दशा में वित्तीय संस्थाओं को देय ब्याज की आंशिक प्रतिपूर्ति करते हुए उपादान देय होगा। ब्याज उपादान 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से दिया जा सकेगा जिसकी अधिकतम सीमा रू० 50,000/– होगी तथा यह सुविधा पांच वर्ष तक दी जायेगी।

4– आई0एस0ओ0/आई0एस0आई0 श्रेणी के मानकीकरण प्राप्त किये जाने की दशा में आने वाले व्यय का 50 प्रतिशत उपादान के रूप में देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा रू० 2 लाख होगी।

5– उत्पादकता कौशल/बाज़ार तथा तकनीक के अध्ययन और मान्यता प्राप्त संस्थाओं से परामर्श प्राप्त किये जाने पर इस व्यय की 90 प्रतिशत धनराशि जिसकी अधिकतम सीमा रू० 50,000/– तक अनुदान देय होगा।

6– पात्रता को पूरी करने की स्थिति में तीसरे वर्ष के उत्पादन अथवा उसके पश्चात् आवेदन करने की स्थिति में सम्बन्धित वर्ष के पूर्ण विपणन का एक प्रतिशत अथवा अधिकतम रू० 50,000.00 का अनुदान देय।

7– यदि कोई उद्यम अपने उत्पाद एवं उत्पाद श्रृंखला हेतु बौद्धिक सम्पदा सुरक्षा का आवश्यक प्रमाणीकरण अथवा ट्रेडमार्क हेतु प्रमाणीकरण प्राप्त करता है तो प्रमाणीकरण हेतु भुगतान किये गये वास्तविक शुल्क का 75 प्रतिशत अधिकतम रू0 2.00 लाख और यदि कन्सलटेन्सी ली गयी हो तो मूल योजना के प्राविधाननुसार कन्सलटेन्सी शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी। वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 में क्रमशः 53,103 एवं 106 इकाईयां लाभान्वित की गयी ।

3–उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुरस्कार (डा0 राम मनोहर लोहिया प्रादेशिक पुरस्कार)–

प्रदेश के सफल एवं उत्कृष्ट लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना अगस्त, 2009 में प्रारम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों में कुल 37 पुरस्कार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के उद्यमियों को प्रदान किये जाते हैं। उत्पादन क्षेत्र की 14 श्रेणियों तथा सेवा की 12 श्रेणियों के अतिरिक्त 11 विशिष्ट चिन्हित श्रेणियों के लिए पुरस्कार प्रदान किये जाते है, जिनमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ उद्यमी को उ0प्र0 उद्यमी पुरस्कार के रूप में रू0 1.00 लाख तथा अन्य श्रेणियों में रू0 25,000, रू 20,000 तथा रू0 15,000 प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 में क्रमशः 36, 33, एवं 30 इकाईयां लाभान्वित की गयी।

4–हस्तकला विकास योजना

उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योग की अपार सफलताएं एवं सम्भावनायें हैं और उत्तर प्रदेश अपनी परम्परागत शैली के कारण अपने हस्तशिल्प उद्योगों में विशिष्ट स्थान रखता है। मुख्यतः बनारसी शिल्प में ब्रोकेड, भदोही व मिर्जापुर में कालीन, लखनऊ में चिकन तथा आगरा का कलात्मक संगमरमर का समान, मुरादाबाद तथा वाराणसी में पीतल के पात्र, फिरोजाबाद में कलात्मक कॉच की वस्तुयें एवं कॉच की चूड़ियॉ तथा सहारनपुर में नक्काशीदार लकड़ी का सामान आदि की मांग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक है। देश के कुल निर्यात में हस्तशिल्प की सहभागिता लगभग 60 प्रतिशत है। देश के कुल हस्तशिल्पियों की 29 प्रतिशत आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है एवं देश के कुल हस्तशिल्प निर्यात का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश में निर्मित हस्तशिल्प का

होता है।

प्रदेश के परम्परागत हस्तशिल्प उद्योगों को संरक्षण प्रदान करते हुये राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय मांग के अनुरूप विकास के नये आयामों तक पहुॅचाना तथा हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर में निरन्तर गुणात्मक सुधार लाये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम बार हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन हेतु ''उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोस्ताहन नीति–2014'' बनाई गई है।

वर्तमान में प्रदेश में लगभग 30 लाख हस्तशिल्पी प्रमुख हस्तशिल्प बाहुल्य क्षेत्रों यथा वाराणसी, गोरखपुर, भदोही, मिर्जापुर, लखनऊ, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, मेरठ, खुर्जा (बुलन्दशहर), गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मुरादाबाद, रामपुर में अनुमानित हैं। राज्य सरकार हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए अनवरत रूप से प्रयत्नशील रही है तथा इसके समुचित विकास हेतु योजनाबद्ध रूप से निम्न योजनायें चलायी जा रही है।

4.1–विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार योजना

वर्तमान में इस योजना का नाम डा0 राम मनोहर लोहिया विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उत्कृष्ट हस्तशिल्पियों को उच्च–कोटि की कलात्मक वस्तुओं के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना है। इसी उद्देश्य से उनके द्वारा निर्मित कलाकृतियों को गुण–दोष के आधार पर चयन कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

क्र0सं0	योजना का नाम	पुरस्कार की सं0	पुरस्कार की धनराशि	पात्रता
1	2	3	4	5
1	राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार	20	रू0 25000/– प्रति हस्तशिल्पी	उ0प्र0 के हस्तशिल्पी जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
2	दक्षता हस्तशिल्प पुरस्कार	20	रू0 15000/– प्रति हस्तशिल्पी	

4.2–अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह का मनाया जाना

यह योजना वर्ष 1961–62 से प्रारम्भ की गई। प्रदेश के विभिन्न हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित वस्तुओं को लोकप्रियता में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष विकास आयुक्त (हस्त0), भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार देश एवं प्रदेश में एक साथ दिनांक 8 दिसम्बर से 16 दिसम्बर तक अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह मनाया जाता है। इस अवसर पर हस्तशिल्प वस्तुओं की बिक्री पर विशेष छूट प्रदान की जाती है तथा प्रदर्शनी/गोष्ठियों का भी आयोजन किया जाता है तथा जनपद के ख्याति प्राप्त अनुभवी शिल्पकारों की कार्य शालाओं का आयोजन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 में क्रमशः 38, 38, एवं 38 प्रदर्शनी/गोष्ठियों का आयोजन किया गया।

4.3 अल्प संख्यक समुदाय के दस्तकारों की सहायता करने तथा हस्तकला उन्नयन से सम्बन्धित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की परियोजना अन्तर्गत सहायता योजनाः–

समाज के अल्पसंख्यक समुदाय के दस्तकारों के उत्थान हेतु प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1984 से

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अधीनस्थ सामान्य सुविधा केन्द्र (सी0एफ0सी0) तथा प्रशिक्षण–कम–उत्पादन–कम–प्रसार केन्द्र (टी0पी0ई0सी0) को स्थापना हेतु उ0प्र0 सरकार द्वारा रू0 38.88 लाख के अनुदान की स्वीकृति प्रदान कर योजना प्रारम्भ की गयी थी। यह योजना शिल्पियों के कार्यो को आधुनिक मशीनों/औजारों/उपकरणों के माध्यम से जनपद अलीगढ़ में गृह उद्योग के रूप में चल रहे ताला उद्योग के कारीगरों को ताला उद्योग के आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी कार्य दशा में सुधार लाने तथा उनसे सम्बन्धित अन्य उद्योगों आदि को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हुई है। योजना के अन्तर्गत अब तक प्रशिक्षण प्राप्त लाभाथियों में से लगभग 80 प्रतिशत लाभार्थी विभिन्न उद्योगों में रोजगार प्राप्त कर चुके अथवा स्वयं का उद्योग प्रारम्भ कर चुके हैं।

4.4– हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन हेतु डिजाइन वर्कशाप योजना

(अ)–हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना

हस्तशिल्प क्षेत्र में परम्परागत विधा से हो रहें कार्य को धीरे धीरे बेहतर तकनीकी से कराना एवं इस हेतु उनके कौशल विकास की दृष्टि से प्रशिक्षण कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह योजना प्रदेश के हस्तशिल्प बाहुल्य वाले जिलों में संचालित की जाती है। जिसके अन्तर्गत 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति पात्र होते हैं किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष तक की शिथिलता दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत परम्परागत शिल्पकारों के कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें नवीनतम तकनीक एवं उन्नत किस्म के औजारों व उपकरणों के उपयोग भी सिखाये जाते हैं। यह प्रशिक्षण भारत सरकार के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार/राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार व दक्षता पुरस्कार प्राप्त शिल्पकारों तथा विकास आयुक्त हस्तशिल्प द्वारा शिल्पगुरू की उपाधि से अलंकृत शिल्पकारों के घरों पर उन्ही के व्यक्तिगत निर्देशन व संरक्षण में संचालित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 में क्रमशः 650, 650 एवं 700 परिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

(ब)निर्यात बाजार हेतु डिजाइन वर्कशाप योजना

यह योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2007–08 से प्रारम्भ की गयी है। उत्तर प्रदेश से कुल निर्यात में हस्त शिल्प उद्योग क्षेत्र की सहभागिता 60 प्रतिशत से अधिक है परन्तु सभी उत्पाद परम्परागत डिजाइनों तक सीमित एवं उन पर आधारित है, जिन्हे निरन्तर विकसित हो रही माँग के अनुरूप बनाये जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही प्रमुख निर्यात परख हस्तशिल्प ट्रेडों में डिजाइन वर्कशाप का आयोजन किया जाता है। यह योजना प्रदेश के ऐसे प्रमुख हस्तशिल्प क्षेत्रों में, जहाँ हस्तशिल्पियों द्वारा निर्यात योग्य उत्कृष्ट कला कृतियाँ बनाई जा रही हैं, संचालित कराई जाती है। वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 में क्रमशः 1040, 1040 एवं 1040 हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण दिया गया।

4.5 विशिष्ट शिल्पकारों के लिए पेंशन योजना

शिल्पियों की बहुलता एवं उनके कला कौशल ने प्रदेश की शिल्प विधा एवं कलाकृतियों को अन्तर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है, किन्तु अपनी कार्य–परिस्थितियों व अस्वास्थ्यकर परिवेश में कार्य करने के कारण दस्तकारों की शारीरिक

क्षमता अन्य क्षेत्रों के सापेक्ष समय से पहले ही कम हो जाती है। वे गिरते स्वास्थ्य एवं बढ़ती आयु के कारण शारीरिक रूप से शिथिल हो जाते हैं। फलतः उनकी आय जनन क्षमता भी घट जाती है। अतः उनके अनुत्पादक शेष जीवनकाल में राज्य सरकार से आर्थिक सहयोग आवश्यक है। इसी उद्देश्य से विशिष्ट शिल्पकारों के लिए पेंशन योजना संचालित की जा रही है जिसके अर्न्तगत प्रतिमाह पेंशन स्वरुप रू0 1000 पात्र शिल्पकारों/दस्तकारों को दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 में क्रमशः 160, 160 एवं 176 हस्तशिल्पियों को पेंशन दिया गया।

4.6 हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना

उत्तर प्रदेश में लगभग 30 लाख हस्तशिल्पी हैं। अधिकांश हस्तशिल्पी हुनरमन्द तो है परन्तु अत्यन्त गरीब है। इन हस्तशिल्पियों को विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिल्प मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु कार्यशाला से प्रदर्शनी स्थल तक माल भाड़े पर आने वाले व्यय तथा स्टॉल किराये में सहायता देने के उद्देश्य से यह योजना स्वीकृत की गयी है। इसके अन्तर्गत आच्छादित होने वाले शिल्पियों को मेले/प्रदर्शनी में कार्यशाला से प्रदर्शनी स्थल तक ले जाने वाले माल पर आने वाले परिवहन व्यय एवं स्टॉल के किराया की प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम रू0 10,000/– राज्य सहायता प्रदान की जाती है। यह सुविधा वर्ष में एक शिल्पकार को एक बार ही प्राप्त होती है। वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 में क्रमशः 936, 936 एवं 2129 हस्तशिल्पियों को आच्छादित किया गया।

5. एकल मेज व्यवस्था

एक छत के नीचे एकल मेज व्यवस्था का उद्देश्य उद्योगों को विभिन्न विभागों से अनुमोदन, स्वीकृतियॉ, आपत्तियों, लाईसेन्स आदि के सम्बन्ध में आवेदन पत्र का निस्तारण एक ही स्थान पर केन्द्रीयकृत तथा समयबद्ध रूप से सम्पन्न करना है ताकि उद्यमियों को विभिन्न विभागों में उपरोक्त कार्य हेतु बार–बार चक्कर लगाने की कठिनाई से मुक्त किया जा सके।

तालिका–8.04

एकल मेज व्यवस्था के अन्तर्गत वर्षवार प्रगति

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	मद	वर्ष 2012–13	वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15
1	कुल प्राप्त आवेदन पत्र जो नोडल अधिकारियों द्वारा पूर्ण पाये गये	50246	68152	85089
2	निस्तारित आवेदन पत्र	50102	68149	84987
	(अ) निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत	50101	68149	84987
	(ब) समय सीमा के उपरान्त	1	–	–
3	अनिस्तारित आवेदन पत्र	143	3	102
	(अ) जो निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत	143	3	102
	(ब) समय सीमा के अधिक	–	–	–
4	योजनान्तर्गत प्राप्त बजट	54.00	54.00	54.00
5	प्राप्त बजट के व्यय की स्थिति	54.00	54.00	54.00

6. उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रदेश में बढ़ती हुई बेराजगारी को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक विकास में गति देने तथा बेरोजगार शिक्षित/प्रशिक्षित एवं तकनीकी (कुशल/अकुशल) व्यक्तियों को अपना उद्योग/व्यवसाय करने हेतु स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने की दृष्टिकोण से यह योजना प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने तथा सफलतापूर्वक चलाने के लिए यह अति आवश्यक है कि उद्यमी को सभी प्रकार की जानकारी हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रदेश में विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा एवं जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित कर उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण देकर प्रेरित किया जाता है। इस प्रशिक्षण हेतु योजानाबद्ध ढ़ंग से उद्यमियों को चयनित किया जाता है। संस्थाओं द्वारा कतिपय प्रशिक्षण जैसे इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक फूड प्रोडक्ट, साबुन बनाना, आयल आदि पर दिये जाते है। प्रत्येक प्रशिक्षण शिविर में 25 से 50 तक प्रशिक्षार्थी शामिल किये जाते है जिसमें अनुसुचित जाति/जनजाति के उद्यमियों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त महिला/अल्पसंख्यकों को चयन में वरीयता दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 में क्रमशः 4800, 4080 एवं 4650 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

7–अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के स्वरोजगार हेतु सामूहिक औद्योगिक प्रशिक्षण योजना पर टिप्पणी

योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के बेरोजगार नवयुवकों को एकमाह का सैद्धान्तिक व तीन माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण नोटीफाइड 17 ट्रेडों में स्थानीय आवश्यकतानुरूप अन्य किसी भी ट्रेड में दिया जाता है तथा व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को रू0 500/– के संबंधित ट्रेडों की टूल किट उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना में 33 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी का प्राविधान है। प्रशिक्षार्थी की आयु 18–45 वर्ष होनी चाहिए। तकनीकी ट्रेडों में प्रशिक्षण हेतु 8वीं पास तथा गैर तकनीकी ट्रेडों में प्रशिक्षण हेतु लिखने–पढ़ने का ज्ञान होना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 में क्रमशः 1838, 1520 एवं 449 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

8– उत्तर प्रदेश से निर्यात के प्रोत्साहन हेतु संचालित योजनाएं

राज्य से निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ''निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो'' के माध्यम से त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है जिसके अधीन विभिन्न 5 उप योजनायें है, जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

(1). त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना

1.1–(अ) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिए विपणन सहायता

इस योजना में निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में प्रतिभाग करने पर स्टाल मद में किराये का 60 प्रतिशत अधिकतम रू0 1.00 लाख एवं इकोनामी क्लास हेतु हवाई भाड़े का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 50000/– विदेशी क्रेता को नमूने भेजे जाने पर कोरियर व्यय का 75 प्रतिशत अधिकतम रू0 50000/– निर्यात उत्पाद के प्रचार–प्रसार हेतु कुल व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम रू0 60000/– तथा गुणवत्ता मानक प्राप्त करने पर कुल व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 75000/– की आर्थिक सहायता दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 में क्रमशः 750 इकाईयाँ,

1690 इकाईयाँ एवं 1762 इकाईयाँ को विपणन सहायता दिया गया।

1.1–(ब) राष्ट्रीय स्तर पर विपणन सहायता

प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक इकाईयों के विपणन वृद्धि हेतु यातायात परिवहन सहायता योजना क्रियान्वित की गई है जिसका लाभ टाईनी सेक्टर, लघु उद्योग, क्षेत्र की इकाईयां जो नई एम.एस.ई.डी. एक्ट के अन्तर्गत आती है, को विशेष रूप से लाभान्वित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 में क्रमशः 478, 334 एवं 324 इकाईयों को विपणन सहायता प्रदान की गई।

1.2– गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान

योजनान्तर्गत वर्तमान में गेटवे पोर्ट तक आई.सी.डी./सी.एफ.एस. द्वारा निर्यात माल के परिवहन पर आने वाले माल भाड़े पर रू0 5000/– के स्थान पर रू0 6000/– प्रति टी.ई.यू. (20 फुट कन्टेनर) रू0 10000/– के स्थान पर रू0 12000/– प्रति टी.ई.यू. (40 फुट कन्टेनर) अधिकतम रू0 10.00 लाख के स्थान पर रू0 12.00 लाख प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान है। साथ ही योजना में सूक्ष्म, लघु उद्यम के अतिरिक्त मध्यम क्षेत्र के उद्यमों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 में क्रमशः168, 266 एवं 402 इकाईयों को अनुदान प्रदान किया गया।

1.3 निर्यातकों की क्षमता का विकास

प्रदेश के निर्यातकों/भावी निर्यातकों तथा विभागीय अधिकारियों को निर्यात की विभिन्न प्रक्रियाओं, नीतियों, क्रियाप्रणाली आदि के सम्बन्ध में तकनीकी/शैक्षिक विषय विशेषज्ञों के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करायी जाती है जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर मण्डल स्तर एवं प्रदेश स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों/गोष्ठियों का आयोजन कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 में क्रमशः 11, 10 एवं 11 कार्यक्रम/गोष्ठियां आयेजित की गई है।

1.4–निर्यात पुरस्कार

प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट निर्यातकों को विभिन्न 25 श्रेणी के निर्यात उत्पादों हेतु श्रेणीवार एक–एक प्रथम व द्वितीय पुरस्कार तथा सभी श्रेणियों के अन्तर्गत एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मा. जनेश्वर मिश्र राज्य निर्यात पुरस्कार योजनान्तर्गत प्रति वर्ष प्रदान किये जा रहे है। वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 में क्रमशः 18, 24 एवं 23(चयन) निर्यातकों को पुरस्कार प्रदान किया गया।

1.5– अध्ययन, सर्वे, ब्राण्ड प्रमोशन एवं आंकड़े उपलब्ध कराना

योजना के माध्यम से अध्ययन आधारित कार्यों, डाटा संग्रहण कार्यों, ब्यूरो मैगजीन का प्रकाशन एवं जी. आई. पंजीकरण प्राप्त करना आदि कार्य करते है।

(2) वायुयान भाड़ा सहायता योजना

योजनान्तर्गत मैन्यूफैक्चर्रस एवं मर्चेन्ट निर्यातकों द्वारा वायुयान के माध्यम (उत्तर प्रदेश में स्थित एयर कार्गो अमौसी/बाबतपुर) से विदेशी क्रेता को निर्यात हेतु भेजे जाने वाले माल भाड़े पर रू0 50/–प्रति कि.ग्रा. अथवा वायुयान किराये का 20 प्रतिशत जो भी कम हो दिये जाने का प्राविधान है जिसकी प्रति निर्यातक को प्रति वर्ष वित्तीय सहायता की अधिकतम वार्षिक सीमा रू0 2.00 लाख है। वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 में क्रमशः 22, 16 एवं 19 निर्यातकों को सहायता प्रदान की गयी।

(3) निर्यात सम्बन्धी अवस्थापना सुविधाओं एवं अन्य क्रिया कलापों के विकास हेतु राज्य को सहायता (एसाइड) योजना

निर्यात से जुड़े अवस्थापना विकास/सृजन हेतु भारत सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 2002 से लागू है ताकि निर्यात की गुणवत्ता में सुधार के फलस्वरूप निर्यात में अभिवृद्धि हो सके। वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 में क्रमशः 06, 06 एवं 13 परियोजनाएं पूर्ण की गयी।

(4) एक्सपोर्ट नीति घोषित किया जाना

उत्तर प्रदेश की निर्यात नीति 2015–20 का प्राख्यापन किया जा चुका है, जिसके मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है–

1. निर्यात नीति का उद्देश्य निर्यात में तेजी और सतत विकास के लिए उच्च परिणामजनक बुनियादी सुविधाओं का सृजन करना।
2. मौजूदा निर्यात परक उद्योंगो पर ध्यान केंद्रित कर उन्हें निर्यात करने के लिए और बढ़ावा देने हेतु आवश्यक समर्थन प्रदान करना।
3. बेहतर निर्यात क्षमता वाले उत्पादों के उद्योंगो को प्रोत्साहित करना तथा नई निर्यात उन्मुख इकाइयों को उत्तर प्रदेश में अपना आधार स्थापित करने हेतु एक अनुकूल वातावरण प्रदान करना।
4. हस्तशिल्प, कालीन और हथकरघा वस्त्र जैसे पारंपरिक निर्यात क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन और गुणात्मक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिक, डिजाइन विकास और कौशल उन्नयन प्रदान करना।
5. गैर परंपरागत क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रानिक्स और सॉफ्टवेयर, सेवाओं, जैव प्रौद्योगिक आदि के क्षेत्र में निर्यात की क्षमता बढ़ाना।
6. बागवानी उत्पाद, अन्य प्रसंस्कृत उत्पादों और अनाज, कुक्कुट एवं अण्डा, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद के क्षेत्र की निर्यात क्षमता बढ़ायी जायेगी।
7. निर्यात में निरन्तर उन्नयन के लिए क्षमता विकास को प्रोत्साहित करना।
8. मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।
9. विशेष ट्रेडों में मानव संसाधन प्रतिभा के पूल के विकास के लिए संस्थागत ढ़ांचा प्रदान करना।
10. निर्यात में निर्बाध विकास के लिए एक सरल, पारदर्शी और उत्तरदायी विनियामक वातावरण विकसित करना।
11. भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति अन्तर्गत प्रदेश के निर्यात प्रधान नगरों को "Town of Excellence" योग्य बनाना।

9–जनपद भदोही में कार्पेट बाजार की स्थापना

जनपद भदोही अपने उत्कृष्ट एवं कलात्मक डिजाइन वाले ऊनी कालीनों व ऊनी दरियों के उत्पादों एवं निर्यात के लिए न केवल विश्व विख्यात है, अपितु विदेशी मुद्रा अर्जन का एक प्रमुख स्त्रोत भी है। भदोही जनपद से ऊनी कालीन व दरी का लगभग 5000.00 करोड़ का निर्यात होता है। स्थानीय स्तर पर निर्यात अवस्थापना सुविधाओं की कमी के कारण यहॉ के कालीन उद्यमियों द्वारा वाराणसी में कालीन मेले का आयोजन किया जाता है तथा इन्हीं कमियों के चलते यहॉ के बुनकर अपनी आजीविका के लिए दिल्ली, मुम्बई, पानीपत आदि शहरों में कार्य कर रहे हैं। स्थानीय उद्यमी कारपेट मेले का आयोजन भदोही में ही किए जाने की मॉग करते रहे है। जनपद भदोही में कारपेट बाजार की स्थापना होने से कालीन उत्पादक इकाइयों एवं निर्यातकों को भदोही में

ही अपने उत्पादों के प्रदर्शन एवं विक्रय के लिए उपयुक्त स्थल मिल सकेगा एवं देशी तथा विदेशी क्रेताओं का भदोही में आवागमन होगा जिसका यहॉ के निर्यात पर निश्चय ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इसे दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2014–15 में जनपद भदोही में कार्पेट बाजार (एक्सपो मार्ट) की स्थापना का प्रस्ताव है। परियोजना निर्माण लागत रू0 124.78 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2014–15 में रू0 1500.00 लाख का बजट स्वीकृत किया गया, जो कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को उपलब्ध कराया गया। परियोजना का निर्माण कार्य दो फेज में किया जाना है। प्रथम फेज में मार्ट, एक्जीविशन हाल, वाह्य स्थल विकास संम्बन्धी कार्य एवं विद्युत सब स्टेशन व विद्युत संयोजन का कार्य किया जाना है। परियोजना का प्रथम फेज अक्टूबर, 2016 तक पूर्ण होने की संभावना है।

10– एम0एस0एम0ई0 पोर्टल का विकास

सूचना प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में जबकि बड़ी कम्पनियों द्वारा ऑन–लाइन बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है एवं एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र किसी ऐसे प्लेटफार्म के न होने के कारण सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ न उठा पाने के कारण अवसरों से वंचित हो रहा है। साथ ही उद्यमियों को उद्यम स्थापना के सम्बन्ध में आवश्यक सूचनाओं के लिए एकीकृत प्लेटफार्म भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सूचना तकनीक का अधिकतम उपयोग करते हुए प्रदेश के एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र को एम0एस0एम0ई0 पोर्टल के रूप में एक ऐसा व्यवसायिक प्लेटफार्म उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है जहॉ उद्यमियों को उद्यम स्थापना के सम्बन्ध में एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराने के साथ ही वह अपने आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादों का क्रय–विक्रय सम्पादित कर सकेगें। एम0एस0एम0ई0 पोर्टल हेतु ऑन लाइन मेमोरेण्डम जनरेशन साफ्टवेयर ई–उद्योग व्यवस्था से एकीकृत करते हुए प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को ई–कामर्स सम्बन्धी वेबसाइटों यथा–एमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील एवं एनएसआईसी के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इस कार्य के लिए ए0पी0आई0 (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इण्टरफेस) के माध्यम से सभी उत्पादन कर्ता/उद्यमियों के पास सुविधा होगी कि वह अपने उत्पादों को एमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील आदि पर प्रदर्शित करके सीधे क्रेता से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर सकेगें।

पोर्टल के विकास कर्त्ता द्वारा पोर्टल का काम पूर्ण कर लिया गया है। पोर्टल का यथाशीघ्र संचालन प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

11– सूक्ष्म, लघु उद्यम क्लस्टर विकास योजना

योजना का मूल उद्देश्य सूक्ष्म, लघु मध्यम इकाईयों को क्लस्टर के रूप में विकसित करने का है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के युग में अपनी उत्पाद क्षमता, गुणवत्ता एवं कैपेसिटी उच्चीकरण कर सकें। यह योजना सार्वजनिक, निजी सहभागिता(पी०पी०पी०) की मंशा पर आधारित है ताकि क्लस्टरों के विकास एवं प्रबन्धन की पूरी जिम्मेदारी लाभार्थियों द्वारा ही उठाई जाये।

योजना अर्न्तगत प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा क्लस्टर अनुमोदित होने के पश्चात् डायग्नोस्टिक स्टडी हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त की जाती है। क्लस्टर प्रोजेक्ट में लागत का 60–80 प्रतिशत अधिकतम रू० 8 करोड़ केन्द्रांश तथा शेष 40 प्रतिशत में से राज्य सरकार एवं क्लस्टर एस०पी०वी० (Special Purpose Vehicle) का योगदान रहता है।

12–एम०एस०एम०ई० पालिसी घोषित किया जाना

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की महत्वपूर्ण भूमिका तथा उनके विकास के समक्ष विद्यमान चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए इस क्षेत्र के त्वरित विकास हेतु प्रदेश सरकार द्वारा उत्प्रेरक के रूप में एम0एस0एम0ई पॉलिसी जारी करने का निर्णय लिया गया है, ताकि इस क्षेत्र के विकास हेतु सभी आवश्यक प्रयासों को सूचीबद्ध करते हुए निर्धारित समय सीमा में उन्हें लागू करने का प्रयास किया जा सके। एम0एस0एम0ई0 ड्राफ्ट पालिसी तैयार कर ली गई है तथा शीघ्र ही इसे घोषित करते हुए लागू किया जायेगा।

खनिज अन्वेषण

आर्थिक विकास में खनिजों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में उपलब्ध खनिज सम्पदा के यथासम्भव अधिकतम एवं लाभप्रद उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गयी है। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय भूगर्भ में छिपे खनिजों के अन्वेषण एवं मानचित्रण से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन कर खनन स्थलों का चयन एवं खनन कार्यो द्वारा अधिकतम खनिज राजस्व एकत्र करने का उत्तरदायित्व निभाता है। उत्तर प्रदेश में ज्ञात खनिजों का खनन, विपणन तथा खनिजों पर आधारित इकाइयों की संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

प्रदेश में अब तक किये गये खनिज अन्वेषण के अन्तर्गत प्रदेश में स्वर्ण, लौह अयस्क, ग्लूकोनाईट, पायरोफिलाइट, डायस्पोर व रॉक फास्फेट, पोटाश, सिलिका सैण्ड व चीनी मिट्टी के खनिज भण्डारो की पुष्टि हुयी है। जनपद सोनभद्र में चायना क्ले का 16.5 मिलियन टन, ललितपुर में क्वार्ट्ज का 12 मिलियन टन, महोबा में क्वार्ट्ज का 10 मिलियन टन, झांसी में क्वार्ट्ज का 45 मिलियन टन, ऐस्बेस्टस का 0.3 मिलियन टन, चित्रकूट में पोटाश का 50 मिलियन टन तथा सोनभद्र में स्वर्ण धातु 305 कि0ग्रा0 एवं ललितपुर में 1687 कि0ग्रा0 स्वर्ण के अनुमानित भण्डारों का आंकलन किया गया है। प्रदेश के उत्तर प्रदेश राज्य भूवैज्ञानिक कार्यकारी परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु अनुमानित 05 परियोजनाएं विभिन्न जनपदों में ललितपुर, झांसी व सोनभद्र में चलायी जा रही है जिनमें मुख्यतः स्वर्ण धातु, प्लेटिनम समूह के तत्व, लौह अयस्क की खोज सम्बन्धी अन्वेषण कार्य तथा खनन का पर्यावरण पर प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है। खनिज राजस्व एवं उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश के 12 जनपदों को खनिज बाहुल्य जनपदों के रूप में चिन्हित किया गया है।प्रदेश में मुख्य खनिजों की खोज में निजी कम्पनियों द्वारा भी रूचि ली जा रही है।

प्रदेश में मुख्य खनिजों तथा उपखनिजों के खनन के फलस्वरूप प्रदेश को न केवल भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति हो रही है, अपितु बड़ी संख्या में लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहें हैं। खनिज राजस्व के मद में गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में रू0 1029.28 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में माह नवम्बर, 2015 तक रू0 642.58 करोड़ की राजस्व प्राप्त हुई है, जो विगत वर्ष में माह नवम्बर, 2014 तक के प्राप्त राजस्व की तुलना में रू0 20.75 करोड़ अधिक है। प्रदेश में मुख्य खनिज पदार्थो के अन्तर्गत बाक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, जिप्सम, चूने का पत्थर, मैग्नेसाइट, ओकर (गेरू), फास्फोराइट, पायरोफाइलाइट, सिलिकासैण्ड, गन्धक तथा कोयला आदि की गणना की जाती है, जबकि साधारण बालू,

इमारती पत्थर, ईट बनाने की मिट्टी, मौरंग, बजरी, कंकड़ शोरा, संगमरमर तथा लाइमस्टोन की गणना उपखनिज पदार्थो के अन्तर्गत की जाती है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य खनिज पदार्थो के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण से सम्बन्धित आंकड़े तालिका 8.05 में दिये जा रहे हैंः–

तालिका–8.05
उत्तर प्रदेश में मुख्य खनिज पदार्थों के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण के आंकड़े

क्र0सं0	खनिज पदार्थ	उत्पादन का मूल्य (लाख रु.में)		2012–13 की अपेक्षा 2013–14 में प्रतिशत वृद्धि	परिमाण ('000) मी.टन		2012–13 की अपेक्षा 2013–14 में प्रतिशत वृद्धि
		2012–13	2013–14*		2012–13	2013–14*	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डायस्पोर	148	157	6.08	8.954	8.115	(–)9.37
2	पायरोफाइलाइट	106	76	(–)28.30	31.613	26.271	(–)16.90
3	गन्धक	–	–	–	–	–	–
4	सिलिकासैंड	83	17	(–)79.52	42.051	8.336	(–)80.18
5	कोयला	358442	317630	(–)11.39	16.090	14.258	(–)11.39
6	चूने का पत्थर	6039	5527	(–)8.48	3.214	3.144	(–)2.18

***** *अनन्तिम*

उप खनिज पदार्थो की भी अपनी महत्ता है। इन पदार्थो की उपलब्धता भी देश/प्रदेश के आर्थिक स्तर के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उप खनिज पदार्थो में साधारण बालू, इमारती पत्थर, मौरंग, बजरी तथा संगमरमर प्रमुख हैं। इनके उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण के आंकड़े तालिका 8.06 में दिये जा रहें हैं–

तालिका–8.06
उत्तर प्रदेश में उप खनिज पदार्थो के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण के आंकड़े

क्रम सं0	उप खनिज पदार्थ	उत्पादन का मूल्य(लाख रू. में)			परिमाण (लाख घनमीटर)		
		2013–14	2014–15 *	गत वर्ष की अपेक्षा % वृद्धि	2013–14	2014–15*	गत वर्ष की अपेक्षा द वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	साधारण बालू	39712.44	53427.00	34.53	220.62	296.82	34.54
2	स्लैब स्टोन	4527.30	2367.02	(–)47.72	1.90	0.99	(–)47.89
3	गिट्टी	158476.24	224818.13	41.86	301.86	428.23	41.86
4	ग्रेनाइट	3300.00	3900.00	18.18	0.24	0.29	20.83
5	ईट बनाने की मिट्टी	179223.88	133338.75	(–)25.60	717.00	533.00	(–)25.65
6	मौरंग	79749.73	62229.73	(–)21.97	132.92	103.72	(–)21.97
7	बजरी	1146.03	1658.73	44.74	3.02	4.37	44.70

***** *अनन्तिम*

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2013–14 की अपेक्षा वर्ष 2014–15 में स्लैब स्टोन, ईट बनाने की मिट्टी तथा मौरंग को छोड़कर शेष उप खनिज पदार्थो के उत्पादन के मूल्य में वृद्धि परिलक्षित हुई है। सर्वाधिक वृद्धि (44.74 प्रतिशत) बजरी के मूल्य में हुई है। इसी प्रकार गत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2014–15 में स्लैब स्टोन, ईट बनाने की मिट्टी तथा मौरंग को छोड़कर शेष खनिज पदार्थो के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

• • •

अध्याय–9
सेवा क्षेत्र

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी वर्गीकरण के अनुसार सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत परिवहन संग्रहण तथा संचार, व्यापार होटल एवं जलपान गृह, बैंक व्यापार तथा बीमा, स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवाएं, सार्वजनिक प्रशासन , अन्य सेवाएं सम्मिलित है। सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत अनेक क्रियाकलाप आते है जिनकी कई विशेषताएं तथा आयाम हैं। कुछ सेवाएं उच्च प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता की हैं तो कुछ सामान्य सेवाएं यथा बाल कटिंग तथा वस्त्र धुलाई आदि भी है। इसी प्रकार से कुछ सेवाएं संगठित हैं तो कुछ असंगठित। इस कारण इस क्षेत्र के योगदान को आंकने हेतु प्रदेश स्तर पर आंकड़ों की उपलब्धता मुख्य चुनौती है।

सेवा खण्ड का निष्पादन

नये आधार वर्ष 2011–12 पर जारी प्रदेश के स्थायी भावों पर सकल मूल्य वर्धन के वर्ष 2014–15 त्वरित अनुमानों के अनुसार सेवा क्षेत्र जो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के वर्गीकरण में तृतीयक क्षेत्र से जाना जाता है का प्रदेश के स्थायी भावों पर सकल मूल्य वर्धन में लगभग 49.6 प्रतिशत का अंशदान है। जबकि प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र का योगदान क्रमशः 25.5 तथा 24.8 है। इस प्रकार सेवा क्षेत्र का महत्व स्वयं सिद्ध है। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र की वृद्धिदर 10.8 प्रतिशत रही है जो प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र की तुलना में अधिक है। सेवा क्षेत्र में हुई यह वृद्धि वर्ष 2011–12 से वर्ष 2013–14 तक के जारी पुनरीक्षित अनुमानों में भी सर्वाधिक है। वर्ष 2012–13 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 5.6 प्रतिशत तथा वर्ष 2013–14 में 6.9 प्रतिशत रही। वर्ष 2014–15 में सेवा क्षेत्र में उछाल का कारण मुख्यतः सूचना तथा प्रसार सम्बन्धी सुविधाओं, अन्य सेवाओं तथा सार्वजनिक प्रशासन उपखण्ड की वृद्धि रही है।

तालिका–9.01
सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर

खण्ड	वर्ष		
	2012–13	2013–14*	2014–15#
1	2	3	4
सेवा क्षेत्र	5.6	6.9	10.8

*अनन्तिम अनुमान # त्वरित अनुमान

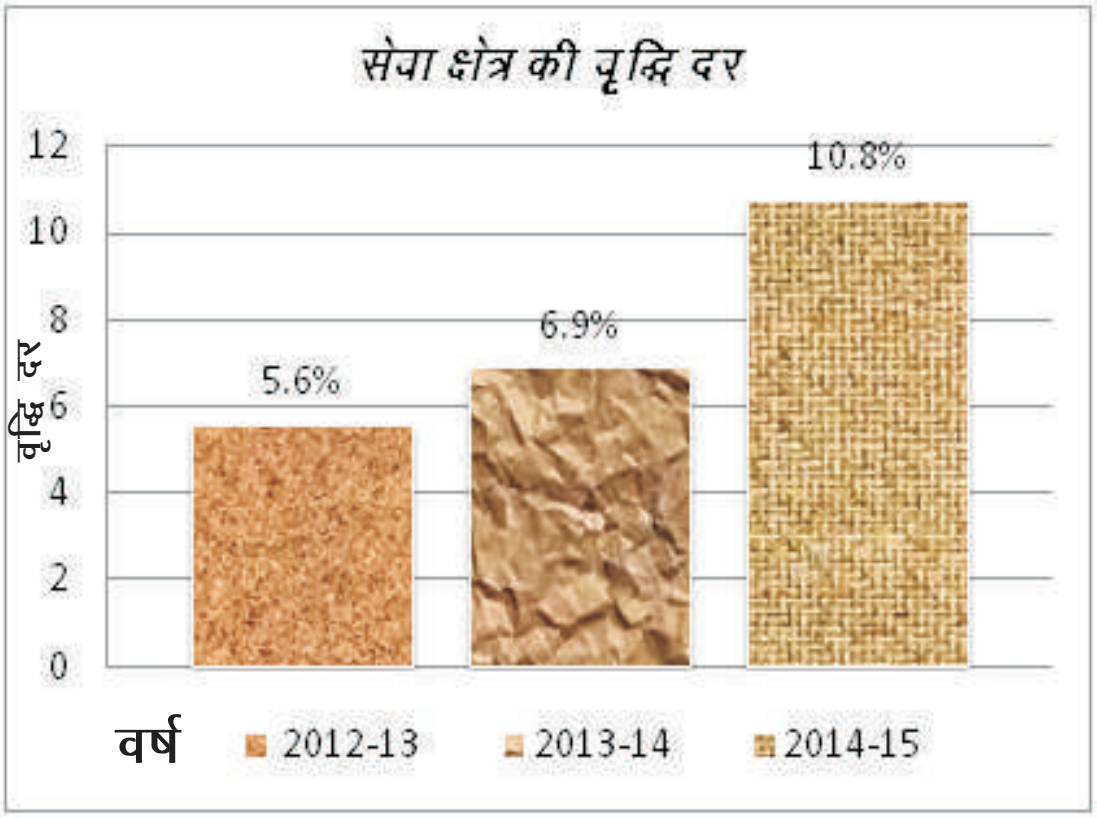

उप–खण्डवार सेवा क्षेत्र का विश्लेषण

(1)परिवहन संग्रहण तथा संचार

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के वर्गीकरण के अनुसार परिवहन संग्रहण तथा संचार के अन्तर्गत अधिसंरचनात्मक क्षेत्र यथा रेलवे, वायुयान परिवहन तथा वित्तीय सेवाएं आदि, भण्डारण, सूचना एवं संचार संबन्धी सेवाएं रेलवे के अतिरिक्त अन्य परिवहन सेवाएं शामिल की जाती हैं। इस खण्ड में वर्ष 2014–15 के त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थायी भावो पर सकल मूल्य वर्धन रू० 61714 करोड़ था जबकि वर्ष 2011–12, 2012–13 व 2013–14 में क्रमशः रू० 40481 करोड़, रू० 46192 करोड़ तथा रू० 51105 करोड़ था। वर्ष 2012–13, 2013–14 व 2014–15 में इस खण्ड की वृद्धि दर क्रमशः 14.1 प्रतिशत, 10.6 प्रतिशत तथा 20.8 प्रतिशत रही। सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2014–15 में इस खण्ड का योगदान प्रचलित भावों पर 7.6 प्रतिशत रहा।

भण्डारण का वर्ष 2014–15 में सकल मूल्य वर्धन स्थायी भावों पर रू० 1255 करोड़, सूचना एवं संचार संबन्धी सेवाओं का मूल्य वर्धन रू० 15111 करोड़ था। जो विगत वर्ष 2013–14 से क्रमशः 3.7 प्रतिशत तथा 26.0 प्रतिशत अधिक है। उल्लेखनीय है कि प्रसारण सम्बंधी सेवाओं को नई श्रृंखला में शामिल किया गया है, इसकी तीव्र वृद्धि का कारण सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का विस्तार है। प्रदेश में यह क्षेत्र एक विकास के प्रेरक शक्ति के रूप सामने आया है।

(2) व्यापार होटल एवं जलपान गृह

इसमें व्यापार होटल एवं जलपान के साथ पर्यटन उद्योग भी शामिल है। वर्ष 2014–15 के त्वरित अनुमानों के अनुसार इस खण्ड का सकल मूल्य वर्धन स्थायी भावों पर रू० 87063 करोड़ अनुमानित किया गया है। वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 में यह क्रमशः रू० 69458 करोड़ तथा रू० 79869 करोड़ था। इस प्रकार वर्ष 2012–13, 2013–14 तथा 2014–15 में इस

खण्ड के अन्तर्गत स्थायी भावों पर क्रमशः 0.2 प्रतिशत, 14.8 प्रतिशत तथा 9.0 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुई है। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2014–15 में इस खण्ड का योगदान प्रचलित भावों पर 10.6 प्रतिशत था।

प्रदेश अपने पर्यटन क्षेत्र की पूर्ण क्षमता का प्रयोग कर इस खण्ड की वृद्धि दर तथा योगदान को बढ़ा सकता है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा दर्शाये गये आकड़ों के आधार पर भारत वर्ष में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में उत्तर प्रदेश को तृतीय स्थान तथा भारतीय पर्यटकों में द्वितीय स्थान पर दर्शाया गया है। प्रदेश में वर्ष 2014 में कुल पर्यटक 1857.30 लाख में भारतीय पर्यटकों की संख्या 1828.20 लाख एवं विदेशी पर्यटकों संख्या 29.10 लाख सम्मिलित हैं। वर्ष 2014–15 में होटलों पर लगाये गये सुख–साधन कर के रूप में रू0 4330.04 लाख का राजस्व राज्य सरकार को प्राप्त हुआ। उपरोक्त आकड़ों के आधार पर प्रदेश में पर्यटन में विकास एवं रोजगार की अपार संभावनाएं प्रतीत होती हैं।

(3) बैंक व्यापार तथा बीमा

इसके अन्तर्गत समस्त वित्तीय सेवाएं सम्मिलित हैं। इस खण्ड में वर्ष 2014–15 के त्वरित अनुमानों के साथ सकल मूल्य वर्धन स्थायी भावों पर रू० 27887 करोड़ था जबकि 2011–12, 2012–13 व 2013–14 में क्रमशः रू० 25182 करोड़, रू० 26523 करोड़ तथा रू० 27196 करोड़ था। वर्ष 2012–13, 2013–14 व 2014–15 में इस खण्ड की वृद्धि दर क्रमशः 5.3 प्रतिशत, 2.5 प्रतिशत तथा 2.5 प्रतिशत रही। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2014–15 में इस खण्ड का योगदान प्रचलित भावों पर 3.6 प्रतिशत रहा।

उल्लेखनीय है कि इस खण्ड के अनुमान हेतु प्रदेश स्तर पर आकड़ों की उपलब्धता नहीं है, ये आकड़े केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त होते हैं जो रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।

(4) स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवाएं

इस खण्ड के अन्तर्गत (I) स्थावर संपदा (II) कम्प्यूटर तथा सूचना सम्बन्धी सेवाएं (III) व्यवसायिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी गतिविधियां शोध एवं विकास गतिविधि सहित (IV) प्रशासनिक तथा सहायक सेवाओं सम्बन्धी गतिविधियां तथा (V) आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवाएं सम्मिलित हैं। इस खण्ड में वर्ष 2014–15 के त्वरित अनुमानों के साथ सकल मूल्य वर्धन स्थायी भावों पर रू० 118221 करोड़ था जबकि 2011–12, 2012–13 व 2013–14 में क्रमशः रू० 97464 करोड़, रू० 102431 करोड़ तथा रू० 107839 करोड़ था। वर्ष 2012–13, 2013–14 व 2014–15 में इस खण्ड की वृद्धि दर क्रमशः 5.1 प्रतिशत, 5.3 प्रतिशत तथा 9.6 प्रतिशत रही। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2014–15 में इस खण्ड का योगदान प्रचलित भावों पर 14.9 प्रतिशत था। सेवा खण्ड के अन्तर्गत इस उपखण्ड का योगदान सर्वाधिक है।

(5) सार्वजनिक प्रशासन

सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं के अन्तर्गत प्रदेश सरकार, प्रदेश की समस्त ग्रामीण तथा नगरीय स्थानीय निकाय, स्वायत्तशासी संस्थाएं तथा छावनी परिषद को सम्मिलित किया जाता है। इस खण्ड में वर्ष 2014–15 के त्वरित अनुमानों के साथ सकल मूल्य वर्धन स्थायी भावों पर रू० 53046 करोड़ था जबकि वर्ष 2011–12, 2012–13 व 2013–14 में क्रमशः रू० 42811 करोड़, रू० 47702 करोड़ तथा रू० 48082 करोड़ था। वर्ष 2012–13, 2013–14 व 2014–15 में इस खण्ड की वृद्धि दर क्रमशः 11. 4 प्रतिशत, 0.8 प्रतिशत तथा 10.3 प्रतिशत रही।

प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2014–15 में इस खण्ड का योगदान प्रचलित भावों पर 6.5 प्रतिशत था।

(6) अन्य सेवाएं

इस खण्ड के अन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं सम्बन्धी सेवाओं के साथ ही मनोरंजनात्मक, सांस्कृतिक, खेल–कूद गतिविधियाँ, संघों की सदस्यता सम्बन्धी गतिविधियाँ, व्यक्तिगत सेवाएं यथा वस्त्र उत्पाद की साफ–सफाई, बालों की कटिंग तथा अन्य ब्यूटी सैलून, दर्जी आदि की सेवाएं भी सम्मिलित है। इस प्रकार इस खण्ड में ऐसे क्रियाकलाप शामिल हैं, जिनकी कई विशेषताएं और आयाम हैं। इस खण्ड में वर्ष 2014–15 के त्वरित अनुमानों के साथ सकल मूल्य वर्धन स्थायी भावों पर रू० 40585 करोड़ था जबकि वर्ष 2011–12, 2012–13 व 2013–14 में क्रमशः रू० 35295 करोड़, रू० 35600 करोड़ तथा रू० 36656 करोड़ था। वर्ष 2012–13, 2013–14 व 2014–15 में इस खण्ड की वृद्धि दर क्रमशः 0.9 प्रतिशत, 3.0 प्रतिशत तथा 10.7 प्रतिशत रही। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2014–15 में इस खण्ड का योगदान प्रचलित भावों पर 5.1 प्रतिशत था।

सेवा क्षेत्र एवं रोज़गार

प्रदेश मे सेवा क्षेत्र प्रमुख रोजगार प्रदाता क्षेत्र है। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार मार्च 2014 को सेवा क्षेत्र में 12.76 लाख कर्मचारी सार्वजनिक तथा 2.93 लाख कर्मचारी निजी क्षेत्र में कार्यरत रहे हैं।

तालिका–9.02
प्रदेश में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

औद्योगिक वर्ग	औद्योगिक विवरण	सेवारत् कर्मचारियों की संख्या (मार्च, 2014)	
		सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र
1	2	3	4
"एच"	परिवहन एवं भण्डारण	246434	3490
"आई"	आवासीय एवं खाद्य सेवा क्रियायें	555	8452
"जे"	सूचना एवं संचार	19775	10321
"के"	वित्तीय एवं बीमा क्रियायें	103224	7794
"एल"	रियल स्टेट क्रियायें	0	25260
"एम"	व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियायें	17610	325
"एन"	प्रशासकीय एवं सहायतित सेवायें	202	19844
"ओ"	लोक प्रशासन एवं रक्षा, आवश्यक सामाजिक सुरक्षा	537098	0
"पी"	शिक्षा	239948	205996
"क्यू"	मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	106094	9808
"आर"	कला, मनोरंजन एवं आमोद–प्रमोद क्रियायें	1578	623
"एस"	अन्य सेवा कार्य	3119	1305
योग		1275637	293218

• • •

अध्याय–10
अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार

उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के लिये अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार की सुदृढ़ एवं व्यापक व्यवस्था आवश्यक है। यह प्रदेशवासियों को सुखी एवं समुन्नत जीवनयापन सुलभ कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। परिवहन एवं व्यापार सम्बंधी क्रिया–कलापों का विकास एवं विस्तार कुछ हद तक सड़कों के विकास पर निर्भर करता है। कृषि एवं औद्योगिक उत्पादों के लिये सड़क एवं संचार जैसे अवस्थापनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी प्रकार कच्चे मालों की आपूर्ति तथा निर्मित उत्पादों के विक्रय के लिये परिवहन का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। सड़कों के निर्माण एवं रख–रखाव की प्रक्रिया में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। राज्य में अवस्थापना परिवहन एवं संचार व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं उपयोगी बनाने की दृष्टि से प्रदेश में सड़क मार्गों, रेल मार्गों, वायु मार्गों, जल मार्गो एवं मेट्रो रेल के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है।

सड़क

सड़क नेटवर्क अर्थव्यवस्था के निरन्तर और समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण घटक है। यह देश भर में यात्री की आवाजाही और माल ढुलाई की सुविधा प्रदान करता है। परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच सड़क परिवहन अपनी लास्टमाईल कनेक्टीविटी की भूमिका के वजह से प्रमुख है। पिछले कुछ वर्षों में परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में भारत में यात्री और माल की आवाजाही तेज़ी से सड़क परिवहन क्षेत्र की ओर स्थानान्तरित हुआ है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2011–12 में सड़क परिवहन एवं रेलवे द्वारा कुल यात्रियों की आवाजाही में से 86 प्रतिशत यात्री सड़क परिवहन द्वारा आवाजाही किये। माल की ढुलाई के सम्बन्ध में यह आकड़ा 64.5 प्रतिशत था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2001–2011 के मध्य वाहन संख्या की वृद्धिदर 10 प्रतिशत रही जबकि इस अवधि में सड़क नेटवर्क में 3.3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई है फलस्वरूप कई हिस्सों पर सड़क की क्षमता संतृप्त हो गयी है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी था जबकि उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 828 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी था। इससे संकेत मिलता है कि राज्य के सड़क नेटवर्क पर जबरदस्त दबाव है तथा राज्य के सड़क नेटवर्क में और अधिक सुधार एवं विस्तार की जरूरत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा, 2011 के आधार पर 28 राज्यों के आकड़े जारी किये गये है उसके अनुसार प्रतिलाख जनसंख्या पर सड़क घनत्व में उत्तर प्रदेश 25वें एवं प्रति सौ वर्ग किमी के क्षेत्रफल पर सड़क घनत्व में 9वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में प्रतिलाख जनसंख्या पर सड़क घनत्व 195.54 किमी जबकि राष्ट्रीय औसत 387.57 किमी है इसी प्रकार प्रति सौ वर्ग किमी क्षेत्रफल पर सड़क घनत्व 161.98 किमी है जबकि राष्ट्रीय औसत 14.68 किमी है। प्रदेश के विकास के लिये अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने मे मार्गों एवं सेतुओं की विशेष भूमिका है। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षित मार्गों की कुल लम्बाई सम्बन्धी आंकड़ें तालिका 10.01 में दर्शाये गये हैं–

तालिका–10.01
लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षित सड़क नेटवर्क की वर्तमान स्थिति

क्रम सं0	मार्ग का वर्गीकरण	31.03.14 की स्थिति (कि.मी.)
1	2	3
1	राष्ट्रीय मार्ग	7572.957
2	राज्य मार्ग	7543.73
3	प्रमुख जिला मार्ग	7338.4
4	अन्य जिला मार्ग	43872.3
5	ग्रामीण मार्ग	150349.60
	योगः–	**209104.03**

वर्ष 2012–13 में प्रति लाख जनसंख्या पर लोक निर्माण विभाग के अधीन पक्की सड़कों की लम्बाई 100.98 किलो मीटर थी, वहीं प्रति हजार वर्ग किलो मीटर क्षेत्रफल पर लोक निर्माण विभाग के अधीन पक्की सड़कों की लम्बाई 814.57 किलो मीटर थी। सड़क निर्माण को अवस्थापना घटक मानते हुए विभिन्न सड़क निर्माण/मरम्मत सम्बन्धी योजनायें संचालित की जा रही हैं जिनका विवरण निम्नवत है–

1.जिला मुख्यालयों को चार लेन मार्गों से जोड़ना

प्रदेश को सुगम यातायात उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से समस्त जिला मुख्यालयों को 4 लेन चौड़े मार्ग से जोड़ने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2012–13 में प्रारम्भ की गयी थी। प्रदेश के 30 जिला मुख्यालय 4 लेन/2 लेन विद पेव्ड शोल्डर मार्ग से पूर्व से ही जुड़े हुए हैं तथा 10 जिला मुख्यालय भारत सरकार की स्वीकृत योजना (एनएचडीपी) के अन्तर्गत प्रस्तावित 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ जायेंगे तथा 9 जिला मुख्यालय 2–लेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हैं जो 2–लेन विद पेव्ड शोल्डर किए जाने हेतु भारत सरकार की स्वीकृत योजना (एनएचडीपी) एवं 02 जिला मुख्यालय (बहराइच एवं सिद्धार्थनगर) एन0एच0 के अन्तर्गत ई0पी0सी0 मोड पर प्रस्तावित 2 लेन (विद पेव्ड शोल्डर) राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ जायेंगे। 04 जिला मुख्यालयों को 4 लेन मार्ग से जोड़े जाने का कार्य उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) के अन्तर्गत प्रस्तावित/निर्माणाधीन हैं। शेष 20 जिला मुख्यालयों को जोड़ने का कार्य लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा। वर्ष 2014–15 में लो0नि0वि0 द्वारा जनपद अमरोहा तथा एन0एच0ए0आई0 द्वारा रायबरेली जनपद को जोड़ा गया। वर्ष 2015–16 में लो0नि0वि0 द्वारा सम्भल, श्रावस्ती तथा फर्रूखाबाद को जोड़ा गया तथा एन0एच0ए0आई0 द्वारा हमीरपुर, हाथरस, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़ व बुलन्दशहर को फोर लेन मार्ग से जोड़ा गया।

2.ग्रामों/बसावटों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ना

प्रदेश सरकार की सम्पर्क मार्गों से असंतृप्त 250 से अधिक समस्त बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोड़े जाने की प्राथमिकता है। 500 से अधिक आबादी की समस्त ऐसी अनजुड़ी बसावटें, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से आच्छादित नहीं हैं, उन्हें इस वित्तीय वर्ष में पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने का लक्ष्य है। 250 से अधिक आबादी की लगभग 14812 बसावटें जोड़ी जानी शेष हैं। इन बसावटों को निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है–

(i) डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना–

राजस्व ग्रामों के चहुँमुखी विकास हेतु प्रदेश में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना वर्ष 2012 में लागू की गयी। इस योजना का उद्देश्य उन राजस्व ग्रामों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है, जो विकास के आधारभूत सुविधाओं यथा सम्पर्क मार्ग, पेयजल इत्यादि से वंचित हैं। योजनान्तर्गत 9998 चयनित ग्रामों में सम्पर्क मार्गो हेतु वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 250 से अधिक आबादी की समस्त बसावटों को सम्पर्क मार्गो से जोड़ा जाना लक्षित है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में इस योजनान्तर्गत 1787.65 किमी0 लम्बाई एवं लागत रू0 736.49 करोड़ से 1091 ग्रामों की बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ा गया। वर्ष 2015–16 में इस योजनान्तर्गत 1106 कार्यों, जिनकी लम्बाई 1168.19 कि0मी0 एवं लागत रू0 558.8664 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(ii) श्री राम शरण दास ग्राम सड़क योजना–

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं कृषि विपणन सुविधाओं को बढ़ाने हेतु प्रदेश में 6221 ऐसी बसावटें जिनकी आबादी 500 अथवा उससे अधिक है (जो पी.एम.जी.एस.वाई. से आच्छादित नहीं हैं) को श्री राम शरण दास ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु योजना संचालित है। वर्ष 2014–15 में लो0नि0वि0 द्वारा 1451 बसावटें, लम्बाई 1505.92 किमी0, लागत 661.83 करोड़ से जोड़ी गईं। अवशेष बसावटों को वर्ष 2015–16 में पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की व्यवस्था की गई है।

(iii) अनुसूचित जाति सब प्लान/ट्राईबल सब प्लान–

अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत ऐसी बसावटों जिनकी आबादी 250 अथवा उससे अधिक है एवं जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी 25 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है, को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जा रहा है तथा एस0सी0पी0 के अन्तर्गत पूर्व से निर्मित परन्तु ध्वस्त हो चुके सम्पर्क मार्गों का भी पुनर्निर्माण किया गया है। वर्ष 2014–15 में 1055 बसावटों/मजरों को, लम्बाई 805.15 किमी0, रू0 365.09 करोड़ की लागत से सम्पर्क मार्ग से संतृप्त किया गया है।

3.मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण

समस्त एक लेन चौड़े राज्य मार्ग तथा महत्वपूर्ण मुख्य जिला मार्ग एवं अन्य जिला मार्गों को यातायात की माँग के अनुसार चरणबद्ध रूप से 02 लेन किये जाने की योजना है। इसके अतिरिक्त भारी यातायात के कारण क्षतिग्रस्त ऐसे प्रमुख/अन्य जिला मार्ग जो नवीनीकरण/विशेष मरम्मत योग्य नहीं हैं, उनका सुदृढ़ीकरण

किया जा रहा है। वर्ष 2014–15 में राज्य योजना के अन्तर्गत 416.80 कि0मी0 राज्य मार्ग, 425.37 कि0मी0 प्रमुख/अन्य जिला मार्ग, राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत 568.61 कि0मी0 राज्य मार्ग तथा 1436.52 कि0मी0 प्रमुख/अन्य जिला मार्ग, एवं अन्य योजनाओं से 1849.15 कि0मी0 मार्ग, इस प्रकार कुल 4696.45 कि0मी0 मार्गों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किया गया। वर्ष 2015–16 में राज्य योजना के अन्तर्गत 561 कि0मी0 राज्य मार्ग, 1138 कि0मी0 प्रमुख/अन्य जिला मार्ग, राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत 687 कि0मी0 राज्य मार्ग तथा 1743 कि0मी0 प्रमुख/अन्य जिला मार्ग, एवं अन्य योजनाओं से 1471 कि0मी0 मार्ग, इस प्रकार कुल 5600 कि0मी0 मार्गों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किया जाना लक्षित है।

4.कोर रोड नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण

प्रदेश में महत्वपूर्ण मार्गो का एक कोर रोड नेटवर्क के अन्तर्गत 15588.70 कि0मी0 लम्बाई के मार्गों को चिन्हित किया गया है। इन मार्गों के क्षतिग्रस्त/ध्वस्त भाग के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2015–16 में नई योजना प्रारम्भ की गयी है। वर्ष 2015–16 हेतु 4805.25 कि0मी0 लम्बाई सुदृढ़ीकरण हेतु लक्षित है। इसके अतिरिक्त 1692.41 किमी0 लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य किया जाना लक्षित है। इस प्रकार वर्ष 2015–16 में कुल लक्षित 6497.65 कि0मी0 में से 4556.00 कि0मी0 मार्गों की दशा का सुधार कर लिया गया है।

5.पी0पी0पी0 माडल पर उपशा द्वारा मार्ग निर्माण

वर्ष 2004 में राज्यमार्ग एवं अन्य मार्गों के निर्माण व अनुरक्षण हेतु उपशा का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया था। पी0पी0पी0 माडल के अन्तर्गत उपशा द्वारा दिल्ली सहारनपुर यमुनोत्री मार्ग, बरेली अल्मोड़ा मार्ग तथा वाराणसी शक्तिनगर मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है। बरेली–अल्मोड़ा मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वाराणसी–शक्ति नगर मार्ग पर लक्ष्य 117.65 किलो मीटर के सापेक्ष 99.18 किलोमीटर का निर्माण हो चुका हैं। दिल्ली–सहारनपुर यमुनोत्री मार्ग पर लक्ष्य 206. 09 किलो मीटर के सापेक्ष 3.9 किलो मीटर का निर्माण कराया जा चुका है।

6.सेतु व रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत 60 मीटर से अधिक लम्बाई के दीर्घ सेतुओं का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा तथा 60 मीटर से कम लम्बाई के लघु सेतुओं का निर्माण लो0नि0वि0 द्वारा किया जाता है। रेल उपरिगामी सेतुओं के अतिरिक्त सभी पहुॅच मार्ग लो0नि0वि0 द्वारा निर्मित किये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2014–15 में 121 सेतुओं को पहुॅच मार्ग सहित पूर्ण किया गया है। पूर्ण सेतुओं के अनुरक्षण में 42 दीर्घ सेतु, 59 लघु सेतु एवं 20 रेल उपरिगामी सेतु है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 85 दीर्घ सेतु, 120 लघु सेतु व 35 रेल उपरिगामी सेतु, कुल 240 सेतुओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष 114 सेतु, 07 रेल उपरिगामी सेतु का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

7.इण्डो नेपाल बार्डर मार्ग

उत्तर प्रदेश में भारत–नेपाल सीमा पर मार्ग निर्माण की परियोजना का सैद्धान्तिक अनुमोदन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 में किया गया है। प्रस्तावित मार्ग उत्तर प्रदेश के सात जनपद क्रमशः पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराईच, श्रावस्ती, बलरामपुर,

सिद्वार्थनगर तथा महाराजगंज से होकर गुजरता है। इस परियोजना की मूल अनुमोदित लम्बाई 640.00 कि0मी0 तथा लागत रू0 1621.00 करोड़ है। विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को कुल 28 डी0पी0आर0, लम्बाई 574.59 कि0मी0 एवं आंकलित लागत रू0 2805.56 करोड़ गठित कर प्रेषित की गयी। इसके विरूद्ध कुल 12 डी0पी0आर0 लम्बाई 257.01 कि0मी0 एवं लागत रू0 735.83 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति भारत सरकार द्वारा निर्गत कर दी गयी है, जिसमें भारत सरकार का अंश रू0 659.74 करोड़ एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने वाला अंश रू0 76.09 करोड़ है। तदुपरान्त उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा निर्गत स्वीकृति के अनुसार कुल स्वीकृत लागत रू0 756.10 करोड़ के सापेक्ष भारत सरकार का अंश रू0 667.85 करोड़ तथा राज्यांश रू0 88.26 करोड़ है।

स्वीकृत परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा मात्र मार्ग निर्माण पर आने वाले व्यय का ही वहन किया जायेगा, जबकि संरेखण पर आवश्यक भूमि अध्याप्ति, वन एवं वन्य जीव पूर्वानुमति के फलस्वरूप एन0पी0वी0 का भुगतान एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग पर आने वाला व्यय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृत 12 कार्यों का अनुबंध गठित किया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत कुल लंबाई 252 कि0मी0 में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। स्वीकृत/अनुबंधित कार्यो पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। परियोजना के अंतर्गत आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय किये जाने हेतु जनपदवार कुल रू0 673.52 करोड़ के आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। परियोजना के अंतर्गत आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय किये जाने का कार्य प्रगति पर है।

8.जनपद आगरा, लखनऊ, इटावा तथा मथुरा में साइकिल ट्रैक का निर्माण

राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं आर्थिक स्तर पर लाभदायक साइकिल के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु तथा साइकिल सवारों की सुरक्षा हेतु अलग से साइकिल ट्रैक का निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार का मत है कि साइकिल यातायात के मुख्य यातायात से अलग होने पर दुर्घटनाओं में भी उल्लेखनीय कमी आयेगी। वर्तमान में जनपद आगरा, लखनऊ, इटावा तथा मथुरा में लगभग 80 कि0मी0 लम्बाई में साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। माह अप्रैल 2015 से दिसम्बर 2015 तक कुल 45.14 किलोमीटर साईकिल ट्रैक का निर्माण कराया जा चुका है। जनवरी 2016 से मार्च 2016 तक 20 कि०मी० तथा अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक 20 कि०मी० साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जायेगा। मार्गो तथा सेतुओं के नेटवर्क के विकास हेतु मुख्य चुनौतियॉ निम्नवत् हैंः–

1– मार्गों के अनुरक्षण व नवीनीकरण हेतु पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना।

2– राज्य मार्ग/प्रमुख जिला मार्ग तथा यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण अन्य जिला मार्गो को कम से कम दो लेन चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु संसाधन की कमी।

3– मार्गों तथा पहुॅच मार्गो हेतु वन एवं पर्यावरण की अनापत्ति व भूमि अधिग्रहण को समय से

सम्पन्न कराना।

4– भारी वाहनों की ओवर–लोडिंग से मार्गो का क्षतिग्रस्त होना।

परिवहन

परिवहन सेवाओं का विस्तार देश/प्रदेश की समृद्धि एवं सुदृढ़ औद्योगिक विकास का परिचायक है। प्रदेश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति परिवहन सेवाओं के विकास पर पूर्ण रूप से निर्भर करती है। सड़कों के विस्तार के साथ ही परिवहन सेवाओं में भी विस्तार हो रहा है। निजी क्षेत्र के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदेशवासियों को सस्ती एवं सुगम परिवहन सेवायें सुलभ कराने के उददे्श्य से उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गयी हैं। इन सेवाओं से सम्बंधित आंकड़े तालिका 10.02 में दर्शाये गये हैं–

तालिका–10.02
उत्तर प्रदेश में राजकीय सड़क परिवहन परिचालन के आंकड़े

मद	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15*	2013–14 की अपेक्षा 2014–15 में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6
1–औसत परिचालित बसें (सं0)	8325	8634	9318	9128	(–)2.0
2–वर्ष के अन्त में परिचालित मार्ग (संख्या)	2211	2428	2403	2384	(–)0.8
3–वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गों की औसत लम्बाई (कि0मी0)	247	237	241	236	(–)2.1
4–वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गों की कुल लम्बाई(हजार कि.मी.)	546	576	580	562	(–)3.1
5–दैनिक कुल परिचालित दूरी (हजार कि0 मी0)	2971	3052	3220	3169	(–)1.6
6–प्रतिदिन ले जाये गये यात्री (लाख)	13.42	14.43	14.67	14.90	1.6
7–दुर्घटनायें (प्रति लाख कि0मी0)	0.11	0.09	0.08	0.08	0.0
8–कुल दुर्घटनायें (संख्या)	935	798	766	726	(–)5.2

*****अनन्तिम*

स्रोतः– उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम।

जनसंख्या वृद्धि के कारण आवागमन एवं यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरुप मार्गो पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस परिप्रेक्ष्य में राजकीय एवं निजी क्षेत्रों के गाड़ियों से सम्बंधित आंकड़े तालिका 10.03 में दर्शाये गये हैं–

तालिका–10.03

उत्तर प्रदेश में सड़क पर चल रही मोटर गाड़ियां (राजकीय व निजी क्षेत्र)

मद	मोटर गाड़ियों की संख्या (31 मार्च को)				2013–14 की अपेक्षा 2014–15 में प्रतिशत वृद्धि	गाड़ियों का प्रतिशत अंश	
	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15*		2013–14	2014–15
1	2	3	4	5	6	7	8
1–मोटर साईकिल	12410064	13724495	15395363	17515486	13.8	80.5	80.2
2– कार	1108100	1205374	1686747	2152455	27.6	8.8	9.9
3– बस	43081	49830	55127	60197	9.2	0.3	0.3
4–टैक्सी	235145	284684	312520	349349	11.8	1.6	1.6
5–ट्रक	339148	400226	401283	438804	9.4	2.1	2.0
6–ट्रैक्टर	1064284	1088058	1147190	1189958	3.7	6.0	5.4
7– अन्य	254393	305108	126252	131462	4.1	0.7	0.6
कुल	15454215	17057775	19124482	21837711	14.2	100.0	100.0

*अनन्तिम *स्रोतः–परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 एवं उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम।*

विद्युत

सम्पूर्ण विकास प्रक्रिया में विद्युत की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। एक ओर जहां कृषि एवं औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में अभिवृद्धि करने के लिए विद्युत का महत्वपूर्ण स्थान है, वहीं हमारे दैनिक जीवन की समृद्धि के लिए विभिन्न उपकरणों का प्रयोग भी विद्युत की उपलब्धता पर ही निर्भर है। यही कारण है कि आज के युग में विद्युत विकास का पर्याय हो गया है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन की दिशा में अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) में इस मद हेतु 49839.95 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत है, जिसमें से उक्त मद पर वर्ष 2012–13 में 7180.19 करोड़ रुपये व्यय किये गये। वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में उक्त मद पर व्यय (आंतरिक संसाधनों एवं अन्य स्रोतों से व्यय सम्मिलित) क्रमशः 6975.00 एवं 7486.52 करोड़ रुपये रहा।

तालिका–10.04

उत्तर प्रदेश में विद्युत का उत्पादन एवं उपभोग

क्र.सं.	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		2013–14	2014–15	
1	2	3	4	5
1	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	5458	5460	0.04
2	उपभोग (मिलियन यूनिट)	58236.9	63396.8	8.9
3	कुल उत्पादन (मिलियन यूनिट)	26589.4	26369.1	(–)0.8
4	उपभोक्ताओं की संख्या(हजार में)	14265	16418	15.1
5	राजस्व वसूली (करोड़ रु0)	27975.4	26323.5	(–)5.9
6	विद्युत बकाया (करोड़ रु0)	27575.8	23130.2	(–)16.1

स्रोत– उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नियोजन स्कन्ध, लखनऊ।

वर्ष 2013–14 में तापीय विद्युत परियोजनाओं द्वारा 25321 मिलियन यूनिट, जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा 1268 मिलियन यूनिट, कुल 26589 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया गया। सहायक संयत्रों मे खपत की मात्रा 2445 मिलियन यूनिट को घटाने के पश्चात कुल शुद्ध उत्पादन 24144 मिलियन यूनिट रहा तथा इसी अवधि में कुल आयात (केन्द्र एवं अन्य) 58568 मिलियन यूनिट किया गया। इस प्रकार 2013–14 में बसबार पर कुल विद्युत उपलब्धता 82712 मिलियन यूनिट रही।

तालिका–10.05

उत्तर प्रदेश एवं कुछ अन्य प्रमुख राज्यों में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन/उपभोग सम्बन्धी आंकड़े–2013–14

क्र. सं.	राज्य	प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन (कि.वा. घंटा)	प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग (कि.वा. घंटा)
1	2	3	4
1	आन्ध्र प्रदेश	380	875
2	बिहार	3	163
3	झारखण्ड	250	877
4	गुजरात	1342	1684
5	हरियाणा	1006	1869
6	कर्नाटक	851	1165
7	केरल	245	640
8	मध्य प्रदेश	395	912
9	छत्तीसगढ़	1104	1630
10	महाराष्ट्र	880	1265
11	ओडिषा	475	1223
12	पंजाब	1063	1776
13	राजस्थान	639	1059
14	तमिलनाडु	765	1414
15	पश्चिम बंगाल	353	609
16	उत्तर प्रदेश	224	474
17	उत्तराखण्ड	524	1315
18	हिमांचलप्रदेश	1607	1433
19	आसाम	60	274
20	गोवा	125	2018
भारत		**830**	**957**

स्रोत–केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार।

विद्युतीकृत ग्राम

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार उत्तर प्रदेश में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या वर्ष 2013–14 में 97813 थी, जो कि उत्तर प्रदेश में कुल आबाद ग्रामों का 98.4 प्रतिशत था। राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रतिशत 96.3 था। यद्यपि उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा, परन्तु वहीं आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु एवं गोवा ऐसे राज्य हैं जहाँ शत–प्रतिशत ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। उ0 प्र0 मे इस ओर और प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के गांवों और अनुसूचित जाति बस्तियों का विद्युतीकरण किया जाता है। भारत के अन्य राज्यों जैसे हरियाणा, केरल, पंजाब, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एवं कर्नाटक आदि में ग्रामों के विद्युतीकरण को देखते हुए ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अभी काफी पीछे है। कुल आबाद ग्रामों में से वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 के अन्त तक उक्त संख्या 87086 ही रही। वर्ष 2014–15 के अन्त तक विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या बढ़कर 87139 हो गयी।

अनुसूचित जाति बस्तियों का विद्युतीकरण

प्रदेश में अनुसूचित जाति बस्तियों की दशा सुधारने के लिए उनमें विद्युतीकरण हेतु यथोचित् प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2011–12, 2012–13 तथा 2013–14 के अन्त तक क्रमशः 98372, 99173 तथा 99461 अनुसूचित जाति बस्तियों में विद्युतीकरण कार्य किया जा चुका है। वर्ष 2014–15 के अन्त तक उक्त संख्या बढ़कर 99475 हो गयी।

नलकूप/पम्प सेट्स का ऊर्जीकरण

सिंचाई के सुनिश्चित साधनों के प्रसार हेतु प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक से अधिक नलकूप/पम्प सेट्स का ऊर्जीकरण किया जा रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के अन्त तक उत्तर प्रदेश में उर्जीकृत नलकूपों/पम्पसेटों की संख्या 11. 08 लाख करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2012–13 के अंत तक उक्त संख्या बढ़कर 10.06 लाख वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के अंत तक उर्जीकृत नलकूपों/पम्पसेटों की संख्या बढ़कर क्रमशः 10.36 एवं 10.57 लाख हो गयी।

पारेषण लाइनों का विस्तार

प्रदेश में विद्युत उपभोग की सुविधा अधिक से अधिक लोगों तक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पारेषण लाइनों का विस्तार किया जा रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के अन्त तक पारेषण लाइनों का विस्तार 36845 सर्किट/कि.मी. तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त लम्बाई वर्ष 2012–13 में 26058 सर्किट/कि.मी. थी। वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में पारेषण लाइनों की लम्बाई क्रमशः 27627 सर्किट/कि.मी.एवं 29105 सर्किट/कि.मी.हो गयी।

उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं आपूर्ति मे सुधार हेतु किये जा रहे प्रयासों का विवरण

1. प्रदेश में समुचित एवं सुचारू विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पारेषण तंत्र के 765 के०वी० के 2, 400के० वी० के 6 एवं 132के०वी० के 90 उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य चल रहा है।
2. विजन 2016 के अन्तर्गत राज्य सरकार के माह अक्टूबर 2016 से महानगर/जनपद मुख्यालयों एवं तहसीलों तथा ग्रामीण क्षेत्रों को क्रमशः न्यूनतम 24/22 घण्टे एवं 16 घण्टे सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति देने के निर्णय के क्रम में प्रणाली सुदृढ़ीकरण 4800 किमी० 11के०वी० लाइनों के निर्माण का लक्ष्य रखा

गया है।

3. (i)आर०जी०जी०वी०वाई० द्वितीय चरण (11वीं योजना) के अन्तर्गत अविद्युतीकृत ग्राम/मजरों जिनकी आबादी 300 एवं अधिक है, उनका विद्युतीकरण किया जाना है। प्रदेश में 22 जनपदों की 551 अविद्युतीयकृत ग्रामों एवं 32148 मजरों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य प्रगति पर है।

   उक्त योजना के अन्तर्गत 857000 बी०पी०एल० परिवारों को निःशुल्क संयोजन दिया जाना है, जिसमें अब तक 232963 संयोजन दिये जा चुके है।

   (ii) आर० जी०जी०वी०वाई० द्वितीय चरण (12वीं योजना) के अन्तर्गत अविद्युतीकृत ग्राम/मजरों जिनकी आबादी 100 एवं अधिक है, उन ग्रामों एवं मजरों को प्रदेश में 64 जनपदों की 140651 अविद्युतीकृत ग्रामों/मजरों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करना है जिसके अन्तर्गत 3188 मजरों का विद्युतीकरण हो चुका है। शेष कार्य वर्ष 2016–17 में किये जायेगें। इस योजना के अन्तर्गत 18704 बी०पी०एल० परिवारों को निःशुल्क संयोजन निर्गत किये जा चुके हैं।

4. विद्युत आपूर्ति बढ़ाने हेतु 2175 में०वा० के क्रय अनुबन्ध हस्ताक्षरित हो चुकें हैं जिससे 361 मे०वा० बिजली मिलना शुरू हो गया है एवं शेष अक्टूबर 2016 में मिलना शुरू हो जायेगा तथा 3800 मे०वा० विद्युत क्रय किये जाने हेतु प्रक्रिया चल रही है।

5. नगरों/शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति देने, लाइन हानियों में कमी लाने उपभोक्ताओं की संतुष्टि तथा नगरों के सौन्दर्यीकरण हेतु 8 नगरों (मऊ, आजमगढ़, रामपुर, सीतापुर, कन्नौज, तिर्वा (कन्नौज) इटावा और बहराइच) में अण्डर ग्राउण्ड केबिलिंग का कार्य लक्षित है जिसमें रू०496.5 करोड़ व्यय होगा।

6. प्रदेश की विद्युत आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु विद्युत उत्पादन बढ़ाया जाना लक्षित है। इस हेतु लगभग 9 बड़े विद्युत उत्पादन केन्द्रों (पावर हाउसों) की स्थापना की जा रही है। वर्तमान में राज्य विद्युत उत्पादन क्षमता 4933 मे०वा० है जिसमें वर्ष 2022 तक कुल 10250 मे०वा० की वृद्धि होने की सम्भावना हैं।

7. ललितपुर पावर प्रोजेक्ट की 1980 मे०वा० की उत्पादन क्षमता की इकाई की स्थापना की जा रही है जिसमें से 660 मे०वा० का उत्पादन 20 सितम्बर 2015 से प्रारम्भ हो गया है।

8. ऊर्जा के विकास एवं सुधार, लाईन हानियों को कम करने, बिलिंग व्यवस्था को सुधारने तथा विद्युत राजस्व को सग्रंह करने हेतु पुनगर्ठित त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम लागू किया गया है जिसके अन्तर्गत 168 नगरों में आई०टी० बैकबोन स्थापित करने का कार्य लक्षित था जिसमें सभी 168 नगरों को गो–लाईन कर दिया गया है तथा 167 नगरों में 3443 कि०मी० 11केवी लाइनों का निमार्ण, 13024 नग 11 केवी परिवर्तकों की स्थापना, 8586 कि०मी० LT ABC Cable की स्थापना, 16 नग 33/11केवी S/S की स्थापना, 2234 कि०मी० LT लाईनों की स्थापना, 3231 कि०मी० LT रिकन्डक्टरिंग तथा 3,89,039 नग मीटरों की स्थापना का कार्य 2014–15 हेतु लक्षित था, जिसमें से क्रमशः 1458 कि०मी०, 6313 नग, 4798 कि०मी०, 4 नग, 271 कि०मी०, 2640 कि०मी० तथा 62227 नग की स्थापना मार्च 2015 तक पूर्ण हो चुके है।

<u>वैकल्पिक ऊर्जा</u>

ऊर्जा के परम्परागत स्त्रोतो के क्षयशील

होने एवं इनके उपयोग से बढ़ते पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या के निदान हेतु ऊर्जा के गैर परम्परागत स्त्रोतो के उपयोग को प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये जा रहे हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1988 में प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास अभिकरण (नेडा) की स्थापना की गयी। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उक्त अभिकरण द्वारा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जन विद्युत ऊर्जा जैसे अनेक ऊर्जा स्रोतों के दोहन हेतु उपयुक्त तकनीकी के विकास एवं प्रचार के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) में इस मद हेतु 1500 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत है, जिसमें से उक्त मद पर वर्ष 2012–13 में 33.82 करोड़ रुपये व्यय किये गये। वर्ष 2013–14 में प्रत्याशित व्यय 41.35 करोड़ रुपये रहा।

सौर ऊर्जा नीति

प्रदेश में बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग की पूर्ति विभिन्न स्त्रोतों से करने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा नीति–2013 माह जनवरी में प्रतिपादित की गयी है। यह नीति मार्च, 2017 तक प्रभावी रहेगी तथा इस नीति के अन्तर्गत कुल 500 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना लक्षित है।

नीति के अन्तर्गत 130 मेगावाट क्षमता की सोलर पावर परियोजनाओ की स्थापना का कार्य किये जाने हेतु यूपीपीसीएल के साथ पीपीए हस्ताक्षर करने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है जिसमें कुल 110 मेगावाट क्षमता की सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि चिन्हांकन/क्रय की कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त में से 90 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं का यू० पी० पी० टी० सी० एल० में ग्रिड कनेक्टिविटी संबंधी अनुमोदन प्राप्त करने हेतु ग्रांण्ट आफ ग्रिड कनेक्टिविटी संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत कर दिये गये है। परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा ग्रिड संयोजित सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना स्वयं चिन्हित एवं क्रय की गयी उपयुक्त भूमि पर स्वयं के पूर्ण व्यय पर की जायेगी एवं इन परियोजनाओं से उत्पादित ऊर्जा का विक्रय यूपीपीसीएल को प्रारम्भ हो जायेगा।

परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा उक्त 130 मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजनाओं के सापेक्ष 40 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं की स्थापना की जा चुकी है। अवशेष 50 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं की स्थापना का कार्य अग्रसर है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, उ0प्र0, द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण

1.यूपीनेडा एवं एनएचपीसी का संयुक्त उपक्रम

यूपीनेडा एवं एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित संयुक्त उपक्रम द्वारा 50 मेगावाट क्षमता का जनपद उरई में परियोजना स्थापित की जानी प्रस्तावित है। सौर ऊर्जा नीति 2013 के अन्तर्गत लक्षित 500 मेगावाट क्षमता के सापेक्ष उक्त परियोजना का सौर ऊर्जा नीति में प्राविधानित प्रोत्साहन एवं यूपीपीसीएल से पीपीए करने हेतु पावर पर्चेजिगं एग्रीमेन्ट किया जाना है। तत्क्रम में यूपीनेडा एवं एनएचपीसी के मध्य संयुक्त उपक्रम बनाने हेतु प्रमोटर्स अनुबन्ध व आर्टिकल आफ एसोसियेशन हस्ताक्षरित करते हुए संयुक्त उपक्रम बनाने की कार्यवाही की जा रही है। 50 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजना की स्थापना एवं कमीशनिंग की कार्यवाही प्रगति पर है।

2.सोलर पार्क

प्रदेश की प्रख्यापित सौर ऊर्जा नीति 2013 में सोलर फार्म (पार्क) स्थापित किये जाने

का प्राविधान है। सौर ऊर्जा नीति में उपलब्ध उपर्युक्त प्राविधान के अन्तर्गत प्रदेश में सोलर फार्म (पार्क) जहां कई ग्रिड संयोजित सौर ऊर्जा पर आधारित विभिन्न क्षमता के विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना हो सके, विद्युत निकासी की अवस्थापना व्यवस्था के साथ विकसित किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में कुल 600 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना जनपद जालौन, मिर्जापुर, इलाहाबाद एवं झांसी में की जायेगी। सोलर पार्क का विकास एवं प्रबन्धन राज्य नामित नोडल एजेन्सी जोकि यूपीनेडा है व भारत सरकार के नामित नोडल एजेन्सी सोलर इनर्जी कारपोरेशन आफ इण्डिया (सेकी) के संयुक्त उपक्रम के द्वारा किया जायेगा। संयुक्त उपक्रम में यूपीनेडा एवं सेकी का 50–50 प्रतिशत शेयर होगा। प्रस्तावित सोलर पार्क में भूमि विकास के अतिरिक्त स्थापित सोलर पावर प्लाण्ट से उत्पादित विद्युत निकासी संबंधी समस्त अवस्थापना व्यवस्थाये उपलब्ध होगी। सोलर पार्क में परियोजना की स्थापना हेतु वीजीएफ (Viabiity gap funding) आधारित बिडिंग की जायेगी।

3. रूफटाप सोलर पालिसी का कार्यान्वयनः

व्यक्तिगत, संस्थागत तथा सरकारी भवनों में रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु प्रदेश की रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट नीति वर्ष 2014–15 में प्रख्यापित की गयी है। नीति की संचालन अवधि मार्च 2017 तक कुल 20 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संयोजित सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना लक्षित है। नीति के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग से रेग्यूलेशन जारी कराये जायेगें, सरकारी भवनों पर स्थापना के लिए फर्मो/ईपीसी कांट्रेक्टर का बिडिंग के माध्यम से चिन्हित करते हुए रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना करायी जायेगी। ग्रिड संयोजित रूफटाप सोलर पी0वी0 पावर प्लाण्ट से नेट मीटरिंग के आधार पर उपभोक्ताओं द्वारा डिस्काम को नेटमीटर रीडिंग के अनुसार भुगतान किया जा सकता है।

रेलवे

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना

लखनऊ शहर की वर्तमान सम्पूर्ण यातायात व्यवस्था सड़क पर आधारित है जो कि अत्यधिक समय लेने वाली, वायु प्रदूषण को बढ़ावा देने वाली तथा सड़क दुर्घटना में अत्यधिक वृद्धि की कारक है। शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए वर्तमान यातायात अधोसंरचना को सुदृढ़ और विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है। प्रदेश की राजधानी में एक विश्वस्तरीय सार्वजनिक परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 में लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना को निर्मित किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह परियोजना राजधानी वासियों एवं आगन्तुकों को एक सुविधा जनक, सुरक्षित, विश्वसनीय तथा किफायती मल्टी मॉडल ट्रांस्पोर्ट सिस्टम प्रदान करेगी। प्रस्तावित मेट्रो न केवल वर्तमान यातायात व्यवस्था की आवश्यकता को देखते हुए बल्कि भविष्य में 30–40 वर्षों के लिए भी सकारात्मक विकल्प होगी तथा 25,000 से 50,000 यात्रियों के आवागमन का साधन होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में जुलाई 2013, में लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज़–1ए (MRTS) लागू किये जाने का अनुमोदन किया है, जिसके लिए शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा माह– दिसम्बर, 2013 में सैद्धान्तिक सहमति दे दी गयी है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने फेज़–2 नॉर्थ साऊथ कॉरिडोर में लगभग 8.5 किमी० की दूरी प्राथामिक सेक्शन के रूप में चिन्हित की है तथा ट्रांसपोर्टनगर से चारबाग स्टेशन तक इस पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है। प्राथमिक सेक्शन को

2000.00 करोड़ की अनुमानित लागत से माह दिसम्बर 2016 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

प्रगति :–

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना पर वर्तमान में दिनांक 30.09.2015 तक रू० 410.00 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परियोजना हेतु निम्नलिखित धनराशियाँ उपलब्ध करायी जा चुकी है।

- वित्तीय वर्ष 2013–14 20 करोड़
- वित्तीय वर्ष 2014–15 95 करोड़
- वित्तीय वर्ष 2015–16 625 करोड़

प्रभाव :–

लखनऊ शहर की अधोसंचना को विकसित करने में यह परियोजना सहायक सिद्ध होगी। यह परियोजना पर्यावरण के दृष्टिगत सकारात्मक प्रभावी होगी जैसे कि यातायात अवरोध में कमी, काफी कम समय में लम्बी दूरी की यात्रा, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण में कमी, ईंधन का कम उपभोग तथा सड़क दुर्घटना इत्यादि में काफी कमी आएगी।

संचार

डाकघर

संचार माध्यमों के अन्तर्गत डाकघरों का अत्यधिक महत्व है, क्योकि इनके माध्यम से जनसामान्य को सस्ती एवं सुलभ संदेशवाहन सेवा उपलब्ध होने के साथ ही अल्पबचत कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में भी सहायता मिलती है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001–02 में कुल डाकघरों की संख्या 17627 थी जिनमें 1938 डाकघर नगरीय क्षेत्र में तथा 15689 डाकघर ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत् थे। वर्ष 2014–15 में इनकी संख्या बढ़कर 17655 हो गयी, जिनमें 1925 डाकघर नगरीय क्षेत्र में तथा 15730 डाकघर ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध थे। उत्तर प्रदेश में डाकघरों की स्थिति तालिका–10.06 में दर्शायी

तालिका–10.06

उत्तर प्रदेश में डाकघरों की संख्या (31 मार्च को)

मद	2001–02	2004–05	2011–12	2013–14	2014–15
1	2	3	4	5	6
डाकघरों की संख्या	17627	17658	17669	17680	17655
(क) नगरीय	1938	1959	1925	1933	1925
(ख) ग्रामीण	15689	15699	15744	15747	15730

दूरभाष

दैनिक जीवन तथा व्यापारिक, वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक क्रिया–कलापों में दूरभाष सेवाओं का बड़ा महत्व है। वर्ष 2013–14 में उत्तर प्रदेश में कुल 1088750 बेसिक टेलीफोन तथा 3134 टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत् थे। वर्ष 2014–15 में बेसिक टेलीफोन कनेक्शन तथा टेलीफोन एक्सचेंज की संख्या घटकर क्रमशः 756411 एवं 3110 हो गयी। मोबाइल सेवा के वृहद् विस्तार के परिणामस्वरूप ही बेसिक टेलीफोन कनेक्शन की संख्या में कमी होना प्रतीत होता है। इसी प्रकार वर्ष 2013–14 में उत्तर प्रदेश में इन्टरनेट सब्सक्राइवर एवं मोबाईल कनेक्शन की संख्या क्रमशः 310619 तथा 13655 हजार थी, जो वर्ष 2014–15 में बढ़कर क्रमशः 103047 एवं 2471280 हजार हो गयी। उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन, टेलीफोन एक्सचेंज, इन्टरनेट सब्सक्राइवर एवं मोबाईल कनेक्शन की स्थिति तालिका–10.07 में दर्शायी गयी है–

तालिका–10.07

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन,टेलीफोन एक्सचेंज, इन्टरनेट सब्सक्राइवर एवं मोबाईल कनेक्शन की स्थिति

वर्ष	बेसिक टेलीफोन कनेक्शन की संख्या	टेलीफोन एक्सचेंज की संख्या	इन्टरनेट सब्सक्राइवर संख्या	मोबाईल कनेक्शन संख्या (हजार)
1	2	3	4	5
2011–12	1803527	3208	230047	12950
2012–13	1459178	3190	224900	13265
2013–14	1088750	3134	310619	13655
2014–15	756411	3110	103047	2471280

• • •

अध्याय–11
शिक्षा

शिक्षा, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, स्वच्छता सेवा, पेय जल सुविधा इत्यादि सामाजिक सेवा के प्रमुख अंग है। इनके विकास के बिना प्रदेश के समग्र आर्थिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती ।

प्रदेश में विभिन्न स्तर की शिक्षा पर सरकार द्वारा किये जा रहे राजस्व व्यय तालिका– 11.01 में दर्शाये गये है–

तालिका–11.01
उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार की शिक्षा पर राजस्व व्यय

(लाख रुपये)

क्रम संख्या	मद	2013–14 (वास्तविक अनुमान)	2014–15 (पुनरीक्षित अनुमान)	वर्ष 2015–16 (आय–व्ययक अनुमान)
1	2	3	4	5
1	प्राथमिक शिक्षा	1905010 (64.65)	2491279 (73.09)	3253171 (75.61)
2	माध्यमिक शिक्षा	787489 (26.73)	675454 (19.82)	794197 (18.46)
3	उच्च शिक्षा	219076 (7.44)	194231 (5.70)	200655 (4.66)
4	अन्य	34894 (1.18)	47646 (1.40)	54364 (1.26)
	योग	2946469 (100.00)	3408610 (100.00)	4302387 (100.00)

स्रोत– उत्तर प्रदेश आय–व्ययक की रुपरेखा 2014–2015

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर किये गये कुल व्यय का सर्वाधिक अंश प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया जाता है।

प्राथमिक शिक्षा

किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके सुसंस्कृत एवं कुशल मानव संसाधन पर निर्भर हैं। सुसंस्कृत एवं कुशल नागरिकों के निर्माण एवं उनके उचित चौमुखी विकास एवं परिवर्द्धन हेतु बुनियादी शिक्षा अहम है। शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का प्रमुख साधन है। शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को वास्तविक गति प्रदान कर सकते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ो के अनुसार उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 67.7 है जिसमें पुरुषों में साक्षरता प्रतिशत 77.3 तथा महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत 57.2 है जबकि इसी अवधि में भारत का साक्षरता प्रतिशत 73.0 है।

वर्ष 2011 की जनगणनानुसार देश में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक केरल राज्य में (94.0 प्रतिशत) रहा, जो भारत के साक्षरता प्रतिशत (73.0) से भी अधिक है। अन्य राज्यों हिमांचल प्रदेश (82.8 प्रतिशत), महाराष्ट्र (82.3 प्रतिशत), तमिलनाडु (80.1 प्रतिशत), उत्तराखण्ड (78.8 प्रतिशत) आदि की तुलना में उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत (67.7) कम है।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011 की

जनगणनानुसार साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक बुन्देलखण्ड क्षेत्र में (69.3) तथा सबसे कम पूर्वी क्षेत्र में (67.4) है।

उ0प्र0 में साक्षरता प्रतिशत में सुधार हुआ है– जहां वर्ष 1991 में उ0प्र0 में साक्षरता 40.07 प्रतिशत थी वहीं 15.06 प्वॉइन्ट बढ़कर वर्ष 2001 में 56.03 प्रतिशत एवं वर्ष 2011 में 67.7 प्रतिशत हो गई किन्तु अभी भी प्रदेश एवं राष्ट्र स्तर की साक्षरता में 5.3 प्रतिशत प्वॉइन्ट का अन्तर है। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों के स्तर को प्राप्त करना भी प्रदेश के लिए एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है।

इसी प्रकार से महिला एवं पुरूष के साक्षरता प्रतिशत में भी 20.10 प्वॉइन्ट का अन्तराल है।

प्रदेश के अन्दर भी विभिन्न जनपदों के मध्य साक्षरता की स्थिति एक समान नहीं है। जहां गौतमबुद्ध नगर की कुल साक्षरता 80.1 प्रतिशत है वहीं श्रावस्ती की मात्र 46.7 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश की विशालता एवं अन्तर्जनपदीय विषमताओं को देखते हुए प्रदेश के सभी जनपदों में एक समान शैक्षिक सुधार लाना अपने आप में एक चुनौती है।

कुछ प्रमुख राज्यों के साक्षरता प्रतिशत के आँकड़े–2001 एवं 2011 व उत्तर प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में साक्षरता प्रतिशत के आँकडे तालिका–11.02 व तालिका–11.03 में दर्शाये गये है

तालिका–11.02
कुछ प्रमुख राज्यों के साक्षरता प्रतिशत के आँकड़े–2001 एवं 2011

		2001			2011		
क्रमांक	राज्य	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हिमांचल प्रदेश	76.5	85.3	67.4	82.8	89.5	75.9
2	पंजाब	69.7	75.2	63.4	75.8	80.4	70.7
3	उत्तराखण्ड	71.6	83.3	59.6	78.8	87.4	70.0
4	हरियाणा	67.9	78.5	55.7	75.6	84.1	65.9
5	राजस्थान	60.4	75.7	43.9	66.1	79.2	52.1
6	उत्तर प्रदेश	56.3	68.8	42.2	67.7	77.3	57.2
7	बिहार	47.0	59.7	33.1	61.8	71.2	51.5
8	अरुणाचल प्रदेश	54.3	63.8	43.5	65.4	72.8	57.7
9	मेघालय	62.6	65.4	59.6	74.4	76.0	72.9
10	आसाम	63.3	71.3	54.6	72.2	77.8	66.3
11	पश्चिम बंगाल	68.6	77.0	59.6	76.3	81.7	70.5
12	झारखण्ड	53.6	67.3	38.9	66.4	76.8	55.4
13	ओडिशा	63.1	75.3	50.5	72.9	81.6	64.0
14	छत्तीसगढ़	64.7	77.4	51.9	70.3	80.3	60.2
15	मध्य प्रदेश	63.7	76.1	50.3	69.3	78.7	59.2
16	गुजरात	69.1	79.7	57.8	78.0	85.8	69.7
17	महाराष्ट्र	76.9	86.0	67.0	82.3	88.4	75.9
18	आन्ध्र प्रदेश	60.5	70.3	50.4	67.0	74.9	59.1
19	कर्नाटक	66.6	76.1	56.9	75.4	82.5	68.1
20	केरल	90.9	94.2	87.7	94.0	96.1	92.1
21	तमिलनाडु	73.5	82.4	64.4	80.1	86.8	73.4
	भारत	64.8	75.3	53.7	73.0	80.9	64.6

तालिका–11.03
उत्तर प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में साक्षरता प्रतिशत

क्रम संख्या	आर्थिक क्षेत्र	साक्षरता प्रतिशत 2001			साक्षरता प्रतिशत 2011		
		व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पूर्वी	54.3	68.6	39.1	67.4	78.1	56.2
2	पश्चिमी	57.4	68.8	44.0	67.5	76.5	57.2
3	केन्द्रीय	57.6	68.1	45.5	68.3	76.3	59.3
4	बुन्देलखण्ड	59.3	73.1	43.1	69.3	79.9	57.1
	उत्तर प्रदेश	56.3	68.8	42.2	67.7	77.3	57.2
	भारत	64.8	75.3	53.7	73.0	80.9	64.6

नोट– आर्थिक क्षेत्रवार आंकड़े जनपद स्तर पर दिये गये साक्षरता प्रतिशत के आंकड़ों पर आधारित हैं।

शैक्षिक सुधार की प्रास्थिति

शैक्षिक सुधार के लिए संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का संज्ञान गत पांच वर्षों के प्रदेश के मुख्य शैक्षिक संकेतांकों के अवलोकन से किया जा सकता है जो तालिका –11.04 व तालिका – 11.05 में दर्शाये गये है–

तालिका–11.04

वर्ष	सकल नामांकन अनुपात (जी0ई0 आर0) प्राथमिक	शुद्ध नामांकन अनुपात (एन0ई0 आर0) प्राथमिक	सकल नामांकन अनुपात (जी0ई0 आर0) उच्च प्राथमिक	शुद्ध नामांकन अनुपात (एन0ई0 आर0) उच्च प्राथमिक	ड्राप आउट	ट्रांजिक्शन दर	रिटेन्शन दर
2010–11	105.02	94.02	59.6	47.1	11.1	64.9	71.68
2011–12	114.53	99.61	68.84	61.62	11.9	73.12	80.31
2012–13	115.78	99.67	68.68	59.94	10.62	63.62	87.31
2013–14	108.46	97.92	69.46	52.87	6.96	80.49	88.27
2014–15	108.79	98.35	76.50	67.23	6.0	80.96	88.22

तालिका–11.05
प्रदेश में संचालित समस्त विद्यालयों (1 से 8) एवं उनमें नामांकन की स्थिति

वर्ष	कुल विद्यालय	कुल नामांकन
2010–11	201475	32019087
2011–12	221653	35404745
2012–13	239817	37098290
2013–14	240332	36726500
2014–15	243014	36838720

गत वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार परिलक्षित है किन्तु जिस प्रकार उ0प्र0 में साक्षरता प्रतिशत में पर्याप्त अन्तर्जनपदीय विषमतायें है। उसी प्रकार से शैक्षिक संकेतांकों में भी विभिन्न जनपदों में पर्याप्त अन्तराल है। उ0प्र0 जैसे क्षेत्रीय विशालता एवं अधिक जनसंख्या वाले एवं व्यापक विविधता तथा सीमित संसाधन वाले प्रदेश में सभी जनपदों में एक समान शैक्षिक सुधार लाना कड़ी चुनौती है।

प्रदेश में शिक्षण सुविधायें

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2013–14 में जू. बे. विद्यालयों की संख्या 168888 थी जो वर्ष 2014–15 में 0.01 प्रतिशत बढ़कर 168906 हो गयी। इसी प्रकार सी. बे. विद्यालयों की संख्या वर्ष 2013–14 में 76882 थी जो वर्ष 2014–15 में 0.02 प्रतिशत बढ़कर 76901 हो गयी। वर्ष 2013–14 में हा. से. विद्यालयों की संख्या 22524 थी जो वर्ष 2014–15 में 1.0 प्रतिशत बढ़कर 22750 हो गयी।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2013–14 में जू.बे. विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 366 हजार थी जो वर्ष 2014–15 में 7.38 प्रतिशत बढ़कर 393 हजार हो गयी। इसी प्रकार वर्ष 2013–14 में सी.बे. विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 273 हजार थी जो वर्ष 2014–15 में 2.56 प्रतिशत घटकर 266 हजार हो गयी। वर्ष 2013–14 में हा.से. विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 260 हजार थी जो वर्ष 2014–15 में 1.92 प्रतिशत बढ़कर 265 हजार हो गयी।

प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी प्रमुख योजनायें

क–सर्व शिक्षा अभियान

प्रारम्भिक शिक्षा (कक्षा 1–8) के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को एक निर्धारित समय अवधि में प्राप्त करने के लिये उ0प्र0 सरकार द्वारा वर्ष 2002–03 से सर्व शिक्षा अभियान, प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित किया जा रहा है। व्यापक रूप से सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य शिक्षा के स्थायी विकास के लिये प्रदेश, जनपद और उप जनपद स्तर पर प्रबन्धकीय और व्यवसायिक क्षमता का निर्माण करना, 6 से 14 आयु वर्ग (कक्षा 1 से 8) के सभी बालक एवं बालिकाओं को सार्थक व लाभदायक शिक्षा प्रदान करना, ड्राप आउट दर को कम करने के साथ ही प्रारम्भिक शिक्षा की पहुंच में सुधार करना तथा विद्यालयों के प्रबन्धन में समुदाय की सक्रिय सहभागिता से सामाजिक, क्षेत्रीय तथा जेण्डर गैप को समाप्त करना है।

भारत सरकार द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 द्वारा 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। उपरोक्त अधिनियम लागू हो जाने के पश्चात अब 6–14 वय वर्ग के प्रत्येक बच्चे को कक्षा 1–8 तक की गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य की संवैधानिक प्रतिबद्धता हो गयी है।

तालिका–11.06
वर्ष 2001–02 से अब तक प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के वित्त पोषण में राज्यांश का प्रतिशत

वर्ष	राज्यांश का प्रतिशत	वर्ष	राज्यांश का प्रतिशत	वर्ष	राज्यांश का प्रतिशत
2001–02	15	2006–07	25	2011–12	34
2002–03	25	2007–08	35	2012–13	36
2003–04	25	2008–09	35	2013–14	35
2004–05	25	2009–10	40	2014–15	35
2005–06	25	2010–11	34		

1.शिक्षा की पहुंच में सुधार

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों को खोलने, उनके लिए भवनों का निर्माण करने तथा उनके भौतिक स्वरूप को सुदृढ करने के लिए धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। उ0प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के संबंध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके 01 किमी0 की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 300 है। इसी प्रकार से कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के संबंध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके 03 किमी0 की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 800 है। नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय उच्चीकृत प्राथमिक विद्यालय के रूप में स्थापित किया जाता है। यदि प्राथमिक विद्यालय के परिसर में भूमि उपलब्ध नहीं है तो नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय को अलग स्थापित किया जाता है। नगर क्षेत्रों में आवासीय कालोनियों के निकट स्कूलों की पहुॅच के लिये सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मिश्रित स्कूल स्वीकृत किये गये थे। यह बहुमंजिलें स्कूल भवन कक्षा 1 से 8 तक के लिये है।

विगत 15 वर्षो में 26219 नवीन प्राथमिक, 29225 उच्च प्राथमिक एवं 100 नगरीय क्षेत्रों में विद्यालयों का भवन निर्माण हुआ ।

2.विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान के लिए प्रतिवर्ष परिवार सर्वेक्षण कराया जाता है। वर्ष 2015–16 हेतु यह सर्वेक्षण 31 मार्च, 2015 तक पूर्ण किया जा चुका है। बच्चों को आयु संगत कक्षा में समायोजित करने हेतु वर्ष 2014–15 में 4059 विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के लक्ष्य के सापेक्ष 2193 केन्द्र संचालित किये गये जिससे कुल 29942 बच्चें लाभान्वित हुये। गत पांच वर्ष में आऊट आफ स्कूल बच्चों की संख्या में कमी आयी है। वर्ष 2010–11 में 194146, वर्ष 2011–12 में 109677, वर्ष 2012–13 में 64442, वर्ष 2013–14 में 78099 तथा वर्ष 2014–15 में 40505 आऊट आफ स्कूल बच्चे चिन्हित किये गये।

3.ठहराव में सुधार

ठहराव में सुधार सर्व शिक्षा अभियान का एक प्रमुख उद्देश्य है जिसको सुनिश्चित करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों में अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित कराये गये। ठहराव में सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत 309894 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, 22020 शौचालय , 35990 ओवर हैड टैंक के निर्माण पूर्ण किये गये, 11589 हैण्ड पम्प स्थापित किये गये एवं 296377 बच्चों हेतु फर्नीचर उपलब्ध कराया गया।

4.विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों हेतु समेकित शिक्षा

वार्षिक परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से विद्यालयों में नामांकित विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों का चिन्हीकरण करके उन्हें समीप के विद्यालयों में नामांकित कराया जाता है। वर्ष 2014–15 में 3.26 लाख विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चें चिहिन्त किये गये जिसमें से 2.89 लाख बच्चों को स्कूल में नामांकित कराया गया।

5.स्कूल चलो अभियान

6–14 वय वर्ग के बच्चों को विद्यालयों में नामांकन कराने के लिए व समुदाय को जागरूक व सक्रिय करने के लिए शैक्षिक सत्र 2014–15 में 15 अप्रैल से 31 मई, 2014 के मध्य तथा शैक्षिक सत्र 2015–16 हेतु 1 मार्च, 2015 से 31 मार्च, 2015 तक पूरे प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का आयोजन किया गया।

6.निःशुल्क यूनिफार्म

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियमावली 2011 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के राजकीय, परिषदीय तथा सहायता प्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं सहायतित माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त मदरसों में कक्षा 1–8 तक अध्ययनरत् समस्त छात्र–छात्राओं को रू0 400/– प्रति छात्र–छात्रा की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत दो सेट यूनिफार्म प्रतिवर्ष उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी बालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के बालकों को उक्त दो सेट यूनिफार्म की उपलब्धता करायी जाती है।

प्रदेश में संचालित बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं सहायता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत नान बी0पी0एल0(गरीबी रेखा से ऊपर) छात्रों (बालकों) को जिन्हें सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क यूनीफार्म का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा था निःशुल्क यूनीफार्म उपलब्ध कराये जाने की योजना प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम बार वित्तीय वर्ष 2012–13 में लागू की गई है।

7.<u>निःशुल्क पाठ्य पुस्तक</u>

प्रदेश के समस्त राजकीय, परिषदीय तथा सहायता प्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं सहायतित माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों और सहायता प्राप्त मदरसों में 1–8 तक अध्ययनरत बालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। पठन–पाठन में सहायता हेतु कक्षा 1–5 तक के छात्र–छात्राओं को कार्यपुस्तिकायें भी उपलब्ध करायी जाती हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी बालिकाओं को तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बालकों तथा शेष बालकों के लिए राज्य सरकार के बजट से व्यवस्था की जाती है।

<u>ख–कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना</u>

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारम्भ वर्ष 2004–05 में किया गया। यह योजना शैक्षणिक रूप से पिछड़े उन विकास खण्डों में संचालित है जहॉ महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत (46.13 प्रतिशत) से कम तथा जैण्डर गैप राष्ट्रीय औसत (21.59 प्रतिशत) से अधिक है। रिवाइज्ड गाइड लाइन्स दिनांक 1 अप्रैल, 2008 के अनुसार ऐसे 79 विकास खण्ड जिनमें ग्रामीण महिला साक्षरता दर 30 प्रतिशत से कम तथा 52 नगर क्षेत्र/शहर जिनमें अल्पसंख्यक महिलाओं की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत 53.67 प्रतिशत है और जिनमें उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित है को भी के0जी0बी0वी0 योजनान्तर्गत संचालित किया गया।

इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय तथा बी0पी0एल0 परिवारों की 11–14 वय वर्ग की बालिकायें जो कभी स्कूल नहीं गयी हैं अथवा प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण किये बिना विद्यालय छोड़ दिया है ऐसी बालिकाओं हेतु आवासीय व्यवस्था सहित विद्यालय संचालित है। कुल संचालित 746 के0जी0बी0वी0 में से 734 मॉडल–। तथा 12 मॉडल–।। के हैं। वर्ष 2014–15 में इन विद्यालयों में कुल 70998 बालिकायें नामांकित रहीं हैं जिनमें से 29238 (41.18%) अनुसूचित जाति, 945 (1.33%) अनुसूचित जनजाति, 24798 (34.92%) अन्य पिछड़ा वर्ग, 4949 (6.96%) बी0पी0एल0, 11069 (15.59%) अल्पसंख्यक की छात्राएं रहीं।

ग–अलाभित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को असहायिक विद्यालयों में प्रवेश दिलाये जाने की योजना

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के द्वारा आस–पास के गैर सहायतित मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को 1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक प्रवेश दिये जाने की व्यवस्था शैक्षिक सत्र 2013–14 से लागू की गई है। शुल्क की प्रतिपूर्ति के फलस्वरूप कक्षा 1 से 8 के बच्चों की शिक्षा पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु विद्यालय द्वारा लिया जाने वाला शुल्क अथवा रू. 450/–प्रति छात्र प्रति माह जो भी कम हो, का प्राविधान किया गया है।

अलाभित समूह में राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार अलाभित समूह की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा निःशक्त बच्चा एवं एच0आई0वी0 अथवा कैंसर पीड़ित माता–पिता अथवा अभिभावक का बच्चा एवं निराश्रित बेघर बच्चा रखा गया है। दुर्बल वर्ग में दुर्बल वर्ग की श्रेणी में जिसके माता–पिता या संरक्षक गरीबी रेखा के नीचे, विकलांग/वृद्धावस्था/विधवा पेंशन प्राप्त करते हैं या जिनकी अधिकतम् वार्षिक आय रू. 1 लाख तक है, को रखा गया है।

शैक्षिक सत्र 2015–16 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु नगर क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में 311 असेवित वार्ड चिन्हित किये गये हैं जिनमें रहने वाले पात्र बच्चे को आस–पास के गैर सहायतित विद्यालयों में प्रवेश दिलाने का प्रयास किया गया है। उक्त योजना में वित्तीय वर्ष 2015–16 में जनपदों से प्राप्त सूचनानुसार 3824 बच्चों को प्रवेश दिलाया जा चुका है।

प्रदेश में अभिनव विद्यालय की स्थापना

शिक्षण पद्धति में गुणात्मक सुधार हेतु केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के माध्यम से नवीन शिक्षण प्रणाली को स्थापित किया गया है। केन्द्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालयों तथा निजी क्षेत्र में स्थापित कतिपय विद्यालयों द्वारा जिस प्रकार से सुसज्जित परिसरों में आधुनिक शिक्षण प्रणालियों को आत्मसात् किया गया है उसी प्रकार राजकीय विद्यालयों में विद्यमान वर्तमान शिक्षण पद्धति में भी आमूलचूल परिवर्तन लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा नवीन पद्धति पर विद्यालयों की स्थापना हेतु सम्यक विचारोपरान्त प्रथम बार प्रदेश में अभिनव विद्यालय की स्थापना हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अभिनव विद्यालय में कक्षा–1 से 8 की शिक्षा प्रदान की जायेगी।

उक्त योजनान्तर्गत प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जनपद लखनऊ के मड़ियांव में एवं जनपद इटावा के सैफई में अभिनव विद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है ।

माध्यमिक शिक्षा

आर्थिक दृष्टिकोण से माध्यमिक शिक्षा विभाग की योजनायें प्रत्यक्ष रूप से प्रदेश में किसी आर्थिक उपलब्धि की भूमिका में दृष्टिगत नहीं होती है, परन्तु परोक्ष रूप से समाज के 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के उन समस्त बालक बालिकाओं को समाज के विभिन्न क्षेत्रों (सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक) के लिए तैयार करके समाज व देश के अर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान हेतु तराशने का कार्य माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षक शिल्पियों द्वारा किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा बेसिक शिक्षा (आधारिक शिक्षा) एवं उच्च शिक्षा के बीच सेतु के रूप में कार्य करती है। यहाँ बालक बालिकाओं को गुणात्मक शिक्षा प्रदान कर समाज के विभिन्न क्षेत्रों हेतु सुशिक्षित, चरित्रवान सुयोग्य संसाधन के रूप में विकसित कर आगे

बढ़ाने का कार्य सम्पन्न किया जाता है।

30 सितम्बर, 2014 के आँकड़ों के अनुसार प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग के कुल 22750 (राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त एवं असहायतित) विद्यालयों में कार्यरत 2,65,494 अध्यापकों द्वारा 13653220 छात्र/छात्राओं को शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्तर की शिक्षा में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने एवं शैक्षिक स्तर में गुणात्मक वृद्धि कर नागरिकों में शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास कर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी प्रमुख योजनायें

1.राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

भारत सरकार की सहायता से 14–18 आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं को माध्यमिक स्तर पर गुणात्मक योग्य शिक्षा उपलब्ध कराने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं की शिक्षा के विशेष उपाय किये जाने हेतु वर्ष 2009–10 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान संचालित है। यह केन्द्र पुरोनिधानित योजना है, जिसमें 75 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 25 प्रतिशत राज्यांश है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हाईस्कूल के छात्र/छात्राओं के लिये 5 कि0मी0 की परिधि में माध्यमिक स्तरीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना, माध्यमिक विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण, गुणवत्ता विकास तथा सेवारत् शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन है।

योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं अन्य आवर्तक मद में वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में रू0 47860.00 लाख धनराशि की व्यवस्था की गयी है जिसके सापेक्ष रू० 6722.13 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में 250 माध्यमिक विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है। प्रति विद्यालय रू0 76.00 लाख की दर से रू0 19000.00 लाख तथा विद्यालय भवनों के सुदृढ़ीकरण, अतिरिक्त शिक्षण–प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता संवर्धन सम्बन्धी अन्य गतिविधियों हेतु रू0 1000.00 लाख, कुल रू0 20000.00 लाख की वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में व्यवस्था की गयी है जिसके सापेक्ष रू० 3716.83 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

2.सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना

यह योजना वर्ष 2009–10 से प्रदेश में 2500 राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में BOT (built on operate and transfer) मॉडल के आधार पर संचालित की जा रही है। चयनित 2500 माध्यमिक विद्यालयों में योजना का क्रियान्वयन, संचालन एवं निष्पादन अनुबन्ध के अनुसार चयनित संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। योजनान्तर्गत प्रत्येक चयनित विद्यालय में अनुबन्ध की शर्तों के अन्तर्गत 10–10 कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों जैसे फर्नीचर, जेनरेटर, इण्टरनेट एवं स्टेशनरी आदि के अतिरिक्त एक कम्प्यूटर अनुदेशक उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। योजनान्तर्गत कुल रू0 21434.33 लाख के बजट प्रावधान के सापेक्ष रू० 7921.08 लाख व्यय किया जा चुका है।

3.बालिका विद्यालयों के छात्रावास भवन निर्माण

बालिका छात्रावास योजना के अन्तर्गत प्रदेश के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 680 विकास खण्ड़ों में माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने वाली छात्राओं के लिये छात्रावास का निर्माण कराया जाना है। योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में 150 छात्रावास के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

4.व्यवसायिक शिक्षा की विभिन्न ट्रेडों का संचालन

योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में 100 राजकीय विद्यालयों में 4 ट्रेडों (आटोमोबाइल, सेक्योरिटी, रिटेल तथा आई0टी0) कक्षा 9 एवं 10 में एक साथ संचालित किया जायेगा।

5.असेवित विकास खण्डों में निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा कन्या माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु अनावर्तक अनुदान

वर्ष 1994–95 में प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं को माध्यमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये प्रत्येक विकास खण्ड में बालिकाओं हेतु कम से कम एक हाईस्कूल स्तर का विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। इस योजना के अन्तर्गत रू0 20.00 लाख की धनराशि (10–10 लाख की दो समान किस्तों में) अनावर्तक अनुदान के रूप में निजी प्रबन्ध तन्त्रों को निर्धारित मानक के पूर्ण होने के पश्चात कन्या माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिये प्रदान की जाती है।

6.एक कन्या विद्यालय सेवित विकास खण्ड की दूसरी न्याय पंचायत में निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा कन्या मा0 विद्यालयों की स्थापना हेतु अनावर्तक अनुदान

वर्ष 2000–01 में असेवित विकास खण्डों में निजी प्रबन्ध तन्त्र द्वारा कन्या माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना योजना का विस्तार करते हुए एक कन्या विद्यालय सेवित विकास खण्ड की दूसरी न्याय पंचायत में निजी प्रबन्धतन्त्र द्वारा कन्या विद्यालय की स्थापना योजना लागू की गयी। योजनान्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड को रू0 20.00 लाख की दर से अनुदान स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है।

7.पुनर्गठित कन्या विद्याधन योजना

प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु ,योजनान्तर्गत माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद, सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0 बोर्ड ,उ0प्र0 मदरसा शिक्षा बोर्ड एवं उ0प्र0 संस्कृत शिक्षा परिषद से वर्ष 2015 में इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण , मेधावी छात्राओं को रू0 30,000/–(रू0 तीस हजार प्रति) की धनराशि प्रदान कर लाभान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्राविधानित धनराशि का 75 प्रतिशत उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं शेष 25 प्रतिशत सी0बी0एस0ई व आई0सी0एस0ई0 बोर्ड की मेधावी छात्राओं में वितरित किया जायेगा। उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद हेतु 75 प्रतिशत धनराशि में से उ0प्र0 मदरसा शिक्षा बोर्ड एवं उ0प्र0 संस्कृत शिक्षा परिषद हेतु 5–5 प्रतिशत धनराशि का वितरण किया जायेगा। योजनान्तर्गत वर्ष 2015 में इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को प्राप्तांको के अवरोही क्रम में मेरिट के अनुसार चयनित कर लाभान्वित किया जायेगा। कुल निर्धारित लक्ष्य 99,000 में से 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक तथा 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति की मेधावी छात्राओं को लाभान्वित किया जायेगा।

8.10वीं एवं 12वीं पास मेधावी छात्र/छात्राओं के लिए संशोधित लैपटाप योजना

प्रदेश के 10वीं एवं 12वीं पास मेधावी छात्र/छात्राओं को वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा की ओर आकृष्ट कर अभिप्रेरित करने के साथ नवीन तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2015–16 से मेधावी छात्र/छात्राओं के लिए संशोधित लैपटाप योजना संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

9.क्लीन स्कूल–ग्रीन स्कूल योजना

प्रदेश के राजकीय इण्टर कालेजों (बालक/बालिका) में अध्ययनरत छात्र/

छात्राओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर स्वच्छता की ओर अभिप्रेरित करने, विद्यालयों का सृदृढ़ीकरण एवं उनका रख–रखाव, खेल के मैदान का विकास, फर्नीचर के साथ तकनीकी माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु स्मार्ट क्लासेज की व्यवस्था आदि के उद्देश्य से वर्ष 2015–16 से प्रदेश के 100 राजकीय इण्टर कालेजों (बालक/बालिका) में "क्लीन स्कूल–ग्रीन स्कूल" योजना के संचालन हेतु निर्णय लिया गया है ।

10.माडल स्कूलों की स्थापना

यह केन्द्रपुरोनिधानित योजना है, जिसमें 75 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 25 प्रतिशत राज्यांश है। योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में 100 माडल स्कूल खोले जाने हैं।

11.राजकीय जिला पुस्तकालयों के भवनों का निर्माण

प्रदेश के निर्धन किन्तु प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को पठन–पाठन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग द्वारा पुस्तकालय निर्माण का निर्णय लिया गया। जिसके अन्तर्गत प्रदेश में 54 जिला मुख्यालयों पर राजकीय जिला पुस्तकालयों की स्थापना की गयी, जिनका संचालन पुस्तकालयाध्यक्ष, पुस्तकालय लिपिक तथा पुस्तकालय के अनुचर की देख–रेख में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 16 जनपदों में वर्ष 2008–09 में राजकीय जिला पुस्तकालय स्वीकृत किये गये। इन राजकीय पुस्तकालयों के अतिरिक्त 36 सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना है। इनके माध्यम से पठन–पाठन की सुविधा प्रदान की जा रही है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में जनपद मऊ, बागपत, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सन्तकबीर नगर, कुशीनगर तथा बलरामपुर में पुस्तकालय स्थापित किये जाने है।

उच्च शिक्षा

किसी भी क्षेत्र के सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में उच्च शिक्षा का योगदान महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) में उच्च शिक्षा के लिए क्रमशः 1293.19 करोड़ रूपये का परिव्यय स्वीकृत है।

प्रदेश में स्नातक एवं परास्नातक स्तर के शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों की संख्या से सम्बंधित आंकड़े तालिका–11.07 में दर्शाये गये है–

तालिका–11.07

उत्तर प्रदेश में डिग्री स्तर की शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों की संख्या

क्रमांक	संस्थायें	वर्ष			
		2013–14		2014–15	
		संख्या	विद्यार्थी (हजार में)	संख्या	विद्यार्थी (हजार में)
1	2	3	4	5	6
1	विश्वविद्यालय	31	32	31	38
2	महाविद्यालय	4224	3744	4284	4118

प्रावैधिक शिक्षा

वर्तमान युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उत्कर्षकाल है। नित्य नई प्राविधियाँ विकसित हो रही हैं तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्पर्धा से श्रेष्ठता व गुणवत्ता के नवीन आयाम जन्म ले रहे हैं। विकास के ऐसे क्रान्तिक परिदृश्य में प्राविधिक शिक्षा के स्वरूप व स्तर की प्रासंगिकता का विशेष महत्व है। प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिये तकनीकी शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समय–समय पर इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं की स्थापना कर पर्याप्त तकनीकी जनशक्ति आपूर्ति एवं क्षेत्रीय अंसतुलन को दूर करने की दिशा में राज्य सरकार प्रयत्नशील है। अतः राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में स्थापित उद्योगों, आधुनिक कृषि तकनीकी एवं उनसे सम्बन्धित कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु प्रावैधिक शिक्षा के विकास पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में प्रावैधिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण–पत्र स्तर की त्रिस्तरीय शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। वर्ष 2014–15 में उत्तर प्रदेश में 151 डिप्लोमा स्तरीय संस्थान एवं 267 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उपलब्ध थे।

तालिका–11.08
उत्तर प्रदेश में डिग्री/डिप्लोमा स्तर के प्राविधिक संस्थाओ की प्रगति

संस्थायें	2001–02	2013–14	2014–15
1 2	3	4	5
1 इंजीनियरिंग कालेज की संख्या	8	10	–
(I) प्रवेश क्षमता	2301	3128	2660
(II) वास्तविक प्रवेश	2301	2597	2404
2. डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं की संख्या	88	151	118
(I) प्रवेश क्षमता	7570	37320	37770
(II) वास्तविक प्रवेश	7477	27510	27412

–अप्राप्त

स्रोत :– प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

नोटः– अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग डिग्री कालेज तथा आई.आई.टी, कानपुर आदि के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी प्रमुख योजनायें

प्राविधिक शिक्षा में जेण्डर गैप को कम करने, विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाकर राष्ट्र की मुख्य विकास धारा में जोड़ने, अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जति एवं जनजाति के सामाजिक आर्थिक विकास एवं ई–लर्निंग के माध्यम से आधुनिकतम शिक्षण प्राविधियों के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है।

अ–डिग्री स्तरीय तकनीकी संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना–

1. मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, गोरखपुर की स्थापना।
2. एच०बी०टी०आई० को विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जाना।
3. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अन्तर्गत जनपद बस्ती तथा गोण्डा में एक–एक इंजीनिरिंग कालेज स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
4. जनपद कन्नौज, सोनभद्र एवं मैनपुरी में एक–एक इंजीनियरिंग कालेज निर्माणाधीन हैं।
5. 04 आई०टी० इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना की जा रही है।

ब–डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी एवं विशिष्ट संस्थानों की स्थापना

1. प्रदेश के विभिन्न जनपदों निर्माणाधीन पालीटेक्निक यथा– करनैलगंज(गोण्डा), मिल्कीपुर (फैजाबाद), बीघापुर (उन्नाव), सीतापुर, सुल्तानपुर के अतिरिक्त 07 नवीन पालीटेक्निक यथा– ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद), शमशाबाद (आगरा), कुलपहाड़ (महोबा), बछरावाँ (रायबरेली), किशनी (मैनपुरी), अतरौलिया (आजमगढ़), बाँसडीह (बलिया) एवं फतेहपुर (बाराबंकी) में एक–एक पालीटेक्निक स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
2. जनपद लखनऊ में पीपीपी माडल के अन्तर्गत चक गंजरिया क्षेत्र में एक आई०आई०आई०टी० नामक विशिष्ट संस्थान की स्थापना की जा रही है।
3. स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है तथा इसके लिये यू०पी०एस०आई०डी०सी० से 25 एकड़ भूमि जनपद–उन्नाव के ट्रांस गंगा सिटी में उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

स–अवस्थापनाधीन योजनायें / निर्माण कार्य

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्माणाधीन 74 पालीटेक्निक (जिनमें 41 पालीटेक्निक केन्द्र सहायतित + 14 राज्य सहायतित + 19 स्पेशल कम्पोनेंट सब प्लान से प्रेषित हैं।) में से 40 पालीटेक्निक में शिक्षण–प्रशिक्षण कार्य संचालित कर दिया गया हैं एवं 34 पालीटेक्निक अवस्थापना की प्रक्रिया में हैं।

द–अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु योजनायें

प्रदेश में अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक विकास हेतु उनके विकास की कमियों (Development Deficit) का आंकलन कर उन कमियों को पूर्ण करने के उद्देश्य से एम०एम०डी०पी० (मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान) के अन्तर्गत भारत सरकार के सहयोग से 22 पालीटेक्निक स्थापित किये जा रहे हैं।

य–कम्युनिटी डेवलेपमेंट थ्रू पालीटेक्निक (सीडीटीपी)

यह योजना प्रदेश की 59 पालीटेक्निक में संचालित की जा रही है जिनमें अल्पकालीन प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण युवक / युवतियों को स्वरोजगार हेतु तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

र–वर्चुअल क्लास रूम्स की स्थापना

सूचना प्रौद्योगिकी विकास एवं ई–लर्निंग को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से प्रदेश की 07 राजकीय पालीटेक्निकों में वेब–पोर्टल के माध्यम से शिक्षण–प्रशिक्षण की प्रक्रिया को मूर्तरूप दिये जने हेतु इन संस्थाओं में वर्चुअल क्लास रूम्स की स्थापना की गई है साथ ही शोध, विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक ई०एम०आर०सी० (इलेक्ट्रानिक मीडिया रिसोर्स सेंटर) की स्थापना की गयी है। उक्त निमित्त यू०पी०डेस्को को शासन द्वारा नोडल एजेंसी नामित किया गया है तथा ई–कनेक्टिविटी हेतु बी०एस०एन०एल० को नोडल एजेंसी नामित किया गया है तथा इन्हें यथावश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है।

ल.कौशल विकास इंस्टीट्यूट की स्थापना

1– स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना एवं इसके कान्सेप्ट नोट पर उ0प्र0 सरकार द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान कर दी गई है। इस परियेाजना के प्रभावी क्रियान्वयन में मार्गदर्शन हेतु प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा की अध्यक्षता में स्टेयरिंग कमेटी का गठन किया गया है।

2– स्किल्स इंस्टीट्यूट का बाइलाज तैयार किये जाने का कार्य प्रगति पर है।

• • •

अध्याय–12
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

जनसाधारण को बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराया जाना सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मद हेतु 21425.98 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत है। प्रदेश में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का निरन्तर विस्तार हो रहा है। प्रदेश सरकार के सतत् प्रयास से स्वास्थ्य एवं जनांकिकीय संकेतकों में पर्याप्त सुधार आया है, परन्तु अभी भी उ०प्र० इन संकेतकों में राष्ट्रीय औसत से पीछे है, जैसा कि तालिका 12.01 से परिलक्षित हो रहा है।

तालिका–12.01
प्रदेश में जन्म दर, मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर सम्बन्धी आंकड़े

मद	वर्ष			
	2000		2013	
	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत
जन्म दर	32.8	25.8	27.2	21.4
मृत्यु दर	10.3	8.5	7.7	7.0
शिशु मृत्यु दर	83	68	50	40

स्त्रोतः– एस.आर.एस. बुलेटिन, महारजिस्ट्रार, भारत सरकार

मातृत्व मृत्यु दर

माँ के स्वास्थ्य का उसके बच्चो के स्वास्थ्य एवं उसके परिवार के स्वास्थ्य के साथ अत्यन्त महत्वपूर्ण सम्बन्ध है। एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चें को जन्म दे सकती है। प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु दर में कमी लाना सम्पूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। मातृत्व मृत्यु दर से तात्पर्य प्रतिवर्ष एक लाख जीवित जन्म पर माताओं की मृत्यु दर से है। अद्यतन एस0आर0एस0 बुलेटिन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1997–98 में मातृत्व मृत्यु दर 606 थी जो क्रमशः घटते हुए वर्ष 1999–2001 में 539, 2001–2003 में 517, 2004–06 में 440, 2007–2009 में 359 तथा 2010–2012 में 292 हो गयी। राष्ट्रीय स्तर पर उक्त दर क्रमशः 398, 327, 301, 254, 212 तथा 178 है। स्पष्ट है कि प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर अभी भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है

प्रदेश में चिकित्सा सेवाएँ

प्रदेश वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश में विभिन्न प्रकार के राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आंकड़ें तालिका–12.02 में दर्शाए गए हैं–

तालिका–12.02
उत्तर प्रदेश में राजकीय चिकित्सालयों एवं औषधालयों का विवरण

मद	एलोपैथिक		आयुर्वेदिक एवं यूनानी		होम्योपैथिक	
	1.1.14	1.1.15	2013–14	2014–15	2013–14	2014–15
1	2	3	4	5	6	7
1 चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या	5096	5102	2367	2370	1575	1575
2 शैय्याओं की संख्या	84229	85204	10877	11077	388	388
3 चिकित्सित रोगियों की संख्या (हजार में)	83424	86033	25701	48556	28299	30425

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमुख योजनायें

1.ट्रामा सेन्टर की स्थापना

दुर्घटना के उपरान्त घायल व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा एवं उपचार कर उनकी जीवन की रक्षा करने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कुल 36 ट्रॉमा सेन्टर खोले जाने की स्वीकृत दी गयी है। वर्तमान में 17 ट्रॉमा सेन्टर निर्मित हो चुके है। उनको क्रियाशील करने की कार्यवाही प्रगति पर है। प्रदेश के नवनिर्मित–08 ट्रॉमा सेन्टरों जनपद कानपुर नगर, बाराबंकी, हरदोई, आजमगढ़ बुलन्दशहर, फिरोजाबाद, उन्नाव एवं सुल्तानपुर की स्थापना/उपकरणों हेतु रुपया 3599.21 लाख की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान की जा चुकी है। प्रदेश के नवनिर्मित–14 ट्रॉमा सेन्टरों, जनपद कानपुर नगर, बाराबंकी, हरदोई, आजमगढ़, बुलन्दशहर, फिरोजाबाद, उन्नाव, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बस्ती, इटावा, फतेहपुर, ललितपुर, जालौन की स्थापना/संचालन हेतु 700 पदों की स्वीकृति शासनादेश दिनाँकः 11.09.2015 द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

2.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने हेतु जनपद लखनऊ स्थित चकगंजरिया क्षेत्र में पी.पी.पी.मोड पर सुपर स्पैशिलिटी अस्पताल/कार्डियोलॉजी सेन्टर की स्थापना

प्रदेश की जनता को सुपर स्पैशिलिटी अस्पताल वाली सुविधायें, मुख्यतः कार्डियोलॉजी से सम्बन्धित उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चकगंजरिया क्षेत्र में दस एकड़ जमीन पर पी.पी.पी. मोड पर कार्डियोलॉजी सेन्टर एवं अन्य सुविधा प्रदान करने हेतु चिकित्सालय का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है। इसके निर्माण से उच्च कोटि की चिकित्सकीय सेवाओं द्वारा विभिन्न रोगों का उपचार अत्याधुनिक उपकरणों की सहायता से त्वरित गति से प्रदान किया जा सकता है ।

3.डायलिसिस सेन्टर

प्रदेश में गुर्दा रोग से पीड़ित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और डायलिसिस सेन्टर सीमित होने (कमी होने) एवं चिकित्सकों की कमी होने के कारण मरीजों को इलाज के लिए अत्यधिक समय का इंतजार करना पड़ता है। कभी कभी वंचित

होना पड़ता है, जिसके कारण मरीजों की मृत्यु भी हो सकती है। अक्सर सारे मरीजों को केवल डायलिसिस की ही आवश्यकता होती है, नाकि गुर्दे का प्रत्यारोपण। अतः इन मरीजों को डायलिसिस की सुविधा मण्डल लेवल पर उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक मण्डलीय चिकित्सालयों में पी.पी.पी. मोड पर डायलिसिस सेन्टर चलाने की कार्यवाही की जा रही है। इसमें सी.जी.एच.एस. मूल्य पर सुविधायें दी जायेंगी, जिससे जनमानस को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करायी जा सके।

4.ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा

प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण/स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सुविधायें प्रदान करने के लिए सरकार निरन्तर प्रयासरत है। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण/स्थापना की नीति निर्धारित की गयी है जिसके अनुसार 30000 की आबादी पर प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं एक लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण/स्थापना की नीति निर्धारित है। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या–19.95 करोड़ है। वर्तमान में 773 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 3538 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रियाशील हैं। इसके अतिरिक्त 1674 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 729 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की निर्माण/स्थापना का लक्ष्य निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 336 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 146 समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्मित किये जाने का प्रस्ताव है।

5. नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कन्ट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीसेस एंड स्ट्रोक (एन0पी0सी0डी0सी0एस0)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य जीवन शैली एवं व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा सामान्य गैर संचारी रोगों पर नियंत्रण एवं रोकथाम करना, सामान्य गैर संचारी रोगों का प्रारम्भिक निदान एवं प्रबंधन प्रदान करना, गैर संचारी रोगों की बढ़ती हुई संख्या को नियंत्रित करने हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे मानव संसाधन जैसे चिकित्सकों, परिचिकित्सकों एवं उपचारिकाओं को प्रशिक्षण देना तथा प्रशामक उपचार एवं पुनर्वास हेतु क्षमता का विकास करना है। कार्यक्रम के अंतर्गत 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों एवं गर्भवती महिलाओं का उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ग्लुकोस्ट्रिप एवं ग्लुकोमीटर के द्वारा मधुमेह एवं रक्तचाप की जांच करा जाता है तथा संदिग्ध/गंभीर मरीजों को उपचार एवं निदान हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/जिला चिकित्सालय /उच्च चिकित्सा केन्द्रों पर भेजा जाता है।

वर्तमान में उक्त कार्यक्रम प्रदेश के 28 जनपदों में चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत जून, 2015 तक 23 एन0सी0डी0 सेल तथा 23 एन0सी0डी0 क्लीनिक एवं 77 सी0एच0सी0 एन0सी0डी0 क्लीनिक क्रियाशील हैं।

6.राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ एवं जिला तम्बाकू प्रकोष्ठ क्रियाशील है। राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, उ0प्र0 का संचालन शत प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान से किया जाता है। जनपद तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठों का संचालन केन्द्रांश एवं राज्यांश

क्रमशः 75 : 25 (प्रतिशत) द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम प्रदेश के कुल 10 जनपदों में चलाया जा रहा है यथा– 1–लखनऊ, 2– कानपुर नगर, 3–झॉसी, 4– ललितपुर, 5– फरूखाबाद, 6– बाराबंकी, 7–इलाहाबाद, 8–मिर्जापुर, 9–वाराणसी, 10–हरदोई। वित्तीय वर्ष 2015–2016 हेतु उत्तर प्रदेश के पॉच अन्य जनपद यथा– मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, रामपुर, गौतमबुद्ध नगर को आच्छादित किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2014–2015 में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम–2003 के अनुपालन में कार्यवाही के फलस्वरूप कुल 657 व्यक्तियों से जुर्माना स्वरूप रू0–82,572.00/ का राजस्व प्राप्त किया गया।

7. ''102'' नेशनल एम्बुलेन्स सेवा

प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से नेशनल एम्बुलेंस सेवा 102 प्रारम्भ किया गया। यह सुविधा पूरे प्रदेश में गर्भवती महिलाओं एवं एक वर्ष के आयु तक के शिशुओ को निःशुल्क घर से चिकित्सालय तथा चिकित्सालय से घर तक परिवहित करने के लिए है। यह सेवा आवश्यकतानुसार एक चिकित्सा इकाई से दूसरे चिकित्सा इकाई तक लाभार्थी को परिवहित करने में भी प्रयोग की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में काल करने पर एम्बुलेंस पहुंचने का अधिकतम समय 30 मिनट निर्धारित किया गया है जबकि शहरी क्षेत्रों में यह अवधि 20 मिनट है। यह सुविधा प्रदेश के सभी जनपदों में पूरे 24 घंटे उपलब्ध है। योजना में कुल 1972 एम्बुलेंस संचालित होनी है जिसके विरूद्ध 1964 एम्बुलेंस क्रियाशील की जा चुकी है तथा शेष 8 एम्बुलेंस व 300 अतिरिक्त एम्बुलेंस भी संचालित होना सम्भावित है। इस योजना से दिसम्बर, 2015 तक कुल 75.62 लाख लाभार्थियों को सुविधा प्रदान की जा चुकी है। वर्तमान में प्रतिमाह 5.50 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं व शिशुओं को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है।

8. ''108'' समाजवादी एम्बुलेन्स सेवा

राज्य सरकार द्वारा रोगियों को आकस्मिक परिस्थितियों में अविलम्ब निकटवर्ती चिकित्सा इकाई तक पहुंचायें जाने हेतु आकस्मिक चिकित्सकीय परिवहन सेवा प्रदान करने हेतु प्रदेश में समाजवादी स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत 988 एम्बुलेसों का संचालन निःशुल्क टोल फ्री नम्बर ''108'' के माध्यम से किया जा रहा है। प्रदेश के किसी भी कोने से निःशुल्क टोल फ्री नम्बर ''108'' पर कॉल करने पर शहरी क्षेत्र में 20 मिनट में तथा ग्रामीण क्षेत्र में 30 मिनट में एम्बुलेंस को रोगी तक पहुॅचायें जाने की व्यवस्था की जाती है तथा उक्त एम्बुलेंस के द्वारा रोगी को निकटवर्ती राजकीय चिकित्सा इकाई तक पहुंचाकर चिकित्सा सेवा सुलभ करायी जाती है। उक्त एम्बुलेंस के द्वारा परिवहन के समय रोगी की जीवनरक्षा के उद्देश्य से एम्बुलेंस में नियुक्त इमरजेन्सी मेडिकल टेक्नीशियन द्वारा आवश्यक जीवनरक्षक उपाय किये जाते हैं तथा एम्बुलेंस में जीवनरक्षक औषधियों की व्यवस्था भी की गयी है। इस सेवा की उपयोगिता को देखते हुये माह दिसम्बर, 2014 से अर्न्तजनपदीय संदर्भन की सेवा भी उपलब्ध करायी जा रही है। समाजवादी एम्बुलेंस सेवा से दिनांक 31.12.2015 तक कुल 42.49 लाख रोगियों को एम्बुलेंस की सुविधा से लाभान्वित किया गया है। यह सेवा सरकार द्वारा पूर्णतया निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।

9.परिवार नियोजन कार्यक्रम

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,95,81,477 है जबकि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार यह जनसंख्या 16,61,97,925 थी। इस प्रकार 10 वर्ष में कुल जनसंख्या में लगभग 3 करोड़ की वृद्धि हुई। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यदि उत्तर

प्रदेश की जनसंख्या इसी प्रकार बढ़ती रही तो वर्ष 2050 तक यह 44 करोड़ से अधिक हो जायेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या को एक समय के अन्तर्गत स्थिर करने के उद्देश्य से प्रदेश की अपनी जनसंख्या नीति वर्ष 2000 में प्रख्यापित की गयी है, जिसका मुख्य लक्ष्य वर्ष 2016 तक कुल प्रजनन दर को 2.1 के स्तर पर लाना है, जो कि वर्तमान में 3.1 है।

प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1950 के दशक में प्रारम्भ किया गया था, जिसके अन्तर्गत नियोजन की स्थायी व अस्थायी विधियों की सेवायें निःशुल्क प्रदान की जाती है। परिवार नियोजन कार्यक्रम पूर्णतया स्वैच्छिक कार्यक्रम है। स्थायी विधियों के अन्तर्गत महिला व पुरूष नसबन्दी की सेवायें प्रदान की जाती है एवं अस्थायी विधियों के अन्तर्गत लूप निवेशन, गर्भ निरोधक गोलियों व कण्डोम का वितरण सेवा केन्द्रों पर निःशुल्क दिया जाता है। प्रदेश के ग्रामीण अंचलो में गर्भ निरोधक सामग्री का वितरण "आशा कार्यकर्त्रियों" द्वारा लाभार्थियों के द्वार पर किया जाता है।

नसबन्दी

परिवार नियोजन के अन्तर्गत नसबन्दी कराने वाले महिला लाभार्थियों को दी जाने वाली धनराशि रू० 1400/– तथा पुरूष लाभार्थी की धनराशि रू 2000/– है। नसबन्दी उपरान्त मृत्यु/जटिलता/असफल नसबन्दी के मामलों में लाभार्थी को भुगतान हेतु दिनाँक 01.04.2013 से "परिवार नियोजन आईडिमिनिटी योजना" लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण (असफल नसबन्दी) के केसों में रू० 30,000/– तथा नसबन्दी उपरान्त जटिलता के केसों पर अधिकतम् रू० 25,000/– की धनराशि मुआवजे के रूप में दी जाती है। नसबन्दी उपरान्त मृत्यु के केसों में मुआवजे की धनराशि मिलती है। ऐसे सेवाकेन्द्र जिन पर प्रतिमाह 200 से अधिक प्रसव हो रहे हैं, पर लाभार्थियों की काउन्सिलिंग कर उन्हें परिवार नियोजन विधियों को अपनाने हेतु प्रोत्सहित किये जाने के उद्देश्य से फैमिली वेलफेयर काउन्सलर" की तैनाती संविदा के आधार पर की गयी है।

<u>आधुनिक गर्भनिरोधक तकनीकों/विधियों के प्रयोग</u>

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014–15 में कुल 293.05 हजार व्यक्तियों ने नसबन्दी कराया जो वर्ष 2013–14 के 326.96 हजार की तुलना में 10.4 प्रतिशत कम था। इनमें वर्ष 2014–15 में नसबन्दी कराने वाले पुरुषों की संख्या 7.86 हजार थी जो गत वर्ष 7.05 हजार की तुलना में 11.5 प्रतिशत अधिक था। इसी प्रकार वर्ष 2014–15 में महिला नसबन्दी की संख्या 285.19 हजार थी जो गत वर्ष 319.92 हजार की तुलना में 10.9 प्रतिशत कम था।

उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य साधनों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में वर्ष 2013–14 में लूप निवेशन तथा कापर टी एवं ओरल पिल्स का प्रयोग करने वाली महिलाओं की संख्या क्रमशः 1484.88 हजार तथा 349.20 हजार थी। वर्ष 2014–15 में लूप निवेशन तथा कापर टी का प्रयोग करने वाली महिलाओं की संख्या क्रमशः 1450.23 हजार तथा 333.30 हजार हो गयी।

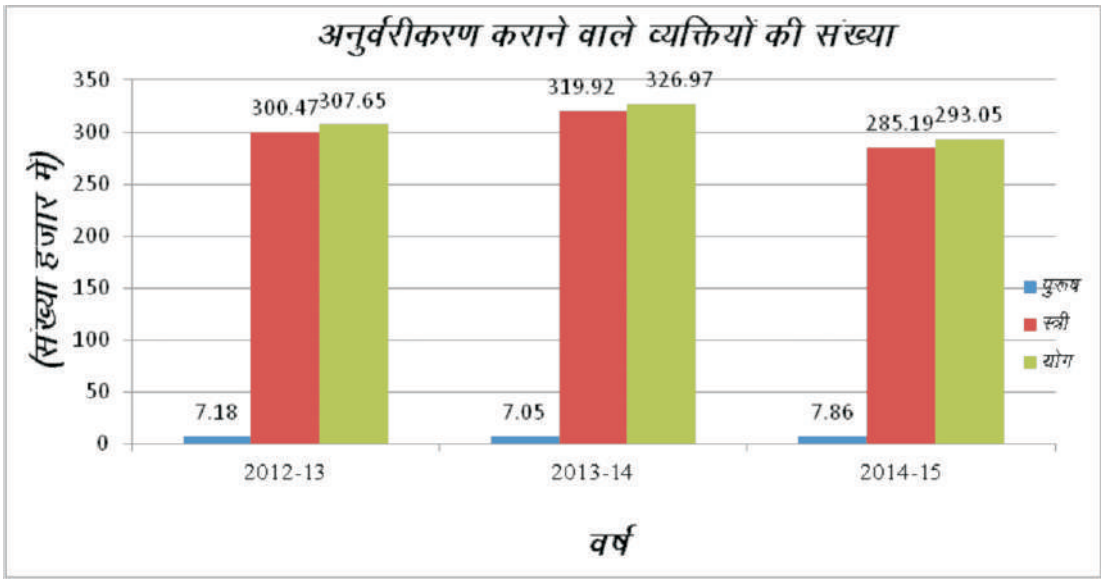

जनपदों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर 2015 तक कार्यभार के सापेक्ष परिवार नियोजन कार्यक्रम की उपलब्धियाँ निम्नवत है:–

तालिका–12.03

क्र०सं०	विधि	कार्यभार	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत में
1	वैसेक्टामी	970000	2576	–47.78
2	टयूबेक्टामी		107531	–21.30
3	सकल नसबन्दी		110107	–22.22
4	आइ०यू०डी०	2610967	999154	4.31
5	सी०सी०यूजर्स	2003382	746499	–17.17
6	ओ०पी० यूजर्स	987933	339356	29.98

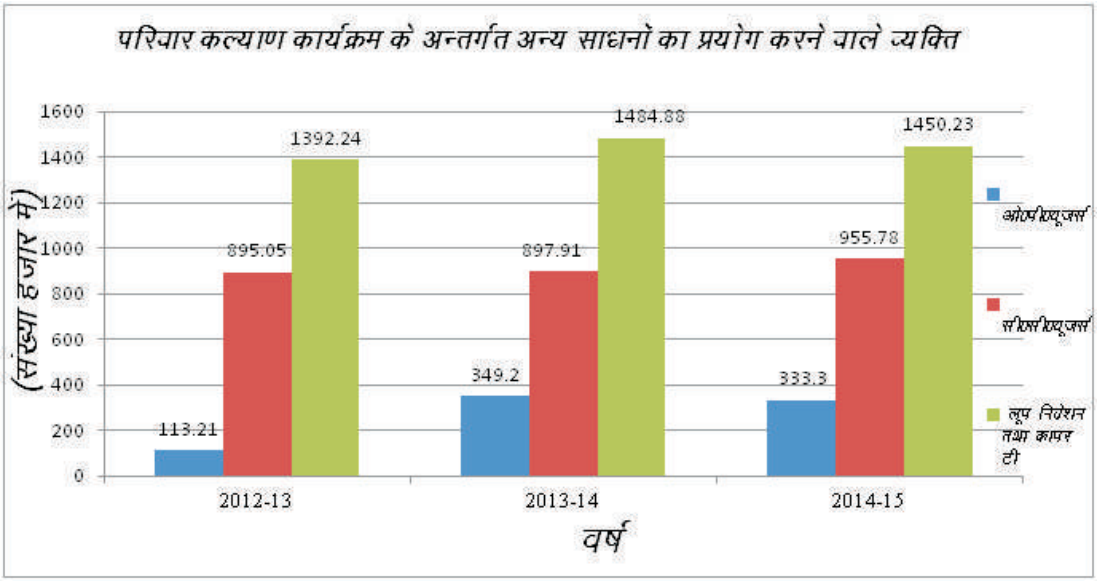

पूर्ण प्रतिरक्षण

महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को टिटनेस एवं बच्चों को काली खांसी, पोलियो इत्यादि के टीके लगाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2013–14 में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत 47.17 लाख टी0टी0, 46.59 लाख डी0टी0पी0, 46.16 लाख पोलियो, 47.66 लाख बी0सी0जी0 एवं 47.95 लाख मीजिल्स के टीके लगाए गये। वर्ष 2014–15 में टिटनेस, काली खांसी, पोलियो, बी0सी0जी0 एवं मीजिल्स के टीकों की संख्या बढ़कर क्रमशः 47.27 लाख, 46.19 लाख, 45.29 लाख, 48.36 लाख एवं 45.31 लाख हो गयी। जैसा कि तालिका – 12.04 से स्पष्ट है:–

तालिका–12.04

(लाख में)

क्र0 सं0	मद	2012–13		2013–14		2014–15		2015–16 (Up to November)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	टी0टी0 गर्भवती माता	63.86	46.83	63.90	47.17	64.14	47.27	64.85	30.45
2	डी0पी0टी0	54.52	45.95	54.78	46.59	55.22	46.19	56.01	2896
3	पेलियो	54.52	45.12	54.78	4616	55.22	45.29	56.01	28.77
4	बी0सी0जी0	54.52	49.17	54.78	47.66	55.22	48.36	56.01	31.94
5	मिजिल्स	54.52	47.47	54.78	47.95	55.22	45.31	56.01	30.37
6	हेप्टाइटिस बी	54.52	34.37	54.78	41.98	55.22	44.53	56.01	28.55
7	जे0ई0 (38 जनपद)	29.80	20.36	29.95	20.43	30.19	21.79	31.63	13.57

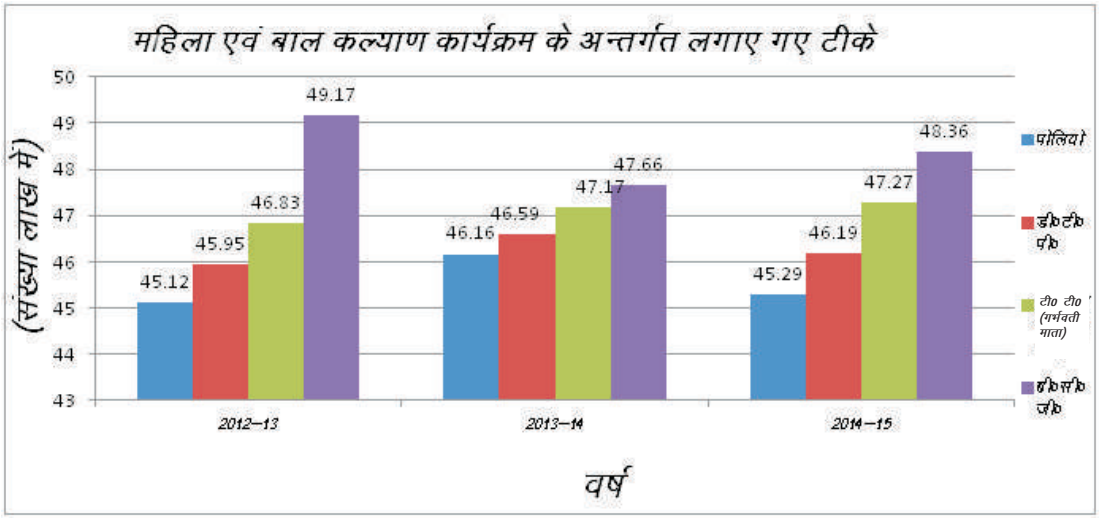

जे०ई० अभियान

प्रदेश के 06 जनपदों (देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, संतकबीर नगर एवं सिद्धार्थनगर) के 36 ब्लाकों में जे०ई०टीकाकरण विशेष अभियान 15 से 65 वर्ष के वयस्कों हेतु चलाया जा रहा है, जिसके अर्न्तगत दिनाँक 01 दिसम्बर, 2015 तक कुल 2626870 वयस्कों को आच्छादित किया जा चुका है।

प्रदेश में वर्ष 2005 में इन्सेफ्लाईटिस रोगियों में जे0ई0 रोगियों की धनात्मकता 18.67 प्रतिशत थी। जे0ई0 टीकाकरण जो वर्तमान में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 36 जनपदों में किया जा रहा है, के फलस्वरूप वर्ष 2014 में जे0ई0 रोगियों की धनात्मकता घट कर 5.74 प्रतिशत रह गई है।

पोलियो कार्यक्रम

प्रदेश में 21 अप्रैल, 2010 के बाद से पोलियो का कोई केस प्रकाश में नहीं आया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू०एच०ओ०) द्वारा साउथ ईस्ट एशिया रीजन के 11 देशों में, जिसमें भारत भी सम्मिलित है, को दिनांक 27 मार्च, 2014 को पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है।

प्रदेश के नौ जनपदों (अलीगढ़, बुलन्दशहर, जी०बी० नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली) में दिनांक 13 दिसम्बर, 2015 से पल्स पोलियो का एस०एन०आई०डी० चरण चलाया जाना प्रस्तावित है।

बाल स्वास्थ्य एवं पोषण माह

बच्चों में रतौंधी व रोगाणु से लड़ने की क्षमता बढ़ाने हेतु वर्ष में दो बार माह जून व दिसम्बर में 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन–'ए' की खुराक से आच्छादित किया जाता है। इसके अर्न्तगत जून, 2015 अभियान में कुल 81 प्रतिशत बच्चों को विटामिन ए की खुराक से आच्छादित किया गया।

जननी सुरक्षा योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित प्रसव एवं संस्थागत प्रसव के लिये प्रोत्साहित करना है ताकि मातृ एवं शिशु मृत्युदर में कमी लाई जा सके। इसके अंतर्गत उपकेन्द्र/पी0एच0सी0 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्रथम संदर्भन इकाई/जिला अथवा राज्य स्तरीय राजकीय चिकित्सालय के जनरल वार्ड में संस्थागत प्रसव कराने वाली महिलाओ को ग्रामीण क्षेत्र में रू0 1400/–व शहरी क्षेत्र में रू0 1000/–एवं बी0पी0एल0 श्रेणी के घरेलू प्रसव हेतु रू0 500/–सहायता राशि के रूप में दिये जाते है।

आशा को जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, आयरन फोलिक एसिड की गोली को उपलब्ध कराना, टी0टी0 टीकाकरण व चार प्रसव पूर्व जॉचे कराने के पश्चात् रू0 300/– व सुरक्षित प्रसव/संस्थागत प्रसव कराने के पश्चात् रू0 300/–दिये जाते है। इस प्रकार पंजीकरण से लेकर प्रसव पूर्व, प्रसव कालीन व प्रसवोत्तर सभी सेवायें उपलब्ध करवाती है तो आशा कार्यकर्त्री को इस कार्य के लिये ग्रामीण क्षेत्र में कुल रू0 600/–दिये जाते हैं। प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना के अर्न्तगत प्रगति निम्नवत् हैः–

तालिका–12.05

(हजार में)

2012–13		2013–14		2014–15		2015–16 (दिसम्बर–15 तक)	
लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2700. 00	2176.40	2515. 00	2388. 40	2669. 40	2330. 62	2669. 40	1727. 78

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदो में संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत गर्भावस्था में दी जाने वाली सेवायें, प्रसव के दौरान तथा प्रसवोपरान्त सेवाएं, महिला तथा उसके नवजात शिशु की देखभाल आदि समस्त सेवाओं का एकीकरण कर लिया गया है एवं यह सेवायें उस महिला के क्षेत्र की स्वास्थ्य कार्यकर्त्री/आशा कार्यकर्त्री द्वारा अथवा उसकी सहायता से उपलब्ध करायी जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसव हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं को गारन्टेड कैशलेस डिलीवरी सेवा प्रदान करना है जो निम्नवत हैः–

1. प्रसव के दौरान उपयोग में लाये जाने वाली समस्त औषधियॉ निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है।
2. सभी गर्भवती महिलाओं एवं प्रसूताओं (सामान्य एवं सिजेरियन प्रसव) को चिकित्सालय में भर्ती रहने के दौरान निःशुल्क भोजन प्रदान किया जा रहा है।
3. महिला से सामान्य अथवा सिजेरियन प्रसव हेतु किसी भी प्रकार का कोई भी यूजर चार्ज नही लिया जा रहा है।
4. सभी जांचे जैसे ब्लड, यूरिन, अल्ट्रासोनोग्राफी आदि निःशुल्क प्रदान की जा रही है।
5. आवश्यकतानुसार ब्लडट्रान्सफ्यूजन भी निःशुल्क किया जा रहा है।
6. इस योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व घर से चिकित्सा इकाई तक एवं प्रसवोपरान्त चिकित्सा इकाई से घर तक निःशुल्क एम्बुलेन्स 102 के माध्यम से पहुॅचाया जा रहा है।

प्रसवों के उपरान्त मॉ की 42 दिन तक और बच्चे की एक वर्ष तक पूरी देखभाल/टीकाकरण/बीमार होने पर निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था, घर से चिकित्सा इकाई तक एवं चिकित्सा इकाई से घर तक पहुँचाने की निःशुल्क परिवहन सुविधा एम्बुलेन्स 102 के माध्यम से दी जा रही है।

तालिका–12.06

निःशुल्क सुविधाये	वर्ष 2012–13		वर्ष 2013–14		वर्ष 2014–15		वर्ष 2015–16 (दिसम्बर–15 तक)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
निःशुल्क भोजन	–	660949	1816840	1550275	1816840	1659841	1557000	1233692
निःशुल्क ड्रापबैक	–	348832	1348112	822372	–	1386288	–	1091419
निःशुल्क उपचार	–	1596743	2500000	2767754	4700000	3490437	4800000	2846849
निःशुल्क जॉच	–	–	2500000	2753430	4771704	3573525	4800000	2880732

पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994 का क्रियान्वयन

वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में पिछले दशक 2001 की तुलना में वृद्धि हुई है जबकि बाल लिंग अनुपात (0 से 06 वर्ष की उम्र) में गिरावट आयी है। पिछले 03 दशकों के प्रदेश के लिंग अनुपात एवं बाल लिंग अनुपात (0 से 06 वर्ष की उम्र) का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है :–

तालिका–12.07

क्र0सं0	वर्ष	उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात	उत्तर प्रदेश का बाल लिंग अनुपात (0 से 06 वर्ष की उम्र)
01	1991	876	927
02	2001	898	916
03	2011	912	902

कन्या भ्रूण हत्या एवं लिंग परीक्षण की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1994 में **''प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन एवं दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994''** पूर्व में ही प्रख्यापित किया जा चुका है, जो उत्तर प्रदेश में भी लागू है। अधिनियम के क्रियान्वयन की अनुश्रवण व्यवस्था सुदृढ किये जाने हेतु एक पृथक वेबसाईट "www.pyaribitiya.in" विकसित की गयी है, जिसका शुभारम्भ मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 27 नवम्बर 2014 को किया जा चुका है।

वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के वर्ष 2011–12 व 2012–13 के आँकड़ों के अनुसार प्रदेश के लिंगानुपात (जन्म के समय), लिंगानुपात (0–4 आयु वर्ग) एवं लिंगानुपात (समस्त आयु वर्ग) में वृद्धि परिलक्षित हो रही है, जैसाकि तालिका–12.08 से स्पष्ट है:–

तालिका–12.08

वर्ष	लिंगानुपात (जन्म के समय)	लिंगानुपात (0–4 आयु वर्ग)	लिंगानुपात (समस्त आयु वर्ग)
2011-12	908	914	944
2012-13	921	919	946

मातृ मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मातृ मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम संचालित है। एनुअल हेल्थ सर्वे के बेस लाइन (2010–11) में उत्तर प्रदेश का मातृ मृत्यु अनुपात 345 प्रति एक लाख जीवित जन्म था जो प्रथम अपडेशन 2011–12 में घटकर 300 प्रति एक लाख जीवित जन्म एवं द्वितीय अपडेशन 2012–13 की रिपोर्ट के अनुसार यह घटकर 258 प्रति एक लाख जीवित जन्म हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष 2017 तक इसे 200 प्रति एक लाख जीवित जन्म तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। किसी भी प्रदेश में मातृ मृत्यु में कमी लाने के लिये मातृ मृत्यु समीक्षा एक महत्वपूर्ण रणनीति है जो कि मातृ मृत्यु के विभिन्न कारणों एवं कारकों पर प्रकाश डालता है एवं उनको दूर करने में सहायता करता है।

मातृ मृत्यु समीक्षा (एम0डी0आर) कार्यक्रम में प्रत्येक मातृ मृत्यु के कारणों की गहन छानवीन की जाती है जिससे यह पता चलता है कि मातृ मृत्यु के मेडिकल कारण क्या थे तथा सामाजिक कारण क्या थे। इस प्रकार इस समीक्षा से क्षेत्र विशेष तथा समुदाय विशेष में होने वाली मातृ मृत्यु के विषय में जानकारी प्राप्त कर उसी के अनुसार योजना बनाकर कार्य किया जाता है। मातृ मृत्यु से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आंकड़ें तालिका–12.09 में दर्शाए गए हैं–

तालिका–12.09

वर्षवार	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16 (दिसम्बर–15 तक)
सम्भावित मृत्यु	19168	19168	16906	14021
मातृ–मृत्यु	1342	3274	3861	3040
मातृ–मृत्यु आडिट	1180	2970	3494	2613
प्रतिशत	7.00	17.08	22.84	21.68

उ0प्र0 हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना

विश्व बैंक पोषित उ0प्र0 हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना का शुभारम्भ 2012–13 में हुआ। परियोजना अवयवों एवं गतिविधियों की अनुमानित लागत 538.55 करोड़ एवं डी0एल0आई0 (डिसर्ब्समेन्ट लिंक्ड इंडीकेटर्स) के आधार पर होने वाली फण्डिंग रू0 225 करोड़ धनराशि को सम्मिलित करते हुए कुल लागत 763.55 करोड़ है। परियोजना लागत 538.55 करोड़ का 85 प्रतिशत अर्थात 457.77 करोड़ का वित्त पोषण विश्व बैंक आई0डी0के0 क्रेडिट के रूप में करेगी तथा 15 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0 80.78 करोड़ की धनराशि राजकोष से 15 प्रतिशत राज्यांश के रूप में देना होगा।

परियोजना के प्रथम वर्ष में महानिदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, लखनऊ में विभिन्न प्रकोष्ठों पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ, गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ, पब्लिक प्राईवेट पार्टनशिप प्रकोष्ठ तथा इलेक्ट्रानिक डाटा प्रकोष्ठ की स्थापना हो चुकी है तथा मानव संसाधन उपलब्ध कराते हुए प्रकोष्ठों से सम्बन्धित कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में प्रदेश की जनता को दी जा रही सेवाओं को बेहतर, गुणवत्ता एवं जवाबदेही तथा सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाये जाने हेतु परियोजना के माध्यम से प्रदेश के 40 जिला चिकित्सालयों को एन0ए0बी0एच0 मानक तक उच्चीकृत किया जाना है जिससे प्रदेश की गरीब जनता को गुणवत्तापरक चिकित्सकीय सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी। इसके अतिरिक्त आच्छादित 40 चिकित्सालायों में निजी क्षेत्र की सहभागिता से सफाई एवं बागवानी कार्य, विशिष्ट चिकित्सकीय जांच आदि भी किये जाने है। परियोजना अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचना प्रणाली एवं तन्त्र को सुदृढ़ किया जाना, हास्पिटल चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण एवं प्रबन्धन प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना तथा औषधि एवं उपकरणों के उपार्जन व्यवस्था का सुदृढ़कीरण किया जाना भी है।

1. परियोजनान्तर्गत आच्छादित 40 जिला चिकित्सालयों में एन0ए0बी0एच0 कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु एक परामर्शी संस्था का चयन किया जा चुका है जो समस्त आच्छादित चिकित्सालयों में कार्य कर रही है।
2. एन0ए0बी0एच0 आच्छादित चिकित्सालयों में उपकरण एवं फर्नीचर आदि के पारदर्शी उर्पाजन हेतु एक स्वतंत्र संस्था को चयनित किया जा चुका है तथा उपकरण उपार्जन का कार्य प्रगति पर है।
3. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के उपार्जन प्रकोष्ठ के ढांचागत सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता विकास हेतु एक परामर्शी संस्था है जिसके द्वारा विभाग के उपार्जन प्रकोष्ठ के साथ कार्य आरम्भ कर दिया है।
4. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचना तंत्र को

सुदृढ़ करने हेतु परियोजना द्वारा विभिन्न सूचना प्रणाली को विकसित कर लागू किया जा रहा है जैसेः– औषधि उपार्जन एवं वितरण प्रणाली, पर्सनल इनफॉरमेशन सिस्टम, हेल्थ एम0आई0एस0 सिस्टम एवं ई–प्रोक्योरमेन्ट सिस्टम आदि है।

5. परियोजना द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में सार्वजनिक–निजी क्षेत्र की सहभागिता से लागू किये जाने वाले विभिन्न योजनाओं हेतु नीति निर्धारण में तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना है। विभिन्न पी0पी0पी0 योजनाओं हेतु परामर्शी संस्थाओं के चयन में तकनीकी सहयोग प्रदान करना तथा पी.पी.पी. के बिड डाक्यूमेंट आदि के सजृन में सहयोग प्रदान करना है। 15 जिला चिकित्सालयों में से 12 जिला चिकित्सालयों में क्लीनिंग एवं गार्डनिंग से सम्बन्धित अनुबन्ध हेतु पी0एस0सी0 / पी0जी0बी0 से अनुमति प्राप्त कर ली गई है, अनुबन्ध किया जा चुका हैं तथा कार्य प्रारम्भ हो चुका है। आउटसोर्सिंग ऑफ लैबोरेटरी सर्विसेज की निविदा प्रपत्र का कार्य प्रगतिरत् है।

<u>स्वच्छ पेयजल एवं जलोत्सारण सुविधा</u>

जनसामान्य के स्वस्थ जीवन हेतु स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छ वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014–15 में पेयजल सुविधायुक्त नगरों की संख्या 630 तथा इससे लाभान्वित जनसंख्या 436 लाख थी। इसी प्रकार वर्ष 2014–15 में पेयजल सुविधा युक्त पूर्ण आच्छादित मजरों की संख्या 260110, आंशिक आच्छादित मजरों की संख्या न्यून तथा इससे लाभान्वित जनसंख्या 1650 लाख थी। प्रदेश में वातावरणीय स्वच्छता हेतु जलोत्सारण सुविधा का होना अत्यन्त आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014–15 में जलोत्सारण सुविधायुक्त नगरों की संख्या 55 तथा इनसे लाभान्वित जनसंख्या 40 लाख थी।

• • •

अध्याय–13
समाज कल्याण

लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य का मूल्य उद्देश्य वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में निर्बल वर्गों के चतुर्दिक विकास की योजनायें बनाना एवं उनको उक्त वर्ग के हितार्थ क्रियान्वित करना है ताकि समाज के पिछड़े एवं कमजोर वर्ग के शैक्षिक स्तर में सुधार लाते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक, महिलाओं हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं यथा छात्रवृत्ति, छात्रावास, आश्रमपद्धति विद्यालय, पेंशन, शोषण के विरूद्ध सहायता एवं भरण पोषण सम्बन्धी योजना आदि का संचालन किया जा रहा है। ये योजनाएं समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्प संख्यक कल्याण, विकलांग कल्याण, महिला कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।

योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं पारदर्शिता हेतु किये गये उपाय

- छात्रवृत्ति योजना का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण किया गया है। वर्ष 2013–14 से छात्र द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन पत्र ऑन लाइन भरने की अनिवार्य व्यवस्था लागू की गयी है।
- प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु एकीकृत पेंशन पोर्टल sspy-up.gov.in की स्थापना की गयी है, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में विभिन्न पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित कराये जा रहे लाभार्थियों का विवरण उपलब्ध रहेगा।
- जिन लाभार्थियों का मोबाइल नम्बर सिस्टम में अपलोड हो चुका है, उसे एस0एम0एस0 एलर्ट के माध्यम से खाते में धनराशि के अन्तरण की सूचना उपलब्ध करायी जा रही है।
- प्रदेश में प्रथम बार पी0एफ0एम0एस0 का कोषागार के साफ्टवेयर के साथ इन्ट्रीगेशन कर दिया गया है। समाज कल्याण विभाग एवं कोषागार के अधिकारियों को डिजीटल सिग्नेचर उपलब्ध कराये जा चुके हैं, ताकि समस्त प्रकार की पेंशन के भुगतान में पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली का प्रयोग करते हुए पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित की जा सके।
- समाजवादी पेंशन योजनान्तर्गत चयनित पात्र लाभार्थियों के खाते में पेंशन की धनराशि का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है।
- जनसाधारण की छात्रवृत्ति/पेंशन से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण हेतु विभाग द्वारा 25 सीटों वाले कॉल सेन्टर / हेल्प लाइन की भी स्थापना की गयी है, जिसके माध्यम से प्रदेश के छात्र–छात्राओं की समस्याओं का निराकरण किया जाता है। टोल फ्री हेल्प लाइन की दूरभाष संख्या–18004190001 है।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को ऑन लाइन करने के उद्देश्य से राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र इकाई द्वारा साफ्टवेयर का विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य योजना को पूर्णरूपेण पारदर्शी बनाया जाना है। योजनान्तर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लाभार्थियों द्वारा ऑनलाइन फार्म भरे जाने की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गयी है।

समाज कल्याण सम्बन्धी प्रमुख योजनायें

1.समाजवादी पेंशन योजना

भारत वर्ष में पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं साक्षरता को समन्वित करते हुए समाज के निर्बल एवं गरीबी

की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए योजना का संचालन किया जा रहा है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2014–15 से सम्पूर्ण प्रदेश में लागू है। वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु इस योजना में प्रदेश के 40 लाख परिवारों को लाभान्वित कराये जाने का लक्ष्य था, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के 12 लाख लाभार्थी, अल्पसंख्यक वर्ग के 10 लाख लाभार्थी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के 18 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित कराये जाने का लक्ष्य था। योजना में प्रति लाभार्थी को रू0 500/– की मासिक सहायता अनुमन्य करायी जाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं साक्षरता के कतिपय मानकों को पूरा करने के फलस्वरूप सहायता राशि में रू0 50/– की वार्षिक वृद्धि की जाती है।

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में रू० 199935.42 लाख की धनराशि व्यय कर 33.35 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु इस योजनान्तर्गत रू0 271600.00 लाख का बजट प्राविधान है, जिसके सापेक्ष 45 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित कराये जाने का लक्ष्य है। दिसम्बर, 2015 तक रू0 172995.41 लाख व्यय करके 4097318 पात्र पेंशनरों को योजना से लाभान्वित किया जा चुका है।

2. छात्रवृत्ति वितरण योजना

निर्बल वर्गों का शैक्षिक विकास ही उनके सर्वांगीण विकास की कुंजी है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण समय पर एवं पारदर्शी तरीके से करने हेतु राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता एवं समयबद्धता लाने हेतु छात्रवृत्ति योजना का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण किया गया है। दशमोत्तर अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति योजना में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से वर्ष 2012–13 में नियमावली प्रख्यापित की जा चुकी है एवं वर्ष 2013–14 से छात्र द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन पत्र ऑन लाइन भरने की अनिवार्य व्यवस्था लागू की गयी है।

क. पूर्वदशम व दशमोत्तर छात्रवृत्ति (अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग)

कक्षा–1 से 8 तक के अनुसूचित जाति/जनजाति के समस्त विद्यार्थियों तथा सामान्य वर्ग के गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले व्यक्तियों के पुत्र तथा पुत्रियों को छात्रवृत्ति ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समिति के माध्यम से नकद भुगतान की जाती है। कक्षा 9 व 10 के अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग के पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान उनके बैंक खातों के माध्यम से किया जाता है। अनुसूचित जाति के कक्षा 9 व 10 की कक्षाओं में अध्ययनरत रू0 2.00 लाख वार्षिक आय की सीमा तक के माता–पिता/अभिभावकों के आश्रितों को छात्रवृत्ति दी जाती है। तालिका–13.01 में विभिन्न वर्षो की प्रगति दिया गया है ।

तालिका–13.01

क्र0 स0	योजना का नाम	वर्ष	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (धनराशि रू0 लाख में)
1	2	3	4	5
1	पूर्वदशम् – अनु. जाति / जनजाति	2013–14	9715001	41462.03
		2014–15	193884	4340.22
	पूर्वदशम् – सामान्य वर्ग	2013–14	3394154	13305.67
		2014–15	21251	152.03
2	दशमोत्तर– अनु. जाति / जनजाति	2013–14	1050715	188361.92
		2014–15	861474	137179.70
	दशमोत्तर– सामान्य वर्ग	2013–14	989836	61402.17
		2014–15	370913	51049.80

3. राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निर्धन एवं प्रतिभावान छात्रों को आवासीय शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है। शिक्षा के साथ–साथ निःशुल्क छात्रावास, भोजन, पाठ्य पुस्तकें, यूनीफार्म, खेल–कूद आदि की व्यवस्था भी की जाती है। इन विद्यालयों में 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति / जनजाति 25 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 15 प्रतिशत सामान्य वर्ग के छात्रों को प्रवेश की व्यवस्था है। बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक विद्यालय खोले गये हैं। वर्तमान में इन विद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा सम्बद्धता प्रदान की गयी है। समाज कल्याण / जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित 85 नवीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों सहित कुल 94 संस्थाओं में कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाओं को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्धता की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2014–15 में 30501 छात्रो को योजना का लाभ दिया गया।

4. राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास

इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्रों को छात्रावास के अन्तर्गत आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। प्रदेश में 252 छात्रावास संचालित हैं। वर्ष 2014–15 में इस योजनान्तर्गत 2008.82 लाख रू० व्यय कर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 9428 छात्र / छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

5. अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता

अनुसूचित जाति–जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा पी0सी0आर0 एक्ट के अन्तर्गत अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों को भारत सरकार की तद्विषयक नियमावली के अन्तर्गत न्यूनतम 40,000 / – रूपये से लेकर 5,00,000 / – रूपये तक की सहायता उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2014–15 में 3390.38 लाख रू० व्यय कर 5555 परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी ।

6.वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना

वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के समस्त पात्र वृद्धजनों को जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची 2002 में सम्मिलित है, को वृद्धावस्था पेंशन से आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है। इस योजना में 60 वर्ष से 79 वर्ष तक के पेंशनरों को राज्य सरकार अपने संसाधन से रू0 100/– मासिक पेंशन राज्यांश के रूप में तथा भारत सरकार द्वारा प्रतिमाह रू0 200/– प्रति लाभार्थी की दर से केन्द्रांश के रूप मे पेंशन दी जाती है। 80 वर्ष से अधिक आयु के पात्र वृद्धजनों को रू0 500/– प्रति लाभार्थी प्रति माह की दर से भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में पेंशन दी जाती है। जबकि वर्ष 2014–15 में 130348.40 लाख रू० व्यय कर 35.06 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया।

7. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे निवासरत् परिवार के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु होने पर रू० 30,000 की आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 में 30056.40 लाख रू० उक्त योजना पर व्यय कर 100188 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

उत्तर प्रदेश माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं वृद्धाश्रमों का संचालन

माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम–2007 के अधीन उ0प्र0 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण नियमावली–2014 के अधीन भरण–पोषण के आदेश पर न्याय निर्णयन और विनिश्चयन करने के प्रयोजन से राज्य के प्रत्येक राजस्व जिलों की प्रत्येक तहसील में भरण–पोषण अधिकरण का गठन तथा प्रत्येक जिले में अपीलीय अधिकरण का गठन किया जा चुका है।

प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में तीन चरणों में 150 की क्षमता का वृद्धाश्रम स्थापित होना है। प्रथम चरण में वर्ष 2014–15 में चयनित 24 जनपदों व द्वितीय चरण वर्ष 2015–16 में 26 जनपदों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की कार्यवाही प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 50 वृद्धगृह क्रियाशील किये जाने है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग की लगभग 52 प्रतिशत आबादी के दृष्टिगत उनके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु राज्य सरकार क्रियाशील है। वर्तमान में पिछड़े वर्गों के विकास के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत छात्रवृत्ति, दशमोत्तर, प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति, छात्रावास निर्माण के साथ–साथ बेरोजगार युवक– युवतियों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण की योजनायें संचालित की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त पिछड़े वर्गों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को भारत सरकार से अनुदान दिलाये जाने की योजनायें भी संचालित की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवम् विकास निगम, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवम् विकास निगम की चैनेलाइजिंग एजेंसी के रूप में कार्यरत है, के द्वारा पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे/दोहरी गरीबी रेखा के परिवार को स्वतः रोजगार स्थापित करने के लिए एवम् उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु आसान

ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

पिछड़े वर्ग के विकास हेतु संचालित योजनायें

1. पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पिछड़े वर्ग के अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की भाँति उन्हीं दरों एवं शर्तों पर छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इसमें अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग के छात्र एवं छात्राएं सम्मिलित नहीं है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के कक्षा 9 व 10 के 2.64 लाख छात्र एवं छात्राओं की छात्रवृत्ति की धनराशि कुल रू० 18.76 करोड़ एवं कक्षा 10 व 12 के 12.72 लाख छात्र एवं छात्राओं की छात्रवृत्ति की धनराशि कुल रू० 466.90 करोड़ ,उनके बैंक खाते में पी०एफ०एम०एस० प्रणाली के माध्यम से सीधे खाते में अन्तरित की गयी।

2. शुल्क प्रतिपूर्ति योजना

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् पिछड़े वर्ग के छात्र एवं छात्राओं को उक्त योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित करते हुए पी०एफ०एम०एस० प्रणाली के माध्यम से 11.96 लाख छात्र एवं छात्राओं को रू० 555.44 करोड़ की धनराशि उनके बैंक खाते में सीधे अन्तरित की गयी।

3. छात्रावास निर्माण योजना

शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र एवं छात्राओं के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थाओं के परिसर में छात्रावास का निर्माण कराया जाता है। भारत सरकार की नवीन गाइडलाइन के अनुसार बजट व्यवस्था छात्राओं के लिये छात्रावास हेतु 90:10 केन्द्रांश और राज्यांश है, छात्रों हेतु 60:40 केन्द्रांश और राज्यांश है और एन०जी०ओ० द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास हेतु 45:45:10 केन्द्रांश/ राज्यांश/ एन०जी०ओ० अंश निर्धारित है।

4. ओ लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना

अन्य पिछड़े वर्ग के इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार के सुअवसर प्रदान करने हेतु 'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना भारत सरकार की डोयक सोसाइटी(नीलिट) से मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से संचालित है। उक्त योजना हेतु भुगतान की जाने वाली धनराशि अधिकतम रू० 10000.00 प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से संस्था को किये जाने का प्राविधान है। प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष होती है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में योजना के अन्तर्गत 3 हजार प्रशिक्षार्थियों को रू० 3.00 करोड़ का अनुदान प्रदान किया गया।

विकलांगों के कल्याण हेतु संचालित योजनायें

भारत की जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में विभिन्न विकलांगताओं से ग्रसित कुल व्यक्तियों की संख्या 4157514 है। जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 2.08 प्रतिशत है। प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवासरत विकलांग व्यक्तियों का विकलांगतावार वर्गीकरण निम्नवत है:–

तालिका–13.02

जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में श्रेणीवार विकलांगों की संख्या

विवरण	ग्रामीण	शहरी	कुल योग
विकलांगजन की कुल जनसंख्या	3166615	990899	4157514
दृष्टि विकलांगता	579182	184806	763988
वाक् विकलांगता	202152	64434	266586
श्रवण विकलांगता	753704	274131	1027835
अस्थि विकलांगता	543203	134510	677713
मानसिक मंदित	140097	41245	181342
मानसिक रूग्ण	57497	19106	76603
अन्य विकलांगता	720020	226416	946436
बहु विकलांगता	170760	46251	217011

विकलांगों के कल्याण हेतु संचालित योजनायें

1. विकलांग पेंशन योजना

विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत न्यूनतम् 40 प्रतिशत विकलांगता वाले विकलांगजन, जिनकी मासिक आय रू० 1000/– तक हो को रू० 300/– प्रतिमाह की दर से विकलांग पेंशन दी जाती है। योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल 870981 विकलांग जन को लाभान्वित किया गया है।

2. कुष्ठावस्था पेंशन योजना

विकलांग जन हेतु संचालित विकलांग भरण–पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत कुष्ठ रोग के कारण विकलांगता से ग्रसित विकलांग जन को भी पेंशन दिये जाने का निर्णय लिया गया है। कुष्ठ रोग के कारण विकलांग हुए ऐसे सभी विकलांग जन पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो तथा बी०पी०एल० आय सीमा के अन्तर्गत आते हों एवं शासन द्वारा संचालित अन्य पेंशन प्राप्त न कर रहे हों एवं किसी भी आयु वर्ग के हो, को प्रदेश के सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण–पत्र (चाहे विकलांगता का प्रतिशत कुछ भी हो) मान्य होगा को रू० 2500/– प्रति माह लाभार्थी की दर से अनुदान अनुमन्य होगा।

3. कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को जिनकी मासिक आय रू०–1000/– तक हो को अधिकतम रू०–8000/– तक की कीमत के कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र दिये जाते हैं।

4. दुकान निर्माण/संचालन योजना

दुकान निर्माण/संचालन योजना के अंतर्गत न्यूनतम् 40 प्रतिशत विकलांगता वाले विकलांगजन को दुकान निर्माण हेतु रू० 20,000/– एवं दुकान/खोखा/गुमटी/हाथ ठेला संचालन हेतु रू० 10,000/– की धनराशि प्रदान की जाती है। रू० 20,000/– में रू० 15,000/– की धनराशि 4 प्रतिशत साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में तथा रू० 5,000/– अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। इसी प्रकार रू० 10,000/– में रू० 7,500/– की धनराशि 4 प्रतिशत साधारण

ब्याज पर ऋण के रूप में तथा रू० 2,500/– अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। योजना अन्तर्गत कुल 878 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

5. विकलांगो से शादी प्रोत्साहन पुरस्कार

शादी–विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत न्यूनतम् 40 प्रतिशत विकलांगता वाले विकलांग दम्पत्ति में से पति के विकलांग होने पर रू० 15,000/– तथा पत्नी अथवा दोनों के विकलांग होने पर रू० 20,000/– धनराशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है। विकलांगों से विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार उन विकलांग जन/लाभार्थियों को पहले दिया जाता है, जिनका विवाह पहले हुआ हो।इस योजना के अन्तर्गत ऐसे कुल 2390 दम्पत्तियों को लाभान्वित किया गया है जो आयकरदाता न हों।

उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम को विकलांगजन की निःशुल्क बस यात्रा हेतु क्षतिपूर्ति :–

विकलांग व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों से निम्नानुसार निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही हैः–

(क) न्यूनतम् 40% विकलांगता वाले सभी विकलांगजन को।

(ख) 80% या उससे अधिक अथवा बहुविकलांगता से ग्रसित विकलांगजन को एक सहवर्ती के साथ।

6. विभिन्न श्रेणी के विकलांगों हेतु विशेष विद्यालय

विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं से ग्रसित बच्चों को आवासीय एवं अनावासीय शिक्षा प्रदान करनें के उद्देश्य से दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं हेतु, जनपद लखनऊ (दो विद्यालय), गोरखपुर (दो विद्यालय), सहारनपुर, बांदा, मेरठ में एक–एक विद्यालय, श्रवण बाधित छात्रों हेतु बरेली, गोरखपुर, लखनऊ एवं फरूखाबाद में, मानसिक मंदित छात्र तथा छात्राओं हेतु लखनऊ, इलाहाबाद में एवं अस्थि बाधित छात्रों हेतु लखनऊ तथा प्रतापगढ़ में एक–एक विशेष विद्यालय संचालित हैं। दृष्टिबधित छात्र/छात्राओं को विशिष्ट शिक्षा पद्धति ब्रेललिपि एवं कम्प्यूटर के माध्यम से आधुनिकतम विधा में शिक्षण प्रदान किया जाता है। श्रवण बाधित छात्र/छात्राओं को सांकेतिक भाषा के साथ–साथ आधुनिक तकनीकी/विशेष शिक्षा के अनुसार अध्ययन–अध्यापन का कार्य कराये जानें की व्यवस्था की गयी है। मानसिक मंदित छात्र/छात्राओं को एक्टिविटी आफ डेलीलिविंग में उत्तरोत्तर सुधार लानें एवं बौद्धिक क्षमता के विकास के उद्देश्य से विशेष शिक्षा प्रदान किये जानें की व्यवस्था की गयी है। शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों को आधुनिक शिक्षा का समावेश करते हुए शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है।

7. बचपन नर्सरी स्कूलों का संचालन

03 से 07 वर्ष के विकलांग बच्चों के प्री–स्कूल रेडीनेस हेतु जनपद–लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, में 60–60 बच्चों की क्षमता का तथा जनपद आगरा, बरेली, झांसी, सहारनपुर, गौतमबुद्धनगर में 30–30 बच्चों की क्षमता के बचपन डे केयर सेन्टर्स का संचालन किया जा रहा है। इन सेन्टर्स में विकलांग बच्चों को उनकी विकलांगता की चुनौतियों का सामना करने हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण/शिक्षण प्रदान करने के साथ–साथ उनके निःशुल्क आवागमन, फिजियो–थिरैपी, साईको–काउन्सलिंग, स्पीच–थिरैपी आदि की सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

जनपद अलीगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, मिर्जापुर, बस्ती, आजमगढ़, कानपुर नगर, फैजाबाद, गोण्डा तथा गारेखपुर में 10 नये बचपन डे केयर सेन्टर्स की स्थापना सरकार द्वारा की जा रही है।

<u>डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (लखनऊ) की स्थापनाः–</u>

प्रदेश के विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं से ग्रसित छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करनें हेतु उ०प्र० विकलांग उद्धार डा० शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय (लखनऊ) की स्थापना वर्ष 2008 में की गयी है। विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं व्यवसायिक पाठ्क्रमों में समेकित शिक्षा का प्रविधान है जिसमें सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों में विकलांग छात्र/छात्राओं हेतु सीटें आरक्षित की गयी हैं। वर्तमान में स्नातक/परास्नातक कक्षाओं के साथ–साथ विशिष्ट बी.एड., एम.बी.ए. एवं बी.ए. पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2014–15 तक रू0 46653.12 लाख का आवंटन किया गया। इससे निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा कराया गया।

<u>8. विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिए कर्मशाला</u>

विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं से ग्रसित विकलांग जन को आधुनिकतम रोजगारपरक व्यवसायों यथा–कम्प्यूटर एप्लीकेशन, ब्यूटीशियन, सिलाई कढ़ाई, मोबाइल रिपेयरिंग, टाइपिंग एवं शार्टहैण्ड, फैन्सी मोमबत्ती मेकिंग आदि में प्रशिक्षण देकर उन्हें जीवकोपार्जन करने में सक्षम बनाने के साथ–साथ समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से विकलांग कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के जनपद लखनऊ, गोरखपुर, बांदा, आगरा एवं वाराणसी में आवासीय सुविधा युक्त तथा मुरादाबाद एवं गौतमबुद्धनगर में अनावासीय कौशल विकास केन्द्र विकलांगजन हेतु संचालित किये जा रहे हैं।

<u>9. दक्ष विकलांग कर्मचारियों को पुरस्कार</u>

प्रत्येक वर्ष "विश्व विकलांगता दिवस" 03 दिसम्बर के अवसर पर विकलांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विकलांग व्यक्तियों/कर्मचारियों/सेवायोजकों/सृजनात्मक कार्य/तकनीकी खोज/उत्कृष्ट रोल माडल/उत्कृष्ट प्लेसमेन्ट/बाधारहित वातावरण के निर्माण के लिए/उत्कृष्ट चैनेलाइजिंग एजेन्सी/उत्कृष्ट लोकल लेवल कमेटी/उत्कृष्ट शिक्षण तथा स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाता है। गत वर्ष 03 व्यक्तियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार के साथ 23 व्यक्तियों के अतिरिक्त 07 संस्थाओं को भी विकलांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सम्मानित किया गया।

<u>10. मनोविकास केन्द्र गोरखपुर</u>

जनपद गोरखपुर में बी०आर०डी० मेडिकल कालेज के आरोग्य भवन में जापानी इन्सेफलाईटिस से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु मनोविकास केन्द्र की स्थापना की गयी है। इस केन्द्र में इन्सेफलाईटिस से प्रभावित व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़नें के उद्देश्य से फिजियोथिरैपी, आक्यूपेशनल थिरैपी व ऑडियोमेट्री एवं विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

<u>11. विकलांगता निवारण हेतु शल्य चिकित्सा अनुदान</u>

प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के निर्धन एवं असहाय विकलांग व्यक्तियों की विकलांगता निवारण हेतु शल्य चिकित्सा सहायता देने के लिए शल्य चिकित्सा अनुदान नियमावली वर्ष 2004 में प्रख्यापित करायी गयी है। जिसके अनुसार ऐसे विकलांग व्यक्ति जिनकी तथा जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रू० 60,000/– से

अधिक न हो को शल्य चिकित्सा हेतु रू 8000/– तक का अनुदान दिया जा रहा है। करेक्टिव सर्जरी योजना के अन्तर्गत जनपद कन्नौज में 75, कानपुर देहात में 43, बलिया में 102, बहराइच में 133 कुल 353 विकलांगजन को लाभान्वित किया गया।

12. मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र

प्रदेश के निराश्रित मानसिक मंदित महिलाओं एवं पुरूषों हेतु तीन मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। यह केन्द्र मेरठ, गोरखपुर में पुरूषों हेतु एवं बरेली में महिलाओं एवं पुरूषों को कौशल विकास प्रशिक्षण, एक्टिविटी आफ डेलीलिविंग (नैत्यिक कार्यों का सम्पादन) आदि के माध्यम से व्यक्तित्व विकास कर उन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से पुनर्वासित करने का कार्य किया जा रहा है। निराश्रित मानसिक मंदित/मानसिक रूप से रूग्ण महिलाओं के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु "दृष्टि सामाजिक संस्थान" लखनऊ को प्रतिवर्ष रू० 60.00 लाख का अनुदान 100 लाभार्थियों हेतु विभाग की ओर से प्रदान किया जा रहा है।

13. उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास

उच्च शिक्षा प्राप्त करनें वाले दृष्टिबाधित एवं अन्य विकलांग छात्र/छात्राओं को इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण करनें के उपरान्त उच्च शिक्षा प्राप्त करनें में हो रही कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुये उच्च शिक्षा ग्रहण करने के समय आवासीय सुविधा उपलब्ध करानें हेतु लखनऊ में 02 (बालक तथा बालिकाओं के लिए एक–एक), गोरखपुर में 02 (बालक तथा बालिकाओं के लिए एक–एक), इलाहाबाद में 01 (बालक हेतु), एवं मेरठ में 01 (बालको हेतु) कुल 06 छात्रावासों का निर्माण कराया गया है। यह सभी छात्रावास 100–100 कमरों के हैं जिनमें 200 छात्र/छात्राओं हेतु आवासीय व्यवस्था है।

अल्पसंख्यक कल्याण

प्रदेश में मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, एवं पारसी समुदायों तथा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय अधिसूचित किया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में उनकी विशिष्ट समस्याओं का निराकरण करने तथा उनका शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करके उन्हें राष्ट्र एवं समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा अनेक योजनायें चलाई जा रही हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत एवं उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या की तुलना में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या का प्रतिशत निम्नवत् है :–

तालिका–13.03

क्र0सं0	समुदाय का नाम	कुल जनसंख्या की तुलना में समुदाय का प्रतिशत	
		भारत	उत्तर प्रदेश
1.	मुस्लिम	13.43	18.49
2.	ईसाई	2.34	0.13
3.	सिक्ख	1.86	0.41
4.	बौद्ध	0.77	0.18
5.	पारसी	नगण्य	नगण्य
6.	जैन	0.41	0.12
	कुल अल्पसंख्यक	18.81	19.33

अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व निम्नवत् हैः–

तालिका–13.04

क्र0सं0	समुदाय	भारत	उत्तर प्रदेश
1	मुस्लिम	68.98	95.62
2	ईसाई	12.02	0.66
3	सिक्ख	9.56	2.10
4	पारसी	0.05	नगण्य
5	बौद्ध	3.97	0.94
6	जैन	2.10	0.64

अल्पसंख्यक कल्याण हेतु संचालित योजनायें

1. पूर्वदशम् एवं छात्रवृत्ति योजना

पूर्वदशम् कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति की योजना वर्ष 1995–96 से प्रारम्भ की गयी है। योजनान्तर्गत समुदाय के ऐसे सभी छात्रों, जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय रू0 1.00 लाख है, योजना मे आच्छादित है। अप्रैल, 2012 से अल्पसंख्यक पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को भी योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में 93623 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

2. दशमोत्तर छात्रवृत्ति

दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना वित्तीय वर्ष 2004–05 से प्रारम्भ की गयी है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे सभी छात्र/छात्राएं, जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय रू0 2.00 लाख तक है, योजनान्तर्गत अर्ह/पात्र माने जायेंगे तथा योजनान्तर्गत आय के आधार पर पात्र छात्र/छात्राओं को दो वर्गो (नवीनीकृत एवं नये) के रूप में चिन्हीकरण के आधार पर नवीनीकृत छात्रों हेतु गत वर्ष के परीक्षा परिणाम/अंकों के न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा नये छात्रों हेतु गत वर्ष के परीक्षा परिणाम/अंकों के न्यूनतम 60 प्रतिशत के आधार पर निर्धारित विभिन्न मासिक दरों पर वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध बजट की सीमा तक/के आधार पर पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में 178320 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई । वित्तीय वर्ष 2015–16 में योजनान्तर्गत दशमोत्तर छात्रवृत्ति कक्षाओं में अध्ययनरत 431004 छात्र/छात्राओं द्वारा आनलॉइन प्रक्रिया के अधीन आवेदन किया गया है, जिन्हें विभिन्न स्तरीय जाँच एवं परीक्षणों उपरान्त पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से नियमानुसार लाभान्वित किये जाने की कार्यवाही संचालित है।

3. दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत पात्र छात्र–छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति

यह योजना वित्तीय वर्ष 2007–08 से प्रदेश स्तर पर लागू की गयी है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में शासन द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय के क्रम में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति

नियमावली–2012, के क्रम में निर्गत संशोधित शासनादेश दिनांक 05 जनवरी 2015 द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे सभी छात्र/छात्राएं, जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय रू0 2.00 लाख तक है, योजनान्तर्गत अर्ह/पात्र माने जायेंगे तथा योजनान्तर्गत आय के आधार पर पात्र छात्र/छात्राओं को दो वर्गो (नवीनीकृत एवं नये) के रूप में चिन्हीकरण के आधार पर नवीनीकृत छात्रों हेतु गतवर्ष के परीक्षा परिणाम/अंकों को न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा नये छात्रों हेतु गत वर्ष के परीक्षा परिणाम/अंकों को न्यूनतम 60 प्रतिशत के आधार पर वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध बजट की सीमा तक छात्र/छात्रा की शिक्षा पर होने वाले वास्तविक व्यय अथवा अधिकतम रू0 50,000/– वार्षिक (जो भी कम हो) को शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में दिये जाने की व्यवस्था दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में 189207 की उपलब्धि प्राप्त की गई ।

4. लखनऊ में आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 कोचिंग संस्थान की स्थापना

इस योजना के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में 300 छात्र/छात्राओं हेतु कोचिंग सेन्टर की स्थापना की जा रही है। योजना के प्रथम चरण में रू0 435.29 लाख की लागत से एक आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 कोचिंग केन्द्र जनपद लखनऊ में मोहान रोड पर ग्राम पारा में निर्माण हुआ है।

5. मेडिकल/इंजीनियरिंग की परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2005–06 से जनपद लखनऊ में 100 छात्र/छात्राओं को मेडिकल/इंजीनियरिंग की कोचिंग योजना के लिये कुल फीस (अधिकतम रू0 15000/– प्रति अभ्यर्थी) दी जाती है। अभ्यर्थी को कोचिंग में प्रवेश के समय 50 प्रतिशत राशि एवं कोर्स समाप्ति पर 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में 100 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

6. अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन/निराश्रित अभिभावकों की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजना

यह योजना वित्तीय वर्ष 2007–08 से लागू की गयी है। इस योजना के अर्न्तगत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों की दो पुत्रियों के विवाह के लिए रू0 10,000/– प्रत्येक के आधार पर आगामी 06 माह के अन्दर प्रस्तावित अथवा गत् 06 माह के अन्दर सम्पन्न विवाह आयोजन हेतु रू0 10,000/– की सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। शादी हेतु अनुदान के प्रार्थना पत्रों की प्रतिमास माह के प्रथम सप्ताह में बैठक करके निस्तारित किये जाने की भी व्यवस्था की गई है। योजनान्तर्गत सितम्बर, 2009 से की गयी व्यवस्था के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग की पिछड़ी जाति के आवेदकों को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के स्तर से लाभान्वित किये जाने की व्यवस्था की गयी है। लाभान्वित आवेदक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अथवा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में से किसी एक ही विभाग से अनुदान प्राप्त कर सकेगा। वित्तीय वर्ष 2014–15 में 11442 आवेदकों को लाभान्वित किया गया।

7. प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम (मिनी आई0टी0आई0)

प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में परम्परागत शिक्षा के साथ–साथ मदरसों में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं को उनकी अभिरूचि के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम (मिनी आई0टी0आई0) प्रारम्भ की गयी है, जिसके

प्रथम चरण में 140 मदरसों में मिनी आई0टी0आई0 की स्थापना की गयी हैं। इस योजना के अन्तर्गत चयनित मदरसों को तीन ट्रेडों पर आधारित मिनी आई0टी0आई0 की स्थापना के लिये तीन इन्स्ट्रक्टर, एक लैब असिस्टेण्ट तथा एक अनुचर के लिये राज्य सरकार द्वारा मानदेय दिया जाता था। इस योजना के अर्न्तगत सम्बन्धित ट्रेडो की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष से तीन वर्ष निर्धारित की गयी हैं। योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार/तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवक/युवतियों को रोजगार भी मिल रहा है।

8. अल्पसंख्यक समुदाय की पुत्रियों को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए संचालित योजना ''हमारी बेटी उसका कल''

योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे अभिभावकों जिनकी वार्षिक आय अधिकतम रू0 36,000/–है, के कक्षा 10 पास पुत्रियो को आगे की शिक्षा अथवा विवाह हेतु रू0 30,000.00 की एकमुश्त धनराशि दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में 158853 आवेदकों को लाभान्वित किया गया।

9. अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बहुद्देशीय हब की स्थापना

प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के बालक/बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के रूप में इण्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा, कोचिंग एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में शैक्षणिक हब की स्थापना किये जाने की नयी योजना संचालित की गयी है। इस के अन्तर्गत प्रथम चरण में ऐसे 20 जनपदों को चिन्हित करके, जहॉ अल्पसंख्यकों की आबादी अधिकतम है, उनमें दो माडल इण्टर कालेज कक्षा–1 से 12 तक की स्थापना किया जाना है। शासकीय इण्टर कालेज में से एक–एक माडल इण्टर कालेज पश्चिमान्चल, मध्यान्चल एवं पूर्वान्चल क्षेत्रों के अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में स्थापित किये जायेंगे। इनमें छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध होगी। शैक्षणिक हब के अन्तर्गत स्थापित होने वाले माडल इण्टर कालेज में निम्नांकित सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी :–

क. मॉडल इण्टर कालेजों में कौशल विकास योजना को सम्मिलित किया जायेगा।

ख. मॉडल इण्टर कालेज में संचालित पाठ्यक्रम, प्रतियोगात्मक तैयारी के साथ–साथ इन्दिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) में संचालित पाठ्यक्रमों एवं रोजगार परक शिक्षा दिये जाने की भी व्यवस्था की जायेगी।

ग. मॉडल इण्टर कालेज में आई0सी0टी0 सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी।

च. कुछ विशिष्ट स्थानों पर मॉडल इण्टर कालेज में महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं, के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग की व्यवस्था की जायेगी। कोचिंग के लिए अच्छे टीचर प्रतिष्ठित कोचिंग प्रतिष्ठानों से या स्थानीय स्तर पर मौजूद ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थानों तथा उच्च शिक्षा के ख्याति प्राप्त संस्थानों से लिये जायेंगे।

10. अरबी फारसी मदरसों के अध्यापकों/अध्यापिकाओं के लिए राज्य पुरस्कार योजना

यह योजना वित्तीय वर्ष 2014–15 से प्रारम्भ की गयी है। प्रदेश के अरबी फारसी मदरसों के अध्यापकों/अध्यापिकाओं में अध्यापन कार्य के प्रति रूचि उत्पन्न करने तथा शिक्षण के स्तर में सुधार हेतु उच्च शिक्षा,

माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा की भाँति मदरसों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अध्यापकों/अध्यापिकाओं को भी राज्य अध्यापक पुरस्कार से पुरस्कृत किये जाने की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत तीन श्रेणी के पुरस्कार होंगे, तहतानिया स्तर के 03, फौकारिया स्तर के 03 एवं आलिया स्तर के 03 कुल 09 अरबी फारसी मदरसों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु प्रति वर्ष चयनित किए जाने की व्यवस्था है। राज्य पुरस्कार हेतु चयनित अरबी फारसी मदरसों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को रू0 10,000/– नकद पुरस्कार, चाँदी का पदक तथा शाल प्रदान किया जाता है।

11. अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना

यह योजना शतप्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित है। योजना के अर्न्तगत धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसों/मकतबों में आधुनिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि) को पढ़ाने के लिये स्नातक शिक्षक को रू0 6,000/ प्रतिमाह तथा परास्नातक के साथ बी0एड0 शिक्षकों को रू0 12,000/प्रतिमाह की दर से मानदेय के भुगतान की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त बुक बैंक की स्थापना हेतु रू0 50,000/विज्ञान एवं गणित किट हेतु रू0 15,000/ आलिया तथा उच्च आलिया स्तर के मदरसों के लिए कम्प्यूटर लैब की स्थापना हेतु रू0 1.00 लाख प्रति मदरसा का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा दिनांक 28.01.2014 के अनुसार योजना में कार्यरत शिक्षकों में से स्नातक शिक्षकों का मानदेय रू0 8000/ तथा परास्नातक तथा परास्नातक के साथ बी.एड.शिक्षकों का मानदेय रू 15000/ करने तथा अतिरिक्त बढ़ी हुयी धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

12. भारत सरकार द्वारा संचालित मेरिट–कम–मीन्स छात्रवृत्ति योजना

यह योजना वित्तीय वर्ष से 2007–08 प्रदेश स्तर पर लागू की गई है। यह योजना भारत सरकार द्वारा शत्प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे पात्र छात्र/छात्राएं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम रू0 2.50 लाख है, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के 80 व्यवसायिक एवं तकनीकी निर्धारित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हों, तथा गत् परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, अर्ह माने जायेंगे। भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/ छात्राओं को लाभान्वित किये जाने हेतु अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे छात्र/छात्राओं के बैंक खातों मे दिये जाने की व्यवस्था है। पात्र एवं चयनित अभ्यर्थियों को निम्नलिखित मासिक दर से छात्रवृत्ति एवं पाठ्यक्रम शुल्क प्रदान प्रदान किया जाता है–

निर्धारित दरें

श्रेणी	दर (प्रति माह)	
	दिवा छात्र	छात्रावासीय छात्र
स्नातक स्तर के तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु	रू0 500/– प्रति माह (रू0 5000/–वार्षिक अधिकतम)	रू0 1000/– प्रति माह (रू0 10,000/– वार्षिक अधिकतम)
पाठ्यक्रम शुल्क	रू0 20,000/– वार्षिक	रू0 20,000/– वार्षिक

योजनान्तर्गत चिन्हित 85 संस्थाओं के पात्र एवं चयनित छात्र/छात्राओं को संस्था द्वारा लिया जाने वाला वास्तविक पाठ्यक्रम शुल्क देय होगा, चाहे वह निर्धारित वार्षिक शुल्क रू0 20000/– से कम अथवा अधिक हो। वित्तीय वर्ष 2014–15 में 14695 की उपलब्धि प्राप्त की गई ।

13. भारत सरकार द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना

यह योजना वित्तीय वर्ष 2007–08 में प्रदेश स्तर पर लागू की गई है। यह योजना शत्प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे अध्ययनरत छात्र/छात्राएं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रू0 2.00 लाख से अधिक न हो तथा गत् परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों अर्ह माने जायेंगे। इस योजना के अर्न्तगत पाठ्यक्रम शुल्क के रूप में छात्रों को कक्षा 11 तथा 12 हेतु रू0 7000/– एवं व्यवसायिक एवं तकनीकी हेतु रू0 10000/– वार्षिक तथा अन्य स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों हेतु रू0 3000/– वार्षिक संस्था के खाते में दिये जाने की व्यवस्था है तथा छात्रवृत्ति के रूप में दी जाने वाली धनराशि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे छात्र/छात्राओं के बैंक खातों मे दिये जाने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत वह सभी 80 पाठ्यक्रम सम्मिलित नहीं है जो भारत सरकार द्वारा संचालित मेरिट–कम–मीन्स आधारित छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में 90223 की उपलब्धि प्राप्त की गई ।

14. भारत सरकार द्वारा संचालित पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना

यह योजना वित्तीय वर्ष 2008–09 से प्रदेश स्तर पर लागू की गई है। यह योजना भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 तक 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश आधारित केन्द्र पुरोनिधानित योजना थी। वित्तीय वर्ष 2014–15 से भारत सरकार द्वारा यह योजना शत्प्रतिशत केन्द्र पोषित कर दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में 846757 की उपलब्धि प्राप्त की गई ।

15.मल्टीसेक्टोरल डेवलपमेंन्ट प्लान

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 48 जनपदों के 144 विकास खण्डों तथा 18 नगरीय क्षेत्रों के अल्पसंख्यकों के चहुँमुखी विकास एवं उन्हे राष्ट्र की मुख्य धारा में लाये जाने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में अल्पसंख्यकों की मूलभूत समस्याओं एवं आवश्यकताओं के निराकरण एवं क्रिटिकल गैप्स को दूर किये जाने हेतु मल्टीसेक्टोरल डेवलपमेंन्ट प्लान लागू किया गया है। योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्षेत्रों में सकारात्मक प्रयास किये जायेंगे।

क. जनपद स्तर पर धार्मिक आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक अन्तर को दूर करने सम्बन्धी कार्य

1. साक्षरता दर
2. कार्य में सहभागिता दर
3. महिला साक्षरता दर
4. महिला कार्य में सहभागिता दर

ख. 12वी पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गयी है।

1– शैक्षणिक सुविधाओं का विकास।
2– स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना।
3– पेयजल आपूर्ति ।
4– रोजगार एवं कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था।

16. उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति द्वारा हज यात्रियों के लिये व्यवस्था

16.1 उत्तर प्रदेश के हज यात्रियों हेतु व्यवस्था

प्रदेश हज यात्रियों को हज यात्रा हेतु सऊदी अरब भेजने तथा हज सम्बन्धी कार्यों के

लिए उ0प्र0 राज्य हज समिति का गठन किया गया है। 2015 में उ0प्र0 से 23106 हज यात्रियों को सऊदी अरब भेजा गया था।

16.2 हज हाउस का निर्माण

प्रदेश के हज यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा लखनऊ में मौलाना अली मियॉ मेमोरियल हज हाउस का निर्माण कराया गया है यहॉ से वर्ष 2006 से हज यात्राएं सम्पन्न हो रही हैं। राज्य सरकार द्वारा पश्चिमी उ0प्र0 के हज यात्रियों की सुविधा के लिए गाजियाबाद में आला हजरत हज हाउस का निर्माण कराया जा रहा है। अभी पश्चिमी उ0प्र0 के हज यात्री दिल्ली राज्य हज समिति द्वारा निर्धारित स्थान से हज यात्रा पर प्रस्थान करते हैं। गाजियाबाद में आला हजरत हज हाउस के निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2013–14 में रू0 2780.01 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में लखनऊ हज हाउस में सेन्ट्रल ए0सी0 प्लान्ट की स्थापना के लिए रू0 300.00 लाख का प्राविधान कराया गया है।

महिला कल्याण

महिला कल्याण हेतु संचालित योजनायें

(1) पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं को सहायक अनुदान

योजना के अन्तर्गत ऐसी निराश्रित महिलायें जिनके पति की मृत्यु हो व जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रु0 19884/– एवं शहरी क्षेत्र में रु0 25546/– है, जिनके बच्चे नाबालिग अथवा बालिग होने के बावजूद भरण– पोषण के लिए असमर्थ हैं, को रु0 300/– प्रतिमाह का अनुदान दिया जाता है।

(2) पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान

योजना के अन्तर्गत पति की मृत्यु के उपरान्त अनुदान प्राप्त कर रही महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु एक मुश्त रु0 10,000/– (दस हजार) सहायता/ अनुदान दिया जाता है।

(3)पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं से पुनर्विवाह करने पर दम्पति को पुरस्कार

35 वर्ष से कम आयु की पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला के पुनर्विवाह को प्रोत्साहन करने हेतु उनसे विवाह करने पर उस दम्पति को पुरस्कृत करने की योजना संचालित है। दम्पति आयकर दाता न हो। ऐसी दम्पति को विवाह के लिए रु0 11,000 का पुरस्कार दिया जाता है।

(4) दहेज से पीड़ित महिलाओं की आर्थिक सहायता

दहेज से पीड़ित महिलाएं जो शासकीय संस्था की संवासिनी न हो, किसी अन्य विभाग से सहायता न प्राप्त कर रही हो, पुलिस में प्रथम सूचना दर्ज करा दी गई हो अथवा न्यायालय में प्रतिवाद विचाराधीन हो एवं गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हो, को रु0 125/– प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है।

(5) दहेज से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता

दहेज के कारण परित्यक्ता महिला को प्रत्येक वाद की पैरवी हेतु अधिकतम रु0 2500/– की सहायता जिला दहेज प्रतिबंध अधिकारी (जिला परिवीक्षा अधिकारी) द्वारा दी जाती है। समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी दहेज प्रतिबंध अधिकारी नामित हैं।

(6) विभाग द्वारा संचालित भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाएं अनैतिक व्यापार की रोकथाम हेतु संचालित कार्यक्रम

वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं/अनेक बच्चों में जागरुकता लाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, उन्हें सुरक्षित वातावरण

प्रदान करना।

(7) परिवीक्षा–सेवा–क्षेत्र

प्रोबेशन आफ अफेन्डर्स एक्ट, 1958 अपराधी मनोवृत्ति को मनोवैज्ञानिक ढंग से बदलने तथा अपराधी को दण्ड के बजाय सुधारात्मक ढंग से परिवर्तन करने के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में लागू है साथ ही किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने का दायित्व जिला पर तैनात परिवीक्षा अधिकारियों को सौंपा गया है। अधिनियम के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं पुनर्वासन की व्यवस्था करने की व्यवस्था है।

(8) किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति की स्थापना

किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत किशोर न्याय बोर्ड के गठन का प्रावधान है जिसे पूर्व अधिनियम के अन्तर्गत किशोर न्यायालय के नाम से जाना जाता था। इसके द्वारा विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के मामलों को निपटाया जाता है। इसी प्रकार पूर्व अधिनियम के अन्तर्गत गठित किशोर कल्याण बोर्ड को नये अधिनियम के अन्तर्गत बाल कल्याण समिति के रुप में पुनर्गठित किये जाने की व्यवस्था है। इनके द्वारा ऐसे बालक–बालिकाओं के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाएगी जिन्हें देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता हो।

(9) संस्थाओं/गृहों का संचालन

किशोर न्याय अधिनियम, 2000 (बालकों की सुरक्षा, देख–रेख एवं संरक्षण) एवं अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत संचालित संस्थायें अपराधिक मानसिकता से जुड़े न होने पर भी अल्पायु वर्ग के बालक, बालिकाएं, किशोरियां अपराधिक परिवेश में आ जाते हैं अथवा कुछ ऐसे बालक–बालिकाएं, किशोर–किशोरियां हैं, जिन्हें माता–पिता अथवा संरक्षण के अभाव के कारण विकास के समुचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाते, उन्हें अपराध की दुनिया से निकालने तथा संरक्षण प्रदान करने तथा समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की दृष्टि से आयु, लिंग तथा प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए राजकीय सम्प्रेक्षण गृह किशोर, राजकीय सम्प्रेक्षण गृह किशोरी, राजकीय विशेष गृह किशोरी, राजकीय बाल गृह (बालक), राजकीय बाल गृह (बालिका) पाश्चात्वर्ती देख–रेख संगठन, राजकीय बाल गृह (शिशु) का संचालन किया जा रहा है। उक्त संस्थाओं/गृहों की कार्य संस्कृति विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं, आकस्मिक निरीक्षण एवं अनुश्रवण से प्राप्त फीडबैक के आधार पर गृहों का पुनर्गठन किया गया जिससे संवासियों को बेहतर सुविधा प्रदान की जा सके। पुनर्गठन के उपरान्त 92 गृहों के स्थान पर प्रदेश में अब 47 गृहों/ संस्थानों का संचालन किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत संचालित संस्थाएं, 6 शरणालय एवं प्रवेशालय एवं 5 राजकीय गृह भी विभाग द्वारा संचालित हैं तथा 02 संस्थाएं गैर अधिनियम के अन्तर्गत संचालित हैं।

10. उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष

महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाते हुए संवेदनशील बनाना, नारी जीवन का अस्तित्व एवं उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाना तथा सभी क्षेत्रों, विशेष रुप से आर्थिक स्वावलंबन में महिलाओं को सशक्त एवं समर्थ बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा " उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष" की स्थापना की गयी है। यह कोष जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं/बालिकाओं के लिये तात्कालिक आर्थिक और चिकित्सकीय राहत सुनिश्चित

करेगा। इस कोष का उपयोग ऐसी पीड़िताओं के भरण–पोषण, शिक्षा और स्वास्थ तथा पुर्नरुद्धार के साथ–साथ यदि परिस्थितिवश ऐसा अपेक्षित हो, तो उनके अवयस्क बच्चों के भरण–पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिये भी किया जाऐगा।

ऐसी महिलाओं/बालिकाओं को सहायता उपलब्ध कराना जो हिंसा की प्रत्यक्ष शिकार नहीं हैं किन्तु जिन्हें दयनीय आर्थिक परिस्थितियों के कारण चिकित्सकीय एवं शैक्षिक सहायता की आवश्यकता है। इस कोष में जन सामान्य के योगदानों को या तो योगदानकर्ता की इच्छानुसार किसी विशिष्ट जिले में किसी विशिष्ट गतिविधि के प्रति या कोष में सामान्य योगदान के रुप में उपयोग किया जा सकता है।

बाल्य विकास

बाल्य विकास हेतु संचालित योजनायें

1. समेकित बाल विकास सेवा (आई0सी0डी0एस0) योजना

06 माह से 06 वर्ष आयु के बच्चों के समन्वित विकास के लिए, प्रदेश के सभी जनपदों में कुल 897 परियोजनाओं के अन्तर्गत 1,87,997 आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से यह योजना संचालित है। योजना में 06 माह से 03 वर्ष आयु के बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं को साप्ताहिक रूप से टेक–होम–राशन के रूप में अनुपूरक पोषाहार दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों पर 03 वर्ष से 06 वर्ष आयु के बच्चों को प्रातःकाल नाश्ता और दोपहर में पका–पकाया भोजन (हॉट कुक्ड फूड) दिया जाता है। केन्द्र पर बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा भी प्रदान की जाती है। अनुपूरक पुष्टाहार योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 में 364360.84 लाख रू० की उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष 354924.38 लाख रू० व्यय किये गये।

2.किशोरी बालिकाओं का सशक्तीकरण (सबला)

22 जनपदों में राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना (सबला) संचालित है। योजना का मुख्य उददे्श्य है किशोरी बालिकाओं को स्व विकास के लिए समर्थ बनाना तथा उनका सशक्तिकरण करना। राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना (सबला–पोषाहार) के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में 31033.50 लाख रू० की उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष 30960.87 लाख रू० व्यय किये गये।

3.किशोरी शक्ति योजना

प्रदेश के शेष 53 जनपदों में किशोरी शक्ति योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत प्रत्येक ब्लॉक पर 60 किशोरियों को चिन्हित कर 30–30 के दो बैच में 03 दिवसीय स्वास्थ्य एवं पोषण प्रशिक्षण तथा 60 दिवसीय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर इन किशोरियों से कार्य में सहयोग भी लिया जाता है। किशोरी शक्ति योजना शत प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित है। वर्ष 2014–15 में किशोरी शक्ति योजना हेतु 331.00 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी जिसके सापेक्ष 191.66 लाख रू० व्यय किये गये।

4.आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण

विभाग की योजनाओं के सुचारू संचालन हेतु स्वयं के ऑगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण प्राथमिकता पर कराये जाने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में आंगन बाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु 7127.08 लाख रू० उपलब्ध कराये गये थे जिसके सापेक्ष 6868.67 लाख रू० व्यय कर 1412 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कराया गया।

5.राज्य पोषण मिशन

क.राज्य पोषण मिशन का गठन

उत्तर प्रदेश में 42 प्रतिशत बच्चे कुपोषित है और 52 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं खून की कमी का शिकार है। बच्चों एवं महिलाओं में कुपोषण की रोकथाम हेतु संबंधित विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रमों में समन्वय करने एवं उनको परिणामपरक बनाने के उद्देश्य से राज्य पोषण मिशन का गठन किया गया है। कुपोषण की रोकथाम हेतु आवश्यक चिन्हित प्रभावी हस्तक्षेप वर्तमान में स्वास्थ्य एवं आई.सी.डी.एस. विभाग के कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय तक पहुँचाये जा रहे हैं। किन्तु कार्यान्वयन की गुणवत्ता एवं समुदाय में जागरूकता के अभाव के कारण यह हस्तक्षेप सभी लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार एवं कुपोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु विभिन्न विभागों के साथ मिलकर पोषण मिशन द्वारा कार्य किया जा रहा है। मिशन कुपोषण को दूर करने और नोडल विभागों के साथ सहयोग और पोषण हस्तक्षेप के प्रभावी और गुणवत्ता से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित प्रयासों को तेज करने में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है। राज्य पोषण मिशन का औपचारिक आरम्भ दिनांक 01 नवम्बर, 2014 को मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा किया गया। मिशन के छः सहयोगी विभाग हैं –बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, खाद्य एवं रसद् तथा बेसिक शिक्षा विभाग। राज्य पोषण मिशन दस प्रभावी पोषण हस्तक्षेपों को कुपोषण की रोकथाम हेतु आधारभूत मानते हुए वर्तमान में संचालित स्वास्थ्य, आई0सी0डी0एस0, पंचायती राज व अन्य विभागों के माध्यम से क्रियान्वित करने का प्रयास कर रहा है। वैश्विक शोध दर्शाते है कि चिन्हित प्रभावी हस्तक्षेपों का आच्छादन यदि शत–प्रतिशत करा दिया जाये अर्थात इनको समुदाय के सभी लाभार्थियों के वर्ग तक पहुंचाया जाये तो बच्चों एवं महिलाओं की पोषण स्थिति में सुधार लाया जा सकता है।

ख.राज्य पोषण मिशन–लक्ष्य समूह

जीवन की प्रत्येक अवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कुपोषित किशोरी और कुपोषित मां द्वारा कम वजन के शिशु को जन्म देने की अधिक संभावना होती है। इस प्रकार कुपोषण का चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। कुपोषण के इस चक्र को रोकने के लिए आवश्यक है कि बच्चों, किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को सही पोषण मिले। उक्त साक्ष्यों को आधारभूत मानते हुये मिशन मुख्य रूप से इन चार लक्ष्य समूहों 1. किशोरी 2. गर्भवती महिला 3. नवजात शिशु 4. 0–2 वर्ष आयु के बच्चे पर केंद्रित कार्य कर रहा है। कुपोषण की पहचान हेतु आंगनबाड़ी केंद्र पर हर माह बच्चों का वजन ग्रोथ चार्ट पर नापा जाता है। वजन के आधार पर बच्चों के पोषण स्तर को तीन श्रेणियों में बांटा जाता है–

1. लाल श्रेणी – गंभीर रूप से कम वजन के बच्चे,
2. पीली श्रेणी – अल्प वजन के बच्चे,
3. हरी श्रेणी – सामान्य वजन के बच्चे। गर्भवती महिलाओं में पोषण का स्तर मुख्य रूप से गर्भावस्था के दौरान वजन में बढ़ोत्तरी तथा एनीमिया के स्तर से जांचा जा सकता है। एनीमिया के स्तर को मुख्यतः दो श्रेणी में विभाजित किया गया है–

1– 7 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन– यह गंभीर एनीमिया का सूचक है।

2– 7 से 11 ग्राम हीमोग्लोबिन–यह मध्यम ग्रेड एनीमिया का सूचक है।

राज्य पोषण मिशन–विभिन्न विभागों के साथ 2015–16 हेतु संयुक्त लक्ष्य

क्रम	स्वास्थ्य विभाग	आई.सी.डी.एस.	पंचायती राज
1	शीघ्र स्तनपान के स्तर में वर्तमान 36 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि।	बच्चों में कम वजन (अंडर वेट) के स्तर में 2.5 प्रतिशत की कमी लाना। (42 प्रतिशत से कम कर के 39.5 प्रतिशत तक ले जाना)	प्रदेश में सभी गोद ली गयी ग्राम सभाओं में पंचायती राज विभाग द्वारा यथा सम्भव प्रयास किया जायेगा कि शौचालयों का निर्माण शत–प्रतिशत करा लिया जाये।
2	गर्भवती महिलाओं में गम्भीर एनीमिया (हीमोग्लोबिन 7 प्रतिशत से कम) में 50 प्रतिशत की कमी लाना।		पंचायती राज और मिशन मिलकर शौचालयों का उपयोग बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस हेतु गोद लिये गये गांवों में शत–प्रतिशत प्रयोग और अन्य गांवों में वर्तमान स्तर से 10 प्रतिशत की वृद्धि लाने का प्रयास किया जायेगा।
3	गर्भवती महिलाओं में सामान्य एनीमिया (हीमोग्लोबिन 11 प्रतिशत से कम) के स्तर में वर्तमान 57 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की कमी लाना।		गोद लिये गये गांवों में सभी स्कूलों व आंगनवाड़ी केन्द्रों में पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये स्कूल के समीप चयनित स्थल पर सबमर्शिबल पम्प द्वारा स्कूल के किचन, शौचालय तथा हाथ धोने के स्थान पर पानी की व्यवस्था की जायेगी।
4	किशोरियों में एनीमिया के स्तर में कमी लाने हेतु ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों के दौरान आई0एफ0ए0 की गोलियों का वितरण तथा वर्ष में दो बार एनीमिया की जांच।		मिशन के संदेशों को पंचायती राज की वर्तमान योजना में सम्मिलित करते हुए कुपोषण और स्वच्छता सम्बन्धी संदेशों को जनपदों तक ले जाया जायेगा।
5	बच्चों में वेस्टिंग के स्तर में 0.5 प्रतिशत की कमी लाना (वर्तमान 15 प्रतिशत स्तर से 14.5 प्रतिशत तक)		

राज्य पोषण मिशन के अन्तर्गत ग्राम सभाओं को गोद लेते हुए कार्यक्रमों का सघन अनुश्रवण, अभिमुखीकरण कार्यशालाएं तथा अति कुपोषित बच्चों की ऑनलाईन ट्रैकिंग का कार्य किया जा रहा है।

• • •

अध्याय–14
श्रम शक्ति एवं सेवायोजन

श्रम शक्ति का अभिप्राय 15–59 आयु वर्ग की जनसंख्या से लगाया जाता है और इसी वर्ग के व्यक्तियों से रोजगार हेतु उपलब्ध रहने की अपेक्षा की जाती है। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश में 15–59 आयु वर्ग की जनसंख्या 1114 लाख थी जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का अंश 55.8 प्रतिशत था। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार 658.15 लाख कुल कर्मकर थे, जिनमें 190.58 लाख कृषक, 199.39 लाख कृषि श्रमिक, 38.99 लाख पारिवारिक उद्योगों तथा 229.19 लाख अन्य कार्यों में लगे कर्मकर थे। कुल कर्मकरों में मुख्य तथा सीमान्त कर्मकरों की संख्या क्रमशः 446.35 लाख तथा 211.79 लाख थी। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों में 29.0 प्रतिशत कृषक के रूप में, 30.3 प्रतिशत कृषि श्रमिक के रूप में, 5.9 प्रतिशत पारिवारिक उद्योग धन्धों में तथा 34.8 प्रतिशत अन्य कार्यो में कर्मकर लगे हैं। कुल कर्मकरों में मुख्य तथा सीमान्त कर्मकरों की संख्या से सम्बंधित आंकड़े तालिका–14.01 में दर्शाये गये हैं–

तालिका–14.01
उत्तर प्रदेश में मुख्य तथा सीमान्त कर्मकर

(लाख में)

मद	कुल मुख्य कर्मकर	सीमान्त कर्मकर	कुल कर्मकर
1	2	3	4
ग्रामीण	335 .38	184 .13	519 .51
नगरीय	110 .97	27 .67	138 .64
उत्तर प्रदेश	446 .35	211 .80	658 .15

प्रदेश की छठी आर्थिक गणना 2012–13 के अनन्तिम परिणामों के अनुसार प्रदेश मे कार्यरत कुल 66–71 लाख उद्यमों मे कुल कामगारों की संख्या लगभग 136 लाख थी जिसमें महिला कामगार 19 प्रतिशत तथा भाड़े पर लगे कामगार 34 प्रतिशत थे। प्रदेश मे पॉचवी आर्थिक गणना 2005 के सापेक्ष छठी आर्थिक गणना 2012–13 में रोजगार में वृद्धि 42 प्रतिशत रही ।

राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षण 68वीं आवृत्ति के अनुसार उत्तर प्रदेश मे श्रमशक्ति में भागीदारी

राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य) अनुसार 28.8 प्रतिशत व्यक्ति, 29.3 प्रतिशत व्यक्ति प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य+गौण), 29.1 प्रतिशत व्यक्ति चालू साप्ताहिक कार्यकलाप अनुसार तथा 28.6 प्रतिशत व्यक्ति चालू दैनिक कार्यकलाप अनुसार

श्रमशक्ति के अन्तर्गत पाये गये। पुरूषों में यह प्रतिशत क्रमशः 48.6, 48.6, 48.3, तथा 48.0 एवं महिलाओं में यह प्रतिशत क्रमशः 6.1, 7.2, 7.1 तथा 6.5 पाया गया। नगरीय क्षेत्र में प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य) अनुसार 30.6 प्रतिशत, प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य+गौण) अनुसार 30.7 प्रतिशत, चालू साप्ताहिक कार्यकलाप अनुसार 30.6 प्रतिशत तथा चालू दैनिक कार्यकलाप अनुसार 30.4 प्रतिशत व्यक्ति (LFPR) श्रमशक्ति के अन्तर्गत पाये गये। पुरूषों में यह प्रतिशत क्रमशः 52.0, 52.1, 52.0 तथा 51.9 एवं महिलाओं में क्रमशः 6.1, 6.3, 6.3 तथा 5.9 पाया गया।

प्रदेश मे कार्यबल में भागीदारी

ग्रामीण क्षेत्र में प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य) अनुसार 28.2 प्रतिशत, प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य+गौण) अनुसार 28.7 प्रतिशत, चालू साप्ताहिक कार्यकलाप अनुसार 28.4 प्रतिशत तथा चालू दैनिक कार्यकलाप अनुसार 27.7 प्रतिशत व्यक्ति कार्यबल के अन्तर्गत पाये गये। पुरूषों में यह प्रतिशत क्रमशः 47.6, 47.7, 47.1 तथा 46.5 एवं महिलाओं में क्रमशः 5.9, 7.1, 6.9 तथा 6.2 पाया गया। नगरीय क्षेत्र में प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य) अनुसार 29.7 प्रतिशत, प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य+गौण) अनुसार 29.8 प्रतिशत, चालू साप्ताहिक कार्यकलाप अनुसार 29.7 प्रतिशत तथा चालू दैनिक कार्यकलाप अनुसार 29.3 प्रतिशत व्यक्ति कार्यबल के अन्तर्गत पाये गये। पुरूषों में यह प्रतिशत क्रमशः 50.7, 50.8, 50.6 तथा 50.1 एवं महिलाओं में क्रमशः 5.7, 6.0, 5.9 तथा 5.5 पाया गया।

प्रदेश मे बेरोजगारी

ग्रामीण क्षेत्र में प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य) अनुसार 0.6 प्रतिशत, प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य+गौण) अनुसार 0.6 प्रतिशत, चालू साप्ताहिक कार्यकलाप अनुसार 0.7 प्रतिशत तथा चालू दैनिक कार्यकलाप अनुसार 0.9 प्रतिशत व्यक्ति बेरोजगार पाये गये। पुरूषों में यह प्रतिशत क्रमशः 1.0, 1.0, 1.1 तथा 1.5 एवं महिलाओं में क्रमशः 0.2, 0.2, 0.2 तथा 0.2 पाया गया। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य) अनुसार 0.9 प्रतिशत, प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य+गौण) अनुसार 0.9 प्रतिशत, चालू साप्ताहिक कार्यकलाप अनुसार 0.9 प्रतिशत तथा चालू दैनिक कार्यकलाप अनुसार 1.1 प्रतिशत व्यक्ति बेरोजगार पाये गये। पुरूषों में यह प्रतिशत क्रमशः 1.3, 1.3, 1.4 तथा 1.8 जबकि महिलाओं में यह प्रतिशत प्रत्येक कार्यकलाप स्तर पर 0.4 प्रतिशत पाया गया।

राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षण में रोजगार तथा बेरोजगारी के निर्धारण को आर्थिक कार्यकलाप स्तर तथा इसकी विभिन्न श्रेणियों के संदर्भ में विश्लेषित किया गया है ।

कार्यकलाप स्तर –यह कार्यकलाप की वह स्थिति है, जिसमें एक व्यक्ति संदर्भ अवधि के दौरान आर्थिक और गैर–आर्थिक कार्यकलाप में लगा हुआ पाया जाता है। उक्त के अनुसार एक व्यक्ति संदर्भ अवधि के दौरान निम्नांकित तीन स्थितियों में से किसी एक में या उनके मिश्रण में लगा हुआ होगा–

(i) आर्थिक कार्यकलाप में कार्यरत है या कार्यरत रहा है।

(ii) आर्थिक कार्यकलाप से जुड़ा नहीं रहा पर या तो काम प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है या कार्य मिलने पर करने को तैयार है।

(iii) किसी कार्यकलाप से जुड़ा नहीं रहा और न ही कार्यकलाप के लिए उपलब्ध है।

उपर्युक्त (i) व (ii) में उल्लिखित कार्यकलाप स्तर श्रमबल में रहने से सम्बन्धित है और (iii) का सम्बन्ध श्रमबल में नही रहने से है। श्रमिक बल कार्यकलाप स्तरों में से (i) रोजगार से और (ii) बेरोजगारी

से सम्बन्धित है।

<u>कार्यकलाप स्तरों की विभिन्न श्रेणियां–</u>

प्रत्येक व्यक्ति को एक मात्र कार्यकलाप स्तर में अभिज्ञानित करना अत्यन्त कठिन है। ऐसी सम्भाव्यता के मामले में तीन प्रमुख कार्यकलाप स्तरों में से किसी एक के अधीन अनन्य पहचान या तो अधिक समय मापदण्ड या प्राथमिकता मापदण्ड को अपनाते हुए किया जा सकता है। पहले कहे मापदण्ड का उपयोग व्यक्तियों का वर्गीकरण प्रायिक कार्यकलाप (यूजवल एक्टीविटी) के अधीन और दूसरे का चालू कार्यकलाप स्तर (करन्ट एक्टीविटी) के अधीन करने के लिए किया जाता है। यदि उपरोक्त दो मापदण्डों में से एक को अपनाने पर आर्थिक कार्यकलाप में लगा एक व्यक्ति संदर्भ अवधि के दौरान एक से अधिक आर्थिक कार्यकलाप करता हुआ पाया जाता है तो उसकी उपयुक्त विस्तृत कार्यकलाप स्तर श्रेणी का सम्बन्ध उस कार्यकलाप से होगा, जिसमें उसने अपेक्षाकृत अधिक समय लगाया है। इसी प्रकार का उपाय गैर आर्थिक कार्यकलाप के लिए किया गया है। विभिन्न कार्यकलाप स्तरों के अन्तर्गत आने वाले प्रमुख कार्यकलापों को निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है–

(i) आर्थिक कार्यकलाप में कार्यरत अथवा लगे रहने की स्थिति (नियोजित)

- (अ) एक स्वकार्यरत कामगार के रूप में पारिवारिक उद्यम में कार्य किया,
- (ब) पारिवारिक उद्यम में एक नियोक्ता के रूप में कार्य किया,
- (स) पारिवारिक उद्यम में एक सहायक के रूप में कार्य किया (बिना पारिश्रमिक पारिवारिक उद्यम में कार्यरत)
- (द) नियमित वैतनिक / मजदूर कर्मचारी के रूप में कार्य किया
- (य) सार्वजनिक निमार्ण कार्य में एक अनियत मजदूर के रूप में कार्य किया
- (र) अन्य प्रकार के कार्यों में अनियत मजदूर के रूप में कार्य किया
- (ल) रूग्णता के कारण कार्य नहीं किया, हांलाकि पारिवारिक उद्यम में कार्य था
- (व) अन्य कारणों से कार्य नहीं किया, हांलाकि पारिवारिक उद्यम में कार्य था
- (स) रूग्णता के कारण कार्य नहीं किया, पर नियमित वैतनिक / मजदूरी पर नियोजित था
- (फ) अन्य कारणों से कार्य नहीं किया, पर नियमित वैतनिक / मजदूरी पर नियोजित था

(ii) कार्यरत नहीं रहा, पर काम की तलाश में या काम के लिए उपलब्ध रहा (बेरोजगार)

- (अ) कार्य की तलाश की
- (ब) तलाश नहीं की पर कार्य हेतु उपलब्ध रहा

(iii) कार्यरत नहीं रहा और न ही कार्य के लिए उपलब्ध (श्रम शक्ति में नहीं)

- (क) शैक्षणिक संस्थान में उपस्थित रहा
- (ख) घरेलू कार्य करता रहा
- (ग) घरेलू कार्य में लगा रहा और पारिवारिक उपयोग हेतु वस्तुओं के निःशुल्क संग्रहण (सब्जियां, कन्द मूल, जलाऊ लकड़ी, जानवरों का चारा, आदि), सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि में कार्यरत रहा
- (घ) किराया, पेंशन, प्रेषित धन आदि का प्राप्तकर्ता
- (च) विकलांगता के कारण कार्य करने में असमर्थ
- (छ) अन्य (भिखारी, आदि सहित)
- (ज) रूग्णता के कारण कार्य नहीं (केवल अनियत मजदूरों के लिए)

प्रदेश की श्रम शक्ति को रोजगार उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। इस हेतु सेवायोजन कार्यालयों द्वारा मुख्य रूप से बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार हेतु पंजीयन तथा उन्हें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में वैतनिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु अधिसूचित रिक्तियों की पूर्ति हेतु सम्प्रेषित करना, व्यवसाय मार्ग निर्देशन कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार बाजार में उपलब्ध प्रशिक्षण, उच्चशिक्षा के अवसरों के सम्बन्ध में बेरोजगार अभ्यर्थियों को सम्यक एवं उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराना, स्वतः नियोजन के क्षेत्र में अपना उद्योग स्थापित करने हेतु बेरोजगार अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करना एवं ऋण सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराने में उनकी सहायता करना, समाज के निर्बल वर्ग के अभ्यर्थियों की सेवानियोजकता तथा कौशल में वृद्धि करना, रोजगार/बेरोजगारी के विभिन्न आयामों के सम्बन्ध में सूचनाओं का एकत्रीकरण, संकलन, प्रचार एवं प्रसार आदि कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। बेरोजगारों को सेवायोजन सहायता प्रदान करने हेतु प्रदेश में 75 जनपदों में सेवायोजन कार्यालय, 16 जनपदों में विकलांगो हेतु विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय, 13 विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र, 01 नगर सेवायोजन कार्यलय तथा मुख्यालय स्तर पर 01 व्यवसायिक एवं प्रबन्धकीय सेवायोजन कार्यालय स्थापित हैं। सेवायोजन से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आंकड़े तालिका 14.02 में दिये जा रहे हैंः–

तालिका–14.02

उत्तर प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार सृजन सम्बन्धी आंकड़े

क्रम संख्या	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		2013	2014	
1	2	3	4	5
1.	पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या (हजार में)	7536	4557	(–)39.53
2.	अधिसूचित रिक्तियों की संख्या	2485	2151	(–)13.44
3.	अधिसूचित रिक्तियों में सम्प्रेषण	26102	22300	(–)14.57
4.	सवेतन रोजगार में लगाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	25481	38870	52.55
5.	स्वतः रोजगार में लगाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	1686	1490	(–)11.63
6.	वर्ष के अन्त में सक्रिय पंजिका पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या (हजार में)	7428	7372	(–)0.75

स्वतः रोजगार/नियोजन कार्यक्रम

वैतनिक रोजगार के सीमित अवसरों को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वतः नियोजन के क्षेत्र में अनेक योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। सेवायोजन कार्यालयों द्वारा भी इस क्षेत्र में प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया जा रहा है। सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार

अभ्यर्थियों को स्वतः रोजगार के उपयुक्त व्यवसाय तथा स्वतः नियोजन के प्रोन्नयन के लिये बनायी गयी विभिन्न योजनाओं की भली–भांति जानकारी कराकर उन्हें स्वतः रोजगार के क्षेत्र में अपना रोजगार आरम्भ करने के लिये उत्प्रेरित किया जाता है। वित्तीय सहायता एवं ऋण आदि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बेरोजगार अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र, वित्तीय संस्थाओं को सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से भी अग्रसारित किये जाते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012 में 1874 तथा वर्ष 2013 में 1686 अभ्यर्थियों को स्वतः नियोजित कराया गया। स्वतः नियोजन कार्यक्रम के क्षेत्र में हुई प्रगति का विवरण तालिका–14.03 में दर्शाया गया हैः–

तालिका–14.03

उत्तर प्रदेश में स्वतः नियोजन कार्यक्रम के क्षेत्र में हुई प्रगति

क्रम संख्या	कार्य विवरण	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		2013	2014	
1	2	3	4	5
1.	स्वतः नियोजन हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	4447	4168	(–)6.3
2.	स्वतः नियोजन हेतु प्रार्थना पत्रों का अग्रसारण	3380	3056	(–)9.6
3.	स्वतः नियोजन कराये गये व्यक्तियों की संख्या	1686	1490	(–)11.6
4.	स्वतः नियोजन हेतु आयोजित सामूहिक वार्ताएं	7532	4082	(–)45.8
5.	स्वतः नियोजन हेतु आयोजित गोष्ठियों/बैठकों की संख्या	577	896	55.3

प्रदेशवासियों को सवैतनिक रोजगार सुलभ कराने में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के सेवायोजकों से सम्बन्धित आंकड़ा तालिका 14.04 में दर्शाया गया है–

तालिका–14.04

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के सेवायोजकों की संख्या

क्षेत्र	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
	मार्च, 2013	मार्च, 2014	
1	2	3	4
1. केन्द्र सरकार	732	734	0.27
2. राज्य सरकार	8392	8389	(–) 0.04
3. अर्द्ध सरकार (केन्द्र)	5503	5524	0.38
4. अर्द्ध सरकार (राज्य)	1597	1596	(–) 0.06
5. स्थानीय निकाय	1315	1309	(–) 0.46
योग	17539	17552	0.07

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में मार्च 2013 से मार्च, 2014 की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल अधिष्ठानों की संख्या में वृद्धि हुई है। प्रदेश में मार्च, 2014 के अन्त में 17539 अधिष्ठान सेवायोजक पंजिका पर उपलब्ध थे, जो 0.07 प्रतिशत बढ़कर मार्च, 2014 में 17552 हो गये। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल अधिष्ठानों की संख्या में 13 की वृद्धि हुई है।

रोजगार सुलभ कराने में निजी क्षेत्र का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के सेवायोजकों से संबंधित आंकड़े तालिका 14.05 में दिये जा रहे हैः–

तालिका–14.05
उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र के सेवायोजकों की संख्या

क्रमांक	अधिष्ठान वर्ग	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2013	मार्च, 2014	
1	2	3	4	5
1	एक्ट अधिष्ठान	5247	5345	1.9
2	नान एक्ट अधिष्ठान	3440	3442	0.1
	योग	8687	8767	0.9

तालिका संख्या 14.06 से स्पष्ट है कि अर्द्ध सरकार (राज्य) एवं स्थानीय निकाय को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों में गत वर्ष की अपेक्षा मार्च, 2014 में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि 0.44 प्रतिशत केन्द्र सरकार के क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में हुई है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों में कार्यरत् कर्मचारियों की संख्या तालिका–14.06 में दी जा रही हैः–

तालिका–14.06
उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

क्रमांक	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2013	मार्च, 2014	
1	2	3	4	5
1.	केन्द्र सरकार	320507	321929	0.44
2.	राज्य सरकार	695635	697113	0.21
3.	अर्द्ध सरकार (केन्द्र)	167077	167282	0.12
4.	अर्द्ध सरकार (राज्य)	333562	330715	(–)0.85
5.	स्थानीय निकाय	108423	107038	(–)1.28
	योग	1625204	1624077	(–)0.07

उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में मार्च, 2014 में गत वर्ष की अपेक्षा 2.3 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। निजी क्षेत्र में कार्यरत् कर्मचारियों की संख्या के आंकड़े तालिका 14.07 में दिये गये है–

तालिका–14.07
उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

क्रमांक	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2013	मार्च, 2014	
1	2	3	4	5
1	एक्ट अधिष्ठान	554658	569027	2.6
2	नानएक्ट अधिष्ठान	49499	49025	(–) 1.0
	योग	604157	618052	2.3

औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में मार्च, 2014 में गत वर्ष की अपेक्षा कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में 0.07 प्रतिशत की कमी हुई है। इन कर्मचारियों का विस्तृत विवरण तालिका 14.08 में दिया गया है–

तालिका–14.08
उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

औद्योगिक वर्ग	औद्योगिक विवरण	सेवारत् कर्मचारियों की संख्या		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2013	मार्च, 2014	
1	2	3	4	5
"ए"	कृषि, वन सम्पदा एवं मत्स्य	39995	40941	2.37
"बी"	खान एवं उत्खनन	4498	4497	(–)0.02
"सी"	उत्पादन	98926	96161	(–)2.80
"डी"	विद्युत, गैस, वाष्प एवं वातानुकूलन आपूर्ति	47861	47386	(–)0.99
"ई"	जल आपूर्ति	19028	18811	(–)1.14
"एफ"	निर्माण	127596	127612	0.01
"जी"	थोक एवं फुटकर व्यापार, मोटरगाड़ी एवं मोटर साइकिल की मरम्मत	13779	13032	(–)5.42
"एच"	परिवहन एवं भण्डारण	245161	246434	0.52
"आई"	आवासीय एवं खाद्य सेवा क्रियायें	564	555	(–)1.60
"जे"	सूचना एवं संचार	20249	19775	(–)2.34
"के"	वित्तीय एवं बीमा क्रियायें	103530	103224	(–)0.30
"एल"	रियल स्टेट क्रियायें	0	0	0.00
"एम"	व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियायें	17494	17610	0.66

"एन"	प्रशासकीय एवं सहायतित सेवायें	990	202	(–)79.60
"ओ"	लोक प्रशासन एवं रक्षा, आवश्यक सामाजिक सुरक्षा	526863	537098	1.94
"पी"	शिक्षा	243641	239948	(–)1.52
"क्यू"	मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	109708	106094	(–)3.29
"आर"	कला,मनोरंजन एवं आमोद–प्रमोद क्रियायें	1421	1578	11.05
"एस"	अन्य सेवा कार्य	3900	3119	(–)20.03
"टी"	नियोजक के रूप में घरेलू क्रियायें	0	0	0
"यू"	एक्स्ट्रा टेरीटोरियल संगठनों एवं बॉडीस की क्रियायें	0	0	0
योग		1625204	1624077	(–)0.07

तालिका संख्या 14.08 को देखने से स्पष्ट होता है कि कृषि, वन सम्पदा एवं मत्स्य उत्पादन, निर्माण, परिवहन एवं भण्डारण, व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियायें, लोक प्रशासन एवं रक्षा, आवश्यक सामाजिक सुरक्षा तथा कला, मनोरंजन एवं आमोद–प्रमोद क्रियायें वर्ग को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के शेष वर्गो में मार्च, 2014 में कर्मचारियों की संख्या में गत वर्ष की तुलना में कमी हुई है और यह कमी सर्वाधिक 79.60 प्रतिशत प्रशासकीय एवं सहायतित सेवायें वर्ग में हुई।

औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार निजी क्षेत्र में मार्च, 2014 में गत वर्ष की अपेक्षा कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में 2.30 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। इन कर्मचारियों का विस्तृत विवरण तालिका–14.09 में दिया गया है–

तालिका–14.09

उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र में औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार कार्यरत कर्मचारियो की संख्या

औद्योगिक वर्ग	औद्योगिक विवरण	सेवारत् कर्मचारियों की संख्या		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2013	मार्च, 2014	
1	2	3	4	5
"ए"	कृषि, वन सम्पदा एवं मत्स्य	765	827	8.10
"बी"	खान एवं उत्खनन	67	62	(–)7.46
"सी"	उत्पादन	298788	308888	3.38
"डी"	विद्युत, गैस, वाष्प एवं वातानुकूलन आपूर्ति	3936	4228	7.44
"ई"	जल आपूर्ति	0	0	0
"एफ"	निर्माण	369	373	1.08
"जी"	थोक एवं फुटकर व्यापार, मोटरगाड़ी एवं मोटर साइकिल की मरम्मत	10520	10456	(–)0.61
"एच"	परिवहन एवं भण्डारण	3331	3490	4.77
"आई"	आवासीय एवं खाद्य सेवा क्रियायें	7786	8452	8.55
"जे"	सूचना एवं संचार	10480	10321	(–)1.52

"के"	वित्तीय एवं बीमा क्रियायें	6376	7794	22.24
"एल"	रियल स्टेट क्रियायें	23491	25260	7.53
"एम"	व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियायें	323	325	0.62
"एन"	प्रशासकीय एवं सहायतित सेवायें	19081	19844	4.00
"ओ"	लोक प्रशासन एवं रक्षा, आवश्यक सामाजिक सुरक्षा	0	0	0
"पी"	शिक्षा	207379	205996	(–)0.67
"क्यू"	मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	9492	9808	3.33
"आर"	कला, मनोरंजन एवं आमोद–प्रमोद क्रियायें	650	623	(–)4.15
"एस"	अन्य सेवा कार्य	1323	1305	(–)1.28
"टी"	नियोजक के रूप में घरेलू क्रियायें	0	0	0
"यू"	एक्स्ट्रा टेरीटोरियल संगठनों एवं बॉडीस की क्रियायें	0	0	0
योग		604157	618052	2.30

तालिका संख्या 14.09 को देखने से स्पष्ट होता है कि खान एवं उत्खनन, थोक एवं फुटकर व्यापार, मोटरगाड़ी एवं मोटर साइकिल की मरम्मत, सूचना एवं संचार, शिक्षा, कला, मनोरंजन एवं आमोद–प्रमोद क्रियायें तथा अन्य सेवा कार्य वर्ग को छोड़कर शेष सभी वर्गो में मार्च, 2014 में कर्मचारियों की संख्या में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है और यह वृद्धि सर्वाधिक वित्तीय एवं बीमा क्रियायें वर्ग में 22.24 प्रतिशत हुई।

इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या मार्च, 2014 में गत वर्ष की अपेक्षा 0.4 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र में 4. 8 प्रतिशत अधिक रही। जबकि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को मिलाकर देखने से इनमें उक्त अवधि में गतवर्ष की अपेक्षा 1.7 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। इन्हें तालिका 14.10 से देखा जा सकता है :–

तालिका–14.10

उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत् महिला कर्मचारियों की संख्या

क्रमांक	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2012	मार्च, 2013	
1	2	3	4	5
1	सार्वजनिक क्षेत्र	201559	202453	0.4
2	निजी क्षेत्र	84543	88635	4.8
	योग	286102	291088	1.7

<u>सेवायोजन कार्यालयों द्वारा सेवायोजन हेतु संचालित कार्यक्रम</u>

सेवायोजन कार्यालयों द्वारा प्रदेश के बेरोजगार अभ्यार्थियों को सेवायोजन सहायता प्रदान करने हेतु निम्न महत्वपूर्ण कार्य किये जाते हैं–

1. **<u>कैरियर काउन्सिलिंग</u>** : कैरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों का आयोजन कर बेरोजगार अभ्यार्थियों को रोजगार अवसरों की जानकारी प्रदान कराना, रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराना तथा योग्यताओं/क्षमताओं में वृद्धि हेतु अल्पकालिक/पूर्णकालिक प्रशिक्षणों एवं पाठ्क्रमों की जानकारी प्रदान की जाती है।
2. **<u>रोजगार मेला</u>** : प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा निजी क्षेत्र में भी बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाता है। बेरोजगारों एवं नियोजकों को एक ही स्थान पर एकत्र कर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें नियोजक अपनी संस्था के कार्य के उपयुक्त बेरोजगारों का चयन करते हैं तथा बेरोजगारों को भी अपनी इच्छानुसार संस्थान का चयन करने की सुविधा भी उपलब्ध रहती है।

<u>तालिका–14.11</u>

वर्ष	रोजगार मेला		कैरियर काउन्सिलिंग	
	मेलों की संख्या	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या	शिविरों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	2	3	4	5
2012	234	8201	367	26893
2013	594	24579	863	82716
2014	660	38204	973	102507
2015	511	25765	1196	128697

3. **<u>शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र</u>** : केन्द्र का मुख्य उद्देश्य समाज के निर्बल वर्ग यथा अनुसूचित जाति/जन जाति एवं पिछड़े वर्ग के बेरोजगारों को मार्ग दर्शन प्रदान कर उन्हें रोजगार हेतु स्वावलम्बी बनाना है। इसमें भाषा, सचिवीय पद्धति, कम्प्यूटर, आशुलिपि एवं सामान्य–ज्ञान में प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी सेवायोजकता में वृद्धि की जाती है। वर्तमान में प्रदेश के 52 जनपदों में शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र स्थापित है। प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तथा प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है व इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जन जाति के प्रशिक्षार्थियों को मानदेय, निःशुल्क प्रतियोगी साहित्य उपलब्ध कराया जाता है एवं साथ ही स्वतः नियोजन हेतु प्रेरित किया जाता है।

तालिका–14.12

शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों में प्रशिक्षित अभ्यार्थियों सम्बन्धित प्रगति

वर्ष	सेवायोजित	स्वतः नियोजित	कुल
1	2	3	4
2012	94	45	139
2013	82	23	105
2014	106	38	144

4. सेवायोजन वेब–पोर्टल– प्रदेश के बेरोजगार अभ्यर्थियों को सेवायोजन के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग द्वारा www.sewayojan.org वेबपोर्टल का विकास कराया गया है। इस वेबपोर्टल में बेरोजगार अभ्यार्थियों के आनलाइन पंजीयन के साथ ही साथ सेवायोजकों को भी आनलाइन पंजीकृत करने का प्राविधान किया गया है, इससे रोजगार अभ्यार्थियों को जहाँ रोजगार के अधिक से अधिक अवसर होगें वहीं सेवायोजको को भी योग्य एवं प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध हो सकेगें। सरकार द्वारा इस पोर्टल में यह भी प्राविधान कराया गया है कि प्रदेश के अन्तर्गत समस्त नियमित एवं संविदा पर होने वाली सरकारी रिक्तियों/भर्तियों की सूचना भी प्रदर्शित की जाए।

1. माडल कैरियर सेन्टर की स्थापना–

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय में कार्यरत् कैरियर काउन्सिलिंग सेल तथा जिला सेवायोजन कार्यालय, गाजियाबाद में माडल कैरियर सेन्टर की स्थापना की जानी है। माडल कैरियर सेन्टर का कार्यक्षेत्र पूरे प्रदेश के अध्ययनरत छात्र–छात्राओं तथा प्रशिक्षण संस्थानों के अध्ययन कर रहे प्रशिक्षार्थियों से संबंधित है। इस सेन्टर द्वारा वर्तमान परिवेश में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं रोजगार के नए उभरते व्यवसायों की जानकारी प्रदान करने के साथ–साथ उनकी सेवायोजकता में वृद्धि सम्बन्धी कार्य किए जाने है।

• • •